राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] नवम् विधान सभा के षष्ठम सत्र का पंचम दिवस [संख्या 5

शुक्रवार,

28 फरवरी, 1992

राजस्थान विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मी चन्द मेहता। प्रश्न सं. 83। (अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखें।)

श्री नाथूराम अहारी।

अरबी एवं फारसी शोध संस्थान, टोंक द्वारा छात्रवृति हेतु जारी विज्ञप्ति

84. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर) एवं **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनू) : क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ए.पी.आर.आई. टोंक द्वारा कुछ माह पूर्व शोध संबंधी फैलोशिप/स्कालरशिप हेतु विज्ञप्ति दैनिक पत्रों में प्रकाशित की गई थी? यदि हां, तो किस तिथि को? विज्ञप्ति की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा उन अभ्यार्थियों को भी साक्षात्कार में आमंत्रित किया गया जो प्रकाशित विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (एम.ए.) नहीं रखते थे?

(3) क्या यह सही है कि निदेशक द्वारा अपने पुत्र को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अभाव में एक ही समय में स्कालरशिप तथा ए.पी.टी.सी. की टीचिंग के लिए भी नियुक्त कर भुगतान दिया जा रहा है?

(4) क्या एक ही विभाग द्वारा किसी एक व्यक्ति को दो प्रकार की सेवाओं के लिए पृथक-पृथक भुगतान किया जाना न्याय संगत है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराकर अनियमित तरीके से उठाये गये भुगतान की वसूली करने का विचार रखती है?

कला एवं संस्कृति मंत्री (सुश्री पुष्पा जैन) :—

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। जी हां।

श्री नाथूराम अहारी : मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ...

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक निवेदन है कि एक सवाल आगे और इसी संस्था का है सौ नम्बर पर। मैं यह चाहता हूं कि यह भी इसी के साथ सम्मिलित कर लिया जाय। विषय एक ही है।

श्री अध्यक्ष : मैं देख लेता हूं। आप पूछिये। हां, पूछिये।

श्री नाथूराम अहारी : इस संस्थान के निदेशक ने कानून का दुरुपयोग किया है, अपने ही बेटों को अपनी ही संस्था में दो जगह से वेतन दिये हैं। क्या आप इस निदेशक को सस्पैण्ड करने की इच्छा रखती हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पूछ लिया उन्होंने।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : है, दो हैं हम। मैं भी तो हूं साथ में।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, यह टौंक का सवाल है इसलिए मैं....

श्री अध्यक्ष : मैं देख रहा हूं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : टौंक का सवाल है लेकिन प्रश्नकर्ता हम हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार का मामला है और स्थिति यह है जैसा मन्त्रीजी ने स्वीकार किया है कि ए.पी.आर. आई., टौंक में वहां के निदेशक महोदय ने विज्ञप्ति जारी की नियुक्ति के लिए और उसमें नामीनेशन यानि अप्लाई करने की अन्तिम तिथि 15-5-91 थी और डेट आफ इन्टरव्यू 20-5-91 थी। अध्यक्ष महोदय, इसकी मिनिमम योग्यता एम.ए. रखी गई थी लेकिन जिस दिन इन्टरव्यू लिया गया और प्रत्यार्थी का चयन किया गया उस दिन वह एम.ए. पास था ही नहीं, उसका परीक्षा परिणाम ही बाद में आया। न्यूनतम योग्यता के अभाव के बावजूद भी उसको नियुक्ति दे दी गई क्योंकि उसके पिता ही उक्त संस्थान के निदेशक हैं। इतना ही नहीं, एक ही संस्था में उक्त निदेशक के सुपुत्र शोलत अली खां को नियुक्त के साथ-साथ स्कालरशिप भी दी गई और दोनों भुगतान एक साथ वहां से ले रहे हैं। इसके अलावा मन्त्रीजी ने यह स्वीकार किया है कि एक ही विभाग से एक व्यक्ति दो-दो वेतन और भत्तों के लाभ नियमानुसार नहीं ले सकता। यह स्वीकार कर रही हैं। लेकिन इसके बाद केवल इतना ही कह देना कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जब तक उस संस्था के निदेशक, जो व्यक्ति अयोग्य था जिसको नियुक्ति दी गई, उसके पिता रहेंगे, क्या आप उससे निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर सकते हैं ? मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अगर वाकई में आप भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं और इसके अन्दर जो अनियमितता हुई है इसकी निष्पक्ष जांच करवाना चाहते हैं तो आपको

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

इस जांच से पहले उस संस्था के निदेशक को हटा कर वहां प्रशासक या रिसीवर अपाइंट करना चाहिए। तब तो जांच होगी। इस सम्बन्ध में आप बतायें कि जांच किस से करवा रहे हैं और क्या जांच कराने से पूर्व उक्त संस्था का निदेशक कार्यकर्त्ता रहेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : विराजिए। प्रश्न संख्या सौ भी यही है। पूछ लीजिए आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदया से....

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब दे दें। आप प्रश्न संख्या 100 बोल दीजिए। जवाब है उनका।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रश्न संख्या 100 और इसका सप्लीमेंट्री भी....

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले इस प्रश्न का जवाब दे दूं ?

श्री अध्यक्ष : यह और वह एक ही है। सेम क्वेश्चन है।

अरबी एवं फारसी शोध संस्थान, टौंक में टंककों की नियुक्ति

100. **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) : क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सितम्बर, 1987 में ए. पी. आर. आई., टौंक में अरबी भाषा टंककों की नियुक्ति की गई थी ?

(2) यदि हां, तो क्या पद की योग्यताएं, अर्हताएं तथा आयु सरकार से निर्धारित कराई गई थी ? यदि हां, तो कब तथा क्या ? यदि नहीं, तो अभ्यर्थियों को नियमों का उल्लंघन कर किस प्रकार नियुक्ति दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पद पर बिना योग्यता, अर्हता एवं आयु के निर्धारण के नियुक्ति दिये जाने पर आडिट पैरा में भी आपत्ति की गई थी ?

(4) यदि हां, तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध इस प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि आडिट पैरा के उपरान्त तथाकथित कर्मचारी जो निदेशक का संबंधी है, का स्थानान्तरण अरबी टंकक के पद से कापिस्ट के पद पर उसकी सेवाओं को सुरक्षित रखने की दृष्टि से नियम विरूद्ध कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब तो देवें....

कला एवं संस्कृति मंत्री (सुश्री पुष्पा जैन) : — (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(सुश्री पुष्पा जैन)

नियुक्ति के सम्बन्ध में जांच कर ली जायेगी ।

(3) जी हां ।

(4) कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

(5) जी हां ।

इस सम्बन्ध में शिकायत भी प्राप्त हुई है अतः जांच करवाई जा रही है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इन प्रश्नों के जवाब में यह स्वीकार किया है और किसी प्रकार की टालमटोल करने की कोशिश नहीं की । लेकिन क्या यह सही है कि लगातार बार-बार शिकायत आने पर पूर्व जिलाधीश मीरा महर्षि और भार्गव ने इसकी जांच की है ? उन्होंने राज्य सरकार को क्या यह सूचना दी थी कि इन्होंने इस संस्थान को अपनी बपौती बना रखा है ? क्या यह भी सही है कि केवल अपने लड़के को ही नहीं, अपने बाप को भी उन्होंने वहां पर नौकरी दी थी और केवल इतना ही नहीं, 60 कर्मचारियों में से 28 कर्मचारियों को, जिसकी जांच हुई और जिसमें माना गया है कि उन्होंने अनियमित तरीक से अपने सारे परिवार और रिश्तेदारों को नौकरियां दे दी हैं, क्या यह नियमों के विरूद्ध नहीं है ? प्राइमाफेसी क्या आपको यह नहीं लगता कि डाइरेक्टर ने अपने पद और प्रभाव का दुरूपयोग किया है ? वह वहां पर एक मिनट ही रह सकते, क्या आप यह विचार करते हैं कि उनको तुरन्त सस्पैण्ड करके निष्पक्ष इन्क्वायरी आप करायेंगी ?

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका सवाल । माननीय मंत्रीजी ।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : पहले मंत्रीजी जवाब दें तीनों का, यह मेन सवाल....

श्री नाथूराम अहारी : मेरा सप्लीमेंट्री है....

श्री अध्यक्ष : आपका सप्लीमेंट्री आयेगा, पहले एक बार जवाब आ जाय । जो तीनों प्रश्नकर्त्ता हैं उनका जवाब आ जाय । पहले इनको मौका दूंगा....

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अपने जवाब में भी यह स्वीकार किया है कि उक्त फैलोशिप देते समय नियमों की अवहेलना की गई है, यह सत्य है । न तो वह कमेटी, जिस कमेटी के द्वारा उक्त फैलोशिप लेने वाले व्यक्तियों का चयन होना चाहिए था वह कमेटी राज्य सरकार द्वारा अभी तक स्वीकृत ही नहीं हुई है । दूसरा, यह भी सही है कि इण्डियन कौंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च द्वारा जो नियम हैं उन नियमों को भी राज्य सरकार द्वारा कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है । अतः इन दोनों की अवहेलना करके जो फैलोशिप प्रदान की गई वह भी गलत है और मैं इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहूंगी कि राज्य सरकार ने एक आदेश के द्वारा

(सुश्री पुष्पा जैन)

उक्त फैलोशिप को रद्द कर दिया है, तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया है और फैलोशिप की राशि के भुगतान को भी निरस्त कर दिया है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, यह सही नहीं है। भुगतान किया गया, उसकी रसीद है मेरे पास।

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब पूरा होने दीजिए न।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह किस तारीख को किया गया, यह बतायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जवाब पूरा होने दीजिए।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसे ही मेरे सामने यह मसला आया, इस मसले को पूरी गम्भीरता से देखने के बाद मैं स्वयं यह महसूस करती हूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कई तरह की अनियमितताएं बरती गई थी लिहाजा 26-2-92 को एक आदेश के द्वारा उक्त फैलोशिप और इसकी राशि को निरस्त किया गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब तो उठा ली उन्होंने।

सुश्री पुष्पा जैन : अब तक जो उठाई है हम उसकी जांच करवा लेंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री नाथूराम अहारी : क्या जांच करवायेंगे, जो भुगतान हुआ है उसके बिल पेश हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : वह वसूल हो जायेगी वापस। बिराजिए आप।

सुश्री पुष्पा जैन : मैंने अर्ज किया कि 26-2-92....

श्री नाथूराम अहारी : जो गलती की है उसका अब क्या करेंगे आप ?

श्री अध्यक्ष : पूरा जवाब तो सुन लो आप।

सुश्री पुष्पा जैन : 26-2-92 को अब आगामी फैलोशिप किसी को नहीं दी जायेगी। अब तक जो दी जा चुकी है उसके अन्दर जांच के बाद जो भी मुनासिब कार्यवाही होगी उसके लिए कार्यवाही की जायेगी और किसी को प्रोटेक्शन देना मैं कतई मुनासिब नहीं समझूंगी। मैं यह भी स्वीकार करती हूं कि उक्त शोध संस्थान में जो लोग लगे हुए हैं, मुझे जो भी जानकारी दी गयी है उसके अनुसार उनके पुत्र भी हैं उसमें, उनके 4 सगे भाई भी हैं, उनकी ससुराल के साले भी हैं, उनके चाचा ससुर भी हैं। इन सारी गफलतों को देखने के बाद राज्य सरकार ने स्वयं भी यह तय किया है और मैं सदन की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कहना चाहती हूं कि इसमें जांच में कोई कोताई नहीं बरती जायेगी और मैं यह भी कहना चाहूंगी कि दौराने जाच उनका मुख्यालय टोंक नहीं रखा जायेगा, जयपुर रखा जायेगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप सस्पैण्ड की घोषणा क्यों नहीं करती ?

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि 26 तारीख को...... (व्यवधान)........

श्री अध्यक्ष : ... (व्यवधान) ....आर्डर प्लीज...... (व्यवधान)........ आप बिराजिये । .... (व्यवधान)...... मैं बुला रहा हूं एक-एक को । आप बैठिये तो सही । एक, एक पूछें । अहारी जी क्या सवाल पूछ रहे हैं आप ?

श्री नाथूराम अहारी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इस सारे प्रकरण को स्वीकार किया फिर जांच का कोई सवाल ही नहीं उठता । आप आज ही उनको सस्पैण्ड करने के लिए आर्डर्स प्रसारित करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अरबी और फारसी शोध संस्थान केन्द्र के निदेशक के पास कितने व्यक्तियों ने अनुभव के प्रमाण पत्र के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये और उक्त प्रार्थना पत्रों में उक्त निदेशक ने किन लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र दिये ? क्या इसमें किसी प्रकार का पक्षपात किया गया ? मेरा दूसरा प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय कि क्या यह भी सही है कि करीब तीन-चार बार ईरान के एम्बेसेडर बिना राज्य सरकार की जानकारी के इस शोध संस्थान में आये ? मेरा तीसरा प्रश्न है कि क्या यह भी सही है कि इन निदेशक महोदय के विरूद्ध साम्प्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप हैं ? यदि हां, तो उसकी जांच की गई या नहीं, इसकी जानकारी दें । अध्यक्ष महोदय, मेरा चौथा प्रश्न है श्रीमती अनवाएन्निसा व रफत माहन्निसा ने दिनांक 3-2-92 को उक्त निदेशक के द्वारा उक्त महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, इनके साथ मारपीट की गई और जिसकी इसने थाने में रिपोर्ट का प्रार्थनापत्र दिया और थाने के थानेदार ने मात्र रसीद प्राप्त कर उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की । क्या माननीय मंत्री महोदया और गृह मंत्री जी इसके बारे में उसके विरूद्ध कार्यवाही करके रिपोर्ट दर्ज कराने के बारे में कोई आश्वासन देंगे ? मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : हो गए आपके सवाल ! अब भाषण क्यों दे रहे हैं आप ? (व्यवधान)

इसलिए इस व्यक्ति को यहां पर निलम्बित करने का आश्वासन दें माननीय सदस्यों को ।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया यह भी बतायें कि....

श्री अध्यक्ष : रिपीट मत कीजिये ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : रिपीट नहीं कर रहा हूं । क्या यह भी सही है कि ईरान के राजदूत, अरब के शेख और अरब के कोई अमीर वहां गये थे और बिना राज्य सरकार की जानकारी के वहां विजिट करके, उनको कुछ पैसा देकर आये थे ? यदि हां, तो उस पैसे का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम जी ।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह सीरियस मैटर हाउस के सामने आया है उसमें सिर्फ इतना ही पूछना चाहूंगा कि यह उन का अपाइन्टमैंट कब हुआ ? इन्टरव्यू किस तारीख को हुआ और कलक्टर ने उस सिलसिले में रिपोर्ट कब भेजी ? यह किस वक्त हुए यह तारीखें बता दें ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि एक बार टोंक में 89 में जो दंगे हुए तो उस समय साम्प्रदायिक दंगा भड़काने का आरोप इन पर था....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह इससे सम्बन्धित नहीं है। मेरा जो मूल प्रश्न है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है... (व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : .... पुलिस ने लिखकर भेजा है। फर्जी आरोप लगाये हैं। क्या यह भी सही है कि उन्होंने बहुत बड़ी रकम का दुरुपयोग किया जो विदेशों से आई और उसको किसी प्रकार की एन्ट्री नहीं है। उन्होंने उस धन का दुरुपयोग किया है। क्या यह भी सही है कि उन्होंने अपने साले, साली, भाई, चाचा वगैरह जो आपने स्वीकार भी किया है, अब इसके बाद में क्या बचता है ...

श्री अध्यक्ष : आप रिपीट कर रहे हैं। (व्यवधान) .. अब हो गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ....उन्होंने खरीद में घोटाले किये हैं। स्पष्ट कलक्टर ने अपनी रिपोर्ट में दिया है।

श्री अध्यक्ष : अब आ गया....

श्री महावीर प्रसाद जैन : ....और इसके बाद उनका केवल हैडक्वार्टर्स बदलने का सवाल नहीं है। मेरा कहना यह है कि उनको सस्पेन्ड किया जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय महावीर जी, बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ....आज लड़कियों के साथ....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज। ....जवाब तो सुनें आप ...

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा ईरान के एम्बेसेडर के बारे में, मेरी जानकारी में यह आया है लेकिन क्योंकि यह जांच का मुद्दा है इसीलिए मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं इन सारे मसलों पर जो गम्भीर आरोप आपने लगाये हैं निश्चित रूप से उन सारे आरोपों की शिकायतें मेरे पास आई हैं और मैंने उन सारे मसलों पर गौर करके जांच के आदेश दिये हैं और आप जानते हैं दौराने जांच उनका मुख्यालय टोंक रहना उचित नहीं है लिहाजा मैंने स्वयं सदन में कहा है कि उनको वहां नहीं रखा जायेगा... (व्यवधान) ..

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह लीपापोती नहीं चलेगी.... मैं तीन बातें जानना चाहता हूं .. (व्यवधान) ...

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : .... प्लीज....आर्डर प्लीज । माननीय मंत्रीजी,

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था मुझे बोलने का मौका देंगे....

श्री अध्यक्ष : आप पहले सुन तो लीजिए ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : क्या सुनूं इस बात को...

श्री अध्यक्ष : पहले सुनिये....प्लीज सिट डाउन ... बोलिये मन्त्री जी पहले मन्त्री जी का जवाब सुन लें....(व्यवधान)... प्लीज सिट डाउन ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की राय के अनुसार शोध संस्थान के निदेशक को सस्पैण्ड करने की घोषणा करती हूं । उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और उसकी पूरी जांच करवाई जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री रतनाराम चौधरी,

जिला जालौर में अरावली पर्वतीय योजना

85. **श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही आदि जिलों में अरावली पर्वतीय योजना लागू की गई है ? यदि हां, तो क्या जिला जालौर को भी इसी योजना में सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मन्त्री (श्री लालचन्द डूडी) : जी हां, इस योजना को राज्य के सीमित क्षेत्रों में प्रारम्भ किये जाने के कारण जालौर जिला इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी के जवाब से सन्तुष्ट नहीं हूं क्योंकि यह जवाब पूर्ण नहीं है । अरावली पर्वतीय योजना लागू की गई है जालौर जिले की पहाड़ियां भी अरावली पर्वतीय श्रृंखला में आती हैं अतः क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस योजना को राज्य सरकार के सीमित क्षेत्रों में लागू की गई से क्या उनका अभिप्राय है ? मेरा दूसरा सवाल क्या मंत्री जी की जानकारी में है कि पिछले वर्षों में जालौर जिले में लगातर 5-6 वर्ष अकाल रहने के कारण जिले की अरावली श्रृंखला की पहड़ियां वृक्ष और झाड़ियां नंगी हो गई हैं फिर भी जालौर जिले के साथ यह सोतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है ?

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन कर दूं कि जालौर जिले की पहाड़ियां अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं आती हैं । यह आती हैं मलानी हिल सिस्टम में । जो रिसर्च की गई और प्लानिंग कमीशन की जो रिसर्च की बाडी है उसने इनको डिबार किया कि यह अरावली पर्वत

(श्री लालचन्द डूडी)

शृंखला में नहीं हैं। दूसरी बात मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इस योजना के बारे में जब जापान से बात की गई तो उन्होंने इसको सीमित क्षेत्रों में इसलिए रखने को कहा ताकि इसका कोई इम्पेक्ट हो। जालौर पर्वत शृंखला में 16 जिले आते हैं यह हैं...उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर, अजमेर, जयपुर, टोंक, पाली, सीकर, झूंझुनू, नागौर, भीलवाड़ा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और चित्तौड़, तो इन जिलों में जापान के साथ जितना हमारा समझौता हुआ उसमें उन्होंने सीमित जिले रखने की बात कही। उस हिसाब से 10 जिलों में योजना चल रही है उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते थे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इनके अन्दर फोरेस्ट्री का काम नहीं होगा, इनके अन्दर अब भी डिजर्ट डवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं और एक दूसरी योजना और इन जिलों के लिए तैयार की जा रही है ताकि इसके अन्दर फोरेस्ट्री का काम किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश झामनानी।

श्री हरीश झामनानी (अजमेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो सीमित क्षेत्र की बात इन्होंने कही है उसमें से कौन-कौनसे जिले इस योजना में लिये हैं...

श्री अध्यक्ष : बता दिया न। सुना नहीं आपने।

श्री हरीश झामनानी : इस योजना में यह सारे जिले उन्होंने नहीं दिये हैं इसमें अजमेर जिले को भी सम्मिलित किया गया या नहीं? तीसरा प्रश्न यह है कि इस योजना में कुल कितना व्यय होने जा रहा है, इसकी जानकारी दें?

श्री अध्यक्ष : श्री कोगटाजी।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि इस योजना में क्या नागौर को भी शामिल किया गया? नागौर और उदयपुर को सम्मिलित किया गया और अजमेर को छोड़ा गया है।

श्री अध्यक्ष : आपने लिस्ट नहीं सुनी क्या, इसमें नागौर है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : अजमेर में जो पर्वत श्रेणियां हैं वह क्या अरावली पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित हैं या इतिहास में जो लिखा है वह सही है या नहीं? यदि है, इसके बारे में विकास के लिए क्या कर रहे हैं आप?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री जोगेश्वर गर्ग। आपने लिस्ट नहीं सुनी उसमें नागौर, अजमेर हैं। आप लिस्ट सुनिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जालौर जिले में पर्वतीय क्षेत्रफल कितना है और उसको एक टेक्निकली शब्द कोई नया बनाकर उसको अरावली से काटकर कोई दूसरा नाम देकर इतनी महत्वपूर्ण योजना से

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

वंचित रखा गया है इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसको आप क्या सजा देंगे और आप जालौर के पर्वतीय क्षेत्र को हरा भरा करने की कौन-सी योजना बना रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रभान जी ।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि यह अरावली पर्वत की योजना है इसके क्रियान्विती की क्या स्थिति है ? क्या प्रगति हुई है क्योंकि झूंझुनू जिला इस योजना के अन्तर्गत आता है और सरकार ने इस सम्बन्ध में पहले घोषणा भी की थी और काम भी शुरू किया था सिंघाना में रेन्जर का कार्यालय खोलने का, क्या वह कार्यालय खोल दिया गया है ? अभी तक नहीं खोला गया है तो इसकी क्या वजह है ? क्यों नहीं खोला गया और जब कार्यालय ही नहीं खोला तो प्रगति किस बात की ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, इस योजना में सिरोही जिला भी है । मेरा यह सवाल है कि इस योजना को प्रारम्भ करने के लिए सरकार इसमें स्टॉफ इत्यादि की नियुक्ति कर के कब तक प्रारम्भ कर देगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द ।

श्री फूलचन्द (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, इसमें सीकर जिले का नाम पहले लिया गया है लेकिन जैसे मंत्री महोदय ने माना है कि हम केवल 5 जिलों को छोड़कर 10 में काम कर रहे हैं, तो उसमें सीकर का नाम है या नहीं ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यह योजना कब से चालू की जाएगी और इनके लिए क्या अलग से कोई मापदण्ड होगा वन विभाग का ?

श्री अध्यक्ष : श्री जगमालसिंह यादव ।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं वन मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि अरावली क्षेत्र में जापान द्वारा 165 करोड़ रुपए के प्लाण्टेशन के लिए जो राशि दी गई है वह किन शर्तों पर स्वीकार कर रहे हैं ? स्वीकार कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? अगर इस प्लाण्टेशन की राशि को आप स्वीकार कर रहे हैं तो इसके क्या नतीजे निकलेंगे ? क्या जो शर्तें अरावली हिल्स की पहाड़ियों को डवलप करने के लिए और प्लाण्टेशन करने के लिए 165 करोड़ रुपए आपको दिये हैं उनको जापान की शर्तों के आधार पर ही स्वीकार करने की स्थिति में आप हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री दहिया । आप बोलिये ।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं पहला तो मंत्रीजी ने हमारे जिले जालौर के साथ सौतेला व्यवहार किया और उसको नेगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यह अपने आप में दुर्भावनापूर्ण है । अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जो वास्तविक भौगोलिक स्थिति है उसमें फेर-

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

बदल कर रहे हैं, उसको बदल रहे हैं। आज दिन तक भूगोल के अन्दर पढ़ाया जाता रहा है कि जालौर जिला अरावली की श्रृंखलाओं में इसके पहाड़ आते हैं। यह भौगोलिक स्थिति या तो शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को नहीं पढ़ायें और यह इस तरह की बात है कि भौगोलिक स्थिति सही है, मंत्रीजी अपने आप में पता नहीं कहां से, दूसरे अधिकारियों के कहने से अगर प्लांनिंग कमीशन ने भी छोड़ दिया तो उसको साथ लिया जाय और अधिकारियों को बताया जाय कि इसको साथ ले।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष जी, एक क्वेशचन है ...

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय नहीं दिया। मुझे माननीय मंत्रीजी से सवाल पूछना है। मुझे मौका देंगे उसके बाद ही उत्तर देंगे माननीय मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : आपका क्या मतलब है जालौर जिले से, आप तो बांसवाड़ा से हैं।

श्री नवनीतलाल नीनामा : हां, हैं।

श्री केदार नाथ शर्मा : मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री नवनीतलाल नीनामा : ... एक ही सीमा पर आया हुआ है और उदयपुर और पाली की सीमायें अरावली पहाड़ के बिल्कुल बीच में होकर गुजरती हैं। पाली को नहीं लगाया है....

श्री अध्यक्ष : पहले आप मंत्री जी के जवाब सुन लें। आप भी पूछ लें।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : इस योजना का क्या स्कोप है? इस स्कोप में राज्य सरकार को प्लाण्टेशन को कायम करने में कोई बाधा पड़ेगी जो सेण्टर ने रिसेन्ट नोटिफिकेशन निकाला है वहां पर इस हिल्स जोन में, एरिड जोन में आपको अपने स्कोप में रहते हुए प्लाण्टेशन करने में कोई बाधा पड़ेगी क्या? बतायें।

श्री अध्यक्ष : नीनामा जी, आप पूछ लें पहले।

श्री नवनीतलाल नीनामा : माननीय अध्यक्षजी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, से यह निवेदन है कि उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही में तो योजना लागू हो गयी, जालौर को सम्मिलित करने की चर्चा आयी है, तो जिन जिलों में योजना लागू की है उन योजनाओं के क्या-क्या नाम हैं और इनसे क्या-क्या उपलब्धियां हुई हैं? इसकी जानकारी दें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : यह जो आपने आधार दिया कि अरावली श्रृंखला और जालौर वाले पहाड़ अलग हैं यह भौगोलिक परिस्थितियों के विपरीत है क्योंकि यह उसी वाटर शेड में आती है जिसमें अरावली पर्वत आते हैं। ठीक है, बीच में 5-10 मील की दूरियां हैं। सब नदियां निकलकर और लूणी सिस्टम में पड़ती हैं चाहे अरावली की हों और चाहे

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

जालोर वाली हों, तो खास इस मूल बात को कैसे अलग कर दिया ? वाटर शेड वह का वह है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिह विश्नोई ।

श्री रामसिह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपके जो प्रोग्राम हैं वह करीब-करीब असफल हैं और यह जो 50-60 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं इसके बचाव के लिए आखिर आप पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे ? उसमें जो भेड़, बकरियां और ऊंट वगैरह जाते हैं पहाड़ों में उसे आप कैसे बचायेंगे ? यह किस प्रकार की योजना है और यह पैसे सही रूप में काम में लग सकेंगे, इसकी क्या गारण्टी है ?

श्री अध्यक्ष : श्री इन्दौराजी पूछ लीजिए ।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक नीति सम्बन्धी प्रश्न है । क्या वन मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि अरावली पहाड़ी क्षेत्र में खान विभाग को जो एन. ओ. सी. जारी की होती है उसको न देने की कोई नीति निर्धारित की है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सैनीजी आप पूछ लें ।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जो जापान से समझौता हुआ है उसके अनुसार सबसे पहले अलवर जिले को अरावली श्रृंखला में लिया है और उसमें जितने भी खनन पट्टे हैं उसके आदेश भारत सरकार ने दिये हैं कि तुरन्त बंद कर दिया जाय । इसके लिए तरुण भारत संघ का भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वह भी विचाराधीन है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसमें राजस्थान की अब तक क्या नीति रही है और आगे क्या रहेगी ? कृपया स्पष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी बोलिये । मंत्रीजी के बोलने के बाद कुछ बचेगा तो पूछ लेना आप । मंत्रीजी बोल लें । 15 लोगों के सवाल आ गये ।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार काफी समय से हिल एरिया डवलपमेण्ट का प्रोग्राम बनाती रही है और गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया इसके बारे में बहुत दफा, 1987 से इसके बारे में अपने प्रपत्र भेजती रही है और उसी सिलसिले में यह बिड़ला इंस्टिट्यूट ऑफ सांइटिफिक रिसर्च ने एक अध्ययन किया था और उसके अनुसार मैंने आपको बताया कि यह जिले और यह पहाड़ियां अरावली पर्वत श्रृंखला में आ रही हैं और दूसरी पहाड़ियां दूसरी में । यह मेरे कहने से नहीं कोई, एक डेढ़ साल तक पूरा सर्वे करने के बाद यह उनकी रिपोर्ट है । उसके बाद इसके ऊपर भारत सरकार का योजना आयोग इसको रिजेक्ट करता रहा, इस पर ध्यान नहीं देता गया उसी दौरान जापान सरकार से इस बारे में चर्चाएं की थी । भारत सरकार को लिखा है कि दूसरी किसी एजेन्सी से इसको करवाया जाय । जापान सरकार के

(श्री लालचन्द डूडी)

साथ समझौता हुआ। उसी रिपोर्ट के अनुसार जो 16 जिले बताये थे अरावली पर्वत श्रृंखला के, उनमें यह कहा गया कि सीमित एरिया के अन्दर करें ताकि इसका इम्पेक्ट पड़े। उसके लिये हमने दस जिले छांटे और उनके अन्दर इसका कार्य शुरू हुआ।

अब माननीय डा. साहब ने जो कहा, यह शुरू हो चुका है वहां गुढामालानी में और में....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गुढामालानी नहीं सिघाना।

श्री लालचन्द डूडी : डाक्टर साहब को शायद जानकारी नहीं है, अरावली का कार्य तो एक अप्रेल के बाद ही शुरू होगा, इससे पहले जो कार्य शुरू हो रहे हैं वह इस योजना के तहत नहीं दूसरी योजनाओं के मार्फत चल रहे हैं। दूसरे जो जिले हैं, जिनके अन्दर अब भी काफी प्रोग्राम चल रहे हैं उसके अलावा उनके डवलपमेंट के लिये दूसरी योजना भी तैयार की जा रही है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया। एक संघ सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने इस तरह के आदेश जारी किये हैं...

श्री अध्यक्ष : इसका इससे सम्बन्ध नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अलवर में खनन तुरन्त बंद कर दिया जाय, मैं राज्य सरकार की नीति जानना चाहता हूं।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, बूंदी जिला पूरा का पूरा अरावली पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, बूंदी जिले को भी क्या इस योजना में सम्मिलित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जोगेश्वर गर्ग। ... (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया है। केन्द्र सरकार ने खनन बंद करने के आदेश जारी कर दिये हैं इस समझौते के अन्तर्गत।

श्री अध्यक्ष : वह दूसरा मामला है।

एक माननीय सदस्य : जवाब तो आया नहीं।

श्री अध्यक्ष : अब जो इनके पास था वह आ गया।

जिला परिषद्, जालौर द्वारा शिक्षकों की उपाधियों की जांच

86. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषद् जालौर द्वारा शिक्षकों की डिग्रियों के सम्बन्ध में जांच कर-

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

वाई गयी थी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) जांच में जिनकी फर्जी डिग्रियां पाई गयीं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या सरकार अब कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, पंचायत राज (श्री हरलाल सिंह खर्रा) :—

(1) जी हां । विचाराधीन है ।

(2) जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय मुझे अफसोस है, इतने गम्भीर मसले को मंत्री महोदय ने गोलमोल ढंग से टालने की कोशिश की है । मैं मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न करूंगा छोटे छोटे, उनके जवाब से अपने आप स्थिति स्पष्ट हो जायगी । मंत्री महोदय कृपया बतायें, यह इंटरव्यू कब हुए थे और इनके बारे में पहली बार शिकायत कब मिली थी ? जांच के लिये आपने किसको लगाया ? क्या यह सही है, जांचकर्ता अधिकारी अपने प्रान्त से बाहर की दो चार यूनिवर्सिटी में जाकर भी जांच करके आये हैं ? वहां पर जितने लोगों को नियुक्ति दी है, सलेक्शन किया है उनमें से कम से कम 20–25 प्रतिशत लोगों की डिग्रियां फर्जी पायी गयी ? यहां तक, अध्यक्ष महोदय, आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि एक कानपुर यूनिवर्सिटी की डिग्रियों के आधार पर नियुक्तियां दी गयी हैं उस यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई परीक्षा ही पिछले साल नहीं हुई जिसकी डिग्रियां तक प्राप्त हो गयीं और उनके आधार पर नियुक्तियां मिल गयीं । माननीय मंत्री महोदय, मैं जानना चाहता हूं, उनमें से कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया फर्जी डिग्री वालों ने और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनके साथ अब क्या होगा, उनको नौकरी में रखा जायगा या निकाला जायगा ? साथ ही कृपया यह भी बतायें कि जितने लोग अभी आपने सलेक्ट किये उनमें से जालौर जिले के मूल निवासी कितने थे ? एक और तथ्य मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं, इन्हीं डिग्रियों के आधार पर इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स में भी इंटरव्यू हुए हैं और लोग सलेक्ट हुए हैं । लगभग इतने ही लोग उसमें भी फर्जी डिग्री वाले सलेक्ट हो गये हैं, उनको नियुक्ति मिल रही है । मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस बार में स्पष्ट जवाब दे, उनके बारे में क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी । जालौर जिले का सवाल है, आपका नहीं है ।

श्री मदन दिलावर : जालौर जिले का सवाल नहीं है, यह सारे जिलों का सवाल है । ....(व्यवधान) राजस्थान की सब जिला परिषदों में फर्जी डिग्रियों.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज । जवाब सुन लीजिये मंत्रीजी का । आपका

(श्री अध्यक्ष)

जवाब इसमें आ जायगा। ....(व्यवधान) आप जवाब तो सुनेंगे कि नहीं ?

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय अध्यक्षजी, फर्जी डिग्रियों का जहां तक सवाल है उसकी जांच चल रही है, अभी रिपोर्ट नहीं आयी, मैंने निवेदन किया। मैं तो यह विश्वास दिला सकता हूं कि जितने भी फर्जी डिग्रियों के मामले हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी, उनको नौकरी से भी हटाने की कार्यवाही की जायगी ? लेकिन अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप जवाब नहीं सुन रहे हैं। पूरा जवाब सुन लीजिये।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : वहां की यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट मांगी गयी थी जिनमें से 11 की रिपोर्ट आयी है क्लियर होकर बाकी की अभी रिपोर्ट नहीं आयी। 11 की तो सही होकर आयी है कि 11 प्रमाण पत्र सही है, दो तीन जगह की यूनीवर्सिटी का मामला है यह। तो जो भी फर्जी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। हालांकि मैं यह मानने के लिये तैयार भी हूं कि जो उत्तर आया है, मैं भी संतुष्ट नहीं हूं। तो इसलिये मैं पूरी जांच करवा कर जितनी जल्दी हो सकेगा, कार्यवाही करवाने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हीरालाल आर्य। ....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह जांच कब प्रारम्भ हुई ?

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन पैंडिंग होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय मेरे जिले का सवाल है। आप पूछने ही नहीं दे रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह जांच हो रही है सबकी।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में इस प्रकार की धांधली हुई है। सिरोही में भी ऐसा हुआ है। जिसकी शिकायत 1990-91 में मंत्री जी को दे दी गई थी।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पैंडिंग रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : जब मंत्री महोदय ने यह कह दिया, फर्जी डिग्री पायी जाने वाले नौकरी में होंगे तो हटा दिये जायेंगे (व्यवधान) एश्योरेंस मिल गया बाकी क्या रह गया ? (व्यवधान) हां तो जांच तो होगी कि नहीं इसकी ?... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, लोगों ने धंधा खोल रखा है।

श्री हेमराज मीणा : फर्जी डिग्री का मामला कहां कहां विचाराधीन है ?.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये आप बैठिये प्लीज। मैं एक एक को बुलाता हूं। आप बैठिये तो सही। ....(व्यवधान) प्लीज।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जालौर जिले का मामला है, पहले मुझे दिया जाय।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध जालौर जिले से, मंत्री महोदय दूसरे जिलों के बारे में कैसे उत्तर दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : वह तो सारे जिलों की बात एक ही है। सवाल ही नहीं है बाकी जिलों का। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : अगर मंत्रीजी यह कहते हैं वह संतुष्ट नहीं हैं तो स्थगित होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : सारे सदन की भावना है....(व्यवधान) इतना फर्जीवाड़ा हो रहा है, 25-25 हजार रुपये में डिग्री।

डा. चन्द्रभान : इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : नीतिगत मामला है।

एक माननीय सदस्य : आज राजस्थान में बेरोजगारी बढ़ने का एकमात्र कारण है। यह साधारण मामला नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सदन की भावना को देख कर इसको स्थगित किया जाय। टाइम निश्चित किया जाय। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान को इस जांच में लेना होगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, जब मन्त्री जी संतुष्ट नहीं हैं तो इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये। मन्त्री जी, सारों की यह शिकायत है.... (व्यवधान) आप बिराजिये। एक मिनट बैठिये। बैठिये, अब आप बैठिये।

एक माननीय सदस्य : यह मामला तो मुख्य मन्त्री जी के इन्टरवीन करने का है। सब शिक्षाओं में ऐसा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह आपके सारे ही जिलों में शिकायत आ रही है, इस बारे में आप को कुछ कहना हो तो बताइये....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह पंचायती राज का मामला नहीं है। मुख्य मन्त्री जी का इन्टरवेंशन होना चाहिये।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिए। हम यह मांग कर रहे हैं, मन्त्री जी संतुष्ट नहीं हैं तो इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

एक माननीय सदस्य : मुख्य मन्त्री जी खड़े हो गये, देखो।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, फर्जी डिग्रियों के सम्बन्ध में प्रश्न तो था जालौर का लेकिन कई माननीय सदस्यों ने यह बताया कि अन्य जिलों में भी इस प्रकार की डिग्रियों पर नियुक्तियां ली गयीं। मैं ऐसा समझता हूं कि पंचायत राज मंत्रीजी ने जो कहा कि इन डिग्रियों के सम्बन्ध में कौन कौनसी यूनिवर्सिटी से जानकारी करनी है, यह सब जानकारी उपलब्ध हो जायगी और जो भी फर्जी डिग्री

(मुख्यमन्त्री)

पायी जायगी या जिस प्रकार की इंस्टीट्यूशन फर्जी पायी गयी, वह सारे जिलों में सक्यूलेट करके मालूम कर लेंगे कि किस प्रकार की डिग्री के आधार पर अन्य जिलों में कहां कहां नियुक्ति हुई है। इस प्रकार की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो कार्यवाही हो सकती है नौकरी से अलग करने की, उस पर भी विचार किया जाएगा और जो फर्जी डिग्री लेकर आये हैं उनकी कितनी उसमें मिलावट है या उनको भी कोई किसी आदमी ने धोखा दिया है, उस सारे मामले की एक क्रिमनल लायबिलिटी बनती है, उस आधार पर भी पुलिस से जांच करवा ली जाएगी।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास सूची है।.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हीरालाल आर्य। आप कोई चीज की सीमा और मर्यादा तो रखिये। अब मुख्य मन्त्री जी ने जवाब दे दिया, अब कोई सवाल नहीं बचा है। प्लीज।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास सूचियां हैं, सरकार के पास पहले से जानकारी है। क्या जांच करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : हां, हां तो सरकार कर लेगी जानकारी।

श्री हीरालाल आर्य।

अवैद्य खनन की रोकथाम

87. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने प्रकार के खनिज पाये जाते हैं तथा उनमें से कितनों का दोहन किया जा रहा है ?

(2) राज्य में कुल कितना खनिज क्षेत्र है तथा वर्तमान में कितने क्षेत्र में खनन कार्य हो रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य में भारी तादाद में अवैद्य खनन हो रहा है जिससे भारी तादाद में सरकार को राजस्व की हानि हो रही है ?

(4) सरकार अवैद्य खनन को रोकने हेतु क्या विशेष प्रभावी कदम उठाने जा रही है ?

खनिज राज्य मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर) : (1) राज्य में करीब 64 प्रकार के खनिज पाये जाते हैं उनमें से 61 खनिज का दोहन हो रहा है।

(2) राज्य में खनिज क्षेत्र अलग से घोषित नहीं हैं, खनिज जमीन में छिपी हुई प्राकृतिक सम्पदा है जिसकी खोज एक निरन्तर प्रक्रिया है। विभागीय अनुमानों के अनुसार राज्य में करीब 4068 वर्ग किमी क्षेत्र में विभिन्न खनिज उपलब्ध हैं जिनमें से 3061 वर्ग किमी क्षेत्र में खनन कार्य हो रहा है।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

(3) जी नहीं। राज्य में भारी मात्रा में अवैद्य खनन होना सही नहीं है। राज्य में यदा कदा अवैद्य खनन होने पर विभाग इसकी रोकथाम हेतु तुरन्त कार्यवाही करता है, व नियमानुसार खनिज की कीमत जो रायल्टी की 12 गुणा होती है, वसूल करता है।

(4) सरकार अवैद्य खनन को रोकने हेतु सदैव तत्पर रही है और भविष्य में भी ऐसे मामले सामने आने पर तत्परता से कार्य करेगी। अवैद्य खनन रोकने हेतु विशेष अभियान समय समय पर आयोजित किये जा रहे हैं। जिन रिक्त स्थानों में खनिज उपलब्ध हैं, उनके शीघ्र आवंटन हेतु कार्यवाही की जा रही है। विभागीय नाकों की नीलामी की जा रही है जिससे भी अवैद्य खनन को रोकने में प्रभाव पड़ेगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अन्तर्गत अवैद्य खननकर्ता के विरूद्ध मुकदमे भी दर्ज कराये जा रहे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि राजस्थान में विपुल सम्पदा है और उसका यदि सही ढंग से दोहन हो तथा टैक्स की चोरी न हो, तो प्रान्त की बहबूदी और समृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। लेकिन भारी चोरी से और यह जो आई है, वह बहुत कम है! क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि पिछले 3 साल की रायल्टी से विभाग को कितनी इनकम हुई। दूसरा मेरा प्रश्न है कि मंत्री महोदय ने अभी यह कहा है, हमने कोई अलग से खनिज क्षेत्र घोषित नहीं कर रखे हैं तो क्या प्रान्त में खनिज विभाग की बिना स्वीकृत के कोई खान चला सकता है। क्या मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि खनिज विभाग की बिना स्वीकृति के जो खानें चलाई हैं, क्या यह सही है कि बूंदी, बिजौलिया, रामगंज मंडी, धौलपुर और करौली में भारी तादाद में हजारों, सैंकड़ों की संख्या में अवैद्य खनन चल रहा है और उनको रोकने के प्रयास नहीं हुए। मेरा अगला प्रश्न है कि जो अवैद्य खनन हो रहे हैं, आप कहते है कि उस पर 12 गुणा रायल्टी का जुर्माना करते हैं, तो आपने पिछले तीन साल में जो जुर्माना वसूल किया, कितनी राशि वसूल की। कितने लोगों के खिलाफ आपने मुकदमे दर्ज कराये, कितनी खानें बन्द की, यह भी बताने की कृपा करें। मेरा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसानों के खेतों में जो खानें चल रही हैं, वन विभाग में जो खानें चल रही हैं, उन किसानों को नियमित करने का, उन किसानों को अनुमति देने के लिए सरकार क्या कर रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम है। मुझे मालूम है।

श्री अनंग कुमार जैन : महत्पूर्ण प्रश्न है, हमको मौका तो दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम है इसमें।

श्री अनंग कुमार जैन : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया, वह सही नहीं है।

उन्होंने जवाब दिया कि यदा कदा, क्या होता है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है आपका सवाल नहीं है। (व्यवधान) आपका सवाल तो है नहीं, आप बैठिये। आप बैठिये पहले।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मंत्री जी की जानकारी में है। जिला सतर्कता समिति की मिटिंग में हम अवैध खनन पर निर्णय ले चुके। डिपार्टमेंट उनसे मिला हुआ है। उनकी मिलीभगत से अवैध खनन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। हां मंत्रीजी। पहले जवाब तो सुन लीजिए आप।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी यह बताया।....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। पहले बिराजिये।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अवैध खनन की जो समस्या है और उससे जो चोरी होती है, आपने यह बताया है कि उससे बहुत बड़ी आय हो सकती है। ऐसी बात नहीं है, अवैध खनन, जहां भी हम पकड़ते हैं, उनसे 12 गुणी रायल्टी वसूल करते हैं। इससे ज्यादा चोरी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आपने यह पूछा कि रायल्टी से गये साल कितने रुपए की इनकम हुई? उसके बारे में मेरा निवेदन है कि 84 हजार रुपए गये साल कुल मिलाकर आय हुई। जहां तक बिजोलिया, करौली आदि में अवैध खनन की समस्या के बारे में आपने बताया है। अध्यक्ष महोदय, इन सभी क्षेत्रों में सेंड स्टोन पाया जाता है और सेंड स्टोन में जहां अवैध खनन होता है, उसको तुरन्त विभाग द्वारा रोका जाता है और उनके खिलाफ जो कार्यवाही की जाती है वह मैंने अभी खंड 4 में बताई है। आपने पिछले तीन साल के आंकड़े पूछे हैं? उसके बारे में मेरा निवेदन है कि कुल मिलाकर 4,762 अवैध खनन के मामले हमने पिछले 3 साल में पकड़े है और 75 लाख 65 हजार 155 रुपये की हमने उनसे वसूली भी की है।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री कालूलाल गुर्जर : किसानों की खेती के बारे में और बता दूं।

श्री अध्यक्ष : हां बताईये। बताइये, बताइये।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय सदस्य ने पूछा है, कि किसानों की खेती की जो भूमि है, उसमें पट्टा देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसा क्वैरी लाईसेंस में, जहां हमने सेंड स्टोन में दे रखे हैं। बिजोलियां और बूंदी में लीज दे रखी है। उन क्षेत्रों में किसानों को अपनी निजी भूमि पर खनन पट्टा देने का पहले प्रावधान नहीं था। अब सरकार ने यह नीति बना ली है और उसको लागू भी किया, लेकिन कुछ लोग हाईकोर्ट में चले गये और स्टे ले लिया। यदि वह स्टे खारिज होगा तो हम

(श्री कालूराम गुर्जर)

किसानों को उनकी खातेदारी भूमि में पट्टा दे देंगे ॥

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अवैध खनन जो हो रहा है, उसके लिए आपने अभी तक क्या-क्या कड़े कदम उठाये । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये । बताइये मत । बतायेंगे तो मंत्रीजी ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : हां पूछ रहा हूं । रामगंज मंडी क्षेत्र में पांच हजार के करीब अवैध खनन हो रहे हैं, क्या आपको उसकी जानकारी है । आप दो बार वहां दौरा करके आये हैं । क्या यह भी सही है कि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है, जिससे यह अवैध खनन हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा । मैं सब नाम बोल रहा हूं ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : कितनी खानें आपने बंद कीं ।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास नाम लिखे हुए हैं । मेरे पास सब के नाम हैं ।

श्री हीरालाल आर्य : हजारों अवैध खानें चल रही हैं । कितनी बंद की । जुर्माना करने से क्या होगा ।

श्री अध्यक्ष : आखिर में आपको बतायेंगे ।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : अध्यक्ष महोदय, मामला मंत्रीजी की सजगता और सतर्कता का नहीं है क्या ? मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि बूंदी जिले में 1990-91 में अवैध खानें रखने बाबत विभाग के लोगों को ए. सी.डी. में पकड़ा गया और आज की तारीख तक उनको सस्पैण्ड नहीं किया गया । उसके बाद ऐसा ही केस फिर बूंदी कार्यालय में हुआ, उनको सस्पैण्ड नहीं किया गया । ऐसे लोगों को सस्पैण्ड नहीं करने के क्या कारण रहे हैं । नम्बर दो, मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : आप एक-एक ही पूछो । बारह आदमी बोलने वाले हैं ।

श्री रामनारायण वर्मा : कोटा डेम एरिया मलबे से भरता जा रहा है और वहां अवैध खनन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है । जिस जगह आप पकड़ते हो, उस जगह दुबारा खान चालू हो जाती है, तो कन्टीन्यूअस प्रोसेस में उसको कैसे रोका जाये उसके लिए आपने क्या योजना बनाई है । जितने मामले आपने बताये हैं, वह छोटे-छोटे मामले हैं । आप सजग हैं, हम मानते हैं । लेकिन आपके अधिकारी, खनन विभाग चूंकि माना हुआ विभाग है, इस विभाग के अधिकारी कितने बड़े मगरमच्छ हैं, इस बारे में आप सजगता, सतर्कता से कुछ करने की बात करेंगे । इसके लिए भी आप थोड़ा बताने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री बिरधारामजी ।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाह रहा हूं कि अवैध खनन दो प्रकार से होता है । एक तो किसी को पट्टा दिया नहीं जाये और वह अवैध खनन कर रहा हो । दूसरा, यह कि पट्टा दे दिया गया है और उसके पट्टे की अवधि खत्म होने के बाद भी वह कार्य कर रहा हो । विशेष तौर से मेरे मकराना के अन्दर जो मार्बल की खानें हैं, उनका टाइम खत्म हो जाता है और उसके बाद पट्टा कैन्सिल होता है और उसको खाली घोषित किया जाता है । लेकिन अधिकारियों से मिलकर वह पार्टी कोर्ट में चली जाती है और वह कायम हो जाती है । मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि आप कितने दिन बाद वकील अपाइण्ट करते हैं और उसके बाद वकील पैरवी करते हैं कि नहीं करते हैं । यह बहुत अहम् बात है, जिस पर कि कोई ध्यान नहीं देता और वह पार्टी कोर्ट में बिना वकील की सहायता के अवैध कार्य करती रहती है । दूसरा, जहां पर मकान के पत्थर है और उनको पट्टे दिये जाते हैं। पट्टा दिया गया है 200 फुट का और वह पूरे डूंगर पर ही, जयपुर में पहाड़ पर अधिकार कर लेते हैं । जैसा हमारी मावा तहसील के अन्दर रूपडा टोरड़ा में हुआ है । एक आदमी को एक खान का पट्टा दिया गया और उसने अवैध कब्जा कर रखा है पूरे डूंगर पर । तो क्या कहीं पर ऐसे मुकदमे बनाये गये हैं, जिनको रोकने की कोशिश की गई है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । श्री हरिसिंह

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि सन् 1980 से पहले सैण्ड-स्टोन की चाहे वह करौली हो या कोटा हो आपने वन क्षेत्र में कुछ लीज स्वीकृत की थी और उसके बाद में 1980 में सैण्ट्रल गवर्नमेण्ट के कुछ निर्देश आ गये कि वन क्षेत्रों में जो लीज दी गयी है उनको दुबारा रिन्यूअल न किया जाय अवधि समाप्त होने के बाद । ऐसी बहुत सारी लीजें है जिनकी अवधि समाप्त हो गई और उसके बाद में भी राज्य सरकार की मिली भगत से उनका रिन्यूअल तो नहीं किया गया लेकिन आपने चुप्पी साद रखी है और लीज होल्डर अपने लीज एरिया में आज भी खनन कार्य कर रहे हैं । क्या इनको रोकने की सरकार की नीति है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री मनीराम । ... (व्यवधान).... 15, 15 सदस्य पूछेंगे तो एक-एक का जवाब नहीं आयेगा । 15 आदमियों की लिस्ट है मेरे पास, सब हाथ खड़े कर रहे हैं ।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पिछले वर्ष बीकानेर में बजरी अवैध खनन में काम करने से कुछ मजदूर दब कर मर गये थे उनके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? क्या उनको कोई मुआवजा दिया गया ? अवैध खनन अभी भी जारी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीचन्द कृपलानी । (व्यवधान) मैं सबके नाम बोल रहा हूं,

(श्री अध्यक्ष)

मेरे पास लिखे हुये हैं, कुछ बचेंगे तो बोल दूंगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जो वर्षों से अवैध खनन चल रहा है उसको रेग्यूलराइज करने का विचार रखती है? क्योंकि बिचौलियों और रामगंज मण्डी या जो मारबल की माइन्स है वहां पर तो सब पैसे वाले अवैध खनन करते हैं लेकिन मेरा क्षेत्र जो निम्बाहेड़ा का है वहां पर छोटी-छोटी माइन्स है और हालत यह है कि गरीब आदमी अवैध खनन जो वर्षों से करते आ रहे है, 25 रुपये, 50 रुपये रोज के बड़ी मुश्किल से कमाते होंगे। अगर उनको रेग्युलराइज कर दिया जाय तो उनका भला हो सकता है और सैंकड़ों परिवार ऐसे अवैध खनन से पल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री महावीरजी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : एक चीज और पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल हो गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : गत वर्ष जो मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि भूमि पर जो अवैध खनन हो रहा है उसको हम रेग्युलराइज करने का विचार कर रहे हैं। उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मैं सब के नाम बोलता जा रहा हूं....

श्री श्रीचन्द कृपलानी : नम्बर–3, बड़े बड़े नाम से है उसमें कांग्रेस के नेताओं के कितने अवैध खनन हो रहे हैं? मैं यह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीरजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्रीजी, जो उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया है कि लगभग एक हजार सात वर्ग किलोमीटर का आपने आवंटन नहीं कर रखा है यानी राज्य के चौथाई हिस्से में आपने किसी प्रकार का आवंटन नहीं किया है और आपने यह स्वीकार किया कि 84 करोड़ रुपये की इससे एक साल में इन्कम होती है। तो 28 करोड़ रुपये आपके आवंटन नहीं करने के कारण राज्य को नुकसान पहुंच रहा है। क्या यह भी सही है कि आपने कहा है कि 75 लाख रुपये पैनेल्टी के रूप में वसूल किये, 12 गुणा पैनेल्टी के रूप में। तो 75 लाख रुपये तीन साल में वसूल किये। इसका मतलब 25 लाख रुपये आपने केवल एक साल में वसूल किये और 28 करोड़ रुपये का राज कोष में घाटा हो रहा है इसके लिये जो प्रभावशाली लोग हैं उनके प्रभाव में विभाग के कर्मचारियों से मिल कर कर रहे हैं। तो कोई दायित्व उनके ऊपर डालेंगे अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर कि अवैध खनन के लिये उत्तरदायी अधिकारी और कर्मचारी होंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दकिशोर।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है कि वन

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

विभाग की कई जमीनों पर अवैध खनन होता है और वह चाहे केन्द्रीय गवर्नमेण्ट उसे देवे या नहीं देवे लेकिन अवैध खनन होता ही है। उसके पट्टे भी नहीं दिये जाते हैं। उसके विषय में उनको वैधानिक करने के लिये कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय खुद पिछले 4–5 महीने में दो बार रामगंज मण्डी क्षेत्र का दौरा किया। वहां पर इनके सामने कई प्रकार कि शिकायतें आयी कि इस ऐरिया में अवैध खनन हो रहा है। कुछ खाने वहां ऐसी थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि माइन्स एक्ट के अनुसार उनको चलाना मानव जीवन के लिये सुरक्षित नहीं है। उसके बारे में आपने क्या कार्यवाही की ? दूसरा, झालावाड़ के अन्दर नदी पर ही लोग माइनिंग कर रहे हैं और पूरी नदी को खोद रहे हैं। इसके बारे में वहां के जिलाधीश ने स्वयं ने आपके विभाग को पत्र लिखा। उसके बारे में आज से दो वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी। तो आपने कहा कि मैं प्रभावी कार्यवाही कर रहा हूं। कौनसी प्रभावी कार्यवाही कर रहे हो, उससे अवगत करायें।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारा भी क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : आ रहा है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, और भी माननीय सदस्यों के प्रश्न आने वाले हैं।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : देखिये, आप एक बात तय कर लीजिये या तो हाथ मत उठाइये और बार-बार मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो मैं क्या करूं। मैं कह रहा हूं कि 4 से ज्यादा मत बोलिये। अब आप 15, 15, देखिये, 15 की लिस्ट बन चुकी है और हाथ उठाये जा रहे हैं, यह फूलचन्दजी और हाथ उठा रहे हैं इनका नाम नहीं है। मैं क्या करूं बताइये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह तो आपकी डिस्क्रिशन पर है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था रखना आपके हाथ में है.......(व्यवधान)........फिर मैं बन्द कर देता हूं। चलिये, मंत्रीजी बोलिये। मैं बंद करता हूं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो नाम पुकारा है, अभी मेरा नाम आपने पुकारा है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मंत्रीजी बोलिये। हां, मंत्रीजी जवाब दीजिये। सुनना चाहो तो ठीक है नहीं तो मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। हां, बोलिये।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय,....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान... ....

श्री कालूलाल गुर्जर : रामगंज मण्डी के बारे में यह बताया गया कि अधिकारियों की मिलीभगत से वहां अवैध खनन हो रहा है। इस प्रकार का मामला मेरे नोटिस में आया नहीं है अगर कोई माननीय सदस्य बता देंगे कि कोई अधिकारी मिलीभगत से करवा रहा है तो मैं उसके खिलाफ जांच करवाने के लिये तैयार हूं। ...(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप जवाब सुनना नहीं चाहते। नैक्स्ट। श्री पूनमचन्दजी। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। बैठिये।

ग्राम कोलू से सांवरीज (फलौदी) 33 के. वी. लाइन

88. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले की फलौदी तहसील में ग्राम कोलू से सांवरीज तक 33 के. वी. लाइन के निर्माण की बोर्ड ने 5 वर्ष पूर्व स्वीकृति दी थी ?

(2) क्या इस लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या विभाग इसके निर्माण का कार्य इसी वर्ष प्रारम्भ करने का विचार रखता है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रामनारायण विश्नोई) : (1) जोधपुर जिले की फलौदी तहसील में टी-आफ-डेचू-फलौदी से सांवरीज 33 के. वी. लाइन पंचायत समिति फलौदी की एस. यू. (डी) स्कीम में ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा वर्ष 1989-90 में स्वीकृत की गई थी।

(2) इस लाइन का निर्माण कार्य चालू वित्त वर्ष की कार्य योजना में आदेश दिनांक 29 जनवरी, 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया है।

(3) जी, हां।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री बुलाकीदास कल्ला : प्रश्न सं.–89

आयुर्विज्ञान महाविद्यालय

89.**श्री हीरालाल इन्दोरा** (केसरीसिंहपुर) एवं **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में कौन कौन से उपकरण कब से खराब पड़े हैं ? उक्त खराब पड़े उपकरणों की सूची मय तारीख जब से खराब पड़े हैं, सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के विभिन्न मेडिकल कालेजेज को गत दो वर्षों में योजना मद में कितनी राशि आवंटित की गई ? आयुर्विज्ञान महाविद्यालय वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सवाई मानसिंह अस्पताल को पी. जी. आई, (पोस्ट ग्रेजुएट

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

इन्स्टीट्यूट) बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) योजना मद में आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों को गत दो वर्षों में आवंटित राशि में से कितनी व्यपगत (लैप्स) हुई?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 89 स्थगित किया गया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में....

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया है।.. (व्यवधान)...हां, इसी सत्र में ले रहे हैं। नैक्स्ट टर्म में लगा रहे हैं, इसी सत्र में लगा रहे हैं। नैक्स्ट।

वक्फ कमेटी, सोजत की आय-व्यय

90. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान बोर्ड आफ वक्फ के द्वारा सोजत सिटी में सदर व वक्फ कमेटी का चयन वर्ष 1991 में किया गया था? यदि हां, तो सदर व वक्फ कमेटी के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पूर्व सदर, वक्फ कमेटी ने वर्तमान नियुक्त वक्फ कमेटी को चार्ज दे दिया है? यदि हां, तो कब यदि नहीं, तो क्यों? सरकार पूर्व सदर के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है? नव नियुक्त सदर को अब कब तक चार्ज दिलवाने का सरकार विचार रखती है?

(3) क्या वक्फ कमेटी, सोजत की सम्पत्ति के आय-व्यय का आडिट करवा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या पूर्व सदर व कमेटी द्वारा वक्फ सम्पत्ति को बेचने के प्रकरण की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

वक्फ राज्य मंत्री (श्री रमजान खां) : (1) जी, हां। सदस्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। नये सदर ने दिनांक 6-9-91 को चार्ज ग्रहण कर लिया है। पूर्व सदर के पास जो रिकार्ड वगैरह है उसको नये सदर को दिलाने के लिये तहसीलदार सोजत द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी, हां। वक्फ बोर्ड द्वारा स्थानीय निधी अंकेक्षण विभाग से आडिट कराने की शीघ्र व्यवस्था की जा रही है।

(4) जी, हां। यह सही है कि पूर्व सदर द्वारा भूमि बेचने का प्रस्ताव था जो वक्फ बोर्ड की मन्जूरी नहीं होने के कारण समाप्त हो गया और भूमि बेची नहीं गई। (सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि स्थानीय वक्फ कमेटी की जो प्रोपर्टी है उस प्रोपर्टी की आय में से 6 प्रतिशत राशि वक्फ बोर्ड में जमा करवाने का कोई प्रावधान है क्या ? प्रश्न 2, क्या स्थानीय वक्फ कमेटी की सम्पत्ति वहां के कमेटी के सदर को बेचने का या उसको गिरवी रखने का अधिकार है और अगर नहीं है तो क्या स्थानीय वक्फ कमेटी के सदर ने सोजत की वक्फ कमेटी की जो सम्पत्ति थी उसको बेचान करने की किसी प्रकार की कोई शिकायत मंत्रीजी को प्राप्त हुई ? अगर प्राप्त हुई है तो माननीय मंत्री महोदय ने क्या कार्यवाही की ? तीन, माननीय मंत्री महोदय ने यह जानकारी दी कि जो अभी नव नियुक्त वक्फ कमेटी के सदर है उनको तहसीलदार चार्ज देने की कार्यवाही कर रहा है। मैं मंत्रीजी से जानकारी चाहूंगा कि वक्फ एक्ट 1954 के तहत कौन से सैक्सन के तहत तहसीलदार को चार्ज देने का अधिकार है ? इसकी जानकारी चाहता हूं ।

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 6 प्रतिशत आय वक्फ बोर्ड में लेने की बात कही है। यह बात सही है कि इस तरह का प्रावधान है परन्तु पुराना बोर्ड 6 प्रतिशत इन्कम जमा नहीं कराता था इसलिए उसको पुरानी कमेटी को भंग कर दिया और नयी कमेटी बनायी है। नयी कमेटी बनने के बाद यह 6 प्रतिशत इन्कम जमा कराने के लिए उसे बाध्य किया गया है।

वक्फ की सम्पत्ति बेचने का किसी को अधिकार नहीं है। मैंने अपने उत्तर में भी कहा है वक्फ बोर्ड ने उसकी अनुमति नहीं भेजी और उसकी वजह से पुरानी कमेटी सम्पत्ति बच नहीं पायी। किसी प्रकार की कोई सरकार की जमीन नहीं बेची गयी है। इसके अलावा इसकी शिकायत हमें मिली थी हमने उसकी जांच करवायी है। जिला कलेक्टर को पत्र लिखा और जिला कलेक्टर ने वहां के एस. डी. ओ. और तहसीलदार से 6-9-91 को जांच करायी है और उसके अन्दर जो पुराने सदर थे उनको दोषी पाया गया है। उनके खिलाफ निश्चित रुप से इस जांच के बाद कार्यवाही की जायेगी।

इसके अलावा चार्ज लेने की बात है। अध्यक्ष महोदय, नयी कमेटी गठित कर दी, उसने चार्ज भी ले लिया लेकिन अभी वह रिकार्ड नहीं दे रही है। रिकार्ड देने की कार्यवाही तो एस. डी. ओ. को लिखकर ही करवायी जा सकती है। वक्फ बोर्ड तो रिकार्ड नहीं दिला सकता है। एस. डी. ओ. ने कार्यवाही की है, तहसीलदार को भेजा है, तहसीलदार रिकार्ड दिलाने की कार्यवाही कर रहा है। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी रिकार्ड दिलवा दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक आडिट का प्रश्न है। वक्फ बोर्ड में जब आय पांच हजार से ऊपर होती है तो उस पर आडिट होता है और सोजत वाली वक्फ बोर्ड कमेटी की आय पांच हजार से ज्यादा है

(श्री रमजान खां)

इसलिए उसका ग्राडिट करवाने के लिए समय समय पर लोकल ग्राडिट डिपार्टमेंट को पत्र लिखे गये हैं। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी इसका ग्राडिट करवा लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट—2 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

औद्योगिक क्षेत्र सांचोर को प्रदत्त सुविधाएं

83. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता** (सांचोर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जालौर जिला अन्तर्गत सांचोर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया है? यदि हां, तो इस क्षेत्र में किन-किन व्यक्तियों ने उद्योग लगाये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त उद्योग क्षेत्र में पानी सप्लाई करने हेतु विभाग द्वारा कुछ वर्ष पूर्व ट्यूब वैल खोदा गया था?

(3) क्या यह सही है कि ट्यूब वैल का पानी खारा होने पर भी पानी की टंकी निर्मित की गई थी? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र के उद्योगों के लिए पानी की उचित सुविधा नहीं होने से उद्योगों को नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उस क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। इस औद्योगिक क्षेत्र में जिन व्यक्तियों द्वारा उद्योग लगाये गये हैं उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। चूंकि ट्यूब वैल पूर्ण होने के समय इस ट्यूब वैल का पानी खारा नहीं था अतः औद्योगिक क्षेत्र में एक उच्च जलाशय का निर्माण नवम्बर, 84 में शुरू कर फरवरी, 85 में पूर्ण कर दिया गया था। कालांतर में इस ट्यूब वैल का पानी भूमि में लवण की मात्रा अधिक होने से खारा हो गया।

(4) जी नहीं। जलदाय विभाग द्वारा अपनी पाईप लाईन से सांचोर कस्बे में औद्योगिक क्षेत्र में तीन औद्योगिक ईकाईयों को पानी के कनेक्शन दिये हैं। कुछ उद्यमियों ने अपनी इकाई में हैंडपम्प खुदवाकर पानी की व्यवस्था कर ली है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखे।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रोजगार के लक्ष्य

156. **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद):

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990-91 व 1991-92 के बजट में कितने बेरोजगारों को नये काम देने का लक्ष्य था ?

(2) उक्त लक्ष्य के अनुरूप कितने बेरोजगारों को 31-12-91 तक रोजगार उपलब्ध कराये गये ? विभाग विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 व 1991-92 में क्रमश: 392.43 लाख एवं 349.23 लाख मानव दिवस सृजन के लक्ष्य दिये गये।

(2) उक्त लक्ष्यों के विरूद्ध इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 506.01 लाख तथा वर्ष 1991-92 में दिसम्बर 91 तक 247.21 लाख मानव दिवस सृजित किये गये।

चित्तौड़गढ़ जिले के नियोजन कार्यालय में पंजीकृत व्यक्ति

157. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के रोजगार कार्यालय में कुल कितने लोगों ने आज तक पंजीकरण कराया है ? कितनों को विभाग के माध्यम से रोजगार मिल गया है ?

(2) पिछले 2 वर्षों में चित्तौड़गढ़ जिले में किस-किस को किस-किस विभाग में रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के रोजगार कार्यालय की जीवित पंजिका पर 31 दिसम्बर, 1991 तक कुल 25106 आवेदक पंजीकृत थे। पिछले 10 वर्ष में रोजगार कार्यालय के माध्यम से 4495 आवेदकों को रोजगार मिला है।

(2) पिछले दो वर्षों में चित्तौड़गढ़ जिले में रोजगार कार्यालय के माध्यम से 935 व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया। विभागवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें।)

जिला बांसवाड़ा के नियोजन कार्यालय में पंजीकृत व्यक्ति

158. **श्री नवनीत लाल नीनामा** (घाटोल): क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में जिला नियोजन कार्यालय द्वारा रोजगार (नौकरी) दिलाने का पंजीयन किया जाता है ? यदि हां, तो जिला बांसवाड़ा के पंजीयन कार्यालय में रोजगार प्राप्त करने हेतु अभी अभ्यर्थियों की

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

कितनी संख्या है ?

(2) इन्हें रोजगार देने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला रोजगार कार्यालय बांसवाड़ा में रोजगार प्राप्त करने हेतु 31 दिसम्बर, 91 को 12,451 आशार्थी पंजीकृत थे।

(2) इन्हें रोजगार कार्यालयों को प्राप्त रिक्त स्थानों पर साक्षात्कार हेतु भेजा जाता है तथा स्व-रोजगार हेतु मार्ग-दर्शन दिया जाता है।

कृष्णा मिल, ब्यावर

159. **श्री चम्पालाल जैन** (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या ब्यावर की बन्द पड़ी कृष्णा मिल को चालू कराने के लिए पिछले 2 साल से लगातार जन प्रतिनिधियों द्वारा पत्र व्यवहार किए जा रहे हैं ? यदि हां, तो अब सरकार इस मिल को कब तक आरम्भ करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। मिल के पुर्नसंस्थापन/पुर्नचालन का मामला बी. आई. एफ. आर. की अपीलेट आथोरिटी के विचाराधीन है। राज्य सरकार द्वारा मिल के पुर्नसंस्थापन पैकेज में अपेक्षित त्यागों के सम्बन्ध में अपनी सहमति दी जा चुकी है। अपीलेट आथोरिटी द्वारा लिये जाने वाले अन्तिम निर्णय पर ही इसका पुर्नचालन निर्भर करेगा।

सीमेन्ट फैक्ट्री, सवाई माधोपुर

160. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सवाई माधोपुर की बन्द पड़ी सीमेंट फैक्ट्री को सरकार कब तक चालू कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) सीमेंट फैक्ट्री में क्या गत दिनों आग लगी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जयपुर उद्योग लि०, की सवाई माधोपुर स्थित बंद पड़ी सीमेंट फैक्ट्री के पुर्नचालन/पुर्नसंस्थापन का मामला भारत सरकार द्वारा रूग्ण इकाईयों के लिए गठित औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) के विचाराधीन है। उक्त सीमेंट फैक्ट्री का पुर्नचालन बी. आई. एफ. आर. द्वारा पुर्नसंस्थापन पैकेज के अंतिम रूप से अनुमोदन पर ही निर्भर करता है।

(2) जी, हां जिला प्रशासन द्वारा अग्नि शमन की सहायता से आग बुझायी गई।

नये उद्योग

161. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पिछले 2 वर्षों में कितने नये उद्योगों को लगाने की राज्य सरकार द्वारा इजाजत दी गई ? इसमें से कितने उद्योग प्रारम्भ हो गये ?

(2) कितने औद्योगिक आवंटन व स्वीकृतियां अवधि पार हो गये हैं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा उद्योग स्थापना हेतु स्वीकृति नहीं दी जाती है अपितु मध्यम एवं बड़े उद्योगों की स्थापना हेतु आशय-पत्र/अनुज्ञप्ति के रूप में स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। आशय-पत्र/अनुज्ञप्ति की क्रियान्विति नहीं किये जाने पर भारत सरकार द्वारा ही स्वीकृति निरस्त की जाती है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

वन विभाग द्वारा सिवाना एवं सिणधरी में करवाये गये कार्य

162. **श्री हुक्माराम** (सिवाना) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1990-91 में वन विभाग द्वारा रेन्ज सिवाना-सिणधरी में कितने कितने पौधे कहां-कहां लगाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि रेन्जर सिवाना के पास तीन रेन्ज-सिवाना, बालोतरा, सिणधरी का चार्ज है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(3) क्या सरकार के पास वन अधिकारियों की कमी है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) वर्ष 90-91 में वन विभाग द्वारा रेंज सिवाना व सिणधरी में करवाये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। रिक्त पदों की सूची संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या-163,

(स्थगित)

जिला बांसवाड़ा में विश्व खाद्य कार्यक्रम

164. **श्री बहादुरसिंह** (दानपुर) क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में वन विभाग में विश्व खाद्य कार्यक्रम चल रहा है ? यदि हां, तो कब से ? कार्यक्रम का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वन विभाग बांसवाड़ा द्वारा श्रमिकों को विश्व खाद

(श्री बहादुरसिंह)

कार्यक्रम के तहत खाद्य पदार्थ वितरित किये जाते हैं ? यदि हां तो कौन-कौन से खाद्य पदार्थ श्रमिकों को वितरण किये गये हैं ?

(3) 1 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 1991 तक कितने श्रमिकों को इस (विश्व खाद्य) कार्यक्रम का लाभ पहुंचा है ? श्रमिकों के नाम एवं कितना-कितना लाभ दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। यह कार्यक्रम बांसवाड़ा जिले में 1987-88 से चल रहा है इसके अन्तर्गत वन विकास कार्यो पर नियोजित श्रमिकों को प्रतिमाह 26 खाद्य यूनिट प्रति परिवार रु. 6/- प्रति खाद्य यूनिट की दर से वितरित की जाती है। एक खाद्य यूनिट में 2 कि. ग्रा. गेहूं, 200 ग्राम दाल एवं 200 मि. लि. तेल होता है।

(2) जी हां। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गेहूं, दाल एवं तेल का वितरण अनुदानित दरों पर किया जाता है।

(3) बांसवाड़ा जिले में 1 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 91 तक प्रति माह इस कार्यक्रम से लाभांवित श्रमिकों की क्षेत्रवार संख्या एवं वितरित खाद्य यूनिटों की संख्या की सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

झालावाड़ में पेड़ों की कटाई

165. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

झालावाड़ जिले में पेड़ों की अवैध कटाई के लिये सन् 1990 से अभी तक कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी पाये गाये तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

झालावाड जिले में वर्ष 1990 से अब तक अवैध कटाई के लिए 25 कर्मचारी दोषी पाये गये जिनमें से 19 को दण्डित किया गया एवं 6 के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है। सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रखा दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

केटल गार्ड्स की नियुक्ति

166. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा केटल गार्ड के पद पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को राज्य में नियमित वेतन पर अविलम्ब नियुक्ति प्रदान किये जाने का आदेश राज्य सरकार को दिया था ? यदि हां, तो उसकी अनुपालना में राज्य में किस-किस कर्मचारी को नियमित वेतन शृंखला

(श्री दयाराम परमार)

में नियुक्ति दी गई जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि किशनलाल पुत्र श्री खेमराज कलाल निवासी राणावतों का आंकोला तहसील बल्लभनगर जिला उदयपुर ने रेन्ज कुराबड़ वन नांका भीण्डर (मीणों का दरवाजा) वृत्त उदयपुर (उत्तर) ने केटल गार्ड के पद पर दैनिक वेतन पर दिनांक 1-1-86 से 1--12--90 तक कार्य किया ? यदि हां, तो इनकी किस मस्टररोल नम्बर से उपस्थिति अंकित की जाकर भुगतान किया गया ? मस्टररोल नम्बर, माह, भुगतान राशि, कार्य दिनांक कब से कब तक, का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या श्री कलाल अभी भी उक्त पद पर कार्यरत हैं ? यदि नहीं तो इनको उक्त पद से हटाने का क्या कारण है ? क्या यह भी सही है कि वनपाल भीण्डर उदयपुर द्वारा उक्त पद पर अपने रिश्तेदार को श्री कलाल की जगह नियुक्ति प्रदान कर दी ? यदि हां, तो किस आधार पर ? क्या विभाग इस अनियमित नियुक्ति की जांच करवा कर निरस्त कर श्री कलाल को पुनः नियुक्ति प्रदान करने का इरादा रखता है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

उच्चतम न्यायालय दिल्ली के आदेश दिनांक 29-10-91 की अनुपालना की कार्यवाही जारी है जिसके 30-4-91 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(2) जी नहीं। श्री खेमराज कलाल ने 1-1-86 से 31--12--88 तक केटल-गार्ड के रूप में कार्य नहीं किया।

(3) जी नहीं। श्री खेमराज कलाल को विभाग द्वारा नहीं हटाया गया बल्कि उन्होने स्वयं ने बिना सूचना के कार्य छोडा है। श्री कलाल के स्थान पर वनपाल भीण्डर द्वारा अपने किसी रिश्तेदार को केटल गार्ड नहीं रखा है।

छबड़ा के रेंजर के विरुद्ध शिकायतें

167. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बारां जिले के छबड़ा रेंजर के विरुद्ध बहुत शिकायतें हैं ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि निःशुल्क देने वाले पौधों की उसने राशि वसूल कराई ? यदि कराई तो कितनी ? क्या वसूली के कारण पेड़ लगाओ अभियान में बाधा हुई ?

(3) गत जुलाई मास में वसूल की गई राशि के मामले में अब तक क्या जांच हुई ? यदि हुई, तो क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(1) बारां जिले के छबड़ा रेन्जर के विरुद्ध दो शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें

(वन मंत्री)

से एक में उन्हें परिनिन्दा का दण्ड दिया गया है तथा दूसरी शिकायत की जांच जारी है।

(2) छबड़ा पौधशाला इन्चार्ज द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेकर पौध वितरित करने की शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई गई जिसमें फलदार पौधों को 20 पैसे प्रति पौधा के स्थान पर एक रुपया प्रति पौध लेने की स्वीकारोक्ति की गई।

(3) गत जुलाई मास में निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल करने के प्रकरण में सम्बन्धित पौधशाला इन्चार्ज को निलम्बित कर जांच कराई गई जिसमें क्षेत्रीय छबड़ा तथा पौधशाला इन्चार्ज द्वारा अपराध को स्वीकारोक्ति करने पर पौधशाला इन्चार्ज की 5 वेतन वृद्धियां संचित प्रभाव से रोकी गई तथा क्षेत्रीय छबड़ा को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। इसके अतिरिक्त पौधशाला इन्चार्ज से रु. 3000/—बतौर राजकीय वसूली राज्य कोष में जमा कराई गई।

जिला बांसवाड़ा में वृक्षारोपण

168. **श्री सोमा** (बागीडोरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में किस-किस वन क्षेत्र में डिमारकेशन योजना लागू की गई है ? क्षेत्रों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार बांसवाड़ा के समस्त वन क्षेत्र में डिमारकेशन कराने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) बांसवाड़ा जिले में राज्य सरकार किन-किन क्षेत्रों में अगले मानसून में वृक्षारोपण करने की योजना बना रही है ? क्षेत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में 70 वन खण्डों में सीमा निर्धारण पूर्ण किया जा चुका है जिसकी सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट 'क" के अनुसार रखी दी गई है।

(2) जी हां। बजट की उपलब्धता के अनुसार सीमा निर्धारण कार्य पूर्ण कराया जावेगा।

(3) बांसवाड़ा जिले में अगले मानसून में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थलों की सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "ख" के अनुसार रख दी गई है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 169,

(स्थगित)

सांचौर में 132/33 के. वी. ट्रांसफार्मर्स की स्थापना

170. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता** (सांचौर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

(1) जिला जालौर में भीनमाल से सांचौर 132 के. वी. लाइन कब पूर्ण हुई ?

(2) सांचौर में 132 जी. एस. एस. का कार्य कब चालू किया और कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि भीनमाल 132 के. वी. जी. एस. एस. पर ट्रान्सफार्मर्स पर विद्युत भार ज्यादा होने से विद्युत सप्लाई प्रतिदिन 6 घंटा बंद की जाती है ? यदि हां, तो सांचौर में 132/33 के. वी, का ट्रान्सफार्मर्स अलग से कब तक लगाने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला जालौर में भीनमाल से सांचौर 132 के. वी. लाईन दिनांक 31-10-1991 को पूर्ण हुई।

(2) सांचौर में 132 के. वी. जी. एस. एस. के निर्माण का कार्य आगामी वित्त वर्ष 1992-93 में प्रारम्भ किया जाकर सितम्बर, 1992 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(3) ट्रान्सफार्मर पर अतिरिक्त भार होने के कारण सप्लाई कभी भी बन्द नहीं की गई है, अपितु 6 घन्टे प्रति दिन विद्युत आपूर्ति न किये जाने का कारण पारी में विद्युत सप्लाई करना है।

जब कभी सिस्टम की फ्रीक्वेन्सी नार्मल फ्रीक्वेन्सी से कम हो जाती है व भाकरा से ड्रावल शिड्यूल से ज्यादा हो जाता है उस स्थिति में फीडर सिस्टम को बचाने के लिये काटना स्वाभाविक है। सांचौर में 132/33 के. वी. का ट्रान्सफार्मर 1992-93 में लगाने का विचार है।

रामगढ़-पचवारा एवं बगड़ी का 33 के. वी. सब-स्टेशन

171. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रामगढ़ पचवारा तथा बगड़ी के लिए 33 के. वी. का सब-स्टेशन स्वीकृत होने के उपरान्त भी स्थापित नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(2) रामगढ़ पचवारा तथा बगड़ी के 33 के. वी. सब-स्टेशन नहीं लगाने के कारण कितने उपभोक्ता प्रभावित हैं। जिन्हें कृषि कनेक्शन देना बंद कर रखा है ?

उत्तर

(1) रामगढ़ पचवारा व बगड़ी में 33/11 के. वी. सब-स्टेशन ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की क्रमशः वर्ष 1989-90 व 1984-85 में स्वीकृत योजनाओं में सम्मिलित है। लेकिन उपरोक्त कार्य वर्ष 1991-92 के वार्षिक 33 के. वी. कार्यक्रम में शामिल नहीं है। अतः कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

(2) उक्त 33 के. वी. सब-स्टेशन नहीं बनने के कारण रामगढ़ पचवारा एवं

(ऊर्जा मंत्री)

बागड़ी क्षेत्र में क्रमश: 135 एवं 26 कृषि आवेदन प्रभावित हुये हैं।

विधानसभा क्षेत्र फलासिया के ग्रामों का विद्युतीकरण

172. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्ष 1988-89 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 में कौन-कौन से ग्रामों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया था और उसमें से कौन-कौन से गांव विद्युतीकृत हो गये तथा कौन-कौन से शेष हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शेष रहे गांवों का विभाग कब तक विद्युतीकरण करने का विचार रखता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्ष 1988-89 से 1991-92 तक 24 ग्रामों का विद्युतीकरण करने हेतु वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के तहत लक्ष्य रखा गया था। इनमें से सभी 24 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वर्षवार सूची सलग्न है।

(2) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर के वर्ष 1988-89 से 1991-92 तक विद्युतीकरण हेतु निर्धारित सभी ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

खनिजों से आय

173. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपलदा) : एवं **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रान्त में विभिन्न खनिजों के दोहन में राज्य सरकार को कितनी आय प्रतिवर्ष होती है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रान्त में उपलब्ध खनिजों को देखते हुए, खनिज आधारित आय बहुत कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अवैध खनन एवं रॉयल्टी की चोरी को रोकने हेतु विशेष प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) प्रान्त में विभिन्न खनिजों के दोहन के राज्य सरकार को इस विभाग से विभिन्न श्रोतों से वर्ष 1990-91 में कुल आय रु. 86.58 करोड़ हुई। चालू वित्त वर्ष में अनुमानित आय 102.44 करोड़ रुपये होगी।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, सरकार हमेशा ही अवैध खनन को रोकने हेतु प्रयत्नशील है।

(खनिज राज्य मंत्री)

भविष्य में भी ऐसे मामले सामने आने पर प्रभावी ढंग से रोकने हेतु कार्यवाही करेगी। रायल्टी की चोरी रोकने हेतु विशेष अभियान समय समय पर आयोजित किये जा रहे हैं जिन रिक्त स्थानों में खनिज उपलब्ध है, उनके शीघ्र आंवटन हेतु कार्यवाही की जा रही है। विभागीय नाकों की नीलामी की जा रही है जिससे भी अवैध खनन को रोकने में प्रभाव पड़ेगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अन्तर्गत अवैध खननकर्ता के विरूद्ध मुकदमें भी दर्ज कराये जा रहे हैं।

खनिज अभियन्ता, मकराना के अधीन खानों के अनुज्ञा-पत्र

174, श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या खनिज अभियन्ता, मकराना (नागौर) के अन्तर्गत मकराना में खान नं. 240/5 अ, 240/5 ब, 240/5 स एवं 45/8 स्थित हैं? यदि हां, तो उक्त चारों खानों का इस समय अनुज्ञा-पत्र किसके नाम है एवं क्या यह चालू है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खानें मकराना आर्टिजन नामक सहकारी समिति को आवंटित हुई थी? यदि हां, तो कब तथा फिर समिति के नाम के अनुज्ञा-पत्र किस प्रावधान के तहत कब निरस्त हुए एवं पुन: किस के नाम कब जारी हुए?

(3) क्या सहकारी समिति के अनुज्ञा-पत्र को निरस्त कर व्यक्तिगत नाम करने से पूर्व खनिज विभाग ने सहकारी विभाग से सहमति ली थी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इसमें अनियमितता हुई है? यदि हां, तो अनियमितता करने वालों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां।

इस समय खान सं. 240 5 अ कोलाडूंगरी रेन्ज का क्वेरी लाईसेन्स (अनुज्ञा-पत्र) श्री राधा बल्लभ, श्री कैलाश नारायण के नाम स्वीकृत है।

खान नं. 240/5 ब कोलाडूंगरी रेन्ज श्री अर्जुन राम के नाम स्वीकृत है।

खान सं. 240/5 स कोलाडूंगरी रेन्ज मकराना मार्बल आर्टिजन लेबर कोन्ट्रेक्टर सोसायटी के नाम स्वीकृत है।

खान सं. 45/8 गुलाबी रेन्ज में मकराना मार्बल आर्टिजन लेबर कोन्ट्रेक्टर सोसायटी के नाम स्वीकृत है।

हां सभी खानें चालू है।

(2) जी नहीं। खान सं. 240/5 स एवं 45/8 ही सोसायटी के नाम दिनांक 1-4-59 से स्वीकृत है तथा खान नं. 240/5 अ व 240/5 ब अन्य व्यक्तियों के नाम स्वीकृत है। सोसायटी के नाम के अनुज्ञा-पत्र अभी तक निरस्त नहीं हुये हैं तथा न ही पुन: अन्य व्यक्ति विशेष के नाम अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये हैं।

(3) जी नहीं। मकराना मार्बल आर्टिजन लेबर कोन्ट्रेक्टर सोसायटी के

(खनिज राज्य मंत्री)

नाम के अनुज्ञापत्र निरस्त नहीं किये गये हैं। अतः सहकारी विभाग से सहमति लेने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। चूंकि कोई अनियमितता नहीं हुई है। अतः किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

बेंतली-लदासी (छबड़ा) की मध्यम सिंचाई योजना

175. श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या छबड़ा की मध्यम-सिचाई योजनायें बेंतली व लदासी दोनों को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है? यदि हां, तो सरकार इन पर कब से कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है?

उत्तर

इन दोनों मध्यम सिचाई योजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। केन्द्रीय जल आयोग से योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात बजट उपलब्ध होने पर इन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

केकड़ी में सिंचाई खण्ड के कार्यालय की स्थापना

176. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रशासनिक व्यय कम करने की दृष्टि से सिंचाई खण्ड, प्रथम का मुख्यावास, अजमेर का मुख्यालय मितव्ययता/प्रशासनिक दृष्टिकोण से केकड़ी में रखने का विचार करेगी?

(2) क्या यह सही है कि सिंचाई खण्ड प्रथम अजमेर के अधीन उपखण्डों का मुख्यावास अजमेर नहीं होने से खण्डीय कार्यालय का मुख्यावास अजमेर का औचित्य समाप्त नहीं हो जाता है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) मुख्यावास परिवर्तन का अभी कोई औचित्य नहीं है।

ओड़ा बांध (शिवगंज) से सिंचाई

177. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शिवगंज तहसील में ओड़ा बांध से प्रति काश्तकार कृषि भूमि सिंचित करने के प्रस्ताव लिये गये थे?

(2) क्या पानी लिये गये प्रस्ताव से अधिक दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) ओड़ा बांध से तहसील शिवगंज

(सिंचाई मंत्री)

में इस वर्ष 1991-92 सम्वत् 2048 रवी की सिंचाई हेतु जल वितरण की बैठक में प्रति काश्तकार एक बीघा कृषि भूमि में सिंचाई हेतु पानी देने का प्रस्ताव लिया था। प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) जी नहीं, नहर में पानी चलाने का प्रोग्राम इसी प्रस्ताव को ध्यान में रखकर निश्चित किया गया तथा नहर में पानी प्रोग्राम के अनुसार ही दिया गया। परन्तु काश्तकारों ने वितरण कमेटी में लिये गये निर्णय से अधिक क्षेत्र में पानी अपने स्तर पर ले लिया गया। ऐसे काश्तकारों पर आर्थिक दण्ड के रुप में तवान की कार्यवाही नियमानुसार प्रस्तावित की जा रही है।

(3) इस सम्बन्ध में कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है, क्योंकि अधिकारियों ने प्रोग्राम के अनुसार ही नहर में पानी दिया था।

जहाजपुर क्षेत्र की लघु सिंचाई योजनायें

178. श्री शिवजीराम (जहाजपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :–

(1) जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौन सी लघु सिंचाई योजनायें राज्य सरकार के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है? इनकी स्वीकृति प्रदान कर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

(2) शक्करगढ़ बांध, सरलासागर रासेड एवं शिवसागर पारोली बांध पर अब तक कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? क्या सरकार इन लघु सिंचाई योजनाओं को प्लान में स्वीकृत करने की इच्छा रखती है? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यो?

उत्तर

(1) वर्तमान में कोई परियोजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रश्न में वांच्छित परियोजना पर निम्न प्रकार खर्चा हो चुका है।

क्र.सं.	नाम परियोजना	अब तक खर्चा राशि लाखों में
1.	शक्करगढ़	47.82
2.	सरलासागर	34.65
3.	शिवसागर पारोली	38.68

प्लान के अन्तर्गत इन परियोजनायों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करती है।

विधान सभा क्षेत्र फलासिया में सिंचाई कार्य

179. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्ष 1988--89, 1989--90, 1990--91 एवं 1991--92 में विभाग द्वारा किस-किस स्थान हेतु क्या-क्या कार्य, कब-कब कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये?

(श्री कुबेर सिंह)

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य अब तक पूर्ण हो गये तथा कौन-कौन से अभी भी अधूरे हैं। पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार की नीति अनुसार पहले अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाया जाना चाहिये ? यदि हां, तो अधूरे कार्य के अपूर्ण रहते कौन-कौन से नये कार्य कब-कब स्वीकृत किये गये ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं एवं विभाग दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या विभाग अब अधूरे कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में 1988 से 1992 तक चार लघु सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य किया गया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट (अ) में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) कोल्यारी एवं जाडी पीपला परियोजनाएें वर्ष 90-91 में पूर्ण की गई तथा बक्सा का नाका एवं अक्षेगणा परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

(3) अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराने के लिये प्राथमिकता दी जाती रही है। परन्तु उस नीति में और अधिक कड़ाई से पालना कराई जायेगी। परन्तु नये कार्यों को स्वीकृत करने के लिए राज्य सरकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। अतः किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं है।

(4) अधूरी परियोजनाओं को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण करवाया जायेगा। सैकड़ों की संख्या में अधूरे कार्य हैं। अतः उन कार्यों को प्राथमिकता दी जावेगी जिनमें सबसे कम राशि खर्च होने पर कार्य पूरे हो सकते हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

टोडाभीम क्षेत्र के अकाल ग्रस्त घोषित ग्राम

180. श्री **रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1991-92 में टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के कुल कितने ग्राम अकाल ग्रस्त घोषित किये गये तथा कितने ग्राम अकाल-ग्रस्त घोषित नहीं किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1991–92 में अभी तक टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के किसी गांव को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।

छबड़ा क्षेत्र में खराब हुई फसलों का मुआवजा

181. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष छबड़ा क्षेत्र में ज्वार, मक्का एवं सोयाबीन की फसल अधिक वर्षा से नष्ट हो गयी थी ?

(2) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वे कराया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब इस क्षेत्र का सर्वे कराकर कृषकों को राहत प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 15 सितम्बर, 91 से फसल खरीफ की गिरदावरी कराई गई है। इसके अतिरिक्त पृथक से कोई सर्वे नहीं कराया गया है।

राहत कार्य

182. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1991–92 में अकाल राहत कार्य खोलने के आदेश कब-कब दिये गये उसके अनुसार आज तक कितने अकाल राहत कार्यो को स्वीकृति दी गई ? इन कार्यो पर लगाए गए मजदूरों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आज तक राहत कार्यों पर लगे मजदूरों को कितना-कितना भुगतान किया गया ? जिले वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) दुधारु गायों के लिए दाने के आज तक कितने केन्द्र खोले गए ? विभिन्न केन्द्रों पर कितना दाना कितनी गायों के लिए वितरित किया गया ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने दिनांक 22-2-92 को अधिसूचना जारी कर बीकानेर जिले के 583 गांव, बाड़मेर जिले के 1636 गाव, जैसलमेर जिले के 575 गांव, डूंगरपुर जिले के 856 गांव तथा बांसवाड़ा जिले के बागीडोरा व कुशलगढ़ तहसीलों के 657 गांव. चूरू जिले की सरदारशहर, रतनगढ़ एवं डूंगरगढ़ तहसील के 286 गांव, जोधपुर जिले के शेरगढ़ एवं फलौदी तहसील के 297 गांव एवं उदयपुर जिले की कोटड़ा, सराड़ा एवं खेरवाड़ा तहसील के 704 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। माह फरवरी, 1992 में जिलेवार श्रमिकों की निर्धारित संख्या परिशिष्ट "अ" में दिखाई गई है।

(2) राहत कार्य चालू करने की स्वीकृति दिनांक 22-2-92 से दी गई है। कार्यों के चालू होने एवं श्रमिकों के नियोजन की सूचना प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

(अकाल राहत मंत्री)

(3) जिला बीकानेर में दुधारू पशुओं के लिए 281 पशुपोषण केन्द्र खोले गये हैं जिनमें 41848 पशुओं को 3600448 किलोग्राम आहार वितरित किया गया है।

जिला जैसलमेर व जिला चूरू में दस-दस हजार दुधारू पशुओं के लिये पोषण आहार उपलब्ध कराने की स्वीकृति दिनांक 15-2-92 को जारी की गई है। जैसलमेर व चूरू जिले में आहार वितरण की व्यवस्था की रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

इन्द्रगढ़ महल (बून्दी) में लाईटिंग व्यवस्था

183. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इन्द्रगढ़ (बून्दी) के महल पर लाइटिंग किये जाने हेतु कुछ राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कब, कितनी तथा किसके द्वारा ?

(2) क्या इन्द्रगढ़ के महल पर लाइटिंग की व्यवस्था कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है ? अब यह कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) इन्द्रगढ़ दुर्ग पर फ्लड लाईटिंग की योजना भारत सरकार के पर्यटन विभाग को 1989 में प्रेषित की गई है। जिसकी स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(2) इन्द्रगढ़ दुर्ग पर फ्लड लाईटिंग भारत सरकार के पर्यटन विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही सम्भव हो सकेगी।

जिला पाली के पर्यटन स्थल

184. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में सरकार द्वारा किन-किन स्थानों का पर्यटन की दृष्टि से सर्वे कराया गया ?

(2) किन-किन स्थानों को सरकार पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा पाली जिले के निम्नलिखित स्थानों का सर्वे कराया गया है :—

1. जगदम्बा मन्दिर, निमाज
2. नृसिंह जी की झांकरी, सोजत
3. मानपुर झांकरी, पाली
4. नाडोल
5. सोना खेतल जी
6. नारलाई
7. देसूरी की नाल
8. हुंडूडी

(पर्यटन मंत्री)

9. सालेश्वर महादेव जी
10. रणकपुर में ट्रेकिंग की संभावना
11. धारेश्वर महादेव
12. सोजत का किला

(2) विभाग किसी स्थल विशेष को पर्यटक स्थल घोषित नहीं करता है। विभाग पर्यटन की दृष्टि से उन स्थलों का विकास कार्य तभी कराता है, जहां कि वर्षपर्यन्त देशी एवं विदेशी पर्यटकों का काफी बड़ी संख्या में आवागमन रहता हो।

बाड़मेर में चारा एवं पशु आहार का क्रय

185. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1986 से 1990 तक के अकाल में जिला प्रशासन बाड़मेर द्वारा चारा व पशु आहार क्रय किया गया था ? यदि हां, तो वर्षवार तथा किस्मवार विवरण मय लागत के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में क्रय किये गए चारे व पशु आहार के विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए थे ? यदि हां, तो आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या उक्त अवधि में वितरित किए गए चारे एवं पशु आहार का रिकार्ड रखा गया है ? यदि हां, तो क्या उसकी समुचित जांच की गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक पूरी जांच करवाली जाएगी ?

(4) उक्त चारे व पशु आहार में से कितनी मात्रा वितरित करने से रह गई थी तथा उसका निपटारा किस तरह किया गया ?

उत्तर

(1) वर्ष 1988 में जिला प्रशासन द्वारा सहायता विभाग के आदेश 9-3-88 की पालना में विशेष पशु आहार सहकारी समितियों के माध्यम से निम्नानुसार मात्रा में क्रय किया गया था :—

1.	गोदरेज	—	5259.45 क्वि.
2.	खल चूरी	—	26751.75 क्वि.
3.	बिनोलाखल	—	479.40 क्वि.
4.	बाजरा	—	42192.87 क्वि.
5.	सरस	—	9095.95 क्वि.
6.	मेस फार्म	—	4699.20 क्वि.
7.	डेयरी (आहार)	—	3337.00 क्वि.

इसके अतिरिक्त चारा क्रय नहीं किया गया।

(2) जी हां। आदेश की प्रति संलग्न है।

(3) पशु आहार वितरण सहकारी समितियों द्वारा किया गया था तथा वितरण का रिकार्ड सम्बन्धित सहकारी समितियों द्वारा रक्खा गया था। संधारित लेखों की जांच जिला प्रशासन ने नहीं करवाई।

(अकाल राहत मंत्री)

(4) सहकारी समितियों द्वारा वितरित पशु आहार पर ही राजकीय अनुदान उपलब्ध कराया गया था।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें।)

अजमेर पर्यटक होस्टल की स्थापना

186. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यटकों को सस्ती आवास सुविधा उपलब्ध कराने की योजना के तहत राजस्थान में कहां-कहां पर्यटक होस्टल बनाने के लिये भूमि के आवंटन हेतु लिखा गया ?

(2) क्या इस योजना के तहत अजमेर में भी पर्यटक होस्टल निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु लिखा था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति क्या है ? आवंटन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने केन्द्रिय सरकार के पर्यटन मंत्रालय को पर्यटकों को सस्ती आवास सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 1991-92 में निम्न प्रस्ताव भेजे हैं तथा भारत सरकार से सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति देना स्वीकार किया है :—

यात्री निवास—अजमेर

यात्रिका —नाथद्वारा

भारत सरकार से नाथद्वारा में यात्रिका निर्माण हेतु 24.48 लाख रु. की स्वीकृति दिनांक 26-2-92 को ही प्राप्त हुई है।

(2) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय राज्य में सभी स्थानों में आवास सुविधा के निर्माण हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण चाहता है। यात्री निवास, अजमेर के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु जिला कलेक्टर, सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर को लिखा गया था।

सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर ने आनासागर सरकुलर रोड योजना में स्थित 4356 वर्गगज भूमि 250 रुपये वर्ग-गज दर मूल्य पर देना स्वीकारा है तथा इसके लिए 1089000/—रु. जमा करवाने का अनुरोध किया है।

इस सम्बन्ध में सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर को उक्त भूमि निःशुल्क आवंटन करवाने हेतु पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है। निःशुल्क भूमि आवंटन के आदेश प्रतीक्षित हैं। निःशुल्क भूमि आवंटन होने पर ही उक्त यात्री निवास का निर्माण कराया जा सकेगा।

जिला सिरोही एवं जालोर के पर्यटक स्थल

187. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती तारा भण्डारी)

(1) सिरोही एवं जालौर जिले में कौन-कौन से स्थल पर्यटन मानचित्र में अंकित हैं ?

(2) क्या सरकार काम्बेश्वर महादेव मन्दिर, भुवनेश्वर महादेव मन्दिर, रामेश्वर महादेव मन्दिर, मीरपुर, जालौर किले आदि को पर्यटन केन्द्र बनाने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले के मा. आबू पर विभाग द्वारा प्रकाशित फोल्डर में निम्न स्थलों का पर्यटन मानचित्र में नाम अंकित है, वे इस प्रकार हैं :—

1. हनीमून पाइंट, नक्की लेक, रघुनाथ जी मन्दिर, सनसेट पाइंट, गौमुख, नीलकंठ मन्दिर, देलवाडा मन्दिर, गुरू शिखर, अचलगढ़, अधर देवी। उपरोक्त सभी पर्यटक स्थल माउन्ट आबू के हैं। सिरोही जिले एवं जालौर जिले पर अलग से मानचित्र प्रकाशित करवाया जाना है।

(2) सरकार ने वर्ष 1992-93 में जालौर किले को मरम्मत तथा पुनरोद्धार के लिए 5.05 लाख रुपयों की राशि का प्रावधान किया है। काम्बेश्वर महादेव मन्दिर, भुवनेश्वर महादेव मन्दिर, रामेश्वर महादेव मन्दिर, मीरपुर के बारे में सरकार की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

जिला भरतपुर में सहायक अध्यापकों के स्थानान्तरण

188. श्री निर्भयलाल (रूपवास) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं के वर्ष 1991 में कितने स्थानान्तरण भरतपुर जिले की किस-किस पंचायत समिति में किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग द्वारा किये गये स्थानान्तरण कितने दिन तक प्रभावी रहते हैं ? ऐसे कितने अध्यापक हैं जो स्थानान्तरण के बाद आज तक विकास अधिकारी द्वारा ड्यूटी पर नहीं लिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भरतपुर जिले में स्थानान्तरण से अध्यापकों को लेने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले की पंचायत समितियों में वर्ष 1991 में सरकार द्वारा 358 सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण किये गये। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सामान्यतः विभाग द्वारा किये गये स्थानान्तरण 6 माह तक मान्य होते हैं। इस जिले की समस्त पंचायत समितियों के अनुसार रिक्त पदों के अभाव में सहायक

(पंचायत राज राज्य मंत्री)

अध्यापक/अध्यापिकाओं को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर पंचायत समितियों में पदास्थापन नहीं किया जा सका है।

(3) जी हां। श्यामपट्ट योजना के अन्तर्गत आवंटित अध्यापकों के पदों को नव नियुक्त अध्यापिकाओं द्वारा भरा जाता है। अतः इस योजना के पदों को अन्तर जिला स्थानान्तरण से नहीं भरा जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

विधान सभा क्षेत्र फलासिया में खोले गये प्राथमिक विद्यालय

189. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 में निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में खोली गई प्राथमिक शालाओं के आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उक्त वर्षों में निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में कोई प्राथमिक शाला नहीं खोली गई है। वर्ष 1989-90 में पंचायत समिति, झाडोल में 5 शिक्षा केन्द्र खोले गये थे जो बंद कर दिए गए हैं।

जिला बांसवाड़ा में शिक्षा प्रसार अधिकारियों को वाहन सुविधा

190. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में कितनी प्राथमिक शालाएं हैं ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा की दूर दराज क्षेत्र में चल रही प्राथमिक शालाएं अधिकांश समय बन्द रहती हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि शिक्षा प्रसार अधिकारियों के पास वाहन सुविधा न होने से वे इन विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण नहीं कर पाते ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में कुल 907 प्राथमिक शालाएं हैं। सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। अधिकांश पंचायत समितियों में वाहन की व्यवस्था है। वित्तीय साधनों की उपलब्धि के आधार पर पंचायत समितियों को नये वाहन भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम राणेरमय दामोलाई (लूणकरणसर) के प्रशासक के विरुद्ध शिकायतें

191. **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत राणेरमय दामोलाई के प्रशासक 1988 जून माह में पंचायत चुनाव में सरपंच चुन लिये गये थे और बाद में पंचायत समिति लूणकरणसर के प्रधान पद के लिये चुन लिये गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व प्रधान पंचायत समिति, लूणकरणसर ने ही ग्राम पंचायत राणेरमय दामोलाई के प्रशासक की हैसियत से महाजन फिल्ड फायरिंग रेंज के सार्वजनिक भूमि के मुआवजे के पैसे उठा लिये थे और उनका उपयोग खुद ने ही कर लिया था ?

(3) क्या इस प्रकरण में किसी प्रकार की जांच चल रही है ? यदि हां, तो अब तक किन-किन के खिलाफ क्या-क्या तथ्य सामने आये हैं ?

( ) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत राणेरमय दामोलाई के पूर्व प्रशासक, लूणकरणसर पूर्व प्रधान व अन्य प्रशासक ग्रामपंचायत भीखनेरा ने कुल लगभग 1.75 करोड़ (पौने दो करोड़) रुपये का गबन किया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां, जांच कराई गई जिसके अनुसार मुआवजा राशि रु. 56,50,888.30 पैसे का उपयोग स्वयं के लिए करने तथा वर्ष 1976 में फर्जी पट्टों का रिकार्ड तैयार करने, रिकार्ड मे कांट-छांट करने ऊपरी लेखन करने, एवं फर्जी कच्चे पक्के कार्य करवाने के तथ्य सामने आये हैं। जिसमें सहायता करने में दोषी पाये गये ग्रामिण बैंक अध्यक्ष, शाखा प्रबंधक, विकास अधिकारी, ग्राम सेवक व सहायक सचिव के विरुद्ध भी एफ आई. आर. दर्ज कराये जाने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।

(4) इस प्रकरण में श्री रतिराम प्रशासक ग्राम पंचायत, भिखनेरा को महाजन फिल्ड फायरिंग रेंज हेतु मुआवजा राशि रुपये 74,52,547.10 पैसे का ही भुगतान किया गया जिसमें से श्री रतिराम ने 72 लाख रुपये का उपयोग श्री दाना राम पूर्व प्रशासक ग्राम पंचायत राणेरमय दामोलाई व पूर्व प्रधान पंचायत समिति लूणकरणसर के साथ मिलकर किया गया। दोषियों के विरुद्ध पुलिस में एफ. आई. आर. पुलिस अधीक्षक बीकानेर को दर्ज कराने हेतु भेजा जा चुका है।

जिला चूरू की नयी ग्राम पंचायतें

192. **श्री किशन राम नाई** (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चूरू के किन-किन ग्रामों व ढाणियों को ग्राम पंचायत घोषित करने

(श्री किशनराम नाई)

के प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं ? तहसीलवार ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला झुंझुनू के किन-किन ग्रामों व ढाणियों को ग्राम पंचायतें घोषित करने के प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं ? तहसीलवार ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अतारांकित प्रश्न संख्या–193

(स्थगित)

जिला झालावाड़ के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

194. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में ऐसे कितने प्राथमिक स्कूल हैं ? जहां वर्तमान में अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हुये हैं ? वह कब तक भर दिये जावेंगे ? क्या ऐसे भी स्कूल हैं जहां समय पर अध्यापक नहीं पहुंचते ?

(2) जिले में किन-किन तारीखों में किन-किन स्कूलों के वर्ष 1991-92 में कब-कब किन-किन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये गये ? उनमें क्या-क्या कमी पाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, झालावाड़ जिले में 304 पद अध्यापकों के रिक्त हैं। रिक्त पद शीघ्र भरे जा रहे हैं ऐसी कोई जानकारी सरकार को नहीं है कि अध्यापक स्कूल में देर से पहुंचते हैं।

(2) सूचना संलग्न है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्राम हाड़ौती (सपोटरा) में सड़क निर्माण

195. **श्री प्रभुलाल** (सपोटरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की नीति है कि 2000 से ऊपर आबादी वाले ग्रामों को सड़कों से जोड़ा जावेगा ? यदि हां, तो सपोटरा क्षेत्र के सबसे बड़े ग्राम हाड़ौती को अब तक सपोटरा सड़क से नहीं जोड़े जाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या सरकार इस ग्राम को सपोटरा से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अब तक हाड़ौती व सपोटरा के

(श्री प्रभुलाल)

बीच कितनी सड़क बन चुकी है तथा कितनी दूरी का सड़क निर्माण कार्य और बकाया है ?

उत्तर

(1) जी हां । हाड़ौती गांव को सड़क से जोड़ने हेतु निम्नलिखित स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। जिनका कार्य प्रगति पर है।

			स्वीकृत दिनांक
1. मलारना स्टेशन से हाड़ौती	7 किमी	17.50 लाख रु.	31-5-91
2. सपोटरा से बूकना	3.5 किमी	10.00 लाख रु.	2-9-89

शेष लम्बाई की स्वीकृति राज्यकीय वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(2) उपरोक्तानुसार ।

(3) हाड़ौती से सपोटरा की कुल लम्बाई 18 किमी है। जिसमें से सपोटरा से बूकना (3.5 कि.मी.) का सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुका है तथा प्रगति में है। शेष सड़क की लम्बाई 14.5 कि.मी. है।

नये स्वास्थ्य केन्द्र

196. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में राज्य में कितने रेफरल हास्पिटल, पी.एच.सी., एडपोस्ट, उप स्वास्थ्य केन्द्र किन-किन मापदण्डों के अन्तर्गत खोले गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उपरोक्त हास्पिटल, पी. एच. सी., आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार खोले गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में गत दो वर्षों में निम्न प्रकार रेफरल हास्पिटल, पी. एच सी., एडपोस्ट, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए :-

वर्ष	संस्थापन का नाम	संख्या
1990-91	1-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (रेफरल अस्पताल)	15
	2-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	50
	3-एडपोस्ट (उच्चीकृत उपकेन्द्र)	96
	4-उपकेन्द्र	—
1991-92	1-सामु. स्वा. केन्द्र	16
	2-प्रा. स्वा. केन्द्र	50
	3-एडपोस्ट (उच्चीकृत उपकेन्द्र)	50
	4-उपकेन्द्र	—

विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां,

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट – 14 देखें।)

भरतपुर में जूनियर स्पेशलिस्ट (मेडिसिन) के पद का सृजन

197. श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सामान्य अस्पताल, भरतपुर के नवीन भवन के उद्घाटन के समय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने भरतपुर में जूनियर स्पेशलिस्ट (मेडिसन) के पद के सृजन की घोषणा की थी ? यदि हां, तो सरकार कब तक इस पद का सृजन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

सामान्य चिकित्सालय, भरतपुर में वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) के एक-एक पद सृजित हैं। दोनों पदों पर विशेषज्ञ पदस्थापित हैं। उद्घाटन समारोह के समय माननीय मंत्री महोदय द्वारा किसी अन्य विशेषज्ञ (चिकित्सा) के पद की घोषणा नहीं की गई।

सांभर—देवयानी सड़क मार्ग

198. डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चुला की ढाणी (सांभरलेक) तथा त्योदा गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(1) सांभर से देवयानी को जोड़ने वाला सड़क मार्ग बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक ठीक करवाने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार इस सड़क को आगे के गांवों/ढाणियों से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चुला की ढाणी (सांभरलेक) तथा त्योदा गांव को सड़क से जोड़ना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(2) जी नहीं।

सांभर से देवयानी सड़क मार्ग बरसात में क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है तथा आवागमन सुचारू रुप से चालू है।

(3) इस सड़क को आगे के गांवों/ढाणियों से जोड़ने का कार्य योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, जोधपुर

199. **श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई,

(श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास)

जोधपुर द्वारा गत तीन वर्षों में कितने-कितने कैम्प कहां-कहां पर लगाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त इकाई में कितनी शैयायें स्वीकृत हैं ? प्रत्येक कैम्प में कितने बिस्तर काम में लिये जाते हैं ?

(3) प्रत्येक कैम्प में कितने मरीज भरती होते हैं एवं कितने रोगियों की शल्य चिकित्सा (आपरेशन) की जाती है ?

उत्तर

(1) भ्रमण शील शल्य चिकित्सा इकाई, राज्य सरकार द्वारा जोधपुर के लिए स्वीकृत नहीं है। चेरेटीबल सोसायटी की मांग पर महात्मा गांधी चिकित्सालय द्वारा गत तीन वर्षों में निम्न स्थानों पर कैम्प लगाये गये—

1988—मथानिया
1989—मथानिय
1991—1-मथानिया
2-गच्छीपुरा

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रत्येक कैम्प में चेरेटिबल सोसायटी द्वारा 100--150 बिस्तर का प्रबन्ध किया गया है।

(3) कैम्प में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या निम्न है—

अक्टूबर—1988	मथानिया
आउट डोर	770
भर्ती	194
(अ) आंखों के आपरेशन	110
(ब) अन्य रोगों के आपरेशन	84
अन्य पैथोलोजीकल जांच	68

1989	मथानिया
आपरेशन	143
(अ) आखों के आपरेशन	121
(ब) शल्य सर्जीकल यूरोलोजी	22

1—1991	मथानिया
बाह्य रोगी	500
आखों के आपरेशन	100

2—1991	गच्छीपुरा
बाह्य रोगी	
मेडीकल	46
गायनिक	170
बच्चों का इलाज	200
अर्थोपेडिक्स	31
सर्जीकल	91
आंख सम्बन्धी	300
भर्ती रोगी	
आंखों के आपरेशन	90
ई. सी. जी.	15

(चिकित्सा एवं स्वस्थ्य मंत्री)

एक्सरे	20
ब्लड टैस्ट	0

रेफरल अस्पताल, लालसोट

200. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार रेफरल अस्पताल, लालसोट में सभी तरह की सुविधाएं देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो रेफरल अस्पताल में किस-किस तरह की सुविधाएं अतिरिक्त दी जायेगी ?

(2) क्या सरकार रेफरल अस्पताल, लालसोट में शीघ्र एक्स-रे मशीन लगाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या रेफरल अस्पताल, लालसोट के सभी चिकित्सा विशेषज्ञ के पद भर दिये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। अन्य रेफरल अस्पतालों की भांति लालसोट रेफरल चिकित्सालय में भी सभी सुविधाऐं मुहिया कराने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल रेफरल अस्पताल लालसोट में तीन वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों व एक चिकित्साधिकारी के पदों पर एक वरिष्ठ चिकित्साधिकारी व तीन चिकित्साधिकारी पदस्थापित है। दो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के पदों को मेडिसीन व सर्जरी के विशेषज्ञों में परिवर्तित कर भरने के प्रयास किये जा रहे हैं। अन्य स्टाफ भी लगाया हुआ है। रोगी वाहन की सुविधाऐं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(2) जी हां। विभाग द्वारा एक्सरे मशीन भिजवाई जा चुकी है। बिजली कनेक्शन मिलजाने पर चालू कर दी जावेगी।

(3) जी नहीं। कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ (चिकित्सा) के पद स्वीकृत होने पर चिकित्सा अधिकारियों के स्थान पर विशेषज्ञ पदस्थापित करने पर विचार किया जायगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसोता (दौसा)

201. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत जसोता (जिला दौसा) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किस वर्ष खोला गया तथा इसमें कितना स्टाफ लगा रखा है, तथा कितने पद रिक्त है ?

(2) इस केन्द्र पर, सरकार द्वारा कितने रुपये की दवाईयों का आवंटन किया है ? सन् 1991-92 में कितने रुपये की दवाईयां खरीदी गई उनका नाम तथा कीमत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दौसा जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने पद कब से रिक्त चल रहे

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

हैं ? प्रत्येक केन्द्र का नाम तथा पद का नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी नर्स, मेल नर्स व प्रसाविका के जितने भी रिक्त पद चल रहे हैं उनको कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत जसोता (जिला दौसा) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, यहां एक उच्चीकृत उप. केन्द्र वर्ष 1988-89 में उपकेन्द्र क्रमोन्नयने से किया गया है। इसमें एक पद मेलनर्स श्रेणी-द्वितीय एक पद प्रसाविका एवं एक पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का स्वीकृत है। मेलनर्स श्रेणी--द्वितीय के पद पर एक मेलनर्स श्रेणी— दिनांक 26-2-92 को पदस्थापित कर दिया गया है। प्रसाविका के पद पर नर्सदाई कार्यरत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद रिक्त है।

(2) उपकेन्द्र पर 2000/- रु. की औषधियां दी जाती है। मेलनर्स का पद रिक्त होने के कारण केवल साधारण औषधियां आईरन, पोलिक एसिड, बिटामिन "ए" पट्टियां आदि उपलब्ध कराई गई है। आवंटित राशि का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। मेलनर्स श्रेणी-द्वितीय के पदस्थापन के बाद अब औषधियां दिलाने की व्यवस्था की जा रही है।

(3) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) परिक्षित अभ्यार्थियों के उपलब्ध होने पर पद भरे जाने संभव हो सकेंगे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

लूणकरणसर में नवीन सड़कें

202. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में सन् 1990-91 से अब तक कितनी किलोमीटर नई सड़कें निर्माण हेतु मंजूर की है और कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) नई सड़क मंजूर करने के लिये क्या मान दण्ड अपनाये जाते हैं ?

(3) क्या लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र का एरिया मान दण्ड में नहीं आता ?

(4) क्या राष्ट्रहित में 33 गांवों को उठाकर पूगल, खाजूवाला एवं छतरगढ़ में इसके वादे के साथ बसाया गया कि उनको कालोनी एक्ट के तहत समस्त आधुनिक सुविधायें दी जावेंगी ?

(5) क्या चालू वित्तीय वर्ष में लूणकरणसर के लिये नई सड़क निर्माण की योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में वर्ष 1990-91 से अब तक 158.75 कि. मी. सड़कें 657.25 लाख रुपये लागत की मंजूर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

की गई, जिनका विवरण संलग्न सूची "अ" में है।

(2) योजना आयोग द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क हेतु निर्माण हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये है :—

(1) (अ) समस्त गांव जिनकी जनसंख्या सन् 1971 की जनगणना के आधार पर 1500 या ऊपर हो, को सड़कों से जोड़ना।

(ब) जनसंख्या 1000-1500 वाले 50 प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ना।

(2) पहाड़ी, आदिवासी, समुद्रतटीय व मरू प्रदेशों के लिए :—

(क) (अ) पहाड़ी क्षेत्रों के लिए:– जिन गांवों की जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 500 या उपर हो, को सड़क से जोड़ना।

(ब) जिन गांवों की जनसंख्या 1971 के आधार पर 200-500 हो, को 50% गांवों को सड़क से जोड़ना।

(ख) (अ) आदिवासी, तटीय व मरू क्षेत्रों के लिए :– समस्त गांव जिनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 या ऊपर हो को सड़क से जोड़ना।

(ब) 50% गांव जिनकी जनसंख्या सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 500-1000 हो, को सड़क से जोड़ना।

(3) जी नहीं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मानदण्ड समस्त देश में लागू है।

(4) इस सम्बन्ध में जिलाधीश बीकानेर एवं राजस्व विभाग कार्यवाही कर रहे है।

(5) उक्त मापदण्डों के अनुसार लूणकरणसर क्षेत्र में सम्पर्क सड़क केला (1904) की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में दिनांक 21-8-1991 को की गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री बिरधाराम चौधरी, श्री प्रेमसिंह दहिया, श्री विनोद कुमार, श्री हबीबुर रहमान और श्री रामकरण, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले में सहकारी समिति व सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋणों की वसूली में जोर जबरदस्ती किये जाने से

(श्री अध्यक्ष)

किसानों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में ।

2. श्री मनीराम, श्री दिलसुख राय, श्रीमती सुचित्रा आर्य, श्री गोपालसिंह (खंडेला) और श्री रामकरण, सदस्य, विधान सभा की ओर से लूणकरणसर मंडी विकास समिति के तहसीलदार द्वारा व्यवसायियों को परेशान किये जाने के संबंध में ।

3. श्री ईश्वरलाल सैनी, श्री प्रेमसिह दहिया, श्री परसादीलाल, श्री हरिसिंह (महुआ) श्री रामनारायण वर्मा, श्री जुबेर खान, श्री विनोद कुमार, श्री रामस्वरुप मीणा, श्री हबीबुर्र रहमान, श्री दयाराम परमार, श्री नाथूराम अहारी, श्री प्रद्युम्न सिह, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीमतीशांति पत्नी श्री नन्दाराम कौम भाट, निवासी ग्राम ढूकर के एक व्यक्ति भवंराराम पुत्र कानाराम जाट द्वारा कथित बलात्कार की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में ।

4. श्री परसादी लाल और श्री हीरालाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति, लालसोट के ग्राम डीडवाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सरकार द्वारा आवंटित भूमि में न बनाकर निजी भूमि में बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में

5. श्रीमती सुचित्रा आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से क्षेत्र नोहर में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने तथा भेदभाव बरतने के सम्बन्ध में ।

6. प्रो. केदारनाथ, डा. चन्द्रभान, श्री हेतराम बेनीवाल और श्री मो. माहिर आजाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिचाई विभाग, जलदाय विभाव व अन्य विभागों में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति सलेक्शन ग्रेड नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में ।

7. डा चन्द्रभान, श्री रामकरण सिंह, श्री बहादुर सिंह, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्री आर.डी. यादव, श्री गोविन्द सिंह, श्री राम करण, श्री मो. माहिर आजाद, श्री रिछपाल सिंह, श्री यदुनाथ सिंह, श्री मोहनलाल, श्री दिलसुखराय, श्री गोपालसिह खंडेला, श्री रामनारायण वर्मा और श्री नत्थीसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से 4 सितम्बर, 1991 की प्रातः जयपुर में पंकज सिंघवी की हत्या एवं नवम्बर, 91 के दूसरे सप्ताह में श्रीमती कृष्णा यादव की हत्या किये जाने और उनके हत्यारों को अभी तक नहीं पकड़े जाने के सम्बन्ध में ।

8. श्री रामनारायण वर्मा, डा. चन्द्रभान, श्री लक्ष्मीलाल, श्री बुलाकीदास कल्ला, श्री प्रभुलाल पटेल और श्री जनार्दन सिंह गहलोत, सदस्य विधान सभा की ओर से प्रान्त के 2500 प्रशिक्षित डिप्लोमाधारी स्वास्थ्य निरीक्षकों को रोजगार नहीं देने से उनमें व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में ।

9. श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान पत्रिका में चल रही हड़ताल को राज्य सरकार द्वारा कथित रूप से कुचलने के सम्बन्ध में ।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्तवों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

10. श्री ईश्वरलाल सैनी, श्री घासीराम यादव और श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर में गैस बुकिंग हेतु प्रत्येक आवेदन-कर्ता से अल्प बचत के नाम पर राशि एकत्रित करने से जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने अपने उत्तर में सूचित किया है कि नवीन गैस बुकिंग की नयी प्रणाली जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है उसके अनुसार उपभोक्ता किसी भी समय गैस की बुकिंग करा सकता है और उसके लिए कोई शर्त नहीं है। अलबत्ता 23-1-92 को अलवर शहर के लिए नवीन गैस बुकिंग के सम्बन्ध में आयोजित बैठक जिसमें जिला रसद अधिकारी व जिला अल्प बचत अधिकारी उपस्थित थे, में इस तरह का निर्णय लिया गया था। स्थानीय मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने इस पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार ने भी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये हैं कि कोई शर्त नहीं रखी जावे। अतः इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

11. श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद राजस्थान लोकसेवा आयोग से चयनित कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति नहीं करने से बेरोजगार नवयुवकों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने अपने उत्तर में सूचित किया है कि कनिष्ठ लिपिक परीक्षा, 1986 के चयन को कुछ अभ्यर्थियों (689) ने उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दायर कर चुनौती दी थी। 24-11.90 को इन पर निर्णय हुआ। राज्य सरकार और आयोग ने 24.11.90 के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की जिसमें राज्य सरकार एवं आयोग को उस समय तक रिक्त 906 स्थानों के लिए ऐसे सभी अभ्यर्थियों में से एक दूसरे जिले का विकल्प प्राप्त कर सूची भिजवाने के निर्देश दिये गये। उक्त आदेश की अनुपालना में जिले वार रिक्तियों की सूचना भेजी गयी। 23-8-91 को 906 अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जिनमें से एक को छोड़कर 9-9-91 को सभी 905 के आवंटन आदेश जारी कर दिये गये हैं। इस एक अभ्यर्थी का नाम आयोग से आना शेष है। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

12. प्रो. केदार नाथ शर्मा एवं पांच अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ के शिक्षकों द्वारा गत एक वर्ष से कथित आन्दोलन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने अपने उत्तर में सूचित किया है कि यह प्रकरण सम्माननीय उच्च न्यायालय की जयपुर खण्ड पीठ के समक्ष विचाराधीन है। उन पुस्तकालय अध्यक्षों

(श्री अध्यक्ष)

और व्यायाम शिक्षकों को अनुशंसित वेतनमान देने में कोई कठिनाई नहीं है जिन्हें पूर्व में 700-1600 का वेतनमान देना था। वर्तमान में 240 शिक्षक अस्थायी रूप से कार्यरत हैं इनकी सेवाओं को नियमित करने का प्रकरण विचाराधीन है। विश्व-विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों को उनके चयन से पूर्व की गयी सेवा का लाभ दिये जाने पर विचार किया जा रहा है क्योंकि इसमें वरिष्ठता का बिन्दु विचारणीय है। 90-91 के लिए योग्य शिक्षकों को वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान दिये जाने की कार्यवाही जारी है तथा शीघ्र पदस्थापन किये जायेंगे। विश्वविद्यालय की परीक्षा पारिश्रमिक दरों में संशोधन करने के वित्तीय प्रभावों का आंकलन किया जा रहा है। शीघ्र आवश्यक निर्णय होने की सम्भावना है। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

13 श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायतों की सम्पूर्ण व्यवस्था सचिवों को देने से वहां की जनता को होने वाली परेशानियों के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने अपने उत्तर में सूचित किया है कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 1991 को तथा पाली झुन्झुनू जिले की पंचायतों का कार्यकाल 12-7-91 को समाप्त हो जाने एवं पंचायतों के पुनर्गठन पुनर्सीमांकन का कार्य पूर्व से प्रारम्भ कर दिये जाने की ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को प्रशासक लगाया गया है। कुछ सचिवों के पास दो या तीन पंचायतों का कार्यभार है पर इनकी संख्या बहुत ही कम है। इनको प्रशासक लगाने के बाद 3 शिकायतें जिला सिरोही, उदयपुर व धौलपुर जिले की ग्राम पंचायतों से प्राप्त हुई। जिनमें से दो के लिए जांच करवायी जा रही है तथा मावली ग्राम पंचायत में सचिव प्रशासक को बदलकर नायब तहसीलदार को 18-2-92 को प्रशासक बनाया गया है। नयी पंचायतों और पंचायत समितियों के गठन के प्रस्तावों के विरूद्ध प्राप्त आपत्तियों को जिला स्तर पर निपटाये जाने के बाद भी सरकार को आपत्तियां प्राप्त हो रही थीं इस दृष्टि से एक सदस्यीय आयोग के रूप में विकास आयुक्त को नियुक्त किया गया है और 30 दिन की अवधि में उक्त आयोग को आपत्तियां प्रेषित करने हेतु निदेशित किया गया है। सरकार पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 86 के प्रावधानान्तर्गत पंचायतों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन के सम्बन्ध में निर्णय लेगी। पुनर्सीमांकन का कार्य पूर्ण होने पर पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव करवाये जाने के बारे में यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा। उक्त प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

14 श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बाड़मेर, जैसलमेर के सीमावर्ती विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों के कारण छात्र शिक्षण में हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में सूचित किया है कि राज्य सरकार के ध्यान में है कि बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद पर नियुक्ति पाने के लिए आशार्थी इन जिलों में पंजीयन करवा लेते हैं और नियुक्ति के पश्चात् अन्य जिलों में स्थानान्तरण के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। सरकार सीमावर्ती जिलों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के प्रति जागरूक है और रिक्त पदों के भरे जाने की प्रक्रिया जारी है। उक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं, माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

आज मेरे पास 24 से ज्यादा प्रस्ताव हैं, 13 प्रस्ताव स्वीकार किये हैं, बाकी के पैन्डिग रखे हैं वह कल ले लेगें।

1. श्री लक्ष्मीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द जिला भीलवाड़ा की सड़क मार्गों की समस्या एवं दुर्दशा के संबंध में।

2. श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में भारत सरकार की सहायता से चल रहे बिहड सुधार (भू-संरक्षण) कार्यक्रम को बन्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री फूलचन्द (नीम का थाना) सदस्य, विधान सभा की ओर से कपिल चिकित्सालय नीमका थाना, परिसर में अवैध रूप से रखी गयी स्टाल के संबंध में।

4. श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित, सदस्य, विधान सभा की ओर से खाद्य एवं रसद विभाग का पृथक्तः उपभोक्ता निदेशालय स्थापित करने के संबंध में।

5. श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले में अकाल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में गौ-वध पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में।

7. श्री दिलसुखराय चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले की फतेहपुर तहसील के ग्राम गोविन्दपुरा-हरदयालपुरा में बिजली और पानी की सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

8. श्री बी. डी. कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (कोलायत, गजनेर, फलौदी, साहवा, चूरु एवं पोकरण) की जलोत्थान सिंचाई परियोजनाओं को बंद करने तथा मूल प्रस्तावित योजना में कथित हेरा-फेरी करने के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती तारा भंडारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरोही जिले में शिक्षा के क्षेत्र में समुचित सुविधाओं

(श्री अध्यक्ष)

के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) सदस्य, विधान सभा की ओर से अतिक्रमण के नाम पर तह बाजारी के अन्तर्गत फुटपाथ पर बैठकर छोटा-मोटा सामान बेच कर आजीविका कमाने वाले गरीब लोगों को डडें मार कर तथा सामान उठाकर सताये जाने के सम्बन्ध में।

11. श्री चम्पालाल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर शहर के रोडवेज के बस डिपो मैनेजर श्री बुधाराम जियाणी द्वारा कथित तोड़ फोड़ व कानून और व्यवस्था की स्थिति को भंग करने के सम्बन्ध में।

12. श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों के साथ स्थानान्तरण में भेदभाव बरते जाने के सबंध में।

13. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमिहीन लोगों को 1976 में आवंटित भूमि को 16 वर्ष बाद अकारण निरस्त किये जाने से वहां काबिज लोगों में व्याप्त असन्तोष के बारे में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री माहिर आजाद आप कुछ बोलना चाहते हैं। श्री माहिर आजाद। ....

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

माऊन्ट आबू के जंगलों में आग।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू): माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से राजस्थान के वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान के एक मात्र पहाड़ी स्तल माऊंट आबू के जंगलों में पिछले तीन चार दिनों से भयंकर रूप से आग लगी हुई है। गर्मियों के मौसम में जब कभी भी आग लगती थी तो वन विभाग के अधिकारी यह कहा करते थे कि बांसों के आपस में टकराने से आग लग गई होगी। लेकिन इस सर्दी के मौसम में इस जंगल में आग लगने का क्या कारण है? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वृक्षों को जलाकर अवैध रूप से कोयला बनाने की कार्यवाही तो नहीं की जा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि इन तीन चार दिनों भयंकर रूप से लग रही आग को बुझाने के सम्बन्ध में आपके विभाग ने क्या प्रयास किये हैं और अनुमानतः इस आग से कितने वृक्षों की क्षति हुई है, कृपया सदन को अवगत करायें।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम जी।...(व्यवधान) यह सारे पांइट आफ आर्डर उठा रहे है अभी। कोई स्पैशल मोशन नहीं हो रहा है। एक-एक को बोलना है **श्री** हेत राम जी।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान जी मैं एक-एक को बुला रहा हूं। अभी कोई स्पेशल मोशन नहीं हो रहे हैं। जो आप कहना चाहते हैं, इसीलिये बुला रहा हूं। थोड़ा तो शांति रखियें।

सूचना

राजस्थान पत्रिका के कर्मचारियों के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस को सूचित करना चाहता हूं कि हमने विभिन्न प्रयत्नों से कोशिश की है कि राजस्थान पत्रिका के जो कर्मचारी हैं उनके साथ व्यवहार जिस तरह से राज्य सरकार कर रही है। अभी सब कुछ हमारे मोशन देने के बाद राजस्थान पत्रिका के कर्मचारियों के साथ बिना कानून के पुलिस ने जिस तरह की गुण्डागर्दी की है, हड़ताल तोड़ने वाले किराये के गुण्डे भी नहीं करते। कल शाम को जहां वह धरने पर बैठे हैं, बिना गिरफ्तारी के बिना वारंट बनाये हुए थाने में ले गये और 50 60 आदमियों में से 4-5 आदमियों को चोटें लगीं। उनके शरीर पर पूरी लहु-लुहान चोटें थीं। हमारे एम एल एज क्वाटर्स में आकर उन कर्मचारियों ने बताई। निश्चित तौर पर हमारे सब प्रयत्न के बाद भी राजस्थान सरकार इस में चुप है। इसकी वजह एक नजर आती है कि माननीय भैरोंसिह जी शेखावत उस पत्रिका के असल में संरक्षक है। राजस्थान में वह पकत्रि जिस तरह से चल रही है उस पत्रिका के समर्थन में राजस्थान सरकार की अघोषित मदद उनको चल रही है ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया। अब आप हाऊस में अनलिमिटेड तो नहीं बोल सकते..

श्री हेतराम बेनीवाल : दयनीय स्थिति बता दूं .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। अब आप उसमें कमेन्ट्स क्यों कर रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं कमेंट्स नहीं कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका ध्यान आकर्षण....

श्री हेतराम बेनीवाल : वह कर्मचारी किस जगह बैठे हैं, उनकी संघर्षमय स्थिति है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो आपने स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में व्यवस्था दी है, मैं उसको चैलेन्ज नहीं कर रहा हूं लेकिन सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि पूर्व में जो परम्परा थी उससे हटकर आपने व्यवस्था दी है। मेरा इसमें निवेदन यह है....

श्री अध्यक्ष : आपके कहने से की है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : सिर्फ आज के लिए है....

श्री अध्यक्ष : आपने कहा मत बुलवाइये, तो मैंने कहा नहीं बुलवाता हूं....

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह सही है। मेरे दिमाग में गलत फहमी यह है कि अगर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

यह आज के लिए है, जो पूर्व में परम्परा रही है।

श्री अध्यक्ष : आज के लिये है जो आपने कहा है। रोज के लिये नहीं है। जिसको बुलाना है, बुलाऊंगा। आज के लिए आपने कहा था कि मत बुलवाइये, टाईम नहीं है, मैंने कहा नहीं बुलवाता हूं (व्यवधान) वह एडजर्नमेंट मोशन इन्हीं के थे। अपने बारे में तो अपनी व्यवस्था कह ही सकते हैं....

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में जो परम्परा रही है ...

श्री अध्यक्ष : वह परम्परा तोड़ी नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, आज आपने मेरे एक स्थगन प्रस्ताव पर यह व्यवस्था दी कि राज्य सरकार ने 900 आदमियों को राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नौकरी दे दी। मैं इस सम्बन्ध में आपको केवल याद दिला रहा हूं पूर्व में यह परम्परा रहती है, या तो राज्य सरकार स्थगन प्रस्ताव पर कोई वक्तव्य देती है और वक्तव्य न दे कर यदि एडजार्नमेंट मोशन अस्वीकार किया जाता है तो कम से कम दो मिनट का समय हमेशा दिया जाता रहा है। आप यदि मेहरबानी करके दो मिनट का समय दे दें तो मैं अपनी बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये आप। आइंदा देंगे आपको। डा. चन्द्रभान।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह मसला तो रह जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आपका मसला तो हो गया। सबको नौकरी मिल गई। एक आदमी का नाम आयेगा उसे भी मिल जायेगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, कम से कम दो हजार आदमी ऐसे हैं जिनके 55 से 60 पर्सेंट नम्बर हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। 11 महीने से वह वहां भूख हड़ताल किये बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप चार दिन शांति रखेंगे तो यह दो हजार की संख्या 5 हजार हो जायेगी। अच्छा रहेगा। बैठिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनिट।

श्री अध्यक्ष : यह पहले मैं व्यवस्था दे चुका हूं कि आज दो मिनट नहीं बोल सकेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज मत दीजिये, सोमवार को दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आइंदा रखूंगा।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे सहित 16 सदस्यों ने एक स्थगन प्रस्ताव आपके समक्ष रखा। आपने उसमें व्यवस्था दे दी। मैं आपकी व्यवस्था को कोई चुनौति नहीं दे रहा हूं लेकिन पंकज सिंघवी और कृष्णा यादव की हत्या का मामला इतना गम्भीर है ...

श्री अध्यक्ष : अभी इसका जवाब आयेगा....

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जवाब की आवश्यकता नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : आवश्यकता मुझे है, आपको तो नहीं है।

डा. चन्द्रभान : आपको है किन्तु जवाब तो आ चुका।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास अभी जवाब नहीं आया है....

डा. चन्द्रभान : मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : आज आपका पेश हुआ है...

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में यह सवाल उठा था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन को 12 सितम्बर को यह आश्वासन दिया था कि एक सप्ताह में पंकज सिघवी के हत्यारों का पता लगा लिया जायेगा....

श्री अध्यक्ष : अब वह जवाब आ जाने दीजिए...

डा. चन्द्रभान : आज 6 महीने का समय हो गया.. (व्यवधान)

श्री नत्थीसिह : यह जवाब कब तक आयेगा ?

श्री अध्यक्ष : 24 घंटे में जवाब मांगा है। बैठिये अब आप।

डा. चन्द्रभान : सरकार का जवाब साफ है, सरकार कुछ भी करने की स्थिति मेंनहीं है....

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, अलवर में जो गैस बुकिंग हुई थी उसके सम्बन्ध में मैंने एक स्थगन दिया था....

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार ने आदेश दे दिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : दूसरा निवेदन कर रहा हूं। उसमें 30 हजार आदमियों ने जो 200-200 रुपए के हिसाब से 60 लाख रुपए विकास पत्र में दिये हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब हो गया न ? मैंने जब बोलने की इजाजत नहीं दी है तो आप प्रकारान्तर से क्यों बोल रहे हैं ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : चुनौती नहीं दे रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि एक बात रह गयी है। जो 60 लाख रुपए इकट्ठे हो गये अलवर में फण्ड में, उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने....

श्री अध्यक्ष : वे तो अल्प बचत योजना में हैं। उन्हीं का रुपया है, कहां गया है वह ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : किसका ?

श्री अध्यक्ष : उन्हीं का है जिन्होंने जमा कराया है। उन्हीं का जमा है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं वही तो निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, उन्हीं का है, उनको मिल जायेगा। जमा हुआ है, तो उन्हीं के खाते में जमा हुआ है, वह कोई राज्य सरकार के खाते में नहीं है। वह शर्त जो थी वह हटा दी।

श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द)।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के सड़क मार्गों की खराब स्थिति

श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र आसीन्द जिला भीलवाड़ा के सड़क मार्गों की समस्या एवं दुर्दशा के सम्बन्ध में सूचना दे रहा हूं। विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के सड़क मार्गों की बहुत खराब स्थिति है और कई मार्गों का निर्माण आवश्यक है। जिन सड़कों पर पक्का डामरीकरण करना है वे निम्न प्रकार हैं :—

लालपुरा से बदनोर वाया भादसी मार्ग : विधान सभा क्षेत्र के विकट पहाड़ी भाग की यह एकमात्र सड़क है। मगरे के लोगों के लिए इस सड़क के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। आवागमन की गंभीर समस्या है। इस मार्ग पर एक बस सेवा आरम्भ की गई थी वह भी सड़क खराब होने से बन्द हो गई क्योंकि बरसात में जो कटाव पड़ गये थे उनकी मरम्मत नहीं हुई। बदनोर के इमारती पत्थर शीतला का चौड़ा की खानें व मगरे के अन्य खनिज पदार्थ के विकास हेतु यह सड़क महत्वपूर्ण है। परन्तु सड़क के अभाव में खनन उद्योग की प्रगति में बाधा आ रही है। पहाड़ी भाग के लोगों की जीविका इस खनन उद्योग पर निर्भर है। यह सड़क पक्की बननी चाहिए।

मोटरास से ओनियाणा मार्ग : ब्यावर से करेड़ा मार्ग और आसीन्द से अजमेर जाने वाली बसें इस मार्ग से निकलती हैं। यह महत्वपूर्ण पक्का मार्ग है, परन्तु वर्षों से मोटरास व ओनियाणा के बीच चार किलोमीटर सड़क कच्ची पड़ी हुई है और उसकी हालत खराब है। बरसात में गाड़ियां बन्द हो जाती हैं। इस टुकड़े का डामरीकरण हो जाय तो उपरोक्त मार्ग ठीक हो जाएगा।

आसीन्द से भोजपुरा मार्ग : यह सड़क पहाड़ी क्षेत्र भादसी, रतनपुरा आदि पंचायतों को तहसील मुख्यालय से जोड़ने वाली है तथा पहाड़ी क्षेत्र एवं खनिज सम्पदा के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अतः अविलम्ब पक्की बननी चाहिए।

आसीन्द से दांतड़ा बांध मार्ग : यह सड़क खारी नदी पर बने दांतड़ा बांध के लिए महत्वपूर्ण कच्ची सड़क है। यह बरसात में बंद हो जाती है। तब बांध पर जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं रहता है। अगर बांध को कभी खतरा उत्पन्न हुआ तो भयंकर स्थिति बन जाएगी। इस मार्ग पर सिंचाई विभाग का पुल भी अधूरा पड़ा है, जिस पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं। यह सड़क पक्की बनाना अत्यन्त जरूरी है और पुल का निर्माण भी पूरा कराया जाय।

दौलतगढ़ से लाछूड़ा मार्ग : भीलवाडा से आसीन्द वाया दौलतगढ़ महत्वपूर्ण मार्ग है। बीच में टुकड़ा कच्चा टूटा हुआ है, जिसका डामरीकरण जरूरी है।

आसीन्द-शाहपुरा मार्ग : यह महत्वपूर्ण मार्ग है परन्तु इसकी खराब स्थिति है। गांव पड़ोदास के पास तो एक एनिकट

(श्री लक्ष्मीलाल)

के भराव से करीब एक किलोमीटर सड़क पानी में डूब जाती है। मार्ग कच्चा है, आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परन्तु वर्षा में बसें बन्द हो जाती है, आवागमन रुक जाता है। इसको आसीन्द से सरेरी तक पक्का बनाना जरूरी है।

मोतीपुर से कालियास मार्ग: दोनों तरफ पक्की सड़कों के बीच चार किलोमीटर का टुकड़ा कच्चा छूटा हुआ है। बरसात में ऊसर और चिकनी मिट्टी के कारण बसें व अन्य वाहन चल ही नहीं सकते हैं। यह महत्वपूर्ण मार्ग है और पक्का बनना अत्यन्त जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र की कुछ सम्पर्क सड़कें बहुत महत्पूर्ण हैं, पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली हैं और एक-एक, दो-दो किलोमीटर की हैं। सम्पर्क सड़क मोजपुरा दो किलोमीटर, बराना चार किलोमीटर, करजालिया तीन किलोमीटर, ईरास चार किलोमीटर, मोगर पांच किलोमीटर, परा एक किलोमीटर, कांवलास दो किलोमीटर, जेलगढ़ तीन किलोमीटर, बोरेला पांच किलोमीटर, रूपपुरा चार किलोमीटर।

ग्रेवल सड़क मार्ग, जिनकी मरम्मत कई बरसों से नहीं हुई है: कातरियां से गोरियाखेड़ा, रामपुरा से अण्टाली, मोटरास से सापोला, बदनोर से दुल्हेपुरा वाया जेलगढ़, बाजून्दा से सबल सागर वाया झरड़ का खेड़ा, चैनपुरा से मोजपुरा, चैनपुरा से आसीन्द वाया बोरेला, आसीन्द से शम्भूगढ़ वाया रायरा, आसीन्द से रघुनाथपुरा, लाछूड़ा से रतनपुरा, ईरास से कालिवास, माताजी का खेड़ा से नारियानाड़ा, सरेरी से नारायणपुरा, दौलतगढ़ से पालड़ी और निम्बाहेड़ा से ईरास।

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में पिछले दो वर्षों से एक भी सड़क नहीं बनी है। केवल कटार व जगपुरा सम्पर्क सड़कें कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनायी गयी हैं। जो मार्ग हैं वे सभी मरम्मत के अभाव में क्षतिग्रस्त हो गये हैं। सड़क निर्माण में इस क्षेत्र की अत्यन्त उपेक्षा हो रही है। इस क्षेत्र में ग्रेनाइट, इमारती पत्थर व चूना आदि खनिज पदार्थों की प्रचुर सम्भावना है। अतः विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि उपरोक्त मांगों का निर्माण अतिशीघ्र कराया जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री मांगीलाल मेघवाल।

भारत सरकार की सहायता से चल रहे बीहड़ सुधार कार्यक्रम।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पार्टन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान के विशिष्ट योजना संगठन मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए मेरा निवेदन है कि राजस्थान में भारत सरकार की सहायता से बीहड़ सुधार कार्यक्रम भू-संरक्षण के तहत विशिष्ट योजना संगठन के माध्यम से वर्ष 1987-88 में प्रारम्भ किया गया था। इसके तहत चम्बल एवं इसकी सहायक नदियों के सहारे भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी एवं

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

कोटा- इन पांच जिलों की 6605 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र बीहड़ों की समस्या से प्रभावित है। इससे कृषकों की उपजाऊ भूमि पानी कटाव से नदियों में बह जाती है। इसके रोकथाम हेतु बीहड़ सुधार कार्यक्रम चला कर परिधि बांध का निर्माण, खेती योग्य भूमि का विकास, उथले बीहड़ों का विकास एवं गली कण्ट्रोल आदि कार्य करवाये जाकर कटाव रोकने एवं उपजाऊ जमीन की उर्वरा शक्ति बनाये रखने हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक हजार किलोमीटर परिधि क्षेत्र लिया गया। इसके लिए 27.6 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था।

वर्ष 1987-88 से अब तक 6605 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में एक हजार किलोमीटर लक्ष्य के एवज में मात्र 700 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में ही कार्य हुआ जो कुल क्षेत्र का मात्र 10 प्रतिशत है। मेरे बून्दी जिले में चम्बल एवं मेज नदी के किनारे 967 किलोमीटर परिधि क्षेत्र आता है। इसमें से मात्र 157 किलोमीटर परिधि क्षेत्र लेकर 95.55 लाख रुपया व्यय किया गया है।

अब वर्ष 1992-93 की प्रस्तावित योजना में इस कार्यक्रम को बन्द किया जा रहा है। मेरी मांग है कि इस महत्वपूर्ण योजना के लिए तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय स्वर्गीय श्री राजेन्द्र प्रसादजी ने भी समर्थ किया था। देरी से ही सही, इसकी गम्भीरता को लेकर योजना शुरू की गयी, पर कार्य मात्र 10 प्रतिशत ही हुआ है। अगर केन्द्रीय सहायता मिलती नहीं है तो मेरी मांग है कि राज्य सरकार ही इस योजना को जनहित में गरीब, लघु और सीमान्त कृषकों के हित में चलाये। इससे भूमि कटाव रुकेगा, भूमि समतलीकरण से गरीब भूमिहीन व्यक्तियों को नयी भूमि मिलेगी और प्रदेश का विकास होगा। इसलिए मैं अपने इस लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि इस बीहड़ सुधार कार्यक्रम को यथावत चालू रखा जाय। मैं आपकी अनुमति से इसे सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द गुर्जर।

कपिल चिकित्सालय, नीम का थाना में रखी अवैध स्टाल के सम्बन्ध में।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, नीम का थाना कपिल चिकित्सालय में तीन-चार साल पहले एक दूसरी तहसील के व्यक्ति ने अपने आर्थिक प्रभाव से व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीकर व उक्त चिकित्सालय प्रभारी की मिलीभगत से नियम व मापदण्ड के विपरीत एक स्टाल मुख्य परिसर में मात्र 50 रुपये प्रति माह के किराये से आउटडोर के सामने रखवा दो, जिसका नगर की जनता ने बहुत विरोध किया। परन्तु यह कहकर उक्त विरोध पर रोक लगा दी गयी कि यह स्टाल मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीकर व इन्चार्ज की स्वीकृति से यह कहकर दी गयी है कि प्याऊ के साथ चाय की दुकान भी चला सकता है। परन्तु वहां कोई प्याऊ नहीं है और

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

काफी बड़े क्षेत्र में लंबी-लंबी बैंचें लगाकर व बड़ा चूल्हा लगाकर बड़ी कैण्टीन के रूप में बिक्री चालू कर रखी है। अस्पताल के मुख्य परिसर को उक्त स्टाल वाले ने बैंचें आदि लगाकर पूरा रोक रखा है, यहां तक कि अस्पताल के मुख्य दरवाजों के किवाड़ भी उक्त स्टाल मालिक ने तोड़कर स्टाल के साथ लगा लिये हैं। सारे दिन अस्पताल में आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को असुविधा रहती है। अधिकांश स्टाफ भी वार्डों में न रहकर उक्त स्टाल पर बैठा रहता है। स्टाल वाले ने कैण्टीन कम प्याऊ पर कब्जा कर रखा है तथा आधे परिसर पर भी कब्जा कर रखा है। धीरे-धीरे आसपास ईंट व पत्थर भी डाल दिये हैं। मौका मिलते ही उक्त स्टाल पर दीवार लगाकर पक्की बनाने की योजना है। इस अवैधानिक कार्यवाही के खिलाफ मैं पिछले चार साल से यह मामला उठा रहा हूं। विभाग ने इसे गैरकानूनी मानकर उठाने के आदेश भी दिये हैं, परन्तु इनकी पालना नहीं हुई तथा आज तक वह अपने प्रभाव से इस गैरकानूनी स्टाल पर कार्य चालू रखे हैं। वहां ऊंची आवाज में टेपरिकार्डर भी बजता रहता है। उक्त चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर ही चाय-नाश्ते की 15 स्टालें चालू हैं, जिनसे मरीजों को कोई परेशानी नहीं होती है। अतः मैं नियम 295 के तहत मांग करता हूं कि उक्त स्टाल को तुरन्त हटवाएं तथा उक्त स्टाल की स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें, जिससे उक्त चिकित्सालय की व्यवस्था सही ढंग से चलती रहे। मेरी चिकित्सा मंत्री महोदय से महत्वपूर्ण मांग है कि उस स्टाल को आज तक नहीं हटाया जा रहा है। इसकी अनुमति इन्चार्ज और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दी है, उनके खिलाफ आज तक पांच साल से कोई जांच नहीं हुई है। मैं इसमें मंत्री महोदय का आश्वासन चाहूंगा। इस स्टाल को आदेश होने के बावजूद नहीं हटाया जा रहा है, इसका क्या कारण है?

(12·30 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब सिंह जी।

खाद्य एवं रसद विभाग में पृथक उपभोक्ता निदेशालय कायम करने सम्बन्धी

श्री गुलाबसिंह (सुमेरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत खाद्य मंत्री का ध्यान खाद्य एवं रसद विभाग का पृथक से उपभोक्ता निदेशालय स्थापित करने के सम्बन्ध में आकृष्ट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य एवं रसद विभाग का अलग से निदेशालय नहीं होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताएं बनी रहती हैं तथा उपभोक्ताओं को समुचित लाभ तत्परता से नहीं मिल पाता है। आये दिन उपभोक्ताओं की शिकायतें राज्य के प्रत्येक कोने और गांव से आती हैं जिनका निराकरण सम्भव नहीं हो पाता है।

कम तौलने, मिलावट करने की शिकायतें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, किन्तु

(श्री गुलाबसिंह)

खाद्य विभाग इन शिकायतों के विरुद्ध कोई कार्यवाही तत्परता से इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि कम तौल के मामलों में विभाग माप एवं बाट निरीक्षक, जो कि उद्योग विभाग के अधीन आता है, का मुंह ताकना पड़ता है तथा मिलावट के लिये स्वास्थ्य निरीक्षक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से बुलवाना पड़ता है, जिससे सक्षम कार्यवाही में विलम्ब होता है। इन पेचिदगियों को मध्य नजर रखते हुए माननीय खाद्य मन्त्रीजी ने भी पृथक निदेशालय बनाने का मानस बनाया है और अपनी ओर से विभागीय कार्यवाही भी प्रारम्भ करवा दी है। किन्तु पता नहीं यह मामला अभी तक अधर में क्यों लटका रखा है। विलम्ब होने से उपभोक्ताओं को अधिकाधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कृपया मंत्री महोदय इस बारे में अपना स्पष्ट मत प्रस्तुत करें कि क्या वे इस दिशा में समुचित निर्णय लेना चाहते हैं? यदि वास्तव में वे ईमानदारी से राजस्थान की जनता की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो बिना विलम्ब किये खाद्य एवं रसद विभाग का अलग से निदेशालय खोला जाना न्यायोचित होगा। ऐसा करने से राजस्थान के उपभोक्ताओं की शिकायतों और समस्याओं का समाधान एक ही खिड़की से सम्भव हो पायेगा और उन्हें शीघ्र न्याय मिल सके यह मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा।

श्री रामकिशोर मीणा (खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : व्यवस्था का प्रश्न है। जो सम्बन्धित मंत्री है, उनको यहां होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये आप।

श्री बुलाकी दास कल्ला : उनको इन सारे मामलों को गम्भीरता से लेना चाहिये। सरकार बिल्कुल गम्भीरता से नहीं ले रही। आप इनको निर्देश दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : जबाब देने के लिये कोई मंत्री बाउण्ड नहीं है। मंत्री जी चाहें, तो दे सकते हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला : उपस्थित ही नहीं होंगे तो जवाब क्या देंगे?

डूंगरपुर जिले में अकाल स्थिति

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं डूंगरपुर जिले में अकाल की स्थिति के बारे में नियम 295 के अन्तर्गत अपना प्रस्ताव पेश कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिला एक पहाड़ी, पथरीला तथा आदिवासी बाहुल्य जिला है, यहां हर दूसरे या तीसरे वर्ष अकाल की स्थिति बनी रहती है। इस वर्ष भी डूंगरपुर जिला अकाल की चपेट में है, सरकार ने भी माना है। लेकिन आज दिन तक अकाल राहत के कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। लोग मजदूरी के अभाव में

(श्री नाथूराम अहारी)

गांव छोड़कर पलायन कर गये हैं और कर रहे हैं। हमारी बी.जे.पी. की सरकार ने कई बार कहा है कि अति-शीघ्र अकाल राहत के कार्य प्रारम्भ कराये जायेंगे, लेकिन मात्र आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। फलस्वरूप लोगों की क्रय शक्ति समाप्त हो गई है। श्रीमान् ऐसी स्थिति विगत वर्षों में जो तीन चार अकाल पड़े थे, तब भी नहीं थी।

अतः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि अति शीघ्र अकाल राहत के कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा अकाल राहत में जनजाति के कुओं को सम्मिलित किया जाये, जिससे काश्नकारों को मजदूरी भी मिले एवं कुओं को भी पूर्ण किया जा सके।

श्रीमान्, अभी कल्ला साहब ने जैसा कहा, सम्बन्धित मंत्री को यहां बैठना चाहिये। इस प्रकार की जो गम्भीर समस्याएं हैं, उनके बारे में हम पढ़े....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री नाथूराम अहारी : उनका उत्तर नहीं मिले, तो हम सरकार से आश्वासन चाहते हैं आपके माध्यम से कि डूंगरपुर में अकाल राहत कार्य कब खोले जायेंगे? पहले यह व्यवस्था रही है कि अक्टूबर-नवम्बर में टैस्ट वर्क्स शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब मार्च का महीना आ गया फिर भी टैस्ट वर्क्स का कोई ठिकाना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री बालचन्द आर्यवीर।

राज्य में गौ-वध पर प्रतिबन्ध

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं राज्य में गौ-वध पर प्रतिबन्ध हेतु कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि राज्य के झालावाड़, कोटा, बारां तथा अन्य जिलों के हाट बाजारों से क़साई गाय-बछड़े खरीदते हैं। झालावाड़ तथा कोटा जिलों में रामगंज मण्डी, भवानी मण्डी, रायपुर, पिड़ावा तथा अन्य कई हाट बाजारों में गाय-बछड़े क़साई द्वारा क्रय किए जाते हैं उस पर पुलिस को अधिकार दिया जाकर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। क्योंकि गौ माता भारतीय संस्कृति की प्रतीक है। राज्य के कसाई झालावाड़ जिले के पिड़ावा कस्बे से ट्रकों में गाय-बछड़े लदान करते हैं और हजारों-लाखों की संख्या में राज्य से औरंगाबाद ले जाये जाते हैं जहां पर उनका वध होता है। मध्य-प्रदेश सरकार ने गौ-वध कानून बनाकर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। इसके कारण से बहुसंख्यक समाज की धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में गम्भीरता से ध्यान देकर कानून बनाया जाय ताकि बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बुलाकी दासजी कल्ला।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की जलोत्थान सिचाई परियोजनाएं

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (कोलायत, गजनेर, फलौदी, साहवा, चूरू एवं पोकरण) की जलोत्थान सिंचाई परियोजनाओं को बन्द करने तथा मूल प्रस्तावित योजना में हेरा-फेरी करने षड़यंत्र के सम्बन्ध में उल्लेख करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, रावी और व्यास का पानी स्वर्गीय पण्डित जवाहरलालजी, नेहरू, भारत के निर्माता ने राजस्थान की मरुस्थलीय भूमि जो वर्षों से अकाल और अभाव से पीड़ित थी, ऐसी सूखी एवं प्यासी धरती के विशाल भू-भाग को दिखाकर इन नदियों का पानी मरुस्थल के उपयोग के लिए दिलाया। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना तथा उससे सम्बन्धित जलोत्थान सिंचाई योजनाएं जो मूल रूप में बनाई गई, उस समय तकनीकी विशेषज्ञों ने पूरे क्षेत्र का सर्वे किया था। स्वर्गीय श्री कवर सेनजी जो सिंचाई के मामलों में विशेषज्ञ माने जाते थे, ने इस जलोत्थान सिंचाई योजना को इस क्षेत्र के लिए उपयोगी माना। तद्नुसार लिफ्ट् इर्रिगेशन स्कीम्स बनीं और जलोत्थान सिंचाई योजनाओं को बनाने की योजनाएं विस्तृत रूप से बनीं। जब इन जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण शुरू होना था, उस समय 1977 में जनता शासन ने इन्दिरा गांधी नहर परियोजनाओं की इन लिफ्ट् इर्रिगेशन स्कीम्स को जानबूझकर नहीं बनने दिया जिससे इस क्षेत्र का भारी नुकसान हुआ। सन् 1989 में इन जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य को प्रारम्भ किया गया। साहवा, चूरू, कोलायत, गजनेर की इन जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का काम तथा लाइनिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। यहां यह बताना भी उचित होगा कि जलोत्थान सिंचाई योजनाओं को चालू करने से लगभग तीन लाख हैक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी और लगभग 500 से अधिक गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। राजस्थान के इस मरुस्थल के क्षेत्र में हर एक वर्ष के बाद और कई बार लगातार दो-तीन वर्षों तक अकाल और अभाव की काली छाया मंडराती रहती है तथा पेयजल और चारे का भारी अभाव रहता है। जिसके कारण से पशुपालन आधारित इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है।

ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए जरूरी है कि इस क्षेत्र में जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण द्रुतगति से किया जाय और इन्हीं तथ्यों को मद्दे-नजर रखते हुए "लेफ्ट बैंक स्कीम" चरागाहों के विकास के लिए बनी थीं। मार्च, 1990 से लेकर अब तक विगत दो वर्षों में उक्त जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के कार्य ठप्प पड़े हैं।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में वेपकोष एवं अन्य संस्थाएं सर्वेक्षण तथा कुछ अन्य कार्य कर रही हैं। उक्त सस्थाएं नहरी क्षेत्र में इस इलाके के विकास की जगह मूल प्रस्तावित योजनाओं को समाप्त करने का षड़यन्त्र कर रही है। विश्वस्त सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है कि

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

वेपकोष ने इन जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली भूमि को "हार्ड पेन" वाली बताकर इन लिफ्टों के कार्य को बन्द करने का षड़यंत्र किया है। जहां तक कोलायत, गजनेर, साहवा, चूरू जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का प्रश्न है, इन जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली भूमि में 10 से 15 मीटर की गहराई पर "मुडिया कंकर" है जो कि पानी के साथ मिलकर चूना अथवा मिट्टी बन जाती है। उक्त भूमि वर्षों से सूखी धरती है, जहां पर जमीन पर 5-5 मीटर के रेत के टीबे भी हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र की धरती वेपकोष के सर्वेक्षण के आधार पर भी 5 वर्षों तक कम से कम सेम का पानी (वाटर लोगिंग) की समस्या पैदा नहीं करेगा। वाटर लोगिंग की समस्या पंजाब, चम्बल एवं इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में भी है और वहां कहीं कहीं ड्रेनेज प्रणाली को विकसित कर पानी का आदर्शतम उपयोग किया जाता रहा है। मरुस्थल में इजरायली पद्धति तथा शुष्क कृषि एवं कम पानी वाली फसलों का उत्पादन किया जाकर भी उक्त समस्या का समाधान किया जा सकता है, परन्तु योजना के प्रारम्भ होने के बाद वेपकोष के माध्यम से षडयंत्र कराकर राजनीतिक तौर पर इन जलोत्थान सिंचाई योजनाओं को बन्द करना अथवा वेपकोष के द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मूल प्रस्तावित परियोजनाओं के काम में कमी-बेशी करना उचित नहीं है। वेपकोष को दिए गए कार्य को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए।... (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : कब दिया था ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : वेपकोष को खाले बनाने से सम्बन्धित सर्वे कार्य दिया था लिफ्ट का काम कभी नहीं दिया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री) : माननीय श्री कल्लाजी आप की जानकारी के लिए ...

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर मंत्री जी को जानकारी नहीं है। वेपकोष ने एक तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप दुरुस्त कर लें अपनी जानकारी को....

श्री बुलाकीदास कल्ला : वेपकोष ने अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर ...

श्री भंवरलाल शर्मा : यह बात ठीक नहीं है साहब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वेपकोष की जो रिपोर्ट की बात है, यह मंत्री थे पहले....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनकी कोई बात सही नहीं है, सुन लीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी बता देंगे कि हमारे वक्त में वेपकोष को

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

यह काम दिया गया था ? तो मैं मान लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, मुझे सब पता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुछ पता नहीं है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है कि आपके मंत्रीजी को कुछ पता नहीं है और उन्होंने आपको भी गलत जानकारी दी है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्रीजी को भी पता है और मुझे भी पता है । खेद है कि इतने वर्षों तक आप विधान सभा में रहे, वर्षों तक मंत्री रहे- आपको जानकारी नहीं है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : तो आप बता दें कि जानकारी क्या है ? आप मुझे करेक्ट कर दें । मुझे तो जानकारी बहुत है, साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरा कीजिए ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वेपकोष ने जो रिपोर्ट दी है उसका आधार अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट है और मंत्री जी को स्वयं को यह जानकारी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, इसको कम्प्लीट कीजिए ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा सुनने में आ रहा है कि उक्त जलोत्थान सिंचाई योजनाओं की फ्लो कैपेसिटी को कम किया जा रहा है । यह सरकार का प्रतिगामी और अदूरदर्शितापूर्ण कदम होगा तथा इण्डस वाटर ट्रीटी के अन्तर्गत जो पानी इस मरूस्थल के लिए मिला था उसकी मूल भावनाओं के विपरीत होगा । कोलायत, गजनेर, साहवा, चूरू, पोकरण, फलौदी, की लिफ्टों के हैडवर्क्स के तखमीने अभी तक नहीं बन पाये हैं ।

मैं राजस्थान सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उक्त जलोत्थान सिंचाई योजनाएं मूल रूप में कितनी-कितनी क्यूसेक क्षमता की थीं, और अब इनकी लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई कितनी रखी जा रही है, क्या वर्तमान में राज्य सरकार इन लिफ्टों को मूल रूप में प्रस्तावित योजना के अनुसार बनायेगी अथवा उसमें परिवर्तन करेगी ? इन सभी का पूरा ब्यौरा दिया जाय ।

मरुस्थलीय क्षेत्रों के लोग जो वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं के शिकार रहे हैं उनकी स्थिति कुए के पास होते हुए भी प्यासा रहने वाले जैसी है ।....

श्री उपाध्यक्ष : आप रिपीटिशन कर रहे हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह देख लीजिए मैं एक एक शब्द पढ़ रहा हूं । आप मुझे जबर्दस्ती डांट रहे हैं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : यह तो पहले देखने की बात थी कि 500 शब्द से ज्यादा थे तो आप काट देते । परन्तु अब आप क्या कह सकते हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : इन जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के मूल स्वरुप में जरा-सा भी परिवर्तन किया गया तो इस क्षेत्र के नागरिक जन आन्दोलन करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे और अपने हक-हकुकों के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।

मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार इन जलोत्थान सिंचाई योजनाओं को पुराने तकनीकि विशेषज्ञों के अनुसार जिन्होंने इन लिफ्टों के बनाने की परिकल्पनाएं की थीं, तद्नुसार पूर्व प्रस्तावित योजनानुसार बनाकर मरुस्थलीय क्षेत्र को अकाल से सुकाल में बदलने का काम किया जावेगा। धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जो मूल योजनाएं हैं जैसे हम मूल प्रस्तावित योजना के अनुसार काम करेंगे, आपने 1980 से लेकर 1990 तक क्या काम किया ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमने मूल योजना के अनुसार काम किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किया ही नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप बता दें क्या अन्तर किया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने किया ना ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या किया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, तो आपने किया ना ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : कुछ नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुछ नहीं किया तो मैं क्या करूं ?....(व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : परिवर्तन कुछ नहीं किया। हमने इतना काम किया, कि 60 हजार हैक्टेयर में इरिगेशन पोटेंशल क्रिएट किया और आपकी गवर्नमेंट ने 15 हजार हैक्टेयर में किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दिलसुख राय चौधरी।

सीकर जिले की फतेहपुर तहसील के ग्राम गोविन्दपुरा, हरदयालपुरा में पानी और बिजली की समस्या

श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सीकर जिले की फतेहपुर तहसील के ग्राम गोविन्दपुरा, हरदयालपुरा में पानी और बिजली की समस्या के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 45 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी सीकर जिले की फतेहपुर तहसील के ग्राम गोविन्दपुरा, हरदयालपुरा जो फतेहपुर से 3 किलो मीटर दूर राष्ट्रीय राज मार्ग नम्बर 11 पर स्थित हैं कि लगातार अनदेखी करने के विषय में सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

फतेहपुर तहसील का यह गांव (लगभग) 1000 से अधिक की आबादी का प्रमुख

(श्री दिलसुखराय चौधरी)

गांव है और कृषि का क्षेत्र है लेकिन दुर्भाग्य है कि गांव वालों तथा जन-प्रतिनिधियों के लगातार प्रयास के बावजूद भी अभी तक इस गांव को न तो विद्युत से जोड़ा गया है और ना ही वहां कोई पेयजल की व्यवस्था की गई है। आज वहां स्थिति यह है कि लोग पीने के पानी के लिए आस-पड़ोस के गांवों से ही पानी लाकर पीते हैं। इससे गांव के लोगों में भयंकर निराशा और आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं सरकार का ध्यान इस उपेक्षित गांव की ओर आकर्षित कर आग्रह करूंगा कि शीघ्र ही वहां बिजली और पानी उपलब्ध कराई जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

सिरोही जिले की शिक्षा में आने वाली असुविधा के बारे में

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत सिरोही जिले में शिक्षा क्षेत्र में आने वाली असुविधाओं के बारे में विशेष उल्लेख करना चाहूंगी।

सिरही जिला शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उसमें भी महिला शिक्षा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के मामले में हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है तथा शिक्षा सम्बन्धी अनेकों समस्याएं हैं। पिछली सरकार ने एवं वर्तमान सरकार ने गांवों में कुछ हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी स्कूल तो जरूर खोले थे परन्तु उन हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी, मिडिल तथा प्राथमिक शालाओं में अनेकों व्यख्याताओं, प्रधानाध्यापकों तथा विभिन्न विषयों के अध्यापकों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं।

जिले की 22 माध्यमिक शालाओं में प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त हैं, इसमें भी कैलाश नगर, तीवारी, दांतराई बराड़ा आदि की स्थिति बहुत खराब है। कैलाश नगर माध्यमिक शाला में तो प्रधानाध्यापक की कमी के कारण कई बार जीरो रिजल्ट आया है इस बारे में ग्रामीणों ने तथा हमने व क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों ने लगातार पत्राचार, जन सम्पर्क एवं माननीय मन्त्री महोदय से शिक्षा सचिव से निरन्तर सम्पर्क किया लेकिन कैलाश नगर में प्रधानाध्यापक आज दिन तक नहीं लगा और वहां के छात्रों के साथा खिलवाड़ हो रहा है। जीरो रिजल्ट आ रहा है। अध्यापकों की कमी के साथ-साथ जिले में अनेकों ऐसे स्कूल भवन हैं जो स्ट्रेन्थ की दृष्टि से या तो कम हैं या अधूरे पड़े हैं।

अधूरे भवन पूरे कराने एवं जर्जर भवन को नया बनवाकर देने के लिए वहां के दानदाता जन सेवी ट्रस्ट तैयार हैं। इस सम्बन्ध में कई बार विभाग से बीकानेर जाकर भी सम्पर्क किया, मन्त्री महोदय से सम्पर्क किया, एजूकेशन सचिव से सम्पर्क किय। उपाध्यक्ष महोदय, दानदाता 8-8, 10-10 लाख रुपये लेकर खड़े हैं। सच्चाई है यह। होना तो चाहिए था कि विभाग का आदमी सिरोही जाता और हाथों हाथ स्वीकृति लेकर आता। आज

(श्रीमती तारा भण्डारी)

महीनों हो गए हमको स्वीकृति मांगते हुए। इससे दानदाताओं का मन भी खराब होता है और यह कुछ भी काम करने में अपने आप को असमर्थ मानते हैं। एक दानदाता तो अभी गम्भीर रूप से बीमार है और लगातार तार दिए, सिरोही शिक्षा विभाग ने तार दिए....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय तारा जी व्यवस्था यह है कि इसमें आपने जो उल्लेखित किया है उसे ही पढ़ना है।

श्रीमती तारा भण्डारी : लिखा हुआ ही पढ़ा रही हूं। अधूरे भवन पूरे कराने की जो भी स्वीकृतियां नहीं मिलती हैं वह दिलाई जाए। मेरे क्षेत्र में कई भवन ऐसे हैं जिनकी जर्जर अवस्था हो चुकी है उन्हें मरम्मत कराना बहुत ही आवश्यक है। मेरे क्षेत्र में पाडीव एवं मणादर ऐसे गांव है जहां सबसे पुराने मिडिल स्कूल हैं जिसमें भी पाड़ीव तो ऐसा गांव है जहां गांव के आगे पीछे दोनों ओर नदियां हैं तथा बरसात में इस गांव का सम्पर्क बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। गांव की आबादी 8 हजार से ऊपर है तथा आठवीं की छात्र संख्या भी 40 से ऊपर है। पंचायत मुख्यालय भी है परन्तु वहां सैकण्डरी स्कूल नहीं खुलने से छात्रों को आठवीं से आगे पढ़ने के लिए गांव से 15 कि. मी. क्षेत्र तक कोई साधन नहीं है। इसके अलावा भी मणादर, गोयली, अरठवाडा आदि अनेकों जगहों पर सैकण्डरी स्कूलों की जरूरत है। पोसालिया गांव की सैकण्डरी स्कूल खुले हुए आज 25 वर्ष हो गए हैं। 1966 में यह स्कूल खुली तथा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने से वहां सीनीयर हायर सैकण्डरी स्कूल खोलना बहुत आवश्यक है।

मेरे ही क्षेत्र में बाण गांव जो कि पंचायत हैडक्वार्टर है। इस गांव के आस पास 9 कि. मी. दूर तक कोई मिडिल स्कूल नहीं है तथा गांव के आस पास 9-10 किलोमीटर सड़क से भी नहीं जुड़ा हुआ है ऐसी स्थिति में बाण गांव के छात्र साधनों के अभाव में प्राथमिक शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पाते। इसके अलावा रुखाड़ा, मेब आदि में भी मिडिल स्कूल खोलना अति आवश्यक है। मेरे क्षेत्र में....

(12. 55 म. प.)

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

अनेकों ऐसे शिक्षा केन्द्र थे, जिनकी छात्र संख्या 35 से अधिक थी, किन्तु इन्हें बन्द कर दिया गया। अतः उन्हें पुनः खोला जाना चाहिए।

अतः नियम 295 के अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का विशेष उल्लेख कर सरकार से अनुरोध है कि इन समस्याओं का समाधान किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

एनक्रोचमेंट के नाम पर तहबाजारी के अन्तर्गत फुटपाथ पर बैठकर छोटा-मोटा सामान बेच कर आजीविका कमाने वालों को सताने व उठाए जाने के क्रम में।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नियम 295 के अन्तर्गत एनक्रोचमेंट के नाम पर तह बाजारी के अन्तर्गत फुटपाथ पर बैठ कर छोटा-मोटा सामान बेच कर आजीविका कमाने वाले गरीब लोगों को डण्डे मार कर सामान उठाकर सताए जाने के क्रम में अपने विचार रखना चाहती हूं।

मान्यवर, पिछले तीन महीने से जयपुर नगर परिषद के द्वारा न जाने किस निर्देश के अनुसार जयपुर में गरीब लोगों को जो खन्दे पर बैठ कर फुट पाथ बैठकर तह-बाजारी नियम के अन्तर्गत कार्य करते हैं, बिना कोई सूचना दिए उनका सामान उठवाकर उन्हें पिटवाकर सताया जा रहा है और सामान की रसीद भी उन्हें नहीं दी जाती है। कभी चांदपोल के परकोटे में तो कभी खजाने वालों के रास्ते में तो कभी कहीं और, कभी कहीं और इस प्रकार का, क्रम जारी है। दुख की बात तो यह है कि परिषद के कर्मचारी, अधिकारी पुलिस के साथ कहीं भी अचानक पहुंच जाते हैं। बिना रसीद दिए लोगों का सामान अन्धा धुंध उठा कर नगर परिषद की गाड़ियों में पटक लेते हैं। चाहे वह सामान खराब होने वाले सब्जी, फल, फूल आदि हों चाहे सामान खराब होने वाला न हो। मैंने तो सदैव उक्त स्थानों पर इन्हें बैठ कर काम करते देखा है। वह लोग सुबह कमाते है तो शाम को किसी प्रकार अपने परिवार का मुश्किल से गुजारा करते है और जनता की सस्ती चीजें दुकान वालों के शुल्क से कम दाम पर उपलब्ध कराते हैं। इनमें पूर्व तह बाजारी की रसीदें नगर परिषद के द्वारा काटी गई हैं। आज भी अनेन स्थानों पर यह रसीदें कट रही हैं। जब स्वायत्त शासन मंत्री नगर परिषद के सदस्य थे और अध्यक्ष थे तब भी इस प्रकार की रसीदें शुल्क लेकर काटी जाती रही थीं। परन्तु खेद है कि आज सुन्दरता के नाम पर योजनाबद्ध तरीके से इन्हें हटाने का, इन्हें सताने का दमन चक्र चल रहा है। चांदपोल के दरवाजे के बाहर कुछ महिला, कुछ पुरुष फल, सब्जी, पुराने कपड़े आदि बेचते थे। तीन महीने पहले अचानक नगर परिषद व नगर परिषद के आह्वान पर नगर परिषद व ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों ने उक्त लोगों को वहां से मार कर हटा दिया। जिसमें लगभग 50 प्रतिशत महिला व्यवसायी है। उन्हें भी मारा। उक्त स्थान पर उन्हें ना तो कोई नोटिस दिया ना कोई सूचना दी और ना ही कोई सहमति ली उनके बैठने के स्थान का भी तय नहीं किया गया। आप जरा विचार करें अचानक इस आक्रमण का क्या अर्थ हो सकता है। अचानक इस आक्रमण से उन लोगों पर क्या गुजरी होगी। दो-तीन महीनें से क्या हाल हो रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में जिलाधीश व एस. पी. से बात की और नगर परिषद के प्रशासक से बात की। मन्त्री महोदय को पत्र लिखा मुख्य मन्त्री जी को भी पत्र लिखा। इस सम्बन्ध में अन्य कोई योजना नहीं है यह मुझे बताया गया। वहां पर लोग बैठ कर पेशाब करते हैं। इधर उधर से कहीं से भी कुछ लाकर कुत्ते कुछ चबाते रहते हैं। मैं इस सम्बन्ध के फोटो सदन की मेज पर रखना चाहती हूं। एक अजीब सा दृश्य वहां उपस्थित हो रहा है। पूर्व में बैठने वाले लोग भूखे

(श्री मती उजला अरोडा)

मर रहे हैं। वहां कोई महिला धीरे से जाकर कि कुछ बिक जाए यह सोचकर बैठती है। पुलिस वाले मार कर भगा देते हैं कि नगर परिषद ने मना कर दिया है आप यहां नहीं बैठ सकती हैं जहां वह कहीं अन्य जगह जाकर बैठती हैं तो वहां से भी उन्हें हटा दिया जाता है। मैंने सुना है कि उन्हें सीकर हाऊस नामक स्थान पर बैठाने के लिए कहा गया है लेकिन वहां के नागरिक उन्हें वहां नहीं बैठने देते क्योंकि वह आवासीय कालोनी है। दूसरी बात यह है कि इनकी रोजी-रोटी भी वहां नहीं कमाई जा सकेगी। मन्त्री महोदय, जो यहां बैठे हैं जवाब दें कि इस सम्बन्ध में यह क्या करने वाले हैं। हमने सत्ता को सेवा और संवेदनशीलता से जोड़ने की बात स्वीकार की है। इन गरीब लोगों से संघर्ष की बात नहीं। क्या मंत्री महोदय ने कभी दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, अहमदाबाद, कानपुर आदि शहरों और प्रान्तों में भी फुटपाथ पर बैठकर लोगों को व्यवसाय करते देखा है या नहीं यदि हां तब इस प्रकार गरीब लोगों को आन्दोलित होने के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है। क्या पालिश करने वाला दुकान पर बैठ कर पालिश करेगा ? क्या ताला चाबी बनाने वाला दुकान किराए पर लेकर ताले और चाबी बना सकता है ? क्या ये महिलाएं जिनमें से कोई गरीब विधवा है कोई परित्यक्ता है, कोई शराबी पति की मार से पीड़ित है एक-एक टोकरी के लिए, दूकानें लेगीं, किराए पर लेकर फल सब्जी, फूल आदि बेच सकती हैं दुकानों का कितना किराया है। कितनी पगड़ी है इसे सरकार सोचे, पुनर्विचार करें। जो जहां बैठा है उसे वहीं बैठने दें।

गरीब लोगों में तथा जनता में इस सब स्थिति को देखकर बहुत असन्तोष व्याप्त है। होना तो यही चाहिए कि इनकी....

एक माननीय सदस्य : पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(1.00 म. प.)

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्यों पढ़ा हुआ मान लिया जाए, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूं। आप अगर मेरी स्थिति में होते तो इतना भी नहीं बोल सकते थे।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपकी टांग में लगी है जिसमें यह हालत है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यहां तो दिल पर भी लग गई। इन गरीब लोगों को और इनके स्थान को देखें तो माननीय अध्यक्ष महोदय कभी चांदपोल से निकलें और चांदपोल के परकोटे में देखें लोग पेशाब कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगी कितना गन्दा सीन उपस्थित कर रहे हैं। उन फुटपाथी गरीबों को बेरोजगार कर दिया। यह चांदपोल श्रीमान रामेश्वर जी के इलाके में आता है। मैं इलाका नहीं मानती। मैं सारे शहर को, सब गरीबों को अपना मानती हूं। उनके प्रति न्याय करने की कोशिश करनी चाहिए। गरीब लोगों में तथा जनता में इस सब स्थिति को देख कर बहुत असन्तोष व्याप्त है। होना तो चाहिए, अब मैं इन व्यक्तियों के लिए क्या कहूं आप जाकर देखें नहीं, सोचें नहीं कोशिश करे

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नहीं, मेरा सहयोग करे नहीं, मर्जी है आपकी... (व्यवधान)... जनता में इस स्थिति को देखकर बहुत असन्तोष व्याप्त है होना तो यह चाहिए कि इनकी पूर्व तह बाजारी की पर्चियां नगर परिषद के द्वारा शुल्क लेकर बांट दी जाए। जिससे नगर परिषद व ट्रेफिक पुलिस के कर्मचारियों की बन्दी जो सुबह शाम बन्दी लेते हैं से इन्हें बन्दी मिले। चार फुट, छः फुट आठ फुट जितना भी आप स्थान दें जिससे वे वहां पर बैठ सकें कमा सकें, धन्धा कर सकें।

मान्यवर मैं उक्त स्थानों की जो फोटो हैं, आपसे अनुमति मांगती हूं कि सदन की मेज पर रख सकूं। इन्हें आप देखेंगे और मेरा सहयोग करेंगे। सरकार को आदेश दें कि वह इस सम्बन्ध में सहृदयता से, मानवता से सोचें। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। आज की कार्यवाही को रोक करके, इसको भी क्या पढ़ूं जब आपने मुझे अनुमति दे ही दी तो मैं आपकी अनुमति से यहां प्रस्तुत करती हूं।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक मिनिट का अवसर दें। जब माननीय सदस्या ने यह समस्या रखी है। वास्तव में यह समस्या काफी जटिल है और जो अधिकारी हैं वह मनमानी करते हैं। यदि शहर का सौन्दर्यकरण करना है तो जब तक उनके साथ बैठ कर के आल्टरनेट नहीं देख लिया जाता तब तक उनको नहीं हटाया जाए। गरीब लोग चार महीने से दुखी हैं; बेरोजगार हैं (व्यवधान) यह मानवीय आवश्यकता है इस पर कोई व्यवस्था दें ताकि उनको ठीक स्थान पर बिठाया जा सके और वह रोजी-रोटी कमा सकें अन्यथा यह शहर में सौन्दर्यकरण के नाम पर उनके साथ अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी बोलेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : यह समस्या इसके कई आयाम हैं। जहां तक फुटपाथ का सवाल है, फुटपाथ अभी इन दिनों में जिस प्रकार से समस्या बढ़ी है उनको हमने थोड़ा छोटा किया है। वरना जयपुर में इतना करने के बाद भी लोगों का चलना सम्भव नहीं हो रहा है। सरकार यह नहीं चाहती है कि यह लोग जिन्दगी भर ही फुटपाथ पर बैठ कर धन्धा करते रहे इनको कोई न कोई समुचित व्यवस्था करके, जहां यह पीढ़ियों तक बैठकर अपना धंधा कर सकें उसकी हम चिन्ता कर रहे हैं। आपको तो यह जानकारी नहीं है लेकिन रामेश्वर जी को बराबर यह जानकारी है। वह मेरे से मिलते रहे हैं बराबर इस समस्या के बारे में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : रामेश्वर जी तो बहुत दुखी हैं, उन्होंने भी इस पर दस्तखत किए हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : दुखी तो वह भी हैं, मैं भी हूं और आप भी दुखी हैं। दुखी जनता भी और फुटपाथ पर बैठने वाले भी हैं....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कई एक दूसरे से भी दुखी हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं किसी से भी दुखी नहीं हूं। मैं तो इस स्थिति से दुखी हूं और मैं सोचती हूं इस समस्या के

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बारे में आप बैठ कर बात करें तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है।

श्री भंवरलाल शर्मा : दो-तीन स्थान हमने तलाश किए और यह कोशिश की कि यह फुटपाथ पर बैठने वाले लोग वहां चले जाएं। यह आपकी जानकारी में भी है और रामेश्वर जी की जानकारी में भी है, यह लोग उस स्थान पर जाने को तैयार नहीं हैं। उनकी कई सारी शर्तें हैं तब हम वहां जाएगें, तब जाएगें। इनके लिए पिछले दिनों में आपको ध्यान हो तो बैठने के लिए एक चबूतरा बनाया चबूतरे के बाद इन्होंने कहा कि सामान कहां रखें तो कोठरी बनाई, छाया के लिए टीन लगाए, नल लगाया, बिजली लगाई उसके बाद भी वहां गए नहीं। अभी सीकर हाऊस की बात आप कर रही हैं वह स्थान मैं खाली करवा रहा हूं। बहुत बड़ा स्थान है...लोकेलिटी के बीच में है वहां दुकान नहीं चाहिये। इनके लिए जमीन पर बैठने की व्यवस्था करने को तैयार है। मैंने यह भी कहा कि इनके लिए जो सुविधा चाहिए, हम सुविधा देने को तैयार है लेकिन अल्टीमेटली आपको इन फुटपाथों पर कब तक बैठने देंगे। आप मेरी बात तो पूरी सुन नहीं रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, अगर उनको एक कोने में जाकर के बिठा देंगे तो यह व्यावहारिक नहीं होगा। वहां कौन खरीदने जायेगा, बैठकर रोयेंगे, क्या खायेंगे, ये सोचिये आप।

श्री अध्यक्ष : अभी आप आपस में बात करके और तय कर लें कि कहां बैठाना है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यह कह रहा था कि यह जयपुर की समस्या है। फुटपाथ पर चलने वाले लोगों को जगह नहीं मिलती, सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं। इनको उठाना है तो जहां बिठाते हैं वहां जाते नहीं। मैं चाहूंगा इस मामले में आपका सहयोग, बजाय आप वहां बैठने के, यह कहने की बजाय इनको प्रेरित करें कि वे वहां बैठे तो मेरी मदद होगी। जैसी मदद रामेश्वर जी कर रहे हैं अगर उतनी मदद आप करेंगी तो...अगर और कोई जगह बता दीजिये आप। आप कान खोलकर सुन लीजिये, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इन बेचारों को फुटपाथ पर बैठाकर ठोकरे खाने के लिए छोड़ दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : परकोटे की लम्बाई चौड़ाई इतनी बड़ी है कि ये बैठ जाय, उसके आगे भी गाड़ी खड़ी हो सकती है लेकिन ये मान ही नहीं रहे।

श्री अध्यक्ष : बाद में तय करलें कि गाड़ियां कहां खड़ी होंगी ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : परकोटा से फुटपाथ कह रहे है,

श्री भंवरलाल शर्मा : परकोटे का सवाल नहीं है। वहां 10 से ज्यादा आदमी नहीं बैठ सकते। यह समस्या पूरे शहर में फुटपाथ पर बैठने वालों की है। कोई 10 5 की समस्या नहीं है। और मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के निर्देश है कि फुटपाथ को खाली करवाया जावे। फुटपाथ पर बैठकर जो लोग व्यवसाय करते हैं या आर्थिक धंधा करते हैं,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उनको वहां से हटाया जाय। उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : बरामदे तो आपसे खाली नहीं होते हैं। आप बरामदों के बारे में बताओ न। आपसे बरामदे तो खाली होते नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : बरामदों पर बड़े आदमी काबिज है और फुटपाथों पर गरीब आदमी काबिज है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बरामदे क्यों नहीं खाली करना चाहते हैं अगर हाई कोर्ट के आदेश हैं। बरामदे आप इसलिए खाली नहीं कराना चाहते...

श्री भंवरलाल शर्मा : आप इस समस्या को इधर-उधर मत करिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, यह तो बिल्कुल इंटरलिंक्ड है।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या फुटपाथ खाली नहीं कराऊ ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहले हाई कोर्ट के आदेश हो चुके हैं। आप बरामदे खाली क्यों नहीं कराते, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है मंत्रीजी इसके अन्दर। आपके एरिये के लोगों की दुकाने हैं इसके अन्दर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिन्होंने खाली नहीं करवाया उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है क्या ? आपके कहने का मतलब यह है (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है। आप कंफ्यूज मत कीजिये। बरामदे खाली नहीं हो सकते तो खाली नहीं करा पाये। आप खाली नहीं करना चाहते। दैट इज ए बेसिक डिफरेन्स।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बरामदों की बात उठा रहे हैं। पहले मेरी बात को आने दीजिये। मन्त्री महोदय तारीख बतावे कब बैठेंगे ? समयबद्ध कार्यक्रम है।

श्री अध्यक्ष : वह आपकी बात समझ गये है। श्री चम्पालाल जैन।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, गरीब लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले होनी चाहिये न। वैकल्पिक व्यवस्था जब तक नहीं होती, तब तक उनको बैठने दीजिये।

ब्यावर शहर के रोडवेज के बस डिपो मैनेजर द्वारा तोड़-फोड़।

श्री चम्पालाल जैन (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर शहर के बस डिपो पर नियमित रूप से आवटित पिछले साल से चल रही मिलपट्टी के केबिन को बिना किसी कारण श्री बुद्धाराम जियाणी डिपो मैनेजर ने रोडवेज के अपने अधीन कर्मचारियों के साथ तोड़-फोड़ की और कानून को अपने हाथ में लेकर गुप्ता स्वीट होम के मालिक को भगा दिया। जब इस घटना की जानकारी स्थानीय पत्रकारों को मिली तो वे घटना की जानकारी के लिए बस स्टैण्ड पर गये। ज्योंही बस स्टैण्ड पर संवाददाता पहुंचे, उनके साथ कुछ प्रेस कैमरामेन भी थे जो अखबारों के उपयोगार्थ

(श्री चम्पालाल जैन)

घटना का चित्र लेना चाहते थे। जैसे ही उसने देखा, वैसे ही डिपो मैनेजर बुद्धाराम जियाणी ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि इनके हाथ-पैर तोड़ दो और इनके कैमरा आदि छीन लो। इन कर्मचारियों की संख्या 10–15 थी और यह सब इसलिए किया गया कि वास्तविक घटना की जानकारी जनता को मिल सके। डिपो मैनेजर के आदेश की पालना करते हुए ये कर्मचारी पत्रकारों पर टूट पड़े और उनकी पिटाई कर डाली। यही नहीं, लाठी आदि से लैस ये कर्मचारी ने उन्हें जलील ही नहीं किया बल्कि उनके कपड़े भी फाड़ डालें, कैमरा तोड़ डाला जिससे पत्रकारों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। ये कर्मचारी और स्वयं बुद्धाराम जियाणी पत्रकारों को ये चेतावनी दे रहे थे कि आइन्दा इधर आए तो हाथ-पैर तोड़ दिये जायेंगे। यहीं नहीं, श्री बुद्धाराम जियाणी ने यहां जातिवाद फैला रखा है और रोडवेज के आफिस में असामाजिक तत्वों का खुले आम हस्तक्षेप हो रहा है जिससे यहां परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरी इस प्रस्ताव के जरिये सरकार से मांग है कि इस प्रकार खुले आम लोकतंत्र पर कुठाराघात करने वाले अधिकारी को तुरन्त निलम्बित किया जावे एवं जिन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, उनको गिरफ्तार किया जाय और घटना की किसी उच्च स्तरीय अधिकारी से जांच करवाई जावे जिससे इस प्रकार की हरकत करने वाले लोगों को सबक मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि ऐसे पत्रकार जो देश की आजादी के स्तम्भ होते हैं, उनके साथ अगर आजाद देश भारत में भी ऐसी मार-पीट होती है तो यह सबके लिए कलंक की बात है क्योंकि पत्रकार की एक ऐसी चीज है जो आम आदमी के दुःख को जनता तक पहुंचाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि उस अधिकारी को अविलम्ब निलम्बित किया जाकर वहां से हटाया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कल मुझसे मिले थे और मैंने आपको आश्वस्त किया था कि मैं सारे प्रकरण की निष्पक्ष रूप से जांच कराऊंगा और दोषी अधिकारियों का इसमें हाथ पाया गया तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अ. जा. अ. ज. जा. के साथ भेदभाव।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो आवश्यक सेवा चिकित्सा है, इसके अन्दर राजस्थान के अन्दर ···

श्री अध्यक्ष : पहले आप पढ़ लो। फिर कह देना।

श्री रामस्वरूप मीणा : पिछले वर्षों में चिकित्सा के अन्दर राजस्थान के अन्दर जो

(श्री रामस्वरूप मीणा)

स्थानान्तरण नीति आपने तय की है, जितने ट्रांसफर आपके विभाग में हुए हैं राजस्थान में, वह एक कीर्तिमान है जबकि यह एक ऐसी आवश्यक सेवा है जिसके अन्दर स्थानान्तरण करने से रोगी को परेशानी उठानी पड़ती है और जीवन के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने जितने भी ट्रांसफर किये, 6–6 महीने तक डाक्टर चक्कर लगाते रहे, उन्होंने अपनी जगह से दूसरी जगह ड्यूटी ज्वाइन नहीं की और बेचारे जो रोगी थे, वे अस्पताल में तड़फड़ाते रहे।

मैं इसी के साथ विशेष तौर मे निवेदन करना चाहूंगा कि एस. सी./एस. टी. के चिकित्सक थे, विशेष तौर से जिला सवाई माधोपुर का उदाहरण आपके सामने पेश कर सकता हूं कि जिला सवाई माधोपुर में एक भी ऐसा मीणा जाति का डाक्टर जो चाहे किसी गांव में या शहर में या कहीं पर भी लगा हुआ था, उसका ट्रांसफर किया....

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं। पढ़िये।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के जो स्थानान्तरण किये गये हैं उनमें से वर्ष 1990 से 1992 तक अधिकांश स्थानान्तरण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के किये हैं तथा उन व्यक्तियों को दूरस्थ स्थानों पर लगाया गया है विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा आदि स्थानों पर लगाया गया है। जितने भी डाक्टर्स के ट्रांसफर किये, उनको 6–6 महीने तक माननीय मंत्री महोदय के यहां चक्कर लगाने पड़े लेकिन बेचारे एस.सी./एस. टी. के डाक्टर अपना ट्रांसफर को कैंन्सिल नहीं करा सके। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस जाति के साथ ऐसी ज्यादती क्यों की जबकि अन्य जातियों के कई डाक्टर्स के ट्रांसफर कैंन्सिल कर दिये। क्या उनका दबाव था या क्या कारण रहा जिससे उनके ट्रांसफर कैंन्सिल हुए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जीजाजी का दबाव था, इसलिए ट्रांसफर कैंन्सिल हुए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप कह रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप बोलने दें। यह बहुत आवश्यक सेवा का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : पहले बैठिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : 6–6 महीने तक स्थान खाली पड़े हैं और आप इसके बारे में नहीं कहने देते। बोलने क्यों नहीं देते आप ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य, आपका और हमारा ऐसा ही सम्बन्ध है।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप कोई मंत्री नहीं हैं। चिकित्सा मंत्रीजी यहां बैठे हैं। बैठ जाइये आप। एस.सी./एस.टी के

(श्री रामस्वरूप मीणा)

डाक्टरों के साथ क्या हो रहा है ? जनता के साथ अन्याय हो रहा है। आप बोलने नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, रक्षा की जाय वो बीच में व्यवधान करना चाहते हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, वो बोल रहे हैं। मेरा लिंक ही टूट गया।

श्री अध्यक्ष : पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ जाइये।

श्री रामस्वरूप मीणा : वो बोल रहे है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के डाक्टरों के ट्रांसफर बड़ी संख्या में किये गये हैं और एक का भी कैन्सिल नहीं किया गया जबकि अन्य जातियों के कैन्सिल हो चुके हैं। (व्यवधान) सवाईमाधोपुर जिले के जितने भी मीणा डाक्टर थे उनका बहुत दूर जिलों में स्थानान्तरण करके लगा दिया गया है और 6 महीने चक्कर लगाने के बावजूद भी उनका ट्रांसफर नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ का प्रमोशन का मामला था उनका प्रमोशन रोक दिया गया है। अतः मैं आपके माध्यम से राजस्थान के अन्दर इस प्रकार ट्रांसफर-बाजी करके जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। अस्पताल खाली पड़े हुए हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं और डाक्टरों को बदला जाता है। अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ये आवश्यक सेवाएं हैं और इन आवश्यक सेवाओं में इस प्रकार की ट्रांसफरबाजी की है। मुझे आपसे बहुत उम्मीद थी कि आप इस प्रकार का भेदभाव हमारे साथ नहीं बरतेंगे लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सवाईमाधोपुर के करौली के सी. एम. एच. ओ. का ट्रांसफर हो गया क्योंकि वह अन्य जाति का था और उदयपुर उसका कैन्सिल भी हो गया। (व्यवधान) इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सदन के सामने यह बतायें कि आपने कितने डाक्टरों के ट्रांसफर अब तक किए और कितने डाक्टरों के ट्रांसफर आपने कैन्सिल किए और मीणा जाति के ट्रांसफर जितने भी किए वो क्यों नहीं कैन्सिल किए, यह भी मेरा आपसे निवेदन है। आयुर्वेदिक मंत्री यहां बिराजमान हैं, यही हाल उनके यहां है। पिछली बार गिर्राज प्रसाद शर्मा था उसका भी इसी प्रकार 4-4 बार ट्रांसफर हुआ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो परेशान है कृपया उनका ट्रांसफर रद्द करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, श्री चुन्नीलाल इंदलिया। (अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जानना चाहता हूं कि मीणा जाति के किस-किस डाक्टर का ट्रांसफर को कैन्सिल कराने के लिए आपने कहा है, वह बता दीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, यहां बिराजमान हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हुक्म दे रहे हैं, तो मैं यह भी बताने के लिए तैयार हूं

(श्री रामस्वरूप मीणा)

और वो समय आने पर बता दूंगा। मंत्रीजी यदि कहेंगे तो मैं वो भी बता दूंगा और मंत्री जी अब भी कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप आश्वासन दें कि उनका ट्रांसफर दुबारा कैन्सिल हो जायेगा तो मैं वो लिस्ट पेश कर सकता हूं।

श्री परसादी लाल मीणा : मंत्री जी से कहलवा दें, वे सूची दे देंगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : रामस्वरूप जी की क्या हालत होगी हम तो यह विचार कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप लोगों के ट्रांसफर कैन्सिल हो जाते हैं और हमारे नहीं होते हैं। आप फिर भी यही कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कल श्री हरिसिंह महुआ ने अपना भाषण देते समय ये पंक्तियां कहीं थी कि "मैं माननीय जोशी जी को आमंत्रित करता हूं, राजस्थान का + + +मुख्यमंत्री गंगानगर राजस्थान को एक नहीं रख सकता, गंगानगर अलग होने की साजिश कर रहा है।" इसको एक्सपंज किया जा रहा है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय के अनुरोध पर कल ही एक्सपंज कर दिया गया था। मैंने कल ही निवेदन कर दिया था कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी लेकिन उधर के सदस्यों ने""(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लक्ष्मीनारायण जी, प्लीज वो कह रहे हैं, सुन लीजिए।

श्री हरिसिंह : उधर के सदस्यों ने बोलने में व्यवधान पैदा किया, उत्तेजना फैलाई कई बातें ऐसी अनायास निकल गई होंगी, मैंने खुद भी इसके लिए निवेदन किया था।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल, सदस्य, प्रवर समिति प्रस्तान करेंगे कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1990 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियम समय को विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य, प्रवर समिति प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1990 के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियम समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1990 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु

+ + +अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

नियम समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

नियम समय में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पर अब तक जो पार्टियों का समय कंज्यूम हुआ है वो आपको बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का केवल 30 मिनट बाकी हैं। कांग्रेस के केवल 25 मिनट बाकी हैं, जनता दल 10 मिनट अधिक बोल चुका है। जनता दल (डी) का एक घंटा 24 मिनट बाकी हैं। सी.पी.एम. 19 मिनट ज्यादा बोल चुका है, निर्दलीय के केवल 36 मिनट बाकी हैं। आज शाम को जवाब होना है और 27 आदमी बोलने वाले हैं। मैंने हिसाब लगाया है कि ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दिग्विजय सिंह पार्टी का समय भी भारतीय जनता पार्टी को दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : हां, दे दूंगा। 27 आदमी बोलने वाले हैं और जवाब से पहले 180 मिनट हमारे पास हैं। 180 मिनट में 27 आदमी 7 मिनट प्रति व्यक्ति बोलें तो 189 मिनट होते हैं। तो करीब-करीब यह मामला बैठ सकता है। इसलिए 7 मिनट से ज्यादा समय न लें, यह मेरा निवेदन है।

श्री अर्जुन दास मदान।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर जवाब।

श्री अध्यक्ष : वह अलग है। पहले ये बोल लें। जवाब अलग होगा।

यानि टाइम का ध्यान रखें। 7 मिनट से ज्यादा न हों।

श्री अर्जुन दास मदान (लाडपुरा) : सबसे पहले विधान सभा के छठे अधिवेशन पर महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण का मैं स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं और उसके बाद सरकार के प्रति और सरकार के भागीदार जनता दल (दिग्विजय सिंह) के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और इस धन्यवाद प्रस्ताव में अपना समर्थन व्यक्त करता हूं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : धन्यवाद उन्हीं को दें।

श्री अर्जुन दास मदान : आपको भी देता हूं थोड़ा सब्र कर लो। मान्यवर, मेरा सबसे पहले निवेदन है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा तो उसने एक नारा दिया था कि राम, रोटी और इंसाफ। मैं यह चाहूंगा कि इस सारे प्रकरण को, इस भाषण को 3 बिन्दुओं तक ही सीमित रखूं। सबसे पहले मैं राम को सम्बोधित कर रहा हूं जिसके ऊपर हमने चुनाव लड़ा था। बड़े खेद का विषय है कि विपक्षियों द्वारा न जाने इसे किस प्रसंग में देखा गया। राम का मतलब कोई सीतापति राम से नहीं है या दशरथ पुत्र राम से नहीं है। राम तो वो बिन्दु है जहां पर किसी व्यक्ति विशेष की आराधना,

(श्री अर्जुन दास मदान)

साधना या उपासना का केन्द्र बन सकता है। आज कभी भी भारतीय जनता पार्टी यह विश्वास नहीं रखती कि यह कोई दूसरा धर्मावलम्बी है और वह अपने धर्म को पसंद नहीं करे। यदि कोई व्यक्ति विशेष मस्जिद पर खड़ा होकर बोलता है तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज नहीं है और यदि कोई घड़ियाल बजाता है, शंख बजाता है, मृदंग बजाकर अपने ईश्वर की आराधना करता है तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी मौन है। भारतीय जनता पार्टी केवल मात्र सांप्रदायिकता की विरोधी है। हम कभी भी यह नहीं चाहते कोई भी एक ऐसा बिन्दु बता दे, मेरे विपक्षी यह कह दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी दूसरे धर्म का अपमान करके अपने सम्मान की रक्षा करने का कोई प्रयास किया हो। आज राजस्थान का भी आप इतिहास उठाकर देख लें तो आप पायेंगे कि कहीं पर किसी प्रकार का कोई झगड़ा-फसाद नहीं हुआ। आज मुसलमानों के लिए यदि टौंक में सबसे पहले 1977 में शोध प्रतिष्ठान की स्थापना की तो भारतीय जनता ने की। आज कोई भी व्यक्ति विशेष मक्का-मदीना जाना चाहता था तो कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जिसे पासपोर्ट नहीं दिया गया हो या वीसा नहीं दिया गया हो। आपके कांग्रेस के शासन में वक्फ कमेटी बिल्कुल मृत प्रायः बनी हुई थी। आज उसका भी पुनर्गठन हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। आज मक्का-मदीना जाने वाले यदि वीसा के लिए या और कोई कार्यकलाप के लिए जाता है तो उनके लिए एक मुसाफिरखाने का निर्माण यदि कोई कर रही है तो वह भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसके बावजूद भी हमको यह कहा जाता है कि हम सांप्रदायिक हैं। मान्यवर, हम सांप्रदायिक बिल्कुल नहीं हैं। हां यह बात जरूर है कि यदि हम पर कोई प्रहार करता है तो उसका प्रतिकार करने की भावना हमारे मन में हो सकती है। तो हम भारतीय संस्कृति के उपासक हैं जिसके अन्दर सभी को समायोजित करने की क्षमता है। यह विश्वास रखें कि मारने वाले से तारने वाला और विध्वंस करने वाले से निर्माण करने वाला कहीं अधिक श्रेष्ठ हुआ करता है।

मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूं। कई संस्कृतियां उठी और बनी। वे एक बुलबुले की तरह थी जो अल्प जीवन बिताकर सदैव-सदैव के लिए पानी के बुलबुले की तरह विलीन हो गई। लेकिन आज यह भारतीय संस्कृति फिर भी जीवित है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कहां है वो सीजर? कहां है वो केपिटाइना पर्वत? जिसकी चारदीवारी के अन्दर सीजर अखण्ड प्रताप के साथ शासन करता था। कई संस्कृतियां उठीं और मिट गई। आज वो केपिटाइना पर्वत एक टीले की तरह खड़ा है जिसके ऊपर मकड़ियां आज अपने जाले बुना करती हैं और उल्टी लटकी हुई चमगादड़ें उनको बीते दिनों की याद दिलाती हैं।

इसके बावजूद भी फिर यदि यह कहा जाता है, कल यह बात चली थी, एकता यात्रा के उपर भारतीय जनता पार्टी को

(श्री अर्जुन दास मदान)

बहुत कोसा गया, उसको बहुत कन्डेम किया गया। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी आदमी, हमने तो सबका आव्हान किया था चाहे वह कांग्रेसी हो, चाहे वह विरोधी दल के हों कि आओ बन्धुओं, आप आओ, भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में कश्मीर चलो, यहां पर अपना तिरंगा झंडा या राष्ट्रीय झंडा भी हम नहीं फहरा सकते। यदि हमने यह आव्हान किया तो हमने कोई दोष नहीं किया। हम तो यह चाहते थे कि सारे प्रांतों के लोग, सारे धर्मावलम्बी हमारे साथ मिलकर कश्मीर चलेंगे, एक वह स्थिति पैदा होगी जो आजादी से पहले थी। जहां पर बंगाल से एक आवाज आई थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महाराष्ट्र से एक तुम्बी बजी थी कि स्वतन्त्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा और लाहौर की सड़कों पर साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपतराय ने अपने जीवन को हमेशा-हमेशा के लिये समाप्त कर दिया था और यू. पी. का श्रद्धेनीय सावरकर भी इस मां की आजादी के लिए लड़ा था। हम केवल मात्र यह कल्पना करके चले थे कि सारे धर्मावलम्बी, सारे लोग, सारे प्रांतों के लोग आज वहां पर चलेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में चलने वाली एकता यात्रा है, अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने में हमारा योगदान देंगे। किन्तु दुर्भाग्य है कि उसको भी लोगों ने नहीं समझा। उसको भी लोगों ने यह कह दिया कि यह एकता यात्रा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली है।

दूसरी बात, हमसे कल यह कहा गया कि पंजाब में आपने चुनाव करवाये, आपने क्या कर लिया। मान्यवर, पंजाब में हमने कुछ और लिया हो या हमें कुछ न मिला हो, हमें कुछ प्राप्त हुआ हो या नहीं हुआ हो किन्तु लोकतांत्रिक सत्ताओं को बनाये रखने के लिए, लोकतांत्रिक परम्पराओं की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना योगदान दिया है वह सराहनीय है, वह आदरणीय है, वह वन्दनीय है। मैं एक छोटी सी बात करता हूं, आज बीस प्रतिशत तो टोटल वोट पड़े हैं, नौ प्रतिशत के ऊपर कांग्रेस के लोग जीते हैं, ठीक है कि 13 में से उनकी 12 लोक सभा में सीटें आ गई। तीन-चौथाई वह विधान सभा में जीत गये। किन्तु यदि हमने उनका साथ ही नहीं दिया होता, हम भी अकाली दल की तरह उनका बहिष्कार कर देते या और दूसरे लोग भी आज बहिष्कार कर देते तो आज देश की लोकतांत्रिक स्थिति क्या बन जाती। बहुत खेद है, मैं तो यहां तक कहूंगा बन्धुओं, इतना कह सकता हूं कि चलते हुए घोड़े को हमेशा चाबुक मारने की स्थिति आप भी अपने जीवन में मत रखें। यदि वह आपकी सवारियों को ढोता है तो कभी तो उसकी पीठ को थपथपा भी दो ताकि वह स्वाभिमान के साथ और आगे बढ़ सके। कोई तो अच्छा काम हम करते होंगे इसके बीच में, जिस जगह देखो—कन्डेम, जिसके लिए देखो, आप उसका विरोध ही विरोध करते हैं।

दूसरी बात मान्यवर, मैं इन्साफ की कहता हूं। आज इन्साफ से मेरा तात्पर्य केवल मात्र यह नहीं है अदालतों में मिलता

(श्री अर्जुन दास मदान)

है । इन्साफ से मेरा तात्पर्य है कि वह व्यक्ति, चाहे वह किसी सम्प्रदाय का हो, आज अपने जीवन को सही तौर-तरीके से जी सके । आज इन्साफ से मतलब उन लोगों से है जो आज किसी भी धर्म का हो, किसी भी सम्प्रदाय का हो, वह स्वाभिमान के साथ इस संसार में जी सके । आज 92 अदालतें भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिस्थापित की । उसके पीछे केवलमात्र यही है कि वह गरीब किसान, वह गरीब आदमी, जो आज अदालतों के बीच में जाकर अपने बहुत कम साधनों के साथ आगे बढ़ता है वह भी अपने इन्साफ को प्राप्त कर सके ।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आज यह कन्डेम किया गया कि आप जनतंत्र का गला घोंटते हो, आपने पंचायतों को भंग कर दिया । मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूं, तीन साल का जीवन होता है पंचायतों का, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया तैयार है, आने वाले समय में चुनाव होंगे, निश्चित तौर पर चुनाव होंगे किन्तु मैं यह पूछ सकता हूं कि यदि पांच साल तक इस विधान सभा का जीवन काल है तो आप उसे छह साल का बढ़ा सकते है ? यदि 58 साल की उम्र में एक आदमी रिटायर होता है तो अध्यक्ष महोदय, क्या यह कहा जा सकता है कि आप इसको 60 साल तक नौकरी में रहने दें । तीन साल का उनका जीवन था, तीन साल के बाद उनका जीवन समाप्त हो गया, चुनाव होने ही चाहिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि चुनाव होने चाहिए । फिर हम से यह कहा जाता है कि आप जनतंत्र का गला घोंटते है । जनतंत्र का गला तो वह घोंटते हैं जिन्होंने नगर परिषद के चुनाव चौदह सालों तक नहीं होने दिए । जनतंत्र का गला तो वह घोंटते हैं जिन्होंने पंचायतों के चुनाव नहीं कराये और जनतंत्र का गला तो वह घोंटते हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के चुनाव भी चौदह साल तक नहीं कराये और एक वैश्या पतिव्रता धर्म के ऊपर भाषण देती है । एक अन्धा आदमी आज बाजार में सूरमा बेचने के लिए चलता है । मान्यवर, ऐसी स्थितियां यदि समाज में जीवित रही, यदि ऐसे लोग जो करनी और कथनी में अन्तर रखते हैं, यदि वह भी अपनी बात यहां पर कहने का मौका लेंगे, मौका तो सभी को मिलता है, किन्तु कहने से पहले व्यक्ति को अपने जीवन के भीतर टटोल कर देखना चाहिए कि मैं कह क्या रहा हूं और कर क्या रहा हूं ।

तीसरी और अंतिम बात निवेदन करना चाहता हूं रोटी की, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा । मैं इन्साफ की बात कर चुका, राम की बात कर चुका, अब केवल मात्र रोटी के ऊपर अपने आप को केन्द्रित कर दूं । रोटी से तात्पर्य कोई मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी से मेरा नहीं है । रोटी से तात्पर्य केवलमात्र यह है कि व्यक्ति के जीवन में साधनों की इतनी उपलब्धता दे दी जाय कि वह अपने जीवन को भली-भांति चला सके । आज भारतीय जनता पार्टी ने इस अभिभाषण में, जो आपके सामने आया, उसके ऊपर मैं केवलमात्र बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि समय की सीमा में आपने मुझे

(श्री अर्जुनदास मदान)

बांध दिया है, मैं बहुत कम समय लेना चाहूंगा और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखते हैं कि वार्षिक योजना का प्रारूप आज पिछले सालों से 76 प्रतिशत बढ़ गया, क्या यह रोटी देने का साधन नहीं है ? दूसरी बात मैं यह करना चहता हूं कि कृषि विकास के लिए आज इस प्रतिवेदन में और इस अभिभाषण में तीन सौ करोड़ की योजना को बनाया गया, क्या इससे लोगों को रोटी-रोजी नहीं मिलेगी ? इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूर, किसान, जो अपनी उपज की चीजों को ज्यादा समय तक नहीं रोक सकता, उसको 90-91 में 26 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये उसकी एवज में 91-92 के अन्दर 96 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये। उसके पीछे तात्पर्य केवलमात्र इतना है कि किसान, जिसके पास रिटेनिंग पावर नहीं है, जो अपने उत्पादन को अधिक समय तक अपने पास रख नहीं सकता, उसको भी साधनों की इतनी उपलब्धता करा दी जाय कि वह अपनी उपज को रोक सके और समय आने पर जब उसको अधिक पैसा मिले, तब बाजार में जाकर अपने उत्पादन को बेच सके। बीस सूत्री कार्यक्रम की योजना आपके सामने है। मान्यवर, आप कल्पना कर लीजिए कि बीस सूत्री कार्यक्रम में आज पूरे देश में राजस्थान का स्थान यदि सर्वोपरि हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ही हुआ है, उससे पहले कभी नहीं हुआ। जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत केवलमात्र 131 करोड़ रुपये आपको मिले उसकी एवज में राजस्थान सरकार ने 170 करोड़ रुपये का व्यय किया और पांच सौ लाख मानव दिवस कार्य किये। मान लीजिए, मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, यदि मैं 52 दिनों, जो वीकली उठाते हैं, उसको उसमें से घटा दूं और 365 में 312 का भाग दूं तो आप यह कल्पना करियेगा कि एक लाख बासठ हजार लोगों को रोजगार अगर वर्ष भर तक मुहैया कराया गया है नेहरु योजनान्तर्गत, तो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में करवाया गया है। इसके बाद अपना गांव अपना काम योजना तीस जिले तीस काम, एकलव्य योजना, अम्बेडकर योजना, वाल्मिकी योजना, गोपाल योजना, उसके बाद दीनहीन लोगों की सेवा करने का जो प्रादुर्भाव या जो जिज्ञासा, मन में टीस और वेदना और पीड़ा यदि उठी है तो आज भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में इन लोगों के मध्य उठी है जो आज सत्ता को सम्भाले हुए हैं जिसके कि हम भी भागीदार हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृत लाल परमार (अनुपस्थित)

श्री अर्जुन दास मदान : अन्त में, मान्यवर, केवलमात्र इतना ही निवेदन करूंगा कि आज सारे लोगों को, जितने लोग आज उधर भी बैठे हैं, मैं उनसे भी मेरी याचना है, प्रार्थना है कि आज देश के निर्माण में, प्रांत के निर्माण में वह अपनी पूरी भागीदारी दें ताकि हम उन्नति के रास्ते पर अग्रसर हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दकिशोर शर्मा (अनुपस्थित)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्यपाल के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसके सम्बन्ध में अपने विचार पेश करना चाहूंगा। सही मायने में राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि केवलमात्र राजस्थान सरकार कहीं भागीरथ योजना की बात कर रही है, कहीं अन्त्योदय योजना की बात कर रही है, कहीं गोपाल योजना की बात कर रही है, कहीं हरित राजस्थान योजना की बात कर रही है लेकिन सारी बातों के अलावा इस भाषण के अन्दर न तो सरकार की मंशा साफ नजर आ रही है और न इस बात का इण्डीकेशन है कि राजस्थान सरकार की उपलब्धि क्या है और क्या आगे करने जा रही है। मैं सोचता हूं, केवलमात्र ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार नये-नये नारों, नये-नये नामों चुनने में तो मैं समझता हूं कि काफी अग्रणी है। नये-नये नाम चुनने की उपलब्धि तो जरूर नजर आती है। लेकिन इसके क्रियान्वयन की दृष्टि से केवल मात्र आंकड़ों के जाल के अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आता। राजस्थान सरकार ने, अगर यह देखा जाय कि जितनी इसमें प्रशंसाओं की बात की है कि राजस्थान के कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है, योजनाओं को अर्थ-व्यवस्था के अनुकूल ढालने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके विपरीत नजर आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार अगर किसी भी तरह से इसको नापा जाय, इसका मूल्यांकन किया जाय तो किसी भी विभाग के अन्दर अपने आप में सही मायने में साबित नहीं होती।

मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषणों में तो बहुत लम्बी--लम्बी बातें कही हैं कि राजस्थान के अन्दर हम भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे और एक साल के अन्दर भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा लेकिन अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार एक प्रकार से ऐसा लगने लग गया है जो पहले सचिवालय में नजर आता था अब तहसील-तहसील तक पहुंच गया है और मैं सोचता हूं कि पहले के जमाने में आटे में नमक के जितना था अब नमक में आटा मिलाया जा रहा है। ऐसी हालत, मैं समझता हूं कि राजस्थान में पहले कभी नहीं हुई जब खुले तौर पर भ्रष्टाचार शिष्टाचार के रूप में बदल गया हो।

भ्रष्टाचार के नाम पर जिन अधिकारियों के ऊपर केसेज बनाये गये सही माने मेरे खोखलापन सरकार का सामने आ गया। भैरोंसिंह जी की यह नीति कि एक तरफ अधिकारियों को डराकर और उसकी जांच करने के नाम पर एक बार दहशत पैदा कर दी और उसी प्रकार से काम लेना यह मुख्य मंत्रीजी की आदत है। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार के नाम पर अभी तक किसी भी एक अधिकारी को दण्डित नहीं कर पाये हैं। सिर्फ एक बी. के. मीना की बात सामने आई थी लेकिन उसमें भी मैं सोचता हूं कि बहुत कारगर कदम सामने नजर नहीं आया। तो

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि बड़े जोरशोर से कहा था माननीय भैरोंसिंह जी ने सुखाडिया जी के जमाने में कहा करते थे + + + के मामले में लेकिन अब लगता है कि भैरोंसिंह जी ने सारी बातें जो इसी सदन में कही थीं वह निरर्थक साबित हो गयीं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन-कौन सी हुई।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : + + + के ही मामले को लें। आपने कहा था कि कोई भी भ्रष्टाचारी इस राजस्थान सरकार में होगा तो उसको बख्शा नहीं जायेगा लेकिन मुख्य मंत्री जी अब आपके केवल मात्र भाषण ही नजर आने लग गए हैं। राजस्थान की जनता इस बात को अच्छी तरह जान गयी है कि मुख्य मंत्री जी का कहना कुछ और है और करना कुछ और है। कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। ऐसी स्थितियों में राजस्थान के अन्दर पैदा हो गयी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के अन्दर पिछले साल इस प्रकार के मामले इस विधान सभा सत्र में आये जो कि सही माने में राजस्थान सरकार के सामने कलंक थे। बीलवाड़ी हत्याकांड में समझता हूं कि आज तक न्यायिक जांच के नाम पर उसको टाल दिया, कभी सी. बी. आई. के नाम से टाल दिया लेकिन आज बीलवाड़ी हत्याकांड का मामला सही माने में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अगर + + + अग्रवाल का दबाव इसमें नहीं होता तो मैं समझता हूं कि यह सारा मामला जिस प्रकार से खुलता....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : + + + का नाम क्यों ला रहे हैं, हम बैठे हैं न यहां पर।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ऐसा है अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के ऊपर इस प्रकार का दबाव कई बार आ जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई दबाव नहीं है। आपके कहने से जो काम किया आज आप बदल रहे हैं, मुझे इसमें सन्देह हो रहा है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी, ने उस मामले को सी. बी. आई. को जांच के लिए दिया लेकिन अगर सही माने में वह जांच की जाये यदि सारे मामले की तफतीश की जाये तो जो लोग उसके अन्दर थे और सही माने में जो पहले विस्फोटक सामग्री के मामले में पकड़े गये उसके अन्दर लिंक मिला है। सही माने में न्यायिक जांच करा ली जाये तो सारी स्थिति साफ हो जायेगी कि पुलिस के अन्दर दोष नहीं था। एस. पी., डी. एस. पी. को जिस प्रकार से उसमें सस्पेण्ड किया गया मुख्य मंत्री जी के चेम्बर में कभी ऐसा नहीं हुआ और मुख्य मंत्री जी के चेम्बर में अगर अधिकारियों से बात करते समय भी उनकी बातों

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

को अगर टैप किया जाये तो ऐसी घटना राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई। सारे अधिकारियों का मनोबल इस बात से टूट चुका कि मुख्य मंत्री जी से बात करने में टेप किया गया....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिल्कुल गलत है। किसी की बातचीत को टैप नहीं किया गया है। मुझे यह दुख जरूर हो रहा है कि 3 आदमियों की हत्या हो गयी और उन हत्यारों की आप पैरवी कर रहे हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर अगर कोई हत्या करे और कोई दोषी पाया जाये उसको सस्पैण्ड किया जाये। मुख्य मंत्री जी ने कर दिया था लेकिन मैं सोचता हूं कि उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रेशर नहीं होता तो मैं समझता हूं कि एस. पी. जैसा ईमानदार व्यक्ति उस समय था आज भी आई. ए. एस. अधिकारियों के लिए कोई नहीं कह सकता कि महेश्वरी जैसा अच्छा अधिकारी कोई है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी पार्टी के ही एक सदस्य बोले हैं कि एस. पी. को सस्पैण्ड किया जाये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : कालीचरण जी मुझे मालूम है कि अग्रवाल साहब के साथ आप की भी सिफारिश थी और किस प्रकार की चीज थी मुझे मालूम है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि बीलवाड़ी हत्याकाण्ड के मामले में आज भी कुछ नहीं निकला। माननीय अध्यक्ष महोदय, सतवाड़ी गोली काण्ड के मामले में आज तक कुछ नहीं हुआ। सांगानेर के अन्दर गोली चली, वहां पर जो संघर्ष करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चली लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री ने यहां खड़े होकर पैरवी की लेकिन आज तक उनका कोई हल नहीं निकला। (घंटी) अध्यक्ष महोदय टाइम तो अभी हुआ ही नहीं....

श्री अध्यक्ष : आपको मैं 10 मिनट दे रहा हूं जिसमें 7 मिनट हो गये हैं। 3 मिनट और दे रहा हूं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मण्डावरी काण्ड के मामले में आज तक अध्यक्ष महोदय, कोई हल नहीं निकला। जिस प्रकार से पुलिस ने गोली चलाई, साम्प्रदायिक दंगे राजस्थान में इतने हुए आज तक कुछ नहीं हुआ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मण्डावरी काण्ड में जो राजीव जी घोषणा करके गये थे उसमें भुगतान हो गया क्या ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : भुगतान की बात तो मुख्य मंत्री जी वह तो ऐसी है कि जिन लोगों को मिलना था मिल गया होगा आपको इसमे क्या ? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पिछले सत्र के अन्दर जो मामले इस विधान सभा में आये थे राजस्थान सरकार ने उन सारे मामलों को जान बूझकर टाला है और कभी--कभी इन्क्वारियों के नाम पर सारे राजस्थान की जनता को धोखा

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

दिया है और यहां के बैठने वाले विधायकों को धोखा दिया है। मैं सोचता हूं कि सरकार इस मामले में बिल्कुल + + + साबित हुई है। मुख्य मंत्री जी चले गए, मैं कहना चाहता था मुख्य मंत्री जी जो बात आपके सामने कहनी थी आप चले गए। मुख्य मंत्री जी मुझे मालूम है कि आप सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर गए। करनपुर के गांव के अन्दर जिस प्रकार दो महाजनों के बच्चों की फिरौती का काण्ड हुआ, वहां रामसिंह डकैत उठाकर ले गया। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री जी इस प्रकार की वाहवाही लूटने करनपुर जायें और फिरौती के अन्दर 5 लाख रुपये उन महाजन के बच्चों के दिये वहां के लोगों ने और उसके बाद मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मेरे आने से और पुलिस प्रशासन की वजह से डकैतों ने उन बच्चों को छोड़ दिया और मुख्य मंत्री जी केवलमात्र वाहवाही लूटने के लिए करनपुर के अन्दर गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का मुख्यमंत्री जहां 5 लाख रुपये थानेदार लेकर खुद ने 50 हजार रुपये रखे और सारे अधिकारियों में पैसा बांटा तो 3 लाख रुपया डकैतों के पास पहुंचा और उसकी वाहवाही लूट रहे हैं मुख्य मंत्री जी। यही इंगित करता है कि राजस्थान का प्रशासन किस प्रकार से चल रहा है। जहां मासूम बच्चों को उठाकर ले जायें और फिरौती पुलिस ले और उसकी वाहवाही मुख्य मंत्री जी लूटते फिरें इससे ज्यादा शर्मनाक बात राजस्थान में हो नहीं सकती। मुख्य मंत्री जी चले गए, मैं सोचता था कि मेरी बात सुनेंगे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्री जी वाहवाही वहां तो लूट आये लेकिन राजस्थान की जनता और सवाई माधोपुर जिले की जनता इस बात को जानती है कि जिस प्रकार की हालत प्रशासन के अन्दर बनी है ऐसा कभी नहीं हुआ....

श्री अध्यक्ष : बिना मुख्य मंत्री जी के आपको प्रेरणा नहीं मिल रही है बोलने की ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रेरणा तो आसन से मिलती है।

श्री अध्यक्ष : आप बार-बार मुख्यमंत्री जी चले गये, मुख्य मंत्री जी चले गये इसलिए कह रहा हूं मैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : तो उनको सुनना चाहिए था। मुख्य मंत्री जी जान गये कि वह मामला आ रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी मैं माननीय गहलोत साहब को देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी के साथ मैं भी दौरे पर था। अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन करना है कि जब हम मन्दिर में दर्शन करने गये तो उन तीनों बच्चों से पूछा, उनके परिवार वालों से पूछा कि तुमको कोई फिरौती पर छोड़ा है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं छोड़ा,

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दिग्विजय सिंह)

पुलिस ने छुड़वाया है हमको और कोई पैसे नहीं दिये।

श्री चन्दनमल बैद : सब के सामने कैसे कहेंगे वह? अलग से बुलाकर पूछा क्या?

श्री दिग्विजय सिंह : मेरे सामने उन्होंने कहा इस बात को कि कोई फिरौती लेकर नहीं छोड़ा है।

श्री हरीसिंह (महुआ) : आप यह आश्वासन देंगे कि उन बच्चों के खिलाफ और उनके घर वालों के खिलाफ कोई केस नहीं बनायेंगे। हम आपको कहलवा दें आपके सामने वह रुपये देकर आये हैं 5 लाख रुपये... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आज भी कहने को तैयार हैं कि हमने डकैतों के डर के मारे गलत बात कही थी। 5 लाख रुपये दिये हैं।....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : आज भी कहने को तैयार हैं कि हमने डकैतों के डर के मारे गलत बात कही थी। 5 लाख रुपये दिये हैं। व्यवधान....

श्री अध्यक्ष : एक साथ नहीं बोलें। खतम कीजिए आपका टाइम पूरा हो गया।

(समय 1.48 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी तो केवलमात्र प्रशासन की बात पर कुछ कह रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान के अन्दर आज स्वायत्त शासन मंत्री जी जिस प्रकार का लोकल बाडीज के मार्फत न्याय मिलना चाहिए आज मैं सोचता हूं कि यह एक उदाहरण की बात है।

पिछले सत्र के अन्दर मैंने दो मामले उठाये थे उपाध्यक्ष महोदय कि जिस प्रकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है कहीं तो पहली बार हुआ है। नगरपालिका बांदीकुई के अन्दर, नगरपालिका गंगापुर के अन्दर कांग्रेसी सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव रखा गया। कुम्हेर के अन्दर रखा गया और मैं सोचता हूं कि राजस्थान सरकार के जिले के जिलाधीश महोदय द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया कि अमुक तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगा। माननीय सदस्यों को नोटिस मिल गए और जब वह वोट देने दरवाजे पर पहुंचे और एस.डी.ओ. के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजे पर उसको सस्पैण्ड का नोटिस पकड़ा दिया। मैं सोचता हूं कि राजस्थान के लिए ऐसा कलंकित दिन कभी नहीं हो सकता। राजनैतिक काम तो हर पार्टी करती है लेकिन मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग स्वायत शासन मंत्री जी ने राजस्थान में किया है, इन्होंने राजनीति को घोर अपमानित किया है और मैं सोचता हूं कि राजस्थान सरकार यहां बैठने लायक नहीं है.... प्रजातांत्रिक मूल्यों की जिस प्रकार हत्या की है उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोच रहा हूं कि हम लोगों को भी कुछ गलतियां हो सकती हैं लेकिन कांग्रेस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जहां एक बार जिलाधीश का नोटिस जारी हो जाय उसके बाद वोट डालने जाय उसके दरवाजे के ऊपर उसको नोटिस मिले कि आपको सस्पैण्ड कर दिया गया। ऐसा कभी राजस्थान में नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजिये। आपका टाइम पूरा हो चुका है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी का समय काट लें....

श्री उपाध्यक्ष : विराजें आप। नहीं, आगे काटने वाला प्रश्न पैदा नहीं होता है। माननीय लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, आसन पर बैठकर के कुछ अच्छी बातें तो सुनने की आदत डालिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : पार्टी का समय नहीं है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गहलोत साहब, अब आप विराजें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी का टाइम ले लें आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लक्ष्मीनारायण दवे। टाइम है ही नहीं। विराजें।....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम नहीं है। बात और किसी समय पूरी कर दें। आज आखरी दिन नहीं है। अभी तो सत्र चालू हुआ है। माननीय गहलोत साहब, विराजिये। माननीय लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, आप बात को....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्षजी पहले ही दो बार तो बैठा चुके आपको। पहले ही दस मिनट ज्यादा हो गयी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको देना पड़ेगा (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। माननीय लक्ष्मीनारायण दवे। समय नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, पार्टी का समय तो दें....

श्री उपाध्यक्ष : विराजें आप।

श्री चन्दनमल बैद : आप जितना समय रोकने में ले रहे हैं उतने में तो समाप्त कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : जब आपके माननीय सदस्य घण्टा-घण्टा बोल लेते हैं उस समय तो कह रहे थे कि हमारा समय है। अब टाइम नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : और एक दिन के लिए बहुत बढ़ गयी है आपको इसमें क्या एतराज है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बैद साहब, अभी ऐसा होगा, जस्ट अभी आपके कुछ मेम्बर रहेंगे और आप एतराज करेंगे। इसके बाद या तो कह दो कि एक ही बोलेगा।

श्री चन्दनमल बैद : हम अपने टाइम से आगे नहीं जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम से आगे जा रहा है। 20 मिनट कुल है वैद साहब।

श्री चन्दनमल बैद : एक दिन के लिए बहस बढ़ गयी है....

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : एक दिन बढ़ गया इसलिए 5 मिनट बढ़ गये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लक्ष्मीनारायण दवे, आप बोलिये। बिराजिये गहलोत साहब।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह तो उपाध्यक्ष महोदय, आसन की जिस प्रकार मैं कहूं क्या कहूं, अच्छा नहीं लगता।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मेरी बात पूरी हो जाती इतनी देर में। अगर आपका यही नियम है आसन पर बैठकर कि सरकार पर कोई कटाक्ष करे तो उसके मुंह को बन्द करना चाहते हैं तो मैं सोचता हूं कि सब को मत बोलने दीजिए मैं अपनी बात बन्द करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : गहलोत साहब, बिराजिये आप ...

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अगर यही आपका नियम है कि सरकार पर खरी-खोटी बात, जो उनके काले कारनामे, जो-जो गलत नीतियां अपनाई जा रही हैं, राजस्थान में कभी परम्परा नहीं चली उन सारी बातों पर हो रही है। मैं सोचता हूं यही भैरोंसिंह यहां कहा करते थे कि अली बाबा 40 चोर सुखाड़िया मंत्रिमण्डल को भैरों बाबा 40 चोर बना कर मैं सोचता हूं इनको....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप। माननीय लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और सरकार ने जनता को संवेदनशील एवं स्वच्छ प्रशासन देने का वायदा किया था। इस संदर्भ में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पंजाब की स्थिति, आसाम की स्थिति, आसाम में जिस प्रकार बोड़ों का आंदोलन हो रहा है और वहां पर कांग्रेस सरकार है, जिस हिसाब से वहां के आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों के साथ हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, अपहरण किया जा रहा है, पंजाब में जिस प्रकार हत्याएं हो रही हैं और जिस हिसाब से खून की होली खेली जा रही है यह कांग्रेस के शासन में। पंजाब के पश्चात जम्मू और कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकवादियों द्वारा यह कार्यवाही की गयी यह कांग्रेस की देन है। भिंडरावाला जो आतंकवादी पैदा हुआ, यह कांग्रेस प्रशासन की देन थी।

मैं राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमन्त्री, गृह मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में राजस्थान में जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा जो जैसलमेर, बाड़मेर में 400 किलोमीटर लम्बी है उसमें जिस हिसाब से 36 करोड़ रुपये की, जो तस्करों के द्वारा जो तस्करी

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

करते हैं, चाहे ब्राउन शुगर हो, चाहे अफीम का मामला हो, चाहे अन्य मादक पदार्थों की तस्करी का मामला हो, उन्होंने एक संवेदनशील प्रशासन के द्वारा कोशिश की दक्षता के कारण और राजस्थान सरकार के कार्यों में 36 करोड़ रुपये के मादक पदार्थों को पकड़ा गया तथा तस्करों को पकड़ा गया। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर अन्य प्रदेश, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे पंजाब, चाहे हरियाणा हो, चाहे और कोई प्रदेश हो उसकी तुलना में राजस्थान में शांति, जो कायम हुई है, यहां शांति है, किसी प्रकार की अशांति नहीं है जब कि हमारे बोर्डर पर 400 किलोमीटर पाकिस्तान बोर्डर और पाकिस्तान के लोग यहां पर आतंकवादियों को भेजने के लिए, यहां पर अशांति पैदा करने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न किये परन्तु राजस्थान की सरकार के मुख्यमन्त्री और गृह मन्त्री के कार्यकलाप के द्वारा और यहां के प्रशासन की सूझबूझ के द्वारा यहां पर शान्ति कायम है। जिस प्रकार से आतंकवादियों ने राजस्थान में आतंकवादी गतिविधियां करने की कोशिश की, हमारी सरकार ने उनको कठोरता से दण्डित किया और कठोरता से पालन कर पुलिस प्रशासन द्वारा, चाहे मिलेट्री द्वारा, चाहे आर. एफ. सी. द्वारा उनको नैस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष में बैठे हुए सदस्य जो ग्राम पंचायतों के चुनावों के बारे में जिस प्रकार कहते हैं कि ग्राम पंचायतों में वहां पर सचिवों की नियुक्ति कर दी गयी, मैं विपक्षी सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि हमने, राजस्थान सरकार ने नगर पालिकाओं के चुनाव कराये, हमने ग्राम सेवा सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराये। इतने अंतराल के बाद में कांग्रेस ने जो नगर पालिकाओं के ऊपर प्रशासक नियुक्त किये थे उनके स्थान पर हमने वहां पर चुनाव कराकर सही लोकतांत्रिक पद्धति कायम की। जो माननीय सदस्य विपक्ष में बैठे हैं, जो पंचायतों के बारे में नहीं जानते हैं मैं तो 81 में सरपंच था और उसके बाद 88 में वहां का प्रधान बना इसलिए गांवों की समस्याओं के बारे में, पंचायतों के फंक्शन के बारे में जितनी जानकारी मुझे होगी उतनी माननीय विपक्षी सदस्यों को नहीं होगी। पंचायत का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् और यहां के सरपंचों के द्वारा जिस प्रकार जवाहर रोजगार योजना या अन्य योजनाओं के द्वारा जिन लोगों के गबन, घोटाले हुए और उनका कार्यकाल समाप्त होने के कारण प्रजातांत्रिक पद्धति के आधार पर उनको हटाना लाजमी था और उसके बाद आज गांवों की मांग है कि ज्यादा से ज्यादा पंचायतों का पुनर्गठन हो, ज्यादा से ज्यादा पंचायतें बनें उसी मंशा के आधार पर राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्रीजी, गृह मंत्रीजी एवं पंचायत राज मंत्रीजी ने जनता की भावनाओं का आदर करते हुए पुनर्गठन का आदेश दिया। पुनर्गठन की सीमायें हैं। पुनर्गठन के लिए समय हो इसलिए मैं राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पंचायत राज मंत्री का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने यह जो गांवों की प्रमुख मांग थी कि जो पंचायत है, एक पंचायत में 8-8 गांव थे जिनकी दूरी 20-20 किलोमीटर

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

थी। 8–8 किलोमीटर और 15–15 किलोमीटर थी उन्होंने पुनर्गठन की घोषणा की और कार्यवाही जारी है इसलिए इनका यह कहना कि पंचायतो के ग्रुप सचिव को नियुक्त कर दिया गया इसके साथ में राजस्थान में और गृह पंचायतों में कमेटी का भी पुनर्गठन हुआ। जो वहां का प्रधान अध्यापक, ग्रुप सचिव और वहां का गांव का मुखिया जो गांव की ग्राम सभा में उनकी नियुक्ति होकर के उस हिसाब से 5 व्यक्तियों की कमेटी नियुक्त की गयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिकता की बात हमारे विपक्षी सदस्य बड़े जोर-शोर से कहते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्रीजी और हमारे गृह मंत्रीजी के इस कार्यकाल में जितना संयम्, शांति और अमन का वातावरण रहा, जो कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं रहा। मैं इनको जानकारी देना चाहता हूं कि सन् 1985 में 6 घटनायें घटी। इनमें से 103 व्यक्ति घायल हुए और करीबन 3 लाख की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। इसके पश्चात् 1986 में 5 घटनायें घटित हुई और 41 स्थानों पर तनाव हुआ और करीबन 2 लाख रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 87–88 और 89 में जिस प्रकार हमारे राजस्थान की जनता और इनके कांग्रेस के कार्यकाल में जिस प्रकार साम्प्रदायिक तनावों में साम्प्रदायिकता फैली उसमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार अक्षम साबित हुई। इनका ही चिट्ठा मैं बताना चाहता हूं। राजस्थान में इन 2 साल के कार्यकाल में किसी प्रकार की कोई साम्प्रदायिक घटना नहीं हुई। चाहे दीगोद का मामला हो, चाहे मकराना का मामला हो, चाहे कोटा का मामला हो, इतनी लम्बी फहरिस्त, लिस्ट है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के शासन काल में जितनी साम्प्रदायिक घटनाएं हुईं उनकी गिनती करने में आधा घंटा, पौन घंटा लगेगा कि इतने गांवों के अन्दर साम्प्रदायिक घटनाएं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

(2.00 म. प.)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री जब 77 में मुख्य मंत्री बने थे उस समय उन्होंने एक अन्त्योदय योजना जो गरीबी की रेखा से नीचे व्यक्ति हैं, जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं उनके लिये जारी की थी। इस कांग्रेस सरकार के आने के बाद उस अन्त्योदय योजना को बिल्कुल ठप्प कर दिया गया। पुनः माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस अन्त्योदय योजना को जारी कर गत वर्ष में 22 करोड़ रुपये से 70 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया। यह अन्त्योदय योजना राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान ही नहीं, विश्व के अन्दर प्रसिद्ध योजना है। मैं मुख्य मंत्रीजी को और विशिष्ट योजना संगठन मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अन्त्योदय योजना के तहत 70 हजार व्यक्तियों को लाभान्वित किया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दवे साहब, पूरा कीजिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांवों के अन्दर पेयजल की जहां तक समस्या की बात है, मैं तो अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं, सोजत विधान सभा क्षेत्र के 45 गांव ऐसे हैं जहां फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मिलता है। मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों की समस्याओं को देखते हुए साढ़े पांच करोड़ की एक योजना स्वीकृत की और जहां खारा पानी था उस पानी को बन्द कर नये ट्यूबवैल की व्यवस्था करके उन ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था की। इसके लिये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दवे साहब, ओवर कीजिये अब आप।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार की यह पद्धति थी, उनका कार्य करने का तरीका यह था कि जिस वक्त चुनाव आते थे उस वक्त स्कूलों की घोषणा की जाती थी, सड़कों के निर्माण की घोषणा की जाती थी। परन्तु चुनाव को मद्दे नजर नहीं रखते हुए, जनता के विकास के लिये, गांवों के विकास के लिए हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने 1990 के अन्दर चुनाव के बाद 1896 स्कूल नये खोले हैं, हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं। कांग्रेस ने 89 के अन्दर जैसे सेना जिस वक्त हार जाती है, हारते हुए सैनिक हैं, जाते-जाते कि दिल्ली में हमारी सरकार चली गयी, राजस्थान की जनता भी हमें अंगूठा दिखाने वाली है तब 1752 स्कूल खोले चुनावों को मद्दे-नजर रखते हुए। हमारे मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं और बधाई के पात्र हैं कि चुनाव समाप्त होने के पश्चात् उन्होंने यह स्कूल खोलने की घोषणा की और यह स्कूल खोले।

1991-92 में 26.55 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं के तहत स्कूल भवन के निर्माण के लिये राजस्थान सरकार ने व राजस्थान के शिक्षा मंत्रीजी ने स्वीकृत की। जहां गांवों के अन्दर बच्चों के बैठने के लिये भवन नहीं थे, बच्चों की पर्याप्त संख्या के पश्चात् भवन उपलब्ध नहीं थे वहां 26.55 करोड़ रुपये की तो भवनों के लिए स्वीकृति की। आज गांवों के अन्दर कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसके अन्दर भवन नहीं हो और बच्चों के लिए बैठने के लिये भवन उपलब्ध नहीं करवाया हो। यह बधाई के पात्र हैं कि एक इन्होंने इस प्रकार का रिकार्ड कायम किया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया दवे साहब। मुझे दूसरे का नाम पुकारना पड़ेगा। आप कनक्लूड कर दीजिये आपके भाषण को।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : 1991-92 के बजट के अनुसार 125 प्राथमिक विद्यालयों के स्थान पर 241 अपर प्राथमिक स्कूल उन्होंने खोले। इसी प्रकार 80 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्थानों पर 141 विद्यालयों को उन्होंने क्रमोन्नत किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के तहत जो गांवों में एकल अध्यापक था उसके स्थान पर 5129

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

पद अध्यापकों के सृजित करके वहां पर दो अध्यापकों की नियुक्ति की।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिये। अब माननीय श्री किशन सोनगरा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री इसके लिये धन्यवाद के पात्र हैं।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तिलम संघ की इन्होंने स्थापना की। तिलम संघ द्वारा जिस हिसाब से रिकार्ड उत्पादन हुआ, तिलहन और तिल्ली के मामले में नाना प्रकार के शोध किये गये। मैं राजस्थान सरकार व राजस्थान के कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार आपने राजस्थान में तिलम संघ की स्थापना की, सोजत विधान सभा क्षेत्र में मेंहदी की शुष्क खेती होती है, 14 करोड़ की विदेशों में यह मेंहदी एक्सपोर्ट होती है परन्तु इस मेंहदी का उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण काश्तकारों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री जी और कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस मेंहदी के बारे में कोई न कोई शोध कराया जाय और उचित मूल्य के बारे में व्यवस्था की जाय ताकि काश्तकारों को उनके उत्पादन का सही मूल्य मिल सके और सोजत विधान सभा क्षेत्र, रायपुर और जैतारण के काश्तकार इससे लाभान्वित हो सकें।

श्री उपाध्यक्ष : इसे ओवर कीजिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, अपना गांव अपना काम का जहां तक प्रश्न है

श्री उपाध्यक्ष : अब आप ओवर कर दीजिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : आज अपना गांव अपना काम योजना के तहत हर ग्राम पंचायत के अन्दर भवन बन रहे हैं,....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज दवे साहब, अब विराजिये आप।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : प्राथमिक शालाएं बन रही हैं, हास्पिटल बन रहे हैं। यह अपना गांव अपना काम के हिसाब से गांवों के सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है....

श्री उपाध्यक्ष : अब इसे कन्क्लूड कीजिये आप। कृपया विराजिये। माननीय लक्ष्मीनारायण दवे साहब, विराजिये। माननीय श्री श्रीकिशन सोनगरा।

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुए मैं इस सदन में एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं कि पिछले दिनों बहस में हमारे विपक्षी सदस्यों ने बार-बार राजस्थान में साम्प्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को लेकर, एकता यात्रा को लेकर कई आरोप-प्रत्यारोप किये हैं। मैं उनको विशेष तौर से पिछले वर्ष के बारे में यह कह सकता हूं, वर्ष 1991–92 राजस्थान में साम्प्रदायिक सद्भाव और भाईचारे का वर्ष रहा है और इस सबका अगर वह उदाहरण देखना चाहते हैं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र अजमेर

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

में वह देखलें। अभी-अभी अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना उर्स का मेला लगा था। मैं कह सकता हूं, लाखों की तादाद में पूरे देश और विदेश से जायरीन वहां आये थे। जितने भी उनके अनुयायी थे उस मेले में लाखों में आये थे। पाकिस्तान का भी एक दल जायरीनों का वहां आया था। वहां की प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और जितनी भी सुचारु व्यवस्था हो सकती है उस सारे कार्यक्रम की हमारे देश के जायरीनों ने तो तारीफ की ही की, मगर मैं यह कह सकता हूं कि वह जो पाकिस्तान से जायरीनों का दल आया था उसने राजस्थान सरकार की व्यवस्था और साम्प्रदायिक सद्भाव की मीटिंग में वहां सराहना की थी। यह एक इतना बड़ा सर्टिफिकेट है जो पाकिस्तान के नागरिक यहां आकर इस राजस्थान सरकार को देकर गये हैं। इस सबके बाद मैं आपका ध्यान इस ओर भी ले जाना चाहता हूं, एकता यात्रा को लेकर जिस तरह से आपने सवाल खड़ा किया, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस एकता यात्रा में क्या वहां तिरंगा झंडा फहराने की बात भाजपा द्वारा किया जाना कोई गुनाह है क्या? आपको याद हो कि पिछले वर्ष उस लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा लहराया था। सारी जन आकांक्षाओं और जो देश में एक वातावरण बन रहा था देश की एकता और अखण्डता की बात को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशीजी निकले थे, उन्होंने पिछले साल जहां पाकिस्तान का झंडा लहराया था वहां जाकर इस देश का झंडा लहराया। यह काम उन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर किया था। यह सारी बातें क्या बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के साम्प्रदायिक सद्भाव और एकता के लिये कितनी तत्पर है। यही नहीं, मैं आपके सामने यह भी प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह हमारे अजमेर में स्थित है, आपका भी शासन रहा है, उसके सौंदर्यकरण के लिये, उस क्षेत्र के विकास के लिये आप लोगों ने क्या किया? मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इन दो सालों में 50 लाख रुपये उस क्षेत्र के सौंदर्यकरण के लिये और सारे कार्यक्रमों के लिये वहां खर्चा कराया है। और तो और, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि उस दरगाह के लिये जब कभी अजमेर शहर की बसावट रही होगी तब रास्ते ठीक थे, आज वह सब बाजार में परिवर्तित हो गये उनकी वजह से जाने-आने के लिये जायरीनों को भारी संकट हो रहा है। इस नाते मुख्य मंत्रीजी ने एक महती योजना भी बनायी और उस दरगाह तक एक समानान्तर सम्पर्क सड़क का निर्माण कराया, उसके लिये करोड़ों रुपये खर्च होंगे। यह सारी व्यवस्था मुख्य मंत्रीजी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और उस स्थान के लिये कर रही है जो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए सर्वमान्य, सबसे बड़ा स्थान है, जो अजमेर में स्थित है। इस तरह से केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। यही नहीं, खुद मुख्य मंत्रीजी उस दरगाह क्षेत्र में गये और जो रास्ते थे लंगर खाने की गली तक पैदल चल कर

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

उन्होंने वहां के सौन्दर्यकरण और वहां की सड़कों का, सबका जायजा लिया है। तो जो हमारे संवेदनशील मुख्य मंत्रीजी और हमारी संवेदनशील सरकार है, साम्प्रदायिक सद्भाव के लिये बिना भेद-भाव के कार्य कर रही है। उस पर इस तरह के आरोप लगाना, मैं सोचता हूं, उचित नहीं है।

इसी तरह से पुष्कर राज में भी हमने देखा। पिछले साल कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरा। देश और विदेशों से लाखों की तादाद में लोग आये। इस बार तो विदेशों से इतनी बड़ी संख्या में वहां लोगबाग आये। सारे धर्मावलम्बियों ने भाग लिया। जिस तरह से अजमेर जिले में ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स और पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का मेला, दोनों आयोजित हुए और उसमें जितना साम्प्रदायिक सद्भाव नजर आया और उसमें सरकार को देश के ही नहीं विदेश के लोगों ने भी सराहा, उस सबके लिए मेरे साथ साथ विपक्ष को भी मुख्यमन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। राजस्थान की सरकार जब से भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में काम कर रही है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और अच्छे काम उसने अनुसूचित जाति के बन्धुओं के लिए किये हैं। उन्होंने सरकार में आने के बाद राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास खोले, उनकी अर्थव्यवस्था खराब थी, उनके फर्नीचर खराब थे, उनके शयनकक्ष के लिए बिस्तर खराब थे, उन्होंने उन सबको बदलने की व्यवस्था की और प्रति छात्र खर्चे को बढ़ाया, छात्रवृत्ति को बढ़ाया। इसी तरह से अनुसूचित विकास सहकारी निगम द्वारा जितनी योजनाएं चली हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा धन देकर पैकेज आफ प्रोग्राम के आधार पर जो योजनायें चलती हैं, अनुसूचित जाति के लोगों को देने के लिए उनमें ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य प्राप्त करके 5 हजार रुपये तक का अनुदान देकर जिस तरह से गरीब व पिछड़े लोगों की सेवा राजस्थान सरकार कर रही है, उसके लिए मैं समाज कल्याण मन्त्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जो प्रतियोगी परीक्षायें होती थीं, उसमें यह चयनित नहीं होते थे। तो इन्होंने मन्त्री बनने के बाद उनके प्रशिक्षण सेण्टर खोले और मेरे अजमेर में आई.ए.एस., आई.पी.एस. आर.जे.एस., आर.ए.एस. के जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उनके लिए राजस्थान स्तर पर एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना अजमेर में की। मैं यह सब इसलिए कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से बार-बार चिल्लाकर अनुसूचित जाति, मुस्लिम भाइयों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से राजस्थान सरकार खुले दिल, खुले मन और हृदय से उन लोगों के काम कर रही है, वह इतिहास में हमेशा-हमेशा याद रखा जायेगा। यही मैं इस समर्थन में कहता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री कन्हैया लाल जी मीणा। (अनुपस्थित) श्री शांतिलाल जी। (अनुपस्थित) श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में जब से राजस्थान में भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार बनी है, तब से साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण बना है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है जब विधान सभा सत्र प्रारम्भ हुआ, तब माहिर आजाद जी मुझे बता रहे थे कि कांग्रेस और जनता दल की संयुक्त मीटिंग हुई थी। विपक्षी और सबने मिलकर निर्णय लिया है कि इस प्रकार सरकार का विरोध करना है। माननीय देवपुरा जी कल राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे थे तो हमारी बुराई कर रहे थे कि यहां साम्प्रदायिक दंगे बढ़े हैं और माहिर आजाद जी जब बोल रहे थे तो दिग्विजयसिंह जी साहब को धन्यवाद दे रहे थे कि साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए। विपक्ष में ही एकता नहीं, हालत तो यह है। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है।

श्री उपाध्यक्ष : हां बोलिये। प्रारम्भ करिये आप तो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार ने पिछले दो वर्ष में भागीरथ योजना, अपना गांव अपना काम योजना, तीस जिले तीस काम योजना प्रारम्भ की है, उससे राजस्थान के विकास में बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि देवपुरा जी कह रहे थे कि अपना गांव अपना काम योजना में गांवों का विकास बिल्कुल ही नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चित्तौड़ जिले में मेरी स्वयं की कांस्टीट्वेन्सी में हालत यह है कि लोग पैसे इकट्ठे कर करके रोज वहां पर आते हैं और लोगों की इसमें जागरूकता बढ़ी है। जितने विकास कार्य होने चाहिए थे, उसमें डेढ़ गुने विकास कार्य हुए हैं। क्योंकि कांग्रेस के माननीय विधायक अपने क्षेत्र में घूमते नहीं हैं, पैसे इकट्ठे करते नहीं हैं, कार्य करना नहीं चाहते हैं, खाली सरकार की बुराइयां करते हैं। तीस जिले तीस काम योजना में प्रत्येक जिले में एक-एक कार्य लिया गया है। हमारे जिले में पेयजल समस्या को लिया गया है।

श्री परसादीलाल मीणा : आपके इलाके में अपना गांव अपना काम योजना में कितना काम हो रहा है?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मेरी कांस्टीट्वेन्सी में 22 लाख के काम चल रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : कितने गांव हैं?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : 22 इलाके हैं मेरी कांस्टीट्वेन्सी में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री परसादीलाल जी। शुरू कीजिए। आप नये सदस्यों को सहयोग कीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : नये सदस्यों का क्या सहयोग करेंगे। यह तो हमें बिठाने के चक्कर में हैं। हमारे यहां पेयजल योजना को लिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के 40 साल के शासन में जिस तरह से इन्होंने नार्म्स तय किये थे कि 1971 की आबादी इतनी होगी तो इस गांव में पेयजल योजना होगी, 1981

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

की आबादी इतनी होगी तो इस गांव में पेयजल योजना होगी। वह नार्म्स सिर्फ आम लोगों के लिए थी, लेकिन यह चाहते थे जहां करवा लेते थे। आज विधायकों को तीस जिले तीस काम योजना में इतने अधिकार मिल गये हैं कि अपनी इच्छा से जहां नार्म्स नहीं हो, तब भी वह जहां पानी की समस्या हो, वहां इस योजना के आधार पर पानी की ट्यूबवैल खुदवा सकते हैं, पनघट योजना प्रारम्भ करवा सकते हैं। यह भैरोंसिंह जी की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले दो वर्षों में जिस तरह से राजस्थान का विकास हुआ है, राजकीय खर्चों में कमी आई है, कांग्रेस की सरकार में मंत्रियों के टेलीफोन के बिल और कारों के खर्चे उठाकर देख लीजिए। अब राजस्थान का जो मंत्रीमण्डल बना है, उसके पिछले दो सालों के खर्चों की तुलना कांग्रेस के शासन के खर्चों से करें तो 10 प्रतिशत खर्चा भी नहीं है।

श्री यदुनाथसिंह : जितना ज्यादा खर्चा होगा, उतना ज्यादा काम करेंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : खर्चा टेलीफोन से नहीं होता है। काम करने के तरीके से होता है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का पूरा प्रयास किया गया है। कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। तिलम संघ की स्थापना की गई। अकाल राहत की बात माननीय विपक्षी सदस्य करते हैं, 93 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को दिये हैं और कांग्रेस के शासन में 644 करोड़ रुपये मिले थे। तो जो हमें 93 करोड़ मिले हैं, वह तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। विपक्ष के सदस्य सिर्फ भ्रांति फैलाना चाहते हैं। जबकि राजस्थान के विकास में जिस तरह से सहकारी संस्थाओं के चुनाव, मार्केटिंग सोसायटी के चुनाव, जी. एस. एस. के चुनाव, उपभोक्ता भंडार के चुनाव हुए हैं, इन्होंने पिछले कई वर्षों से नहीं कराये थे। नगरपालिकाओं के चुनाव जो इन्होंने पिछले कई वर्षों से नहीं कराये थे, हमारी सरकार ने कराये हैं। मैं पंचायत राज मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने प्रशासनिक व तकनीकी स्तर पर 50 हजार रुपये की स्वीकृति करने का प्रयास किया है....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कौन करेगा वह ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सरपंच जो भी होंगे, बनेंगे। अभी तो सचिव कर रहे हैं। जयपुर में दो करोड़ की लागत से खेल समूह बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि पिछले दो वर्षों में भैरोंसिंह जी की सरकार ने आदिवासियों और वनवासियों का जितना भला किया है, कांग्रेस के 40 साल के शासन में उतना भला नहीं हुआ। तेंदुपत्ता जो आदिवासियों की कमाई का, इनकम का साधन है, कांग्रेस वालों ने 10 रुपये उस गड्डी के तय किये थे और भैरोंसिंह सरकार ने उसको डबल कर दिये 20 रुपये। बारानी जमीन पर लगान माफ किया, कर्जे माफ किये और कच्ची शराब के जो झूठे मुकदमें बनाये थे, उन सबको हटाया। विपक्षी सदस्य खाली बातें करना जानते

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

हैं। विकास कार्य इन्होंने कुछ भी नहीं किया। चिकित्सा विभाग ने पिछले दो वर्षों में राजस्थान के गांव-गांव में डाक्टर पहुंचाने की व्यवस्था की है, कांग्रेस के 40 साल के शासन में भी गांवों में इतने डाक्टर नहीं पहुंचे। पिछले दो वर्ष में 1843 डाक्टर गांव में पहुंचे हैं। इसी तरह से पंचायत हैड क्वार्टर पर रेफरल अस्पताल खोले गये, 50 एडपोस्ट खोली गई...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जहां-जहां एम्बुलेन्स की व्यवस्था नहीं थी, वहां एम्बूलेंस की व्यवस्था की गई। सड़कों के लिए निवेदन करना चाहूंगा, 1971 में जब 1500 की आबादी थी, वहां जो पंचायत हैड क्वार्टर्स हैं, उनको सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया गया। एक किलोमीटर के जितने भी पंचायत हैड-क्वार्टर हैं, वहां भी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उसी तरह से कृषि उपज मण्डी के माध्यम से और खनिज विभाग के माध्यम से करोड़ों रुपये की सड़कें आज पूरे क्षेत्र में बन रही हैं।....

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरा कीजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कभी-कभी बोलता हूं, वक्त तो दें मेरे को। जिस तरह से सावलियाजी ट्रस्ट हमारे क्षेत्र में उस ट्रस्ट में भ्रष्टाचार का इतना बोलवाला था, सारे कांग्रेस के नेता उस ट्रस्ट से पलते थे, सारे चन्दा लेते थे, चुनाव लड़ते थे, करवाते थे, उसको हमारी सरकार ने भंग करके और सरकार के अधीन में लिया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान की सरकार, जब भैरोंसिंह शेखावत साहब की सरकार बनी थी उस वक्त सबसे पहले हमने सस्ते न्याय की बात कही थी और सस्ता न्याय की बात जब हम करते हैं तो राजस्थान में 11 ए.डी.जी. कोर्ट, 28 मुन्सिफ कोर्ट, 18 कोर्टों को क्रमोन्नत किया गया, दो साम्प्रदायिक दंगा कोर्ट खोले गये। इसी तरह से सस्ता न्याय दिलाने का यह प्रयास किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में 40 साल में यह हालत थी कि जब पनघट योजना या दूसरी स्कीमों को फाइनल करने की मीटिंग होती थी वह कांग्रेस के टाइम में एक-एक साल, डेढ़-डेढ़ साल तक मीटिंग ही नहीं होती थी। मैं माननीय भंवरलाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हर 15 दिन में, एक महीने में मीटिंग बुलाते हैं और नयी-नयी स्कीम स्वीकृत करवा कर राजस्थान की पेयजल की समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं।....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया पूरा कीजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : इसी तरह से 1300 गांवों में हैण्ड पम्प लगाये गये और 318 गांवों को विद्युतिकृत किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में जिस तरह गांव-गांव में शिक्षक के रिक्त पद पड़े थे उनमें 5 हजार नये शिक्षकों की भर्ती करके उन पदों को भरने

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

का प्रयास किया गया है ताकि शिक्षा का विकास हो सके। उसी तरह से बिना भेद-भाव के जितनी स्कूलें क्रमोन्नत हुई हैं चाहे सैकण्डरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो और चाहे टेन प्लस टू हो जो आज तक नहीं हुई। यह एक शिक्षा के विकास में बहुत जबर्दस्त प्रगति की है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिये। माननीय प्रद्युम्नसिंह जी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट नहीं। टाइम हो चुका है। जल्दी ओवर करिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अंत में मैं एक बात कहूंगा। एकता यात्रा की जिस तरह बुराई की है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 40 साल में इन्होंने जो देश का सत्यानाश किया है, जो देश में साम्प्रदायिक दंगे हुये हैं, जिस तरह से उन्होंने देश में साम्प्रदायिक दंगों को बढ़ावा दिया है, इन दो साल में साम्प्रदायिक भेदभाव का वातावरण बना है और एकता यात्रा के माध्यम से माननीय मुरली मनोहरजी जोशी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस साहस से देश को एक करने का प्रयास किया है वह अपने आप में अनूठा है। मैं अंत में एक बार फिर आप सब को धन्यवाद देते हुए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्नसिंह जी।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय प्रद्युम्नसिंह जी को भी 7 मिनट मिलेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : दवेजी को 7 मिनट नहीं 20 मिनट दिये हैं तो मुझ पर भी कृपा करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : 12 मिनट लिये हैं उन्होंने तो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरी घड़ी गलत नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष : सब नोट है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरे दल के माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया और इस अभिभाषण का उन्होंने विरोध किया। वैसे इस अभिभाषण के अन्दर कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी वजह से इस अभिभाषण का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन किया जा सके।

श्रीमन्, एक सबसे बड़ी अहम बात है जो पिछले दो सालों से सुनने को मिली। वह भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी से बहुत जोर-शोर से खोखले दावे जनता के समक्ष प्रस्तुत किये उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। अगर आप इस अभिभाषण को पढ़े तो 1977 में मुख्य मंत्री हुये थे तब तो उन्होंने कहा मैं भ्रष्टा-को नाक के नथूनों से निकलवा लूंगा और

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अब के कहा भ्रष्टाचार को समाप्त करके ही दम लूंगा। आज दो साल तो हो गये, श्रीमन्। अगर शतप्रतिशत भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो मुझे तो राजस्थान में कहीं दो साल में 40 फीसदी भ्रष्टाचार समाप्त होता नजर आया नहीं बल्कि उल्टा शतप्रतिशत राजस्थान के अन्दर उनके शासनकाल के अन्दर बढ़ा है ऐसा मेरा मानना है।

यहां एक अधिकारी को लेकर, एक अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को लेकर बड़ा शोर मचा। कुछ आई.ए.एस. अधिकारियों के बारे में उन्होंने स्वयं अखबारों को खबर दे दी, लीक करवा दी बाद में कन्ट्रावेन्शन कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। मैं जब तक किसी के बारे में ठोस प्रमाण नहीं हो उन अधिकारियों का यहां पर नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। लेकिन आम जनता राजस्थान की क्या महसूस करती है भ्रष्टाचार के बारे में इस तरफ, मुख्यमन्त्री जी को, इस सरकार को सोचना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ही पूछता हूं कि राजस्थान के महकमों के बारे में कहा जाता है, जो महत्वपूर्ण महकमे हैं जिससे जनता का डाइरेक्ट सम्बन्ध है, क्या वहां भ्रष्टाचार समाप्त हुआ ? आज पटवारी का गांव के अन्दर वही हाल है। मैं एक-एक डिपार्टमेन्ट बता देता हूं। रेवेन्यू डिपार्टमेण्ट को ले लीजिये। आज रजिस्ट्रेशन करवाने गांव का काश्तकार जाता है तो वहां पर पर्सेण्टेज बंधी हुई है, पटवारी से नकल लेने जाओ तो वहां पर्सेण्टेज बंधी हुई है। उधर आपने सरपंचों को रवाना कर दिया, दो साल से आपने उन ग्राम सेवक और सेक्रेटरी की मर्जी के ऊपर छोड़ दिया। किसान को कहां राहत है ? यह मुझे सरकार बतावें।

ऐसे ही पुलिस का हाल है। गृहमन्त्री जी सामने बैठे हुए हैं। पुलिस के अन्दर रिपोर्ट दर्ज करवाने जाय तो कुछ दें। आज पुलिस वालों का तो हाल यह हो गया कि सबेरे जैसे दुकानदार ताले को, दुकान को सिर लगाते हैं उसी प्रकार यह करते हैं कि आज इतनी रिपोर्ट दर्ज होगी, रिपोर्ट दर्ज होने का मतलब चाहे रिपोर्ट करवाने जाये तो उसे पैसा देना होगा और जिसके खिलाफ रिपोर्ट की जायेगी तो उनसे पैसे वसूल कर लेंगे। आज पुलिस का तो यह हाल हो गया है, मान्यवर। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था एक्ससाइज डिपार्टमेण्ट के बारे में पूरे सदन के अन्दर हल्ला मचा था, पिछले सत्र में भी मचा, इस सत्र में भी मचा कि एक्ससाइज की अवैध दुकानें चल रही हैं। किस प्रकार से अवैध दुकानें चल रही हैं, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। सारे एक्ससाइज डिपार्टमेण्ट के लोग और पुलिस के लोग मिलकर पैसा वसूल करते हैं। श्रीमन् आपको जानकर ताज्जुब होगा अभी चार दिन पहले धौलपुर के अन्दर जहरीली शराब पीने से 8 आदमी मर गये, कुछ अंधे हो गये। अखबारों में तो आया नहीं। अब किन कारणों से अखबार के अन्दर नहीं आया। क्या एक्ससाइज डिपार्टमेण्ट की बिना मिलीभगत के इस प्रकार की मौतें हो सकती हैं और सरकार की तरफ से इतना समय निकल जाने के बाद क्या एक्शन हुआ। श्रीमन्, इसी प्रकार आप ले लीजिये सैल्स टैक्स डिपार्ट-

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

मेण्ट। व्यापारियों पर क्या बीत रही है। रजिस्ट्रेशन के वक्त, असेस्मेण्ट के वक्त क्या हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेण्ट जो है वह है ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेण्ट। इसने तो एक कीर्तिमान कायम कर दिया भ्रष्टाचार का राजस्थान के अन्दर। कितने अवैध वाहन चल रहे हैं राजस्थान के अन्दर? रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन के वरिष्ट अधिकारी ने हम लोगों के सामने इन्फोर्मल तौर से एक्सेप्ट किया कि आज राज्य सरकार को अवैध वाहनों के चलने से 70 करोड़ रु. का साल का नुकसान हो रहा है। 70 करोड़ रुपये। तो साल में कितना पैसा ट्रान्सपोर्टर की जेब में जाता है या जो आपरेटर्स हैं उनकी जेब में जाता है और बाकी रिश्वत के रूप में। उनका कहना था श्रीमन्, कि 30 करोड़ रुपया ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी और पुलिस अधिकारी अपनी जेब के अन्दर डाल रहे हैं। यह तो भ्रष्टाचार समाप्त करने का नमूना है, श्रीमन्। आप चले जाइये मेडिकल डिपार्टमेंट में। दवा लोगों को मिलती नहीं। डाक्टर घरों के ऊपर ही मरीजों को देखते हैं। मेडिकल ज्यूरिस्ट का हाल क्या हो गया जो आज किसी से छिपा नहीं है। अस्पतालों में एक्स-रे करवाने जावो तो वे कह देते हैं कि प्राइवेट क्लिनिक पर एक्स-रे करवाया जाय, और दूसरे प्रकार के टैस्ट करवाने जाये तो प्राइवेट क्लिनिक पर करवायें। तो आप जो लम्बी-चौड़ी लोगों से बातें कर रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार को समाप्त करूंगा। इस आम जनता को इस भ्रष्टाचार से कब राहत मिलेगी। यह आप कृपया सरकार बताने की कृपा करेंगी। इन्होंने कौन-कौन से रोकने के उपाय किये। खाली अखबारों के जरिये, कुछ अखबारों में, मैं सब अखबारों का नहीं कहता हूं, कुछ अखबारों के जरिये खाली मात्र प्रचार कर देने से राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाप्त होने वाला नहीं है। और एक बड़ी हंसी की बात हो रही है। आपने एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के जरिये लोगों को, लड़कों को नौकरी देना बन्द कर दिया। कहा जाता है कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। राजस्थान से भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कहते हैं और एक छोटा सा डिपार्टमेंट एम्प्लायमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट है जिसमें आपने भ्रष्टाचार समाप्त किया नहीं। असली मकसद उसके पीछे यह था कि आप अपने लोगों को, अपने चहेतों को भर्ती करवाना चाहते थे डाइरेक्ट नौकरी से लेकिन गले की हड्डी बन गयी। बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है आज श्रीमन्, कि 4 जगह निकलती है, 5 जगह निकलती है तो चार हजार दरखास्तें, पांच हजार दरखास्तें, तीन हजार दरखास्तें, एक हजार दरखास्तें आती हैं। आप कैसे लोगों को भर्ती करने जा रहे हैं। आपने इसमें आपाधापी मचा दी है। आपने निष्पक्ष चयन की जो प्रक्रिया थी एस्टेब्लिश्ड प्रक्रिया थी उसको तबाह करके रख दिया अपनी पार्टी के लोगों को, कार्यकर्त्ताओं को नौकरी देने के लिए, अपने कार्यकर्त्ताओं के बच्चों को नौकरी देने के लिए। क्या होगा उन लोगों का जिनके 10-10 साल से एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में नाम लिखे हुए हैं, 15-15 साल से जिनके नाम लिखे हुए हैं। उनको नौकरी मिली नहीं। आपने अपने लोगों को भर्ती करने

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

के लिए भ्रष्टाचार की आड़ लेकर एक्सचेंज की प्रक्रिया को समाप्त किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या पी. डब्ल्यू.डी. में जो कमीशन बनता था वह बंद हो गया, पर्सेण्टेज था वह बंद हो गया, क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो पर्सेण्टेज था, वह बंद हो गया, कमीशन तय होता था, किस स्टैण्डर्ड का काम होता था वह बन्द हो गया ? आम जनता को भ्रष्टाचार से कोई राहत नहीं मिली। बल्कि राजस्थान में भ्रष्टाचार दुगना-तिगुना हो गया। मैं जानता हूं मुख्य मंत्रीजी यहां पर पिछले दो साल के ए.सी.डी. के आंकड़े लायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जिस वक्त आंकड़े प्रस्तुत करें कृपया दो साल के आंकड़े प्रस्तुत नहीं करके पांच साल के आंकड़े प्रस्तुत करिए। पिछले पांच साल के आंकड़े प्रस्तुत करिए। ए.सी.डी. के ट्रेप होते थे, लोगों को गिरफ्तार करते थे वह एक नॉर्मल प्रोसिजर था। उसके अन्दर कोई कीतिमान आपने कायम नहीं किया है। और तो और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक लाइन यह कही गयी कि भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने के लिए राज्य अन्वेषण ब्यूरो को सुदृढ़ किया है। उसको कैसे समाप्त करेंगे उसके लिए कहीं कोई वर्णन नहीं है तो कथनी और करनी में कितना अन्तर है। मैं उपाध्यक्ष महोदय आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार की बात आती है। बिजली की क्या स्थिति है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चूंकि आपने घंटी बजा दी है इसलिए शोर्ट से कहना पड़ेगा। आपने बिजली के लिए पिछले दो साल में क्या किया ? मैं चुनौती देता हूं इस सरकार को कि जब तक आपका कार्यकाल है मान लीजिए आप तीन साल तक रह गये जोड़-तोड़ की राजनीति करके जनता दिग्विजय जिसको जनता दल डिफेक्टर भी कहते हैं, यदि आप उसकी सहायता से राज्य में रह भी जायं तो राजस्थान के अन्दर 10 मेगावाट बिजली का जनरेशन भी नहीं करने जा रहे हैं तो काश्तकार की डिमाण्ड का क्या होगा ? उद्योगों की डिमाण्ड का क्या होगा ? लम्बे-चौड़े भाषण देंगे मैं धौलपुर ताप बिजलीघर को मंजूर करा दूंगा। मुख्य मंत्रीजी धौलपुर की चुनाव सभा में गये। पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे थे। जैसी पुरानी आदत है। जेब के अन्दर से एक पर्चा निकाला और जनता के सामने कहा मैं यहां कहना नहीं चाहता लेकिन धौलपुर ताप बिजलीघर की मंजूरी का कागज मेरी जेब में रखा हुआ है। अगर यहां घोषणा कर दूंगा तो चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन हो जायेगा, कानून का उल्लंघन हो जायेगा। सिवाय जनता को धोखा देने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया न तो बिजलीघर के मामले में। दूसरों पर आरोप लगाना आसान है। आप सीधा कहते कि धौलपुर ताप बिजलीघर परियोजना पांच साल से आठ साल से विचाराधीन है। वहां पर तो कह दिया इसको कांग्रेस से निरस्त कर दिया। दाखिल दफ्तर हुई फाइल को मैं दिल्ली से निकलवाकर आया हूं। आप वी.पी. सिंह की सरकार ने इनडायरेक्ट साझेदार थे,

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

चन्द्रशेखर जी आपके परम मित्र थे। कालवी साहब के फर्जी आर्डर ले लिये। उसके बाद धौलपुर ताप बिजलीघर योजना का कोई अता-पता नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ..

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। कनक्लूड कर दीजिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक ही बात कहना चाहता हूं। दो महत्वपूर्ण मामले रह गये। अभी उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी यात्रा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। बड़ा अच्छा है देश की एकता के लिए यात्रा निकलें। बहुत अच्छी बात है। मैं स्वागत करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा इसको निकालना चाहिए देश की एकता के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है, देश एक रहे, देश टूटे नहीं। वैसे देश की एकता को, टूटने का कोई खतरा नहीं था लेकिन जब यात्रा निकली तो हम ने कहा बड़ा अच्छा कदम है लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हू कि राजस्थान में क्या इम्पेक्ट था। आपके दो मंत्री गिरासिया और गर्ग ने कहा हम यात्रा में जाने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं तो बाकी भाजपा के मंत्रियों को यात्रा में कोई विश्वास नहीं था। इन दो व्यक्तियों को ही था। या तो यह कोई अन्दर का निर्णय होगा या तो ललित किशोर चतुर्वेदी के समर्थक होंगे इसलिए मुफ्त में उनको + + + कर दिया यही कारण रहे होंगे। जनता में तो और तरह की चर्चाएं हैं कि उनको निकाला गया, स्तीफा लिया गया बलि का बकरा बनाकर। बहाना यह लिया एकता यात्रा। आप वहां नहीं गये उपाध्यक्ष महोदय, आप भी बहुत बड़े कार्यकर्त्ता हैं। आपका क्या एकता यात्रा में कोई विश्वास नहीं है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शासन की जैसी व्यवस्था थी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पार्टी से ऊपर उठकर कहना चाहिए।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : आप भी बोल रहे हैं। शुद्ध मन से बोलना आपका उद्धार हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : एक संस्कृत का श्लोक है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : सचेतक महोदय ने एकता यात्रा की तारीफ की। और लोगों ने नहीं की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कह रहा हूं, मैं कर रहा हूं। मैं तो उसके संग जुड़े मुद्दों की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूं। एक + + + हरिजन और + + + एस.सी., एस.टी. के दो मंत्रियों को आपने + + + कर दिया। + + + की बात है। क्या राजस्थान के और मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे ? क्या औरों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे। लेकिन यह + + +

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

डिप्टी मिनिस्टर थे और दूसरों को आपने +++कर दिया।+++है,+++ आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनको बोलने दीजिए। महावीर जी बिराजें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : एक श्लोक याद आ रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गर्ग साहब क्या कह रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : उनको +++कहकर पुकार रहे हैं यह और ज्यादा+++की बात है। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : पाइंट आफ आर्डर। एस.सी., एस.टी. के साथ+++ शब्द लगाया है। इस+++शब्द को एक्सपंज किया जाय।

श्री प्रद्युम्नसिंह : दिस इज नाट अन-पार्लियामेंट्री....(व्यवधान)

आप कुछ मतलब लगाते हैं तो निकाल दीजिए।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आप इनको पार्लियामेंट्री मानते है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको एक्सपंज कर दीजिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : ज्ञान की बात सुन लें।

डा. चन्द्रभान : दो ओ. बी. सी. वाले और हैं, उनको भी बुलाइये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय शूरो उ सि कृतविद्यो उ सि, दर्शनीयो उ सि पुत्रकः। यस्मिन्कुले समुत्पन्नः गज-स्तत्र न हन्यते।। हमारी पार्टी की ज्ञान की परम्पराओं को आप नहीं समझ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट में आप पूरा कर दीजिये। 20 मिनिट हो गये हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। दो नहीं तीन मिनिट। मैं आपसे अन्त में टाडा के बंदियों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं आज दो साल से अधिक हो गये। टाडा के अन्दर बहुत बड़ी संख्या के अन्दर लोग बंदी हैं। कोटा में दंगे हुए, मुसलमान भी मारे गये, हिन्दू भी मारे गये। दुख की बात है, दंगे नहीं होने चाहिए इसमें किसी की दो राय नहीं है। लेकिन मैं मानवीय आधार पर कहना चाहता हूं आज कुछ लोगों की मृत्यु हो गयी, कुछ बीमार हैं, कुछ पागल हो गये, कुछ को तपेदिक हो गयी, कुछ कैंसर से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों को तुरन्त छोड़ दिया जाय अन्त में सरकार से यही मांग करता हू और आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको गुस्सा आता है तब आप अच्छे लगते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दकिशोर शर्मा ।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । अभी जैसा कह रहे थे कि इस अभिभाषण में कुछ नहीं है । इसमें सब कुछ है जो किसान के लिए सोचता है । किसान वह जड़ है जिसमें पानी देने से पूरा पेड़ हरा होता है । इस पूरे अभिभाषण में अधिकतर किसानों की बात कही गयी है । मैं आपको उस ढाई साल की बात कहना चाहता हूं कि जिसको पहले माननीय बंशीलाल जी ने बताया था कि साढ़े चार छोड़ दो तो बाकी चालीस साल कांग्रेस थी और आज उस ढाई साल के बाद दो साल हो गये । उस तीस साल में किसी ने गांव के किसान के प्रति कोई योजना नहीं बनायी । न किसी को कर्जा मिलता था न कोई गांव की योजना थी । उस समय अन्त्योदय की योजनायें थीं । किसानों के लिये कई तरह की योजनायें बनने लगी । आज इस अभिभाषण में भी कृषि के सारे कार्यक्रम हैं । राजस्थान का बजट 795 करोड़ रुपये से 1400 करोड़ रुपये का होना यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । कृषि कार्यों पर 62 प्रतिशत खर्च होना बहुत बड़ी बात है । कृषि के हमारे कार्यक्रम हैं । कृषि के कूप का बीमा, नाली योजना, पाईप की योजना, मैसिव प्रोग्राम, फंवारा योजना, जीवन धारा, जल धारा, लिफ्ट सिस्टम, 30 जिले 30 काम, यह सारे गांवों के कार्यक्रम हैं आप किसान का उद्धार करेंगे तो पैदावार बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे, हर तरह से दूसरे टैक्स भी आयेंगे, आय भी बढ़ेगी और बेरोजगारी भी दूर होगी । किसान के लिये सोचना बहुत बड़ी बात है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदा से गरीब के लिये किसान के लिये सोचा, कर्जे माफ किये, बारानी जमीनों का लगान माफ किया, वृद्धों को पेन्शन दी और विधवाओं को पेन्शन दी । सबसे बड़ी बात जो विधवा होती है सरकार ने उसके लिये सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी । विधवाओं के बारे में पहले कोई सोचता नहीं था उसको नौकरी मिली । इस साल सैंकड़ों को नौकरी मिली । सड़कें जो वर्षों से अधूरी पड़ी थीं उन सड़कों पर पूरे राजस्थान में काम हुआ । ग्रामीण सड़कों का विकास हुआ । अभी जैसे बिजली के विषय में बता रहे थे, आदमी दो साल में कितना कर सकता है । एक सोच होता है समय मिलता है तो हर चीज पूरी होती है । आलोचना करने में कोई देर नहीं लगती । हर आदमी कुछ भी कह सकता है लेकिन वास्तविकता देखी जाये । कोटा थर्मल में 40 से 63 प्रतिशत बढ़ोतरी करना, ज्यादा बिजली पैदा करना, यह भी बड़ी बात है ।

आदिवासियों को सर्विस में उन्हीं के क्षेत्र में उन्हीं को आरक्षण करना यह एक सोच है । उन्हें कभी नौकरी नहीं मिलती थी । उनको निश्चित रूप से नौकरी मिलेगी । भूमि सुधार में पास बुकें जारी कराई । इस विषय में कोई सोचता ही नहीं था । अभी नकल में सैंकड़ों रुपया पटवारी ले- लेता है यदि पास बुकें जिस हिसाब से सोच किया है उस हिसाब से वह

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

बनकर तैयार हो गईं तो किसान की आधी बीमारी दूर हो जायेगी। हरित राजस्थान के लिये 170 करोड़ रुपये की योजना बनी वह भी किसान की योजना है। मेरा इस सम्बन्ध में एक सुझाव है। अंग्रेजी पेड़ जो जगह-जगह लगाये जाकर हरियाली की जाती है उसमें देशी पेड़ जैसा माननीय विश्नोई जी ने बताया था वह राजस्थान के लिये या देश के लिये बिल्कुल ठीक है। जो हमारे पुराने पेड़ हैं वह फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं और हर तरह की इमारती लकड़ी भी देते हैं। कृषि विकास में जो 300 करोड़ रुपये की योजना बनी है उसमें भी ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो किसान की मदद करता है या सोचता है भगवान भी उसकी मदद करते हैं। 21 साल में अकाल की स्थिति नहीं बनी थी, पानी की अच्छी बरसात हुई थी। गत वर्ष में भी अच्छी बरसात हुई। इस साल कुछ हुई लेकिन बीच में केन्द्र की वजह से कुछ भोगना पड़ा। फिर भी मैं कह सकता हूं और सभी सोच सकते हैं कि इन दो सालों में हम तिलहन में और पैदावार में हर तरह से अच्छे हैं। अकाल की स्थिति में होते हुए भी हमारे तिलहन की पैदावार हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा होगी। पेयजल की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, दो हजार डाक्टरों को दो साल में लगाना। आज एक भी डाक्टर ऐसा नहीं है जो नौकरी के लिये राजस्थान में घूमता हो। हमारी चिकित्सा व्यवस्था में इतना विस्तार किया गया है कि कोई भी कम्पाउंडर या नर्स जो भी निकलता है, उपलब्ध होता है तो तुरन्त लगाया जाता है। सिंचाई के क्षेत्र में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां की जो योजनायें बनी हुई पड़ी हैं बारां जिले की बरनी, लाती और बतली इनको भी मिलाया जावे। सब को न्याय मिले इसके लिये, जैसा आज तक कभी नहीं हुआ, इस साल सत्र न्यायालय, मुन्सिफ कोर्ट और दूसरी कोर्ट खोलकर हमारी उस बात को भी चरितार्थ किया है। किसी चीज को कहना और होता है, करना और होता है। आप वहीं काम करेंगे, अपनी योजनायें वहीं बनेंगी तो उसका ज्यादा लाभ मिलेगा तुरन्त पूरी होगी नहीं तो कार्यक्रम में सालों लग जाते हैं। अपना गांव अपना काम यह योजना भी बहुत सुन्दर योजना है। जो अपना पैसा लगाकर काम करना चाहता है उसको प्राथमिकता दी जाये। इसमें मेरा एक और सुझाव है जो अच्छे कस्बे हैं, गांव टाईप ही हैं, उन गांवों में भी यदि कोई संस्था 50 प्रतिशत राशि दे सकता है, छोटा स्कूल, हाई स्कूल उनको शामिल किया जाये तो उन कस्बों को भी लाभ मिलेगा। बन्दूक के लाइसेंस के लिये पहले जिले तक आना पड़ता था टोपीदार के लिये भी, उसको तहसील तक किया यह बहुत अच्छा किया लेकिन जो बारह बोर के लिये कलेक्टर तक आना पड़ता है उसको एस. डी. ओ. तक किया जाये तो और अच्छा होगा....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया पूरा कीजिये।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : एक विकास शुल्क जिसका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है उसको भी जल्दी निपटाया जाये तो अच्छा होगा। कृषि उपज मण्डी में भी हमारे यहां बहुत सी सड़कें बनायी गई हैं। ज़िले के हिसाब से समान बंटवारा हो तो अच्छा होगा। बिना कर लगाये इस सरकार ने किसानों के लिये इतने काम किये, सारे विभागों में काम किये कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें काम करने को न सोचा हो। इसलिये यह सरकार धन्यवाद की पात्र है। परिवार नियोजन की बात चली थी। जैसा कल विश्नोई जी ने बताया था, मैं भी कहता हूं कि परिवार नियोजन को अनिवार्य कर देना चाहिये। दो सन्तान के बाद परिवार नियोजन जरूरी हो....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये आप।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : इसमें एक बात और जोड़ी जाये। वन विभाग में सीलिंग की जमीन के कई लोगों पर केस चल रहे हैं उन्हीं पर दूसरे केसेज भी चल रहे हैं। उन किसानों को भी राहत पहुंचाई जाये तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री फूलचंद जी मीणा।

श्री फूलचंद मीणा (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल द्वारा जो सदन में अभिभाषण पढ़ा गया उस पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और अपनी बात कहूंगा। सबसे पहले तो मैं माननीय भैरोंसिंह शेखावत सरकार और शिक्षा राज्य मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि पहली बार आदिवासियों में उच्च शिक्षा में दो महाविद्यालय सृजित किये। पिछले चालीस साल में कांग्रेस शासन में शिक्षा की दृष्टि से आदिवासियों का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था। यह महाविद्यालय आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सलूम्बर और कुशलगढ़ में स्थापित किये गये हैं। पिछले चालीस सालों में जहां सड़कों का कोई जाल नहीं था जहां आज तक उन्होंने नहीं किया अब वहां सड़कों का निर्माण हो रहा है सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है जिससे आदिवासियों को शहरों में देखने को मिलेगा कि शहरों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कांग्रेस सरकार ने सारा का सारा पैसा सिंचाई विभाग में, करोड़ों रुपये का बजट इन्फ्रास्ट्रक्चर का नाम लेकर आदिवासियों का पैसा सिंचाई विभाग में जाखड़ परियोजना, माही परियोजना और सोमकला में लगाया, प्रोजेक्ट के रूप में आदिवासियों के लिये सड़कों के लिये भी पैसा लगाते तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलता परन्तु इस सरकार ने गत दो ही वर्षों में बता दिया है आपको सड़कें निश्चित रूप से देंगे और ऐसी जगह देंगे जहां पहाड़ों के बीच में आप बसते हों और आपको शहरों से जोड़ा जायेगा और अभी यह किया भी है। आदिवासी एरिया में जितनी भी योजनाएं चलायी गयीं, कांग्रेस गवर्नमेंट ने सब्सिडी के नाम से इन लोगों को बिल्कुल बेकार कर दिया। बेकार के साथ-साथ उनको मोहताज कर रखा है कि काम करेंगे तभी इनको रोजी-रोटी मिलेगी। उनके साथ जो कर्मचारी कार्यरत थे—ग्राम सेवक, पटवारी, उन्होंने सब्सिडी के पीछे अपने घर बना लिये और आदिवासियों को लूटा।

(श्री फूलचन्द मीणा)

आज उनको रोकने के लिए यह सरकार तत्पर है। जब भी ऐसी शिकायतें आयीं, उन लोगों को बख्शा नहीं जा रहा है। उन लोगों में आज डर घुसा है कि इस सरकार में आदिवासियों को कोई पूछ रहा है, इसलिए इनके पीछे ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं किया जाय। वैसे भ्रष्टाचार रुका तो नहीं है, इस बात को मैं भी मानता हूं। गांवों में आज वही पटवारी हैं, वही ग्राम सेवक लगे हैं। जो लोग नीचे के स्तर पर हैं उनके लिए तो यही सब कुछ अधिकारी हैं, बड़े से बड़ा अधिकारी कलक्टर भी यही हैं। इन लोगों की 40 सालों में जो आदतें बनी हैं उनको निकलने में निश्चित रूप से समय लगेगा। परन्तु अब इनमें थोड़ा डर आया है। मैं इस सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि इस सरकार ने ग्रामीण तबकों को भी जोड़ा है।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

कल माननीय कैलाश जी मेघवाल साहब ने बताया कि आदिवासियों के लिए 40 साल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं साफ तौर से कहना चाहूंगा, जहां तक आदिवासी क्षेत्रों में खनन का मामला है, खनिजों के दोहन के लिए पिछली सरकार ने बाहर से दूसरे लोगों को बुला बुलाकर ठेके दिये, उन्हीं को आवंटन किया। आदिवासी लोग वहां मजदूर बनकर रहते हैं। जो खानें गहरी गयी हैं उनके कारण खेतों में जो नमी रहनी चाहिए वे भी सूख गये हैं। ऐसी हालत में मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि [illegible] फैसला करके आदिवासियों को इन खनन पट्टों का अधिक से अधिक आवंटन किया जाय। जिस तरह आदिवासी क्षेत्रों में स्केल नम्बर एक से छः तक नौकरियों में आरक्षण किया गया है, उसी प्रकार खनन के पट्टों में भी 50 प्रतिशत पट्टे निश्चित रूप से आदिवासियों को आवंटित करने का नीतिगत निर्णय करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये अब आप। ओवर कर दीजिए।

श्री फूलचन्द मीणा : कभी कभी तो मौका आता है।

जो जनजातीय योजनाएं आज चल रही हैं वे जनजातीय योजनाएं गांवों में बैठकर, ग्रामीण तौर पर सोचकर बनायी जानी चाहिए। आज जिस ढंग से ये योजनाएं बनायी गयी हैं उन योजनाओं से आदिवासियों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। जिस स्तर पर आदिवासी था चालीस साल से वहीं का वहीं बैठा है। आदिवासियों के पास कोई आर्थिक साधन नहीं है जिससे वे अपने आप आर्थिक दृष्टि से ऊंचा उठ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना अभिभाषण समाप्त करके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती सूर्यकान्ता जी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का तहे

(श्रीमती सूर्यकान्ता ...

दिल से स्वागत करती हूं कि उन्होंने राजस्थान के चहुंमुखी विकास का ब्यौरा सदन के सम्मुख रखा। मैं माननीय मुख्यमन्त्री भैरोंसिंह जी शेखावत का धन्यवाद देने में पीछे नहीं रहूंगी जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से जोधपुर व पश्चिमी राजस्थान की जनता को पानी पिलाने के लिए 1991-92 की वार्षिक योजना में 46 प्रतिशत की वृद्धि की है तथा वार्षिक योजना का आकार 11.66 करोड़ रुपए रखा है, जिससे विकास को नया आयाम मिलेगा। योजना आयोग ने अगले वर्ष के लिए 1400 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना स्वीकार की है। अध्यक्ष महोदय, मैंने विपक्ष में बैठे माननीय सदस्यों के, जो आज लगातार तीन दिन से बोल रहे थे, विचार सुने। उनके विचार बाहर की जनता भी सुनेगी तो उसे भी ताज्जुब होगा कि चालीस साल तक राज में रहकर आपने क्या उपलब्धियां की हैं। भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार ने दो साल में वे उपलब्धियां की हैं कि जिसका कुछ जवाब ही नहीं। ये चालीस साल रहकर पश्चिमी राजस्थान की जनता को पानी भी उपलब्ध नहीं करा सके, इससे ज्यादा इनके लिए खेद की क्या बात हो सकती है। भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार ने आज तक पश्चिमी राजस्थान के विकास के लिए क्या नहीं किया है और क्या किया है, वह तो सारा सामने ही पड़ा है। मगर चालीस साल की पूर्व सरकार ने अपने हर काम को कागजों में बन्द रखा। भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार ने आते ही कामों को देखा भी है, काम को शुरू भी किया है और क्रियान्वित भी किया है। विपक्ष में बैठे हुए जो लोग अपना भाषण दे रहे हैं यह उनके सोचने का विषय है। अपनी सरकार नहीं बना पाये, इसलिए वे इस तरीके से बात करते रहते हैं और बोलते रहते हैं। एक बात सुनकर इस सदन को भी ताज्जुब होगा कि हमारे जोधपुर के एम.पी. ने, जो कि भारत सरकार में मंत्री हैं, एक मजाक की बात कर दी। मैं इस मौके पर माननीय जलदाय मन्त्री महोदय को धन्यवाद दूंगी कि जोधपुर शहर के लिए दो जल योजनाएं ऐसी स्वीकृत की हैं, जिसे आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। हमारे भारत सरकार के मन्त्री अशोक जी गहलोत इस तरीके से अपना बयान देते हैं कि यह तो बाई जी तालाब की योजना है। भई, यह बाई जी तालाब नहीं, बाईजी तालाब के ऊपर जलाशय बनाने की योजना है। मेरे को समझ नहीं आता कि भारत सरकार का एक मन्त्री इस तरीके से अपना स्टेटमेण्ट देता है। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर पश्चिमी राजस्थान का मुख्य नगर है एवं प्रान्त का दूसरे नम्बर का शहर है। यहां पर भारतीय थल एवं वायु सेना का क्षेत्रीय मुख्यालय है। भारत-पाक सीमा बहुत नजदीक है। यह एक बढ़ता हुआ नगर है। अतः शहर में पेयजल की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए एवं दूर-दराज के गांवों में पानी पहुंचाने के लिए जोधपुर लिफ्ट योजना का निर्माण कार्य तेजी से हाथ में लिया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इस योजना का सिर्फ कागजों में फैसला ही नहीं किया बल्कि उसे कार्यरूप में परिणत

भी किया है। मैं इसके साथ ही माननीय मुख्यमन्त्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगी कि पेयजल सुविधा के विकास के लिए लांग टर्म पालिसी हेतु इंदिरा गांधी नहर से जोधपुर शहर तक योजना स्वीकृत की है। इसकी कुल लम्बाई 220 किलोमीटर है। इसमें से 180 किलोमीटर की दूरी से नहर बनाई जा रही है। गति को निरन्तर बनाये रखने के कारण अब तक 105 किलोमीटर नहर का निर्माण हो चुका है। इस कार्य को त्वरित गति देने की आवश्यकता है ताकि नहर का शेष निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में निपटाया जा सके। महामहिम के अभिभाषण में राजस्थान 20 सूत्री कार्यक्रम में सफल और देश भर में प्रथम रहा है। पिछले वर्ष जवाहर रोजगार योजना को सफल बनाने हेतु 131 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध 170 करोड़ व्यय करके तथा 506 लाख मानव दिवस सृजित करके राजस्थान ने देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि युवा शक्ति के विकास हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से खिलाड़ियों के लिए जोधपुर में अगले वर्ष छात्रावास...

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कभी कभी बोलती हूं। मेरे को भी मौका दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये आप, पूरा करिये जल्दी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सहयोग से खिलाड़ियों के लिए जोधपुर में छात्रावास खोलने की घोषणा की है। सरकार एक देवस्थान बोर्ड का गठन करेगी और जन-सामान्य व उद्यमियों का सहयोग लेकर देवालयों व अन्य धार्मिक स्थानों के विकास का कार्य करेगी। इसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहती हूं। मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय को भी आपके माध्यम से बधाई देना चाहती हूं कि जोधपुर जिला और जोधपुर शहर के अन्दर उन्होंने जो सड़कों का निर्माण किया है, वह बहुत ही सराहनीय है। मैं इस मौके के ऊपर माननीय अकाल राहत मन्त्री कैलाश जी मेघवाल को भी बधाई देती हूं कि उन्होंने बनते ही, अभी अभी यह कहा कि जोधपुर जिले में जहां-जहां ऐसी स्थिति होगी, उसको मैं प्राथमिकता दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : अकाल राहत में जोधपुर को प्राथमिकता देंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : आपको भी राहत दूंगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : विपक्ष में जो माननीय सदस्य बैठे हैं वे तीन दिन से यह बात कहते रहे हैं, मेरे को ताज्जुब हुआ और यह बात जानकर सदन को भी ताज्जुब होगा। जिसमें कुछ भी नहीं लगता था, जोधपुर विश्वविद्यालय का नामकरण जयनारायण विश्वविद्यालय करने के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया +++ से भुक

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जाना चाहिए इनको। ये कैसे बोलते हैं कि 40 साल तक हमने काम किया है? इनको किसने रोका था विश्वविद्यालय का नामकरण करने से? उसमें सरकार का कोई ऐसा पैसा भी नहीं लगता था, मगर वे आज तक नहीं करा सके। आज हमारे जोधपुर के एम.पी. और भारत सरकार के मन्त्री बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हमने मुख्यमन्त्री जी को पत्र लिखा है। किस मुंह से पत्र लिखा है? आपने क्या किया था? वे खुद यहां मन्त्री के रूप में बैठे थे फिर भी उस विश्वविद्यालय का नामकरण नहीं करा सके। इससे ज्यादा +++ की और क्या बात हो सकती है। ये विकास की बातें कर रहे हैं कि भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार में विकास नहीं हुआ था। मैं कह रही हूं कि आपने क्या किया था, वह बताइये न। विकास हुआ है, वह तो सामने पड़ा है। विकास कागजों में नहीं है, विकास तो सामने पड़ा है। मैं सहकारिता मन्त्री को भी बधाई दूंगी कि उन्होंने जोधपुर शहर में ही नहीं, पूरे जिले में, बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान के अन्दर को-आपरेटिवज की वृद्धि की है। जो काम पहले की सरकार नहीं कर सकी थी, वह इन्होंने करके दिखाया है।

मैं धन्यवाद दूंगी माननीय मुख्यमन्त्री जी को और उनसे एक निवेदन भी करना चाहूंगी कि जो महिलाएं पीड़ित हैं, उनके लिए भी एक योजना बनायें जिससे उनको सुविधा हो। कई महिलायें ऐसी हैं जो घर से बेघर हो जाती हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाये कि उनको सुरक्षा मिले।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक बात और कहना चाहूंगी। यह एक सोचने की बात है कि महिलायें शिक्षा से वंचित रहती हैं। तो मैं शिक्षा मन्त्री से कहूंगी कि इस पर भी आप ध्यान दें। उन्होंने ध्यान दिया भी है और काफी कुछ कार्य किया है।

श्री उपाध्यक्ष : पूरा कीजिए।

(3.00 म.प.)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : एक मिनट और दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं। इतनी भी कंजूसी मत करिये।

यहां खाद्य मन्त्री हैं नहीं, उनको धन्यवाद तो क्या दूं, लेकिन मैं चाहूंगी कि महिलाओं की को-आपरेटिवज ज्यादा से ज्यादा बनें, इससे वितरण व्यवस्था में वास्तव में काफी कुछ सुधार होगा। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी असुविधा हो रही है, उसको सुधारने के लिए महिलाओं की को-आपरेटिवज ज्यादा से ज्यादा बने, और उसके अन्दर महिलाओं की भागीदारी करेंगे तो काफी सुधार होगा।

मैं स्वास्थ्य मन्त्री से एक स्पेशल निवेदन करना चाहूंगी। मन्त्री जी को धन्यवाद दूं लेकिन एक बात कहूं कि इन्होंने सारी ए.एन.एम्स. को बाहर तो लगाया है लेकिन

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास) :

फिर भी उनके प्रति सहानुभूति बरतें तो महिलाओं को सुविधा मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री किशन गोपाल कोगटा। (अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मी लाल।

श्री लक्ष्मीलाल (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चार दिनों से लगातार वाद-विवाद चल रहा है। राजस्थान सरकार ने बहुत मेहनत करके, मनन करके और सोच-समझ करके यह अभिभाषण तैयार किया। इस अभिभाषण में यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को और उनके सहयोगी मंत्रियों को इसके बारे में पूरी जानकारी है। यह अभिभाषण जो प्रिन्ट होकर आया है, उसमें कुछ विशेषतायें हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि उन विशेषताओं के बारे में शायद मंत्री मण्डल के सदस्यों और स्वयं मुख्य मंत्रीजी को भी पता नहीं होगा। और यदि पता है, तो यह सामने अभिभाषण है, जल्दी से बतादें कि कितने पेजेज का यह अभिभाषण है। और पेजेज तो इसमें प्रिन्टेड हैं, तो कह देंगे कि 24 पेजेज हैं। लेकिन यह बतादें कि इसमें कितने पैराग्राफ्स हैं। मंत्री मण्डल के जो वरिष्ठ सदस्य यहां बैठे हैं, वे बता दें कि इस अभिभाषण में कितने पैराग्राफ्स हैं, तो मैं बहुत अनुग्रहीत रहूंगा। (व्यवधान) आपको जानकारी नहीं है, मैं बता दूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री लक्ष्मीलाल : इसके अन्दर कितने शब्द हैं, यह भी बता दूंगा। आप गिन लीजिये, इसमें 57 पैराग्राफ्स हैं और लगभग 7 हजार शब्द हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सारे अभिभाषण का मनन किया और मनन करने के बाद मेरे मन में कई प्रश्न उत्पन्न हुए और मैंने उन प्रश्नों का उत्तर इसमें खोजने की कोशिश की, पर मुझे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मेरी समझ में नहीं आता कि इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन कैसे करूं। 7000 शब्दों का जो यह अभिभाषण है उसमें शब्दजाल के सिवाय कुछ भी नहीं है। और मैं आपको इतमीनान के साथ बताऊंगा कि इसके अन्दर क्या बात है।

इसके अन्दर तीन पैराग्राफ्स ऐसे हैं जो महामहिम के व्यक्तिगत शिष्टाचार के और उनकी संस्कृति के हैं जिसमें उन्होंने इस प्रदेश की जनता को शुभ कामनाएं दी हैं, इस भूमि को नमन किया है। लेकिन लास्ट की जो तीन पैराग्राफ्स हैं उनमें उन्होंने स्वर के साथ स्वर मिलाया है। यह इसके अन्दर है, आप देख लीजिये।

इसमें 7 पैराग्राफ्स ऐसे हैं जो कि पहले की सरकार के जो चालू कार्यक्रम हैं, उनके बारे में हैं। उनके अन्दर कोई नवीनता नहीं है, जो सामान्य कार्य पहले से चल रहे हैं, जो योजनाएं पहले से चल रही थीं, उन सामान्य योजनाओं पर 7 पैराग्राफ्स हैं। इसके अन्दर 8 पैराग्राफ्स ऐसे हैं जो अन्य राष्ट्रों के सहयोग से स्कीम्स चलाई जायेंगी, जैसे कि भारत

(श्री लक्ष्मीलाल)

सरकार, जापान, स्वीडन, यूनीसेफ योजना आयोग। इनके सहारे से जो योजनाएं दी गई हैं और जो राजस्थान के हिस्से में आई हैं, उन योजनाओं का ब्यौरा है। मसलन भारत सरकार, जापान, स्वीडन, यूनिसेफ, योजना आयोग आदि के सहारे से जो योजनाएं दी गई हैं और वह राजस्थान के हिस्से में आई हैं उन योजनाओं का ब्यौरा है। उसमें राजस्थान सरकार को श्रेय कैसे मिल सकता है? इसके लिए श्रेय की पात्र भारत सरकार है, हमारी भारत सरकार के प्रधान मंत्री, श्री नरसिंहराव उसके श्रेय के पात्र हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष उसके लिए श्रेय के पात्र हैं जिनके द्वारा नई योजनाएं राजस्थान को दी गई है। इसमें राजस्थान सरकार का कोई श्रेय नहीं है।

इसके पैरा 22--23 में इनकी उपलब्धियों का विवरण दिया गया हैं, आंकड़े दिए गए हैं। उन आंकड़ों के अन्दर प्रत्येक पैराग्राफ में आप देख लें, उसके अन्दर विरोधाभास है। उस विरोधाभास में सरकार स्वयं अस्पष्ट है, अनिश्चित हैं। 11 पैरे ऐसे हैं जिनके अन्दर सरकार ने यह कहा है कि निर्णय कर लेंगे, प्रयास करेंगे और आशा है कि स्वीकृति मिल जायेगी, इसके लिए भारत सरकार से पत्र-व्यवहार किया है। यह सारी बातें उनके अन्दर लिखी गई हैं। 3--4 पैरे ऐसे हैं जो इस सरकार के बलबूते के नहीं हैं। साम्प्रदायिक दंगे, भ्रष्टाचार, महंगाई आदि ऐसे हैं जो सरकार के बस की बात नहीं है। एक पैरा ऐसा इसके अन्दर दिया गया है जिसमें हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी यहां पर बाड़मेर में पधारे थे और उन्होंने अनुसूचित जाति/जनजाति सूखा-ग्रस्त और अकाल पीड़ित लोगों के लिए वितरण-प्रणाली के सम्बन्ध में जो निर्देशन दिया था, उनका यहां पर सारा अनुसरण किया है, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

एक नया पैरा इन्होंने न्याय के नाम दिया है। इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि न्याय के नाम पर इस सरकार ने अन्याय किया है। जितनी भी कोर्ट्स इन्होंने खोली हैं उनके लिए कोई क्राइटेरिया इन्होंने नहीं अपनाया, पक्षपात करके वहां पर खोली हैं जहां परिधि में नहीं आती हैं। और ऐसे स्टेटमेंट्स सदन के कई माननीय सदस्यों के आये हैं जिनके यहां यह कोर्ट्स खुली हैं। उन्होंने कहा है कि यह कोर्ट परिधि में नहीं आती है लेकिन मेरे प्रयास से खुली है। तो बिना परिधि के, पक्षपातपूर्ण तरीके से काम इन्होंने किया है।

लास्ट पैरे में "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" की बात कही है। मैं तो यह कहता हूं कि इस शब्द जाल में यह चीज़ लिख देते कि "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" तो कम से कम अल्पसंख्यकों के प्रोटेक्शन की बात आ जाती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार की बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक प्रकार से कन्ट्रोवर्सी की बात है कि एक तरफ तो हरित क्रान्ति की बात कहते हैं और दूसरी तरफ इन्होंने कहा है कि 7 प्रजातियां पेड़ों

(श्री लक्ष्मीलाल)

की ऐसी हैं जिनको काटने और बेचने की हमने स्वीकृति दे दी है। यह इन्होंने वाह-वाही ली है। एक दूसरा पैराग्राफ ऐसा है जिसके अन्दर इन्होंने लिखा है कि अच्छा प्रशासन वही है जहां सरकार के पास लोगों को नहीं आना पड़े। मैं कहता हूं कि अच्छी सरकार वही है जो निष्क्रिय और निकम्मी बैठी रहे ताकि लोगों को वहां जाना ही नहीं पड़े। जब सरकार काम ही नहीं करेगी तो लोग जायेंगे ही क्यों? और इस वक्त जो हो रहा है वह यही हो रहा है।

इसके अन्दर सरकार ने कहा है कि पिछले तीन सालों में तिलहन का तिगुना उत्पादन कर दिया—यह पैरा 6 में है। और पैरा 7 में लिखते हैं कि 3 साल में बरसात अच्छी होने की वजह से यह उत्पादन बढ़ा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह बरसात भी इस सरकार के द्वारा ही हुई है और इसका श्रेय भी इस सरकार को ही मिलना चाहिए? मैं इस सरकार के ++की बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज प्रदेश में अकाल पड़ा हुआ है और भीलवाड़ा जिले के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं और यह सरकार निष्क्रिय होकर बैठी रहे, ताकि कुछ दिनों के बाद वह लोग मर जायं तो सरकार के पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छा प्रशासन हो जायेगा। अकाल से पीड़ित जो जिले हैं वहां से अक्टूबर में सारी गिरदावरी वगैराह कराकर कलक्टर ने सरकार को रिपोर्ट भेज दी परन्तु आज दिन तक एक भी गांव को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। सरकार कह रही है कि अच्छा प्रशासन वही है जो सरकार को वहां पर जाना ही नहीं पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री लक्ष्मीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ और बातें भी रखना चाहता हूं। सरकार ने यह बहाना लिया कि केन्द्रीय सरकार ने 93 करोड़ रुपये कर दिए, इस वजह से हम अकाल के काम स्टार्ट नहीं कर सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस सरकार ने 93 करोड़ रुपये जो उपलब्ध करवाये गए हैं, उनको खर्च कर दिया है? इन्होंने अपने एक पैरा में आगे यह बताया है कि जवाहर रोजगार योजना में 131 करोड़ रुपये के बजाय 170 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि इस अकाल के मामले में भी 93 करोड़ की जगह वह ज्यादा खर्च क्यों नहीं कर पाई? जब वह जवाहर रोजगार योजना को लिमिट को क्रोस कर सकती है, 131 करोड़ की बजाय 170 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है... (व्यवधान) ....

++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

माननीय श्री राजेन्द्र गहलोत।.... (व्यवधान)....

बिराजिये आप। बोलने का टाइम नहीं है आपकी पार्टी का।

श्री लक्ष्मीलाल : मैं एक मिनट और लेना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री लक्ष्मीलाल : मैं एक ही शब्द कहना चाहता हूं, मैं इस अभिभाषण का तहेदिल से स्वागत करता यदि इसके दो पैरेग्राफ्स में यह लिख देते कि इस सरकार के खजाने के ऊपर केवल गरीब का हक है। अन्यथा यह अभिभाषण केवल शब्द जाल है, इसमें गरीबों की कोई बात नहीं है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्र जी गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूं। राजस्थान प्रदेश में इस वर्ष कानून-व्यवस्था और साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहा और राजस्थान देश में ऐसा प्रदेश है जो आज शान्त प्रदेश के नाम से माना जा रहा है। राजस्थान प्रदेश की सीमाएं अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। इस प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से लगती हुई है। लम्बे समय से हमारे सीमान्त जिलों में तस्करी और हथियारों का आना-जाना है। तस्करी और उग्रवादियों से....

श्री केदारनाथ शर्मा : On a point of information.

श्री उपाध्यक्ष : फरमाइए।

सूचना

राजस्थान पत्रिका के कर्मचारियों पर पुलिस का दुर्व्यवहार

श्री केदारनाथ शर्मा : मान्यवर, राजस्थान पत्रिका के कर्मचारी पिछले डेढ़-दो माह से आन्दोलित हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि बिना कंसलटेशन किए हुए सेक्शन 10(3) में उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में रेफर कर दें यह नई मिसाल अपने राजस्थान में हुई है। जब वह शांतिमय तरीके से धरने पर बैठे हुए थे तो 107, 151 में फौजदारी क्रेक डाउन किया, पिटाई की और गिरफ्तार करके ले गए और आगे छोड़ दिया। 107, 151 की कार्यवाही तब शुरू होती है जब शांति भंग होने की कोई आशंका हो। दो महीनों में ऐसी कौनसी बात हो गई कि सरकार आज तक उनसे बात नहीं कर रही है? बाहर इंजीनियर्स बैठे हैं हड़ताल पर, टीचर्स बैठे हैं, फोर्थ क्लास बैठे हैं, अगर सरकार असेम्बली के सेशन में उनकी सुनवाई नहीं करेगी तो सेशन के बाद क्या होगा? इसलिए कोई एजेन्सी क्रिएट कीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए कि कौनसी बात ठीक है, कौनसी ठीक नहीं है और हमें भी इसकी जानकारी मिल जाय कि कौनसी बात ठीक है और कौनसी नहीं है। आप उनसे बात भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसा सरकार का इन्डिफरेंट एपेथेटिक

(श्री केदारनाथ शर्मा)

एटीट्यूड डेमोक्रेटिक सेट-अप में लेना बहुत ही दुख-दाई है। क्या करें इसमें? ललित जी बैठे हैं, कैलाशजी बैठे हैं। मेरे ख्याल से कोई न कोई रास्ता निकाल कर उनसे बात करें, कोई रास्ता निकालें। राजस्थान पत्रिका को कौनसा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है यह भी हमारे समझ में नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्रीमती सुमित्रासिंह : कह दिया आपने बिराजिये।

डा. चन्द्रभान : शून्यकाल में यह मामला उठाया था। हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो सम्बन्धित मंत्री हैं उनसे बयान दिलवायें। बाहर लोग जो घरने पर बैठे हैं और हड़ताल पर हैं ... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आसन की ओर से बाध्य नहीं किया जा सकता है। तीन बार सवाल उठाया जा चुका है। सरकार सुन रही है इस मामले को, कार्यवाही भी कर रही होगी।

डा. चन्द्रभान : हम यह तो नहीं कहते कि बाध्य करिए, पर हमने नियम 295 के जरिए ..

श्री उपाध्यक्ष : काल-अटेंशन मोशन दिया, 295 का मोशन दिया, इन सब पर कार्यवाही हो रही है.... (व्यवधान)....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसे सार्वजनिक हित के मामलों में आसन को निर्देश देना चाहिए।

डा. चन्द्रभान : हम निवेदन करना चाहते हैं कि यहां पर सरकार बैठी है आप कम से कम उससे यह तो कहें कि बात-चीत करें। .. (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्र गहलोत। .. (व्यवधान) आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : राजस्थान पत्रिका के जिन कर्मचारियों की पिटाई हुई है उनके थानों में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं। उनके मुकदमे तो दर्ज करवाएं। उनकी चोटों को मैंने स्वयं ने देखा है। (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

माननीय श्री गहलोत साहब।.... ... (व्यवधान)

श्री मदेरणा साहब बोलेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रारम्भ में यह उल्लेख किया किया गया है कि यह सरकार संवेदनशील है, यह सरकार रेस्पोंसिव है। जब इतने लोग अपनी डिमाण्ड्स को लेकर बाहर बैठे हुए हैं और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा उनकी मांगें उचित हैं या अनुचित हैं लेकिन सरकार को निश्चित तौर पर, अगर रेस्पोंसिव सरकार है, तो, इसको रेस्पांड करना चाहिए। अगर रेस्पांड

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं करती है तो रेस्पोंसिव होने का ढोंग का क्यों हाका कर रही है ? अगर रेस्पोंसिव आप नहीं हैं, तो आप आटोक्रेटिक हैं, एरिस्टोक्रेट हैं और अनडेमोक्रेटिक हैं और आप जनता की भावनाओं का अनादर करते हैं ।... (व्यवधान)....

श्री नत्थीसिंह : राजस्थान पत्रिका के पीछे ऐसा क्या है कि लोगों की वह बात ही नहीं सुनना चाहती है ?.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मन्त्री जी बोल रहे हैं ।

श्री दिग्विजयसिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मसला नियम 295 के अन्तर्गत भी उठाया गया और उसकी संपूर्ण जानकारी सारे तथ्यों को लेकर के सदन को और आपको भी अवगत करा देंगे । यह मामला पत्रिका का संचालन करने वालों और कर्मचारियों के बीच में चल रहा है, वह स्ट्राइक पर और धरने पर बैठे हैं । जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है हम इतना ही कह सकते हैं कि वहां पर लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन रहे । कोई वहां पर किसी को रोके, और उसकी शिकायत हमारे पास आये कि साहब हम अन्दर जाना चाहते हैं, हमको रोक रहे हैं, तो वह तो देखने का काम हमारा है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह आपका तथ्य बिल्कुल गलत है । गृह मन्त्री जी, आप हाउस को गुमराह कर रहे हैं । ऐसी कोई घटना नहीं हुई है (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बेनीवाल साहब, आप उनको स्टेटमेंट देने दीजिए अपना .. (व्यवधान).. आप मांग करते हैं सरकार से व्यवस्था की और सरकार बोलती है तो आप बोलने नहीं दे रहे हैं ।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसमें किसी को कोई प्रोटेक्शन देने की सरकार की तरफ से कोई नीयत नहीं है । जो भी कोई दोषी होगा निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे । जो पुलिस के अन्दर रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं उनकी सबकी रिपोर्ट दर्ज हुई है और कार्यवाही हुई है । और आगे कोई आपके पास भी जानकारी है तो आप मुझे दे दें, मैं खुद पर्सनली देखूंगा और उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है तो करा दूंगा ।....(व्यवधान)

श्री राम नारायण वर्मा : यह बहुत सीरियस मामला है, आप तो जिनको कल.... (व्यवधान)... पीटा गया उनका मुकदमा दर्ज करा दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : वर्मा साहब, बिराजिए ।

माननीय गहलोत साहब ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : उपाध्यक्ष जी, मैं जिक्र कर रहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से हमारे सीमान्त जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर में कई वर्षों से तस्करी, उग्रवादियों का प्रवेश, और हथियारों का प्रवेश हो रहा है । 1990 में हमारी सरकार में माननीय भैरोंसिह जी मुख्यमन्त्री बने । इन दो वर्षों के अन्दर

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

तस्करी, आतंकवाद व उग्रवादियों के प्रवेश को रोका गया है। साथ ही हथियार व तस्करी का 36 करोड़ का माल बरामद किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस के राज के समय इन तस्करों को और उग्रवादियों को कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त था जिसके परिणामस्वरूप सीमा पर अराष्ट्रीय गतिविधियां चल रही थीं। आज उनको नियन्त्रित किया गया है।

श्री हरि सिंह (महुआ) : कांग्रेस के राज में तो उग्रवाद था ही नहीं और उग्रवादी गतिविधियां प्रारम्भ ही नहीं हुई थीं .. (व्यवधान) .. माननीय सदस्य, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि "हमारी पुलिस तस्करों से मिली हुई है" आपका अखबारों में स्टेटमेंट आया है. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : उपाध्यक्ष जी, मैं जानकारी दे रहा हूं। शायद माननीय सदस्यों को सीमा के सम्बन्ध में या अराष्ट्रीय गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, उनका ज्ञान पूरा नहीं होगा, यह जानकारी मैं देना चाहता हूं ... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आज पिछले दस सालों से तस्करी की गतिविधियां चल रही हैं और 1980 के बाद से उग्रवाद की गतिविधियां चल रही हैं। उग्रवादियों व आतंकवादियों को पंजाब में जाने का मार्ग राजस्थान की सीमा था, 1990 के बाद भैरोंसिंह जी मुख्यमन्त्री बने उसके बाद इन गतिविधियों को नियन्त्रित किया गया है। उसके बाद तस्करी और उग्रवादियों की धर पकड़ हुई व अराष्ट्रीय गतिविधियां करने वालों का मनोबल गिरा है।

उपाध्यक्ष जी, राष्ट्र की दृष्टि से एक और निवेदन करना चाहता हूं। जब केन्द्रीय रक्षा मन्त्री जोधपुर पधारे थे, उस समय मैंने उनको एक ज्ञापन दिया था। मैंने उनसे एक निवेदन किया था कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे इलाके हैं। पाकिस्तान के उस ओर प्रशिक्षण शिविर लगे हैं जहां उग्रवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उस बात को मैंने पुरजोर शब्दों में रखा। उसके बाद में केन्द्रीय रक्षा मन्त्री ने यह बात मन्जूर की है कि सीमा के उस पार प्रशिक्षण शिविर लगे हुए हैं, उसमें हमारे प्रदेश की चिन्ता का विषय है। उन उग्रवादी शिविरों के अन्दर जिस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह राजस्थान की कल्चर के हिसाब से दिया जा रहा है, राजस्थान की बोल चाल की भाषा क्या है, राजस्थान की वेषभूषा क्या है। पाकिस्तान की नजर राजस्थान पर है। वह पंजाब व कश्मीर की तरह राजस्थान में भी अशांति फैलाना चाहता है।

उपाध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से, केन्द्र सरकार से मांग करूंगा कि सीमा सुरक्षा के लिए हमें अधिक से अधिक केन्द्रीय सहायता दी जाए जिससे सीमा की रक्षा कर सकें और अराष्ट्रीय गतिविधियों पर रोक लगा सकें।

उपाध्यक्ष जी, चालीस वर्षों से कांग्रेस का राज राजस्थान में रहा। मुझे आश्चर्य है कि भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्री और मुख्य मंत्री करते हैं। मैं एक

(129)

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर करोड़ों रुपये विकास योजनाओं के नाम पर खर्च किए गए और विकास योजना का जो व्यय था उसमें से मात्र 15 प्रतिशत योजना पर खर्च किया गया और 85 परसेंट पैसा कांग्रेसी मुख्य मंत्री, मंत्री+++अधिकारियों के साथ मिलकर खा गए जिसके कारण आज सारा राजस्थान पिछड़ा हुआ है। यह मेरा ही कथन नहीं है, इनके प्रिय नेता राजीव गांधी ने भी यही बात कही थी। आज इस बात का इनके पास में जवाब नहीं है। आज राजस्थान अकाल की कगार पर खड़ा है। आज राजस्थान में पेयजल की समस्या है, राजस्थान में सड़क की समस्या है, राजस्थान के गांवों में चिकित्सा की समस्या है। इस सारी समस्या का यदि एक मात्र कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस की पिछली+++सरकार है।....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह जो भी बातें कह रहे हैं असत्य कह रहे हैं। राजीव जी ने यह कहा था कि 70 प्रतिशत पैसा प्रशासनिक व्यय पर खर्च होता है ..(व्यवधान) इनके पास गवर्नर एड्रेस पर बोलने को तो कुछ है ही नहीं, तथ्यों पर बोलें....

श्री रामप्रताप कासनिया : कल्ला साहब, आपको पता ही नहीं है। राजीव जी ने भादरा में यह भाषण दिया था....

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली से एक रुपया .. (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप अपने स्थान से बोलिए। मैंने ऐसे अनुशासन विहिन सदस्य इस विधान सभा में कभी नहीं देखे जो अपने स्थान से ही नहीं बोलते। हम हमेशा जब बोलते हैं तो अपने स्थान से बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, बिराजिए आप।

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से सिर्फ एक जानकारी चाह रहा हूं और कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह बता दें दो साल में कितना एम्पलायमेंट इन्होंने जेनरेट किया है राजस्थान में और कितने लोगों को नौकरियां दे दी हैं। नहीं तो फिर यह हमको भोगना पड़ेगा।

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : ऐसी कोई भी बात नहीं भोगनी पड़ेगी क्योंकि आपको आना नहीं है और हमको जाना नहीं है।

श्री हरिसिंह : आप राजस्थान को बरबाद करके जाएगें....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : पचास करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ने इनको दिया है, एक पैसा खर्च नहीं कर पाए हैं। मझे कल आपने बोलने नहीं दिया, नहीं तो मैं.... (व्यवधान) ...

श्री मदनलाल सैनी : दीवाला निकला तो कांग्रेस के राज के कारण ही देश का दीवाला निकला है। आप किस पर बोल रहे हो ? सारी जो गड़बड़ की है वह आपने ही की है।

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए आप।

गहलोत साहब।

श्री राजेन्द्र गहलोत : उपाध्यक्ष जी, जब प्रदेश के हितों का सवाल था, अन्तर-राज्यीय जल विवाद थे, रावी ब्यास के जल का सवाल था, जो भी राजस्थान का मुख्य मंत्री बना केन्द्र के सामने अपने हितों का बलिदान दिया है, प्रदेश के हितों की ओर कभी नहीं देखा, केन्द्र के प्रधान मंत्री और केन्द्रीय मंत्रियों की जी हुजुरी में अपना सारा समय लगाया। आज केन्द्र में राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री बराबर की हैसियत से बात करते हैं। जहां तक वार्षिक योजना का सवाल है, जहां पहले 795 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना थी, उसे बढ़ाकर 1400 करोड़ रुपये की योजना कर दी गई। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान में विकास हो रहा है, राजस्थान अपनी हैसियत के बराबर केन्द्र से बात कर रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कल बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कल्ला साहब ने जोधपुर लिफ्ट कैनाल के बारे में विचार रखे। कल्ला साहब को शायद जोधपुर लिफ्ट कैनाल में दो वर्षों में जो कार्य हुए हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो मैं जानकारी दे देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय...

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप जानकारी सही देना। मदेरणा जी आ गये हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं सही बोलता हूं। आजकल असत्य नहीं बोलता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : जोधपुर से आने वाले वाली माननीय सदस्या ने अभी बहुत विस्तार से जानकारी सदन को दे दी है और, सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, आप तो यह बताओ सदन को कि यह कब तक पूरी हो जायेगी।

एक माननीय सदस्य : अभी यह चलती रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : हां बोलिये, प्रारम्भ रखिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1984 में माननीय शिवचरण माथुर ने माधासर में इसका शिलान्यास किया। पहला शिलान्यास यह हुआ। 1985 के अन्दर मुख्य मंत्री बदल गये, तो माननीय हरिदेव जी जोशी ने दूसरा शिलान्यास किया। तीसरा शिलान्यास 1988 में फिर माननीय शिवचरण जी माथुर ने किया। और सारा समय जोधपुर लिफ्ट कैनाल में जो कार्य स्वीकृत करना चाहिये था, वह सारी का सारा समय शिलान्यास में और बयानबाजी में लगा दिया। उसके बाद 1984 से लेकर 1988 तक मात्र 12 करोड़ रुपये का कार्य हुआ जिसमें मिट्टी के अन्दर 12 करोड़ रुपये दब गये। प्रगति के नाम पर कैनाल में कोई भी कार्य नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि श्री भैरोंसिंह जी जब मुख्य मंत्री बने, तो पहली प्राथमिकता जोधपुर लिफ्ट कैनाल को दी और जोधपुर लिफ्ट कैनाल को प्राथमिकता देने के कारण 0 आर. डी. से लेकर दो वर्षों के अन्दर 120 किमी. कैनाल का निर्माण हुआ और उसके बाद जून तक 140 किमी. नहर का निर्माण हो जायेगा। इन्होंने 12 करोड़ रुपये 6

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

वर्षों में खर्च किये जबकि हमारी सरकार ने 42 करोड़ रुपया दो वर्षों में खर्च किया। इस कैनाल में किसी प्रकार से धन की कमी नहीं है। उसके बाद भी जहां हमने देखा, जोधपुर लिफ्ट कैनाल का कार्य इसी वर्ष पूरा होना चाहिये, जोधपुर में इस वर्ष में पानी मिलने लगेगा। माननीय मदेरणा साहब, आप हमारे नेता हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इस समय पहली प्राथमिकता के साथ जोधपुर लिफ्ट कैनाल का काम शुरू किया है और इस वर्ष पानी देना....

श्री परसराम मदेरणा : पानी की लम्बाई कितनी पूरी हो गई है। वह लम्बाई तो आप बता दीजिये। इसलिए मैं कह रहा हूं कि **This scheme was sanctioned by me as P.H.E.D. Minister and hever by the Cabinet of the state.**

20-3-84 को मैंने स्वयं ने, जब मैं राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन था, उसकी स्वीकृति आइडा नम्बर 5 से आती है, कभी केबिनेट में नहीं गई, एक बात। दूसरा, मैंने एक बात की थी पूरे प्रोजेक्ट को बताते हुए, कि इसमें डेढ़ साल तो इसके पम्पिंग सैट के निर्माण में लगेगा। डिजाइन बनाने की बात हैं, आप तो यह बता दीजिये, 105 किलोमीटर आपने बता दी, लेकिन स्टैण्ड बाई पम्पसेट जो है, क्योंकि मुझे अनुभव है, कोलोनाइजेशन मेरे पास रहा है, पम्प का आर्डर दिया कि नहीं दिया। ये बहुत बड़े पम्प हैं और उसमें स्टैण्ड बाई पम्प की और आवश्यकता पड़ेगी, 16 पम्प आपको निर्माण करने पड़ेंगे। यह डिजाइन आपने एप्रूव करवा दिया, किसी कंसल्टेंसी को आपने लिया और उसका आर्डर दे दिया ? यदि आर्डर दे दिया तो यह मैन्युफैक्चर कब तक हो जायेंगे ? इस प्रश्न के बारे में प्रकाश डालेंगे तो जोधपुर को पानी शायद जल्दी मिल जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदेरणा जी, आप तो ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे वह विभाग के मंत्री हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ये खुद बहुत दुःखी हैं मंत्री न बनने से। मंत्री बनने के लिए+++कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, +++ शब्द निकाला जाय।

श्री उपाध्यक्ष : +++शब्द निकाल दो। एक्सपंज कर दो (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : आपने कल्ला साहब से सीखा नहीं, ट्रेनिंग लेनी चाहिये आपको। मंत्री बनने के लिए अक्ल की जरूरत होती है, दखल देने की जरूरत नहीं होती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरा कीजिये।

+++शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(127)

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय मुझे पूरा दीजिये। 1984 से लेकर 1990 तक जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी, उन्होंने जोधपुर लिफ्ट कैनाल में कुछ नहीं किया। दो वर्षों में आप हमसे यह उम्मीद करते हो कि पम्प हाउस भी बनाया जाय और पम्प मोटर भी लगाई जाय। फिर भी हमारी सरकार ने आपातकालीन योजना के अन्तर्गत एक फार्मूला निकाला है जिसके अन्तर्गत जोधपुर को 1992 में पानी मिल जायेगा और हमारा 5 करोड़ रुपया का अतिरिक्त खर्चा आएगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि जोधपुर में पेयजल की समस्या गम्भीर है। उस गम्भीरता को हमारी सरकार ने महसूस किया है और उसके बाद योजना बनाई है। उसके बाद जो पम्पसैट, पम्प हाऊस बनने वाले हैं, उन सबके टेण्डर हो चुके हैं, उसके बाद जो भी आगे कार्यवाही होगी उससे जोधपुर को शीघ्र पानी मिल जायेगा।

पुनः एक बार मैं सरकार की इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्री को, माननीय जलदाय मंत्री जी को, कि उन्होंने जोधपुर को प्राथमिकता के आधार पर पेयजल समस्या हल करने के लिए किया है। जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है, चिकित्सा विभाग है, और उद्योग विभाग है, जिन्होंने राजस्थान के अन्दर कुछ कर दिखाया है कार्य किया है, उन सभी विभागों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नवनीतलाल जी नीनामा....(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : डिबेट क्या हुई है ? डिबेट से क्या फायदा हुआ है। अगर स्तुति बयान ही करना है तो....(व्यवधान).... यह वाद-विवाद है, इसमें दोनों पक्षों की बात आनी चाहिये। हमारे सदस्य का नाम नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष : सुचित्राजी का लास्ट नम्बर है।

माननीय नीनामा जी।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं.. (व्यवधान)....

श्री हरिसिंह : अन्तरात्मा की आवाज में बोल दो।

श्री उपाध्यक्ष : हां बोलिये, नीनामा जी। आपकी तो बहुत तेज आवाज है। चालू करिये।

श्री नवनीतलाल नीनामा : अभी तक जिस अभिभाषण को पढ़ा-समझा, जिस तरह का अनुभव मैं कर गया हूं, सदन इस अभिभाषण में ऐसे निर्णय लिये गये हैं कि गत वर्षों में जो हमारी संसद या सदन में, इस देश में कौने-कौने में हमारे देश के नेता प्रवचन दिया करते थे, कि पंचायती राज है क्या ? पंचायती राज की बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन बातों को ध्यान में रखा है।

जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश के प्रथम प्रधान मन्त्री पण्डित

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

(3.39 म.प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

जवाहर लाल नेहरू जी ने नागौर में 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज का शिलान्यास करते हुए यह घोषणा की थी कि पंचायती राज ग्रामीणों की संस्था है। ये तीन संस्थाएं हैं, ग्रामीण पंचायत, सहकारी समितियां और प्राथमिक विद्यालय। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस पंचायती राज को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखा है और यह पंचायती राज गांवों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। इसमें इस प्रकार की दिशा व विचार देने वाले माननीय मुख्य मन्त्री जी व इनके सलाहकार मंत्रियों को व राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, देश के पूरे प्रांतों में ट्राइबल कमेटी के साथ मुझे घूमने का मौका मिला और सभी प्रांतों के अधिकारियों से टकराने का समय मिला। पूरे देश के प्रतिनिधि हैं और वहां के अधिकारी हैं जिनसे हमने जानकारी ली जिससे मैंने अनुभव किया है कि हमारे राजस्थान प्रदेश का जो निर्णय है वह इस प्रकार का निर्णय रहा है कि हमारा निर्णय कार्यरूप लेता हुआ आगे निकल रहा है।

मैं इस बात के लिए हमारे राजस्थान के मुख्यमन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में वन विभाग की जमीन व सेटलमेंट की कमी और किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय गत वर्ष में लिया गया था। उस निर्णय को ले करके आज गांव-गांव में यह फैलाव किया जा रहा है। आज हमारे राजस्थान में 213 तहसीलें हैं और इनमें से 117 तहसीलों का भू-प्रबन्ध कार्य चलाया जा रहा है जिससे हमारे राजस्थान का किसान इस ओर मन लगाये बैठा हुआ है कि हमारा निर्णय कब हो। खेतों के बंटवारा होने से सरकार से और बैंकों से लोन हमें मिलेगा और हमारी बेरोजगारी दूर होगी। तो इन पढ़े-लिखे विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए सेटलमेंट निर्णय एक निर्णायक निर्णय होगा।

हमारी राजस्थान सरकार ने जनजाति के लिए 8-2-75 को निर्णय लिया, ट्राइबल कार्यालय उदयपुर में कायम करके इस जनजातीय इलाके को ऊंचा उठाने के लिए करोड़ों रुपए केन्द्र व राज्य सरकार का खर्च किया गया। इसकी जानकारी लेने के लिए मैंने मेरे सहयोगियों सहित पूरे राजस्थान का दौरा किया। इनकी जहां-जहां प्रगति हुई है वहां मौके पर गए और जानकारी ली। जानकारी से यह पाया कि गत वर्षों में जो खर्चा किया है वो खर्चा इस प्रकार का हुआ है जो रेकार्ड में तो पाया है लेकिन मौके पर प्रगति नहीं हुई है। इस ओर हमने कमेटी की तरफ से राजस्थान सरकार से निवेदन किया। उसी अनुसार हमारी सरकार ने कानून में परिवर्तन किया कि जनजातीय इलाके में दूसरी तरह से पैसा खर्च किया जाय। कोई योजना सही रूप से नहीं चल रही है, इसलिए केन्द्र सरकार तक जानकारी दी जाय ऐसी हमारी सबकी भावना रही है। उसी अनुसार हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। जो गत सरकार का मजदूरों को मजदूरी दिलाने का निर्णय

(श्री नवनीतलाल निनामा)

रहा है उस पर विचार नहीं किया जाकर स्थायी और ठोस काम करने का निर्णय लिया है, यह एक बधाई योग्य कदम है। अतः मैं इस प्रकार का निर्णय लेने वाले माननीय मन्त्रीगण हमारी राजस्थान सरकार व नेता महोदय को बार-बार नमस्कार करता हूं।

अब मैं मेरे इलाके, दक्षिणी राजस्थान, जिला बांसवाड़ा, की ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। मान्यवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, इन जिलों में जहां ट्राइबल व आदिवासी इलाका है, खेती, वन और पैदावार पर अपनी जिंदगी बिताने की परम्परा रही है। लेकिन बरसात के अभाव में गत वर्षों में जो अकाल के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं वह नाजायज रूप से खर्च किया गया है जिसकी ओर हम गत 2 वर्षों से राजस्थान सरकार को निवेदन करते रहे हैं। उसी अनुसार हमारी सरकार ने निर्णय तो ले लिया है, लेकिन साथ ही साथ हमारी गत सरकारों ने वहां के आदिवासी, हरिजनों व पिछड़े व्यक्तियों को दबाकर रखा है। जहां अकाल के नाम से कुए बनाए गये हैं हमारे दक्षिणी राजस्थान में सिर्फ बांसवाड़ा में ही दो हजार के करीब कुए अकाल राहत में अपूर्ण रहे हैं। अतः मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि कुए व तालाब पूरा करने की योजना अलग से ली जाय, अकाल में इनको नहीं लिया जाय क्योंकि जब तक कुंआ पूरा नहीं होता है तब तक कोई काम का नहीं है। तालाब का पानी बंद नहीं कर दिया जाता तब तक वह तालाब अपूर्ण है। इसलिए अकाल के काम में तालाब और कुंए नहीं लिए जाकर उनको पूर्ण करने की योजना में ही लिया जा सकता है और उनको पूरा किया जाय। जो अकाल का पैसा है, सरकार का पैसा है, हमारा करोड़ों रुपया खर्च होने के बावजूद स्थानीय किसानों को फायदा नहीं होता है। इसके ऊपर विचार करके ठोस निर्णय लेना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है।

मान्यवर, मुझे वन में रहने का मौका मिला है और वन अधिकारियों से भी मिलने का मौका मिला है और मैं स्वयं भी वनों में रहने वाला व्यक्ति हूं। ये वन सन् 1955-56 से लगाये गए हैं। आज वन लगाने में करोड़ों रुपया दक्षिणी राजस्थान की इन पहाड़ियों में खर्च करते हैं लेकिन दिनों-दिन वन समाप्त होते चले जा रहे हैं। अतः मेरी मांग है कि वहां पर स्थानीय पौधे लगाये जायं। जो बाहर से अधिकारियों की योजनायें आती हैं वो नहीं मानकर स्थानीय जनता की राय, स्थानीय अधिकारियों की राय, ली जाय और फिर पौधे लगाये जायं तब जा करके आने वाले वर्षों में हमारा डिवीजन पनपेगा। मुझे उदपुर डिवीजन में अधिकारियों की होने वाली बैठक में हमारे दिल्ली के अधिकारियों से सम्पर्क करने का मौका मिला। जो वन विभाग में अनजान अधिकारी आ जाते हैं उससे सरकार का पैसा बर्बाद होता है। अतः मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वन के सम्बन्ध में स्थानीय पौधों को ले करके वन लगाये जायं। वन की रक्षा की जाय।

साथ ही साथ वन के सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूं कि वन लगाने की बजाय, दक्षिणी राजस्थान में मौजूदा वन

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

हैं जो पेड़ मौजूद हैं इन पेड़ों की रक्षा करने की जरूरत है। वन लगाने की बजाय वनों की रक्षा करने की जरूरत है। हमारे यहां किसानों और वन अधिकारियों के बीच में एक होड़ हो रही है। एक विशेष तकलीफ हमारे आदिवासी व किसानों के बीच में आई है जिसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर यह स्थिति बनी हुई है कि वन अधिकारी वन तो लगाने नहीं गए लेकिन किसानों द्वारा वनों की रक्षा की गई है। अपने खेतों के किनारे, अपने गांव के पड़ौस में, जो वनों की रक्षा की गई है, उन वनों पर वन अधिकारी अपनी लाज बचाने के लिए, अपनी शान बताने के लिए, वहां खड़े पेड़ों पर कब्जा कर रहे हैं और पहाड़ियों पर कोई नहीं है। अतः मेरा सुझाव है कि राजस्थान सरकार निर्णय ले कि आने वाले समय में जो सूखी पहाड़ियां पड़ी हुई हैं उन पहाड़ियों में सागवान, बांस, थापर व साकड़ के स्थानीय पौधे लगाये जायं व बगीचे में लगने वाले पौधे वनों में नहीं लगाये जायं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री मोहनलाल चौहान। इसके बाद श्री कन्हैयालाल मीणा।

श्री नवनीतलाल नीनामा : सेटलमेंट के बारे में मेरा निवेदन है कि ...

श्री अध्यक्ष : अब आपका निवेदन पूरा हो गया।

श्री नवनीतलाल नीनामा : राजस्थान में सेटलमेंट पैमाइश शुरू हुई है जिसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इसमें विलम्ब हो रहा है। इसलिए चालू वर्ष में सेटलमेंट पैमाइश कराई जा करके जो छोटे से छोटे खेत हैं उनको अलग कराया जा करके गांवों में रहने वाले किसानों को राहत दी जाय। इसी बात के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हुआ मेरी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री मोहनलाल चौहान।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन में 3 दिनों से चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य सरकार की बड़ी जोर शोर से प्रशंसा कर रहे हैं। कितने काम हुए हैं यह आप अपने मन में समझते हैं। मैं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि राजस्थान की भैरोंसिंह जी की सरकार सिवाय कुर्सी बचाने और सत्ता बचाने के कोई काम नहीं कर रही है। राजस्थान में एक धेले का काम नहीं हो रहा है। एक मारवाड़ी में कहावत है कि "एक धोल्या बैठ जाता है तो कालिया उठ जाता है, और कालिया बैठ जाता है तो धोलिया उठ जाता है।" तो हमारे राजस्थान में कभी ललित जी गुट नाराज हो जाता है तो कभी दिग्विजयसिंह गुट नाराज हो जाता है। सिवाय सरकार बचाने के कोई काम नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज के बारे में काफी प्रशंसा की है। पंचायत राज के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार

(श्री मोहनलाल चौहान)

ने वार्ड पंचों को, सरपंचों को, प्रधानों को और जिला प्रमुखों को हटा कर लोकतंत्र की हत्या की है। लोकतंत्र की जड़ें उखाड़-कर फेंक दी हैं इन्होंने, आज गांवों में सुनने वाला नहीं है। एक थर्ड ग्रेड के कर्मचारी ग्राम सेवक को दो-दो, तीन-तीन पंचायतों का मालीक बना कर बैठा दिया है। कोई सुनने वाला नहीं है। ग्राम सेवक और बी. डी. ओ. जो जचता है वह काम होगा।

भ्रष्टाचार की बात कहते हैं, भ्रष्टाचार गांवों तक फैला दिया है भैरोंसिंह जी की सरकार ने, आज गांवों तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आज गांवों में आबादी की जमीनों पर अतिक्रमण हो रहे है, गोचर-भूमि पर अतिक्रमण हो रहे हैं। आपकी पंचायतों में कोई काम नाम की चीज नहीं है। जे. आर. वाई. के कोई काम नहीं हो रहे है, कोई सुनने वाला नहीं है। लोकतंत्र को बी. डी. ओ. और ग्राम सेवक के, यानि शासन तंत्र के हाथ में दिया गया है। इसके सिवाय यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र को खत्म किया है। कांग्रेस के शासन में सरपंचों को हटाया नहीं गया था, वार्ड पंच भी थे, सरपंच भी थे, प्रधान और प्रमुखों को हटाया था। इन्होंने लोकतांत्रिक, चुनी हुई, संस्थाओं को हटा कर हमारे लोकतंत्र की हत्या की है....

श्रीमती तारा भण्डारी : कांग्रेस ने बीस-बीस साल तक चुनाव नहीं कराये।

श्री मोहनलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास योजना की बड़ी चर्चा हो रही है कि हमारे यहां "अपना गांव और अपना काम" योजना चालू की है। "अपना गांव अपना काम" योजना में तीस प्रतिशत सरकार की तरफ से सहायता देकर वाहवाही लूटना चाहते हो, 35 प्रतिशत तो जे. आर. वाई. का पैसा है, पंचायत का पैसा है, कहां से लगायेंगी वह? 35 प्रतिशत की आपको जन सहयोग की आवश्यकता है। तो 35 प्रतिशत और 35 प्रतिशत, यानि 70 प्रतिशत, तो हमारी जनता की तरफ का पैसा है, जे. आर. वाई. में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या मांगती है? यह तीस प्रतिशत देकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। एक भी काम बता दीजिए "अपना गांव और अपना काम" योजना के अन्दर। राजस्थान में एक भी काम नहीं हो रहा है। तीस जिले-तीस काम योजना में आपके कितने काम हो रहे हैं। हमारे विधायकों को आप दस लाख रुपये की बात कह रहे हैं, कितने काम हुए दस लाख के अन्दर? कितने विधायक हैं जो अपनी आत्मा पर हाथ रख कर यह कहते हैं...

श्री नवनीतलाल नीनामा : तीस जिले तीस काम में हमारे बांसवाड़ा जिले हैं....

श्री अध्यक्ष : निनामाजी, देखिए समय कम है, बोलने दीजिए उनको।

श्री मोहनलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, यहां अनुसूचित जाति, और जनजाति के उत्थान की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं।

(श्री मोहनलाल चौहान)

हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के माननीय सदस्य जी सत्ता पक्ष में बैठे हैं, मैं इनको पूछना चाहता हूं, आज इस भ्रष्टाचार की आड़ में हमारे बड़े-बड़े अधिकारी और अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को हटाया जा रहा है। यही आपकी हालत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे दो माननीय मंत्रियों को, जो कि एस. सी. और एस. टी. के हैं, बलि का बकरा बनाया गया है। दूसरे आपके क्यों नहीं बलि का बकरा बने ?

श्री जुबेरखान : दो-दो को हटा दिया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : दो हटा कर एक लिया है।

श्री मोहनलाल चौहान : मैं कहता हूं कि शिड्यूल कास्ट की, एस. सी. और एस. टी. की कोई सुनने वाला नहीं है। यह उत्थान की बातें गलत कर रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार के बारे में साफ कहता हूं कि राजस्थान में हमारे छोटे-छोटे कर्मचारी, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, उनके साथ में घोर अन्याय किया जा रहा है। दूर-दूर उन्हें ट्रांसफर करके उनका विक्टीमाइजेशन किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में बड़े जोर-शोर से कह रहे हैं कि हमने यह किया। जो 25 हजार कनेक्शन्स देने का आपका टारगेट था, इनमें से एक भी बता दीजिए। 31 मार्च आ रहा है, एक महीने का समय रहा है, किसानों को डिमाण्ड नोटिस जारी हो गये हैं, पावर इंजीनियर्स हड़ताल पर बैठे हैं, आपका मैनेजमेंट बिल्कुल कमजोर है। आज तक किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं, सामान नहीं मिल रहा है, डिमाण्ड नोटिस की रकम काश्तकारों की जमा है, काश्तकार ब्याज भोग रहा है। कोई भी आपका कनेक्शन्स रिलीज नहीं हो रहा है। आप बिल्कुल ही गलत आंकड़े बता रहे हैं। 25 हजार कनेक्शन्स में से आपका अचिवमेंट बता दीजिए।

चिकित्सा के बारे में बड़े जोर-शोर से कह रहे हैं। जो प्राथमिक सब सेन्टर्स थे गांवों में, नागौर जिले की मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि नागौर जिले में 150 सब सेन्टर्स आज की तारीख में खाली पड़े हैं और दो-दो, तीन-तीन सालों से खाली पड़े हैं। प्राथमिक चिकित्सा भी गांवों में नहीं दे सकते, गांवों में एक सुई लगाने वाला नहीं है और आप बड़ी-बड़ी चिकित्सा की बातें करें। जो बारह रुपये की सुई मिलती थी, आज 27–28 रुपये की हो गई। आप क्या सोच रहे हैं ? एक गरीब आदमी आज बुखार का इंजेक्शन नहीं लगा सकता। क्या विचार करें हम सदन के अन्दर ?

पेयजल के सम्बन्ध में काफी बातें कही गई। नागौर से आने वाले माननीय मुस्तुफा जी कल कह रहे थे कि हमारे 60 गांवों में पानी की समस्या हल कर दी....

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : माननीय सदस्य, असत्य बात कर रहे हैं, 1500 ट्यूब वैल....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सुन तो लो आप।

श्री मोहनलाल चौहान : मैं इसलिए यह बता रहा हूं कि हमारे क्षेत्र में सिर्फ दो ढाणियों में पानी की स्कीम इस साल मंजूर की है।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : 1500 ट्यूब वैल्स के कनेक्शन मिले हैं। आज तक कभी नहीं मिले, 1500 गांवों में, और बारह हजार....

श्री मोहनलाल चौहान : आप बैठ जाइये। कोई आप ....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये।

श्री मोहनलाल चौहान : आप थोथे चने-बाजे घणे वाली बात मत करो।

श्री अध्यक्ष : अब जो है, है। पानी नहीं है तो नहीं है। सही है।

श्री मोहनलाल चौहान : दो स्कीम मेरे क्षेत्र में दो ढाणियों में मंजूर की है इस साल।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मेरे विधान सभा क्षेत्र में आकर देखें।

श्री अध्यक्ष : यह अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है।

श्री मोहनलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पानी के बारे में यह कहना चाहता हूं कि....

श्री परसराम मदेरणा : कितने गांव हैं आपकी कांस्टीट्वेन्सी में ? गांव ही पता नहीं है इनको।

श्री अध्यक्ष : बोलिये आप, बोलिये।

श्री मोहनलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, पानी के बारे में....

श्री परसराम मदेरणा : आपके विधान सभा क्षेत्र में कितने गांव हैं और कौन सी स्कीम नई लागू हुई है ?

श्री अध्यक्ष : अब आप बोलिये, चौहान साहब। समय आपका जादा हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : आप कल सरपंचों को भ्रष्टाचारी कह रहे थे, अगर वहां के चुनाव में आप खड़े हुए तो आपकी जमानत जब्त होगी, मैं जानता हूं। एडजोनिंग कांस्टीट्वेन्सी है मेरी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है।

श्री अध्यक्ष : हां-हां बोलिये आप।

श्री मोहनलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, पेयजल की समस्या ऐसी विकट समस्या है, सरपंचों को हटाया, टी. एस. एस. योजना हमारे गांवों में है, टी. एस. एस. योजना में मोटर जल जाती है तो गांवों में रख-रखाव करने की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले मोटर जल जाती थी तो सरपंच ठीक कराते थे। आज पी. एच. ई. डी. का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उसको ठीक नहीं करवाता है। क्या व्यवस्था है आपकी ? सरपंचों को हटा दिया। अब आपकी टी. एस. एस. बंद पड़ी है तो पड़ी है, गांवों में पानी की बड़ी समस्या है।

(श्री मोहनलाल चौहान)

इसलिए इसमें आपको गौर करना है। अगर माननीय मंत्री महोदय हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : अब विराजिये। धन्यवाद। आपका टाइम हो गया है अब।

श्री मोहनलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। इनका जितना कोटा हैं उतना आवंटन होता है। माननीय मंत्री महोदय यहां विराज रहे हैं, आप यह बतायें कि आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम में कितने मुकदमे बनाये इस साल। आज कितने भाव बढ़ रहे हैं, गरीब आदमी आज बाजरी नहीं खा सकता। आपने कितने मुकदमे बनाये? खुले लूट रहे हैं गांवों में, भाव बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं आप। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, आप कालाबाजारी रोकने पर जोर दीजिए....

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आप विराजिए। हो गया आपका सारा। बैठिये अब आप। दस मिनट से ज्यादा हो गये आपको, 12 मिनट।

श्री मोहनलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, जो अकाल की भयंकर विकट समस्या है नागौर जिले में, पूरे जोधपुर डिवीजन में अकाल है और इस अकाल के अन्दर जो अनुसूचित जाति और जनजाति के मजदूर लोग बैठे हैं उनके पास कोई खेती का सोर्स नहीं है और उन लोगों को, गरीब लोगों को आज तक मजदूरी पर नहीं लगाया है। उनके जीने का कोई साधन नहीं हैं। इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? अकाल में आज तक अनुसूचित जाति के लोग मजदूरी पर निर्भर करते हैं, उनके लिए आपने कुछ सोचा ही नहीं, न कोई काम शुरू किये। मंत्री महोदय, आप फेमिन मिनिस्टर हैं और अनुसूचित जाति के हैं, हम गरीबों की सोचो आप। गरीबों के लिए विचार करो।

श्री अध्यक्ष : अब अनुसूचित जनजाति के सदस्य श्री कन्हैयालाल मीणा बोलेंगे।

श्री मोहनलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, राज्यपाल महोदय, के इस अभिभाषण का मैं घोर विरोध करता हूं, जय हिन्द।

श्री जुबेर खान : दो-दो को शहीद करके आये हो, अब तो समझो कुछ।

(4·00 म. प.)

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने दो साल में बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के राजस्थान का जो समग्र विकास करवाया उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कें हों, हर क्षेत्र में जो काम हुए, बिना राजनीतिक भेदभाव के सराहनीय कार्य

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

हुए हैं। 'विकास कार्यों में, चाहे "अपना गांव अपना काम" योजना हो, चाहे तीस जिला तीस काम योजना हो, अन्य जवाहर रोजगार योजना हो, जो कार्य हुए हैं हर गांव-गांव के अन्दर मैं आपको विधान सभा क्षेत्र बस्सी का उदाहरण दे सकता हूं कि 127 स्कूलों के लिए जो 1 करोड़ 5 लाख रुपये की राशि इस साल स्वीकृत हुई उसमें बिना किसी भेदभाव के हर गांव के अन्दर, चाहे किसी को भी वोट मिले हों कांग्रेस को मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को मिले हों या अन्य किसी को मिले हों उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिना पक्षपात पूर्ण भेदभाव के जो विकास कार्य हाथ में लिये हैं, चाहे स्कूल का कार्य हो, चाहे पंचायत भवन का कार्य हो चाहे चिकित्सा भवन का कार्य हो सब के लिए जिस प्रकार से पूर्व में जितने भी निर्माण कार्य हुए उनमें हर कार्य को पक्षपातपूर्ण रवैये से किया गया, मैं चिकित्सा की दृष्टि से आपको कह सकता हूं कि एक-एक विधान सभा क्षेत्र में जहां 54-54 पंचायतें हैं और मात्र एक कोने के अन्दर 6 पंचायतों के अन्दर 6 पी. एच. सी. याने बराबर लगती हुई पंचायतों में पी. एच. सी. खोल दी जायें और पूरी 48 पंचायतें एक तरफ रह जायें जहां 60-60 किलोमीटर के अन्दर कोई चिकित्सा सुविधा मुहैय्या नहीं हो इस प्रकार के जो कार्य इन्होंने बिना किसी भेदभाव के किये हैं वास्तव में सराहनीय हैं।

गांव-गांव के अन्दर जो राजस्व शिविरों का आयोजन किया और गांवों के अन्दर हजारों केसेज का निपटारा किया गया वह भी कार्य सराहनीय है चाहे वहां गांव-गांव के अन्दर नामांतरकरण खोलने का कार्य हाथ में लिया, चाहे म्यूटेशन का काम हाथ में लिया हो, चाहे अदला-बदली के काम हाथ में लिए हों या अलॉटमेन्ट के कार्य हाथ में लिये हों जो कार्य हुए वह भी सराहनीय कार्य हुए हैं। साथ ही जो गलत अलाटमेन्ट हुए हैं जैसे बस्सी के अन्दर करोड़ों और अरबों की हजारों बीघा जो 1214 व्यक्तियों को अलॉट की थी उसको रद्द किया, जो 87–88 के अन्दर 1214 व्यक्तियों को अलॉट की गयी थी और जो जे.डी.ए. क्षेत्र में भूमि आती थी उसका अलॉटमेंट रद्द किया उसके लिए भी मैं माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अलॉट होना चाहिए थी लेकिन ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान के नहीं हैं उन 1214 व्यक्तियों को जिसमें आई.ए.एस. भी है, आई.पी.एस. भी है, और एम.एस. भी है ऐसे व्यक्तियों को अलाटमेंट हुआ और वह खारिज हुआ उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

शिक्षा के क्षेत्र में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और पंचायत राज्य मंत्री ने जो 1500 स्कूलें पंचायतों में खोली हैं कक्षा 5 तक की जो स्कूलें थीं और जिन में एक-एक अध्यापक लगाया गया था। उनमें जो 1500 स्कूलें खोली गयीं और अध्यापकों की भर्ती की उसके लिए मैं शिक्षा मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि गांवों के अन्दर जहां 80 प्रतिशत

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

जनता भारत की रहती है उनमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5,8 और 10 तक की जो स्कूलें हैं और आज देश को आजाद हुए 44 साल हो गए लेकिन एक एक स्कूल के अन्दर आज 44 साल में भी हर स्कूल के अन्दर कक्षा 8 तक की स्कूलों में भी एक अध्यापक या ज्यादा से ज्यादा दो अध्यापक काम कर रहे हैं। यह कक्षा 5 तक जहां 100–150 बच्चे हैं वहां दो अध्यापक हों लेकिन एक अध्यापक ही कार्य कर रहा है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी कक्षायें हैं उतने अध्यापक तो होने अतिआवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, न्याय के क्षेत्र में मैं विधि मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बिना किसी भेद-भाव के जो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलीं और उनको अपग्रेड किया गया जिससे गांव वालों को सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

पेयजल के संबंध में पानी की भयंकर समस्या पूरे राजस्थान में छाई हुई है। लेकिन उसमें जितनी स्कीमें बनीं- मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए यह कह सकता हूं कि 13 पेयजल स्कीमों में से 7 पेयजल स्कीमें स्वीकृत की गयीं, 200 हैंडपम्प नये स्वीकृत किये उसके लिए मैं पेयजल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

साथ ही मैं अकाल राहत मंत्री जी से चाहूंगा कि अकाल की इस समय भयंकर दुर्दशा को देखते हुए अकाल राहत कार्य चालू किये जायें। अकाल राहत मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि अकाल के संबंध में जो आज से 20 साल पहले सड़कें बनाई थीं और जिनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है और अभी तक उन सड़कों का डामरीकरण नहीं किया गया और अब जब भी सड़कों का निर्माण कार्य हो तो उन अकाल राहत में बनाई हुई सड़कों का डामरीकरण किया जाये और अकाल के तहत अब जब भी कोई कार्य हाथ में लिया जाये तो उनको पूरा कराया जाये। जिस प्रकार से पूर्व में करोड़ों रुपयों की सड़कें अकाल के तहत में बनाई गई थीं वह सड़के आज भी ज्यों की त्यो पड़ी हुई हैं, जगह-जगह टूट गयी हैं और उनके रखरखाव की भी कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत के तहत कोई भी कार्य लिये जाते हैं तो उनका साथ ही साथ डामरीकरण किया जाना जरूरी है।

माननीय उद्योग मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने गांवों के अन्दर इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित करके रीको के माध्यम से बेरोजगार लोगों को राहत दिलाई है और गांव वालों को उससे काफी लाभ हुआ है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

साथ ही पंचायतों के पुनर्गठन में जिस प्रकार के कार्य हाथ में लिये हैं वह भी एक सराहनीय कार्य है और उसके लिए भी मैं पंचायत राज मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

साथ ही अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों को आज तक चाहे पिछली

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

सरकार ने जितने भी कार्य करवाये मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि उन्होंने कार्य नहीं करवाये लेकिन ऐसे काम हाथ में लिये जिसके मैं उदाहरण दे दूं कि जैसे इन्दिरा आवासीय योजना के तहत हजारों अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को इन्होने ऋण दिये तो आज एक भी व्यक्ति उन मकानों के अन्दर निवास नहीं कर रहा है। सारे मकान अधूरे पड़े हुए हैं। ऐसी जगह मकान बनाये गये हैं कि न तो कोई जंगल में रह सकता है। उन मकानों में एक भी अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति दस साल में नहीं रह रहा है। उनकी टूटकर पट्टियां गिर गयी हैं या उनमें दरवाजे खिड़कियां नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को आज से दस साल पहले ऋण दिया गया, वह मकान रहने काबिल नहीं हैं इसलिए इन मकानों की दशा सुधरवाई जाये। उनकी चैकिंग करवाई जाये और उनकी स्थिति ऐसी बनवाई जाये कि वह दुबारा मरम्मत करवाकर रहने काबिल हो सकें।

मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह जी शेखावत को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 40 साल में पहली बार अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा जयपुर राजस्थान की राजधानी के अन्दर छात्रावास की मांग होती रही कि हमें कम से कम छात्रावास की भूमि उपलब्ध करवाई जाये लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने अनुसूचित जाति के लोगों को जयपुर के अन्दर झालाना डूंगरी के पास अनुसुचित जाति और जन जाति के लोगों को जो छात्रावास के भवन के लिए भूमि दी उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं पुनः माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान गृहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि हमने 180 मिनट रखे थे और 210 मिनट हो गए हैं। लगभग 15 आदमियों के नाम और हैं। यदि सदन की इच्छा हो तो मैं इन 15 आदमियों को बुलाकर बहस का उत्तर 3 तारीख को दिलवाने की व्यवस्था कर दूं? उस दिन शून्यकाल नहीं होगा और केवल लीडर आफ अपोजीशन और मुख्य मंत्री जी ही बोलेंगे। सदन की इच्छा हो तो मैं आगे चालू करता हूं।

(मौन स्वीकृति)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, तीन दिन के बाद क्या जवाब देंगे मुख्य मंत्री जी? सब भुल जायेंगे हम लोग तो। शून्यकाल होना ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री फतह सिंह (अनुपस्थित)

श्री शम्भुदयाल बड़गूजर (अनुपस्थित)

श्री मांगीलाल मेघवाल,

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : 24 फरवरी को इस सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो राजस्थान सरकार के

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

काम-काज की रूपरेखा अपने अभिभाषण में यहां सदन के सामने प्रस्तुत की उसके प्रसंग में उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा, उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार चलाने के लिए जनहित के काम और जनहित के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। जिस तरह से हमारे कुशल प्रशासक माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो 3 वर्ष पहले 795 करोड़ की वार्षिक योजना थी उसको बढ़कार के 76 प्रतिशत वृद्धि करके सम्पूर्ण देश में एक मिसाल कायम की है और 14 सौ करोड़ रुपए की जो योजनाएं बनाई हैं उसी से यह जाहिर हो रहा है कि हमारी जागरूक सरकार राजस्थान के जन-कल्याण के लिए प्रयत्नशील है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह जो प्रदेश और देश गांव का देश है, गांव में किसान है और किसान देश की रीड की हड्डी है, उसकी तरफ ध्यान देते हुए ग्रामीण विकास योजनाओं में, जो वर्षों से उपेक्षित थीं, गांव में सड़क, बिजली और पीने के पानी नहीं, इन सारी समस्याओं का यह पक्ष जिम्मेदार है जो आज इधर बैठा है। कांग्रेस की रीति-नीति थी गांव में सड़कों के लिए यह कृषि मण्डी एक ऐसा साधन था इसलिए जिस मण्डी क्षेत्र का जो पैसा है उसी क्षेत्र में लगेगा और इस तरह से राजस्थान में केवल मात्र जो सौ-सवा सौ मण्डियां थीं, जो विकसित थीं उन्हीं के कार्य क्षेत्र में वह किसान के खून-पसीने का पैसा जो टैक्स के रूप में राजस्थान सरकार ने लिया वह शहरों में लगाया गया, उन्हीं क्षेत्रों में लगाया गया और राजस्थान का 80 प्रतिशत क्षेत्र इस किसान के खून-पसीने के पैसे से वंचित रहा और वहां की गांव की समस्यायें यथावत बनी रहीं। हमारी जागरूक सरकार अब हर क्षेत्र में जो जिला मण्डी विकास कोष कायम किये हैं उसके माध्यम से सड़कों की यह विकसित योजना बनाई गयी और उसके माध्यम से गांवों का विकास हो इस तरह की योजना बनाकर विकास के लिए अग्रसर है।

सड़कों के मामले में पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय ने जो भारत सरकार की योजना आयोग के तहत जो सड़कें 85 से 90 के बीच में बननी चाहिए थीं, जिन गांवों की आबादी 71 में 15 सौ होनी चाहिए थी, बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 85 से लेकर के 90 तक इस राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री हरिदेव जोशी थे, शिवचरण माथुर थे और उन्होंने, जो कहते हैं हम विकास की, गांव के विकास की बात करते हैं उन्होंने 85 से लेकर 90 तक आज भी पौने तीन सौ गांव ऐसे थे जिनमें यह सड़कें नहीं बना सके, हमारे जागरूक मंत्री महोदय ने किया मैं उनका धन्यवाद अर्पित करता हूं, उन्होंने इस तरह की योजनायें बनाई जो इनका पेंडिंग वर्क था उसको भी पूरा किया जा रहा है। इसके साथ अरबों-करोड़ों रुपये की इस तरह की रिपेयर की योजनायें जो वर्षों तक 15-15, 20-20 वर्षों में नेशनल हाइवे, स्टेट हाइ वे में कहीं खड्डे थे उनकी आज मरम्मत हो रही है और राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि कोई सरकार है

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

और जनता के प्रति व इनके प्रति सचेत है और उसी का परिणाम है, मैं यातायात मंत्री महोदय को बार-बार धन्यवाद दूंगा जो वर्षों तक करोड़ों रुपयों के घाटे में चलने वाली राजस्थान रोडवेज आज इस सरकार में आकर के मुनाफे में चल रही है। यह हमारी सरकार का काम-काज करने की बानगी है क्योंकि हमारी रीति-नीति में हमारा भ्रष्टाचार में विश्वास नहीं है इसलिए वर्षों से घाटे में चलने वाली आज राजस्थान रोडवेज फायदे में चलने की नौबत में आयी है इसके लिए हमारी सरकार के मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से प्रदेश और देश गांव का है, किसानों के माध्यम से, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है हमने गांव की ओर ध्यान दिया। अभी जो इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को इसी वर्ष 30 हजार हेक्टेयर में नये खाले बनाने की बात है, खाले बनेंगे, पानी खेतों में पहुंचेगा खुशहाली होगी, वहां का किसान खुशहाल होगा देश का विकास होगा, प्रदेश की समृद्धि होगी इस तरह की हमारी योजनायें हैं। चम्बल कमाण्ड एरिया, चम्बल की वह धरती जो इनकी, कांग्रेस की कुरीतियों के कारण वहां के अधिकारी वर्षों तक मनमानी करते रहे। हमने इसी सदन में भूख हड़ताल पर बैठे माननीय दाऊजी, माननीय सुराणाजी उस समय 8वीं विधान सभा के समय हम कचमेण्ट के लिए यहां हर सत्र में लड़ते थे लेकिन इस कांग्रेस की निकम्मी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती और माननीय मुख्यमंत्री जी भैरोंसिंह जी ने आज राजस्थान की सरकार ने 113 करोड़ रुपए की नहरों की रिपेयर के लिए पिछले साल इस रेगुलर बजट में पैसा दिया इसके लिए हमारा सिंचाई विभाग धन्यवाद का पात्र है। दो वर्षों से उस चम्बल की नहरों को, जिससे राजस्थान को अपार अन्न का भण्डार मिलता है, लाखों टन खाद्यान्न, दलहन और तिलहन पैदा होती है, इतना उपेक्षित क्षेत्र था, दो वर्षों में टेल-टेल में पानी दिया गया। हमारे जो नेता थे उन्होंने इस तरह की योजना बनाई इसलिए जाकर के क्षेत्र का अवलोकन किया और उसी का परिणाम है कि आज वहां इस तरह से जिस केचमेण्ट, जिसे पानी के भराव के कारण समस्याएं हुई और हमने आन्दोलन किये। करोड़ों रुपयों से इस चम्बल की धरती का किसान कर्ज में डूबा है। आज हमने वह माफ करने की योजनाएं बना रखी हैं और इस समस्या के समाधान करने के लिए वाटर लोग्ड एरिये की समस्या का समाधान करने के लिए कनेड़ा की स्कीम है। एक करोड़ 14 लाख रुपए की अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाइन योजनाएं बन रही हैं जिसके माध्यम से उस क्षेत्र का विकास होगा। इस तरह से जो अन्न पैदा करने वाले क्षेत्र हैं राजस्थान में, गंगानगर और चम्बल का क्षेत्र है इसके लिए हमारी सरकार जागरूक है और इस तरह के कार्यक्रम बनाने जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके काम करने के तरीके का नमूना बताऊंगा। को-आपरेटिव विभाग में राजस्थान में एक-

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

मात्र शक्कर का कारखाना मेरे विधान सभा क्षेत्र, केशोरायपाटन में है। 10 करोड़, 11 करोड़ रुपए घाटे में चला इनकी नीतियों के कारण। अफसर मनमानी करते रहे। एक

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

अटैची लेकर आने वाला अधिकारी भ्रष्टाचार के माध्यम से ट्रक में भर कर सामान लेने लग गया। आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है, मैं माननीय सहकारिता मंत्री को बार-बार धन्यवाद दूंगा कि घाटे में नहीं आज फायदे में चलने की स्थिति में है। राजस्थान का एक-मात्र कारखाना जो कृषि उद्योग पर आधारित है उसके बाद लगने चाहिये। लगाये नहीं जो लगे वह घाटे में रहे। एक-मात्र जो उद्योग राजस्थान का है वह आज खुशहाली की ओर बढ़ेगा। इसमें हमारे माननीय मंत्री सक्रिय हैं और ऐसे कुशल अधिकारियों के सहारे जाते हैं, चैक करते हैं और उनसे काम लेते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को जिस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेण्ट के मामले में अभी कोई बात करते हैं कि यह पास बुक देने वाली योजना जो हमारी सरकार ने दी है वह उसके पास अपनी जमीन का दस्तावेज होगा चाहे वह कहीं नो ड्यूज के लिए, जाय, कहीं खाद के लिए जाय, चाहे बैंक में जाय, तो इस तरह का एक दस्तावेज एक किसान के हित में सरलीकरण की जो योजना बनाई गयी है इससे हमारा किसान लाभ उठायेगा।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो पिछला साल गया इसमें को-आपरेटिव के व्यवस्थापकों ने हड़ताल कर दी। जिस तरह से इस मशीनरी ने राजस्थान की सरकार को सहयोग नहीं दिया अगर हमारे जागरूक मंत्री महोदय, हमारे जहां-जहां जागरूक अधिकारी थे, जन-प्रतिनिधि थे उन्होंने सहयोग किया और 26 करोड़ फसली ऋण था।

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

इसके मुकाबले 96 करोड़ रुपए का फसली ऋण दिलाकर ...

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका। श्रीमती सुचित्रा। आप बैठें....

श्री मांगीलाल मेघवाल : किसानों के लिए, किसानों की समस्या के लिए सचेत रहें....

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखिये आप। आप धन्यवाद दे दीजिए और समाप्त करिये। बैठिये आप। श्रीमती सुचित्राजी।

श्री मांगीलाल मेघवाल : जिस तरह से देश में तिलहन और दलहन की जो कमी है उसकी पूर्ति के लिए सरसों की पैदावार बढ़ाई गयी। हमारी जागरुक सरकार इसके लिए है। जब खेत में उत्पादन बढ़ेगा तो भाव गिरते हैं पर हमारी जागरुक सरकार ने पहले से ही ढाई सौ करोड़ रुपए की खरीददारी करने की योजना बनाई है कि मेरे देश का किसान, मेरे प्रदेश का अन्नदाता किसान कहीं बिचोलियों के माध्यम से लूटा नहीं जाय। जागरुक सरकार ने तिलम संघ के अध्यक्ष से 160

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

करोड़, राजफैड के माध्यम से 40 करोड़ और अन्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ढाई सौ करोड़ की खरीददारी कर के अपनी जागरुकता का परिचय दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बेरोजगारी की बात है.... (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री अध्यक्ष : अब आप भाषण मत दीजिए धन्यवाद दीजिए। बेरोजगारी छोड़िये। हो गयी और भी बोलेंगे। और लोग भी बोलने वाले हैं। बेरोजगारी पर ही बोलेंगे वह।

श्री मांगीलाल मेघवाल : उसके बाद प्रोत्साहन ब्यूरो के माध्यम से इस तरह का एक ब्यूरो की स्थापना की है और उससे उद्योगपतियों को जो राजस्थान के (व्यवधान) उनको आमंत्रित किया जा....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, हो गया। श्रीमती सुचित्राजी आप बोलिये। आप बैठिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सरकार को बार-बार धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान में जो विकास की लहर है उसमें हमारी भागीदारी है और हम आगे बढ़ेंगे।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने सदन में आकर के धन्यवाद' दिया उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगी लेकिन उनके मुंह से कहलाया गया उसका मैं विरोध करूंगी। विकास कार्य बिल्कुल ठप्प हो गया। कानून और व्यवस्था की जो हालत है वह बिल्कुल चरमरा गयी है। मैं मेरे क्षेत्र के बारे में बताना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में सरूपुरा गांव में एक महिला, भरतसिंह की पत्नि, दो साल हो गये लापता हुए। उसमें एक मंत्री भी लिप्त है। (व्यवधान)

लेकिन दो साल में मैंने मुख्यमंत्रीजी से भी बात की, मैंने होम मिनिस्टर से भी बात की लेकिन आज तक उस विषय को गायब किया हुआ है। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। डी. आई. जी. और आई. जी. ने उसको देख लिया लेकिन लापता करने वाला ही जब मंत्री होगा तो वह कैसे मिलेगी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्री का नाम बताया जाय, मंत्री कौन है।

श्री अध्यक्ष : देखिये, सात मिनट का समय बहुत कम होता हैं, उनको बोलने दीजिये। और अभी मुझे 15 लोगों को सारों को बुलवाना है। आप क्यों इण्ट्रप्ट कर रहे हैं। उनकी बात सुन लीजिये आप।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : मंत्री जी अगर बैठे होते तो उनका नाम भी बता देती। पुलिस वालों ने उनसे भी जानकारी ली हैं। एस. एच. ओ., डी. वाई. एस. पी. सब लोगों ने उनसे पूछताछ की है। लेकिन जब उनके पास वह जाते हैं घरवाले, तो उनको बैठा दिया जाता है, उनका मुंह बंद कर दिया जाता है क्योंकि वह खुद मंत्री हैं। इसलिये वह बात छिपा दी जाती

(श्रीमती सुचित्र आर्य)

है। उस औरत के साथ दो छोटे-छोटे बच्चे हैं, दो साल के अन्दर आज तक नहीं मिली। उसके घरवाले इतने परेशान हैं कि परेशानी का कोई ठिकाना भी नहीं है। इस राज के अन्दर इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। कोलवाड़ा के अन्दर आप देख लीजिये, गंगानगर जिले के अन्दर इस तरह की हालत कभी नहीं हुई थी लेकिन दूसरा पंजाब होता जा रहा है। एक ही परिवार के तीन आदमियों को बंदूक की नोंक दिखाकर उग्रवादी उठाकर ले गये दिन दहाड़े, इससे ज्यादा और क्या बुरी बात होगी। आपके जयपुर के अन्दर पंकज सिंघवी और कृष्णा यादव हत्याकांड हुआ, यह तो आप देख ही रहे हैं इसकी हालत कितनी गम्भीर है। यह इस तरह के हालात हैं।

पंचायतों का मामला मैं उठाना चाहती हूं। पंचायतों को भंग करके सारे कामकाज ही ठप्प कर दिये हैं। आज पंचायतों में बी. डी. ओ., प्रशासक अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो काम सरपंच किया करते थे, वह जो आज सरपंच नहीं हैं उन्हीं के साथ मिलकर प्रशासक गांव के अन्दर पट्टे काटते हैं, पैसे लेते हैं और बड़ी मस्ती हो रही है लेकिन गवर्नमेंट उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम बार-बार पंचायत कलक्टर को शिकायत करते हैं तो हमारी कोई सुनने वाला भी नहीं है। इस तरह की हालत पंचायतों की बना दी है।

स्कूलों के अन्दर दो साल से मेरे क्षेत्र में स्थान रिक्त पड़े हैं। मैंने दो साल के अन्दर हजार दफा मंत्री महोदय से भी निवेदन किया लेकिन दो साल में वह हमेशा कहते रहे कि थान भर देंगे, अभी भर्ती नहीं हुई है। भर्ती होगी क्या जब भर्तियों के ऊपर आपने रोक लगा दी तो भर्ती हो भी कैसे सकती है। लेकिन आज दो साल से खाली पड़े हैं और पांच साल अगर आप राज करोगे तो पांच साल तक वह खाली रहेंगे, वह रिक्त स्थान भरने वाले नहीं, मुझे लगता है।

अस्पतालों के बारे में मैंने सनाढ्यजी से पहले भी कहा था, निवेदन किया था कि दो घंटे तक आपने ललितजी की बड़ी खुल कर तारीफ की, दो घंटे तक आपने टाइम माननीय सदस्यों का भी खराब किया कि अस्पतालों को उन्होंने बहुत अच्छा, ढंग से कर दिया है, अस्पताल भर दिया हैं। मेरे क्षेत्र की बात कहती हूं, मेरे नोहर के अन्दर अस्पताल में आज भी तीन स्थान रिक्त हैं डाक्टर के और फोर्थ क्लास तो है ही नहीं। न वहां पर नर्स और न कम्पाउंडर है। मेरे क्षेत्र के पल्लू में तो यह हालत है कि वहां पर एक डाक्टर ही है, फोर्थ क्लास है नहीं। न कम्पाउण्डर है, न नर्स है। कम्पाउण्डर का काम और फोर्थ क्लास का काम डाक्टर को ही करना पड़ता है। मैंने सी. एम. एच. ओ. साहब से भी कहा, मैंने मंत्रीजी से भी कहा लेकिन आज तक वहां न तो कोई फोर्थ क्लास गया, न कोई नर्स गयी, न कोई कम्पाउण्डर गया। वहां की ऐसी हालत है कि गांव के सौ आदमी वहां जाते हैं अपना इलाज कराने के लिये, उस डाक्टर को देखो बेचारे को, सारे काम वह करके उन गांव वालों

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

को, मरीजों को देखता है, तो लोगों को देखना है। ऐसी हालत अस्पताल की है।

एक माननीय सदस्य : कितना बढ़िया डाक्टर हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उसको स्वास्थ्य मंत्री बना देना चाहिए।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : मैं यह भी ललितजी होते तो उनको बताती कि गोगा-मेड़ी ऐसा स्थल है कि हिन्दुस्तान के सब लोग उस मन्दिर के अन्दर पूजा करने के लिये जाते हैं। वहां जब मेला लगता है तो लाखों लोग हिन्दुस्तान के वहां आते हैं। वहां सब धर्मों के लोग आते हैं। हिन्दु, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब वहां जाकर माथा टेकते हैं। वहां अस्पताल के लिए बार-बार मैंने इनको लिखा, बारबार कहा लेकिन आज तक अस्पताल मंजूर नहीं हुआ। जब मैं खुद उनसे बात करती हूं तो कहते हैं बजट नहीं था, अगली बार देखेंगे। तो यह बजट हमारे लिये नहीं आता है, यह पुराने जो खण्डहर है, जो गढ़ हैं उनकी मरम्मत के लिये तो बजट आ जाता है और हमारे अस्पताल बनाने के लिये बजट नहीं आता है, यह इस तरह की हालत इन्होंने पैदा कर दी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अपना गांव अपना काम योजना के बारे में तो मैं मुख्यमन्त्री जी बढ़ाई करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छी योजना लागू की है। गांव वालों ने भी इसको पहली दफा सराहा है, पहली दफा इसको अच्छा माना है। लेकिन उसको लागू करने का जो बीच में रास्ता बना दिया कि इतना पर्सेण्ट तो पंचायत का होगा, इतना जवाहर रोजगार योजना का होगा, उससे क्या होता है कि 30 पर्सेण्ट पैसा गांव वाले बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करके ड्राफ्ट लगाकर पंचायत कलक्टर को भेजते हैं लेकिन व मन्जूर होते नहीं हैं तो वह उनके पैसे तो खड्डे में चले जाते हैं और वह योजना लागू नहीं हो पाती है। इस योजना को सही ढंग से लागू करने के लिए रास्ता सरल होना चाहिए, बीच की जो बाधाएं हैं, उनको हटा देना चाहिये जिससे गांव वालों को उसका फायदा मिल सके।

पानी के बारे में, पानी की व्यवस्था के बारे में मैंने भंवरलालजी को कहा। मेरे तीस गांव तो इस तरह के हैं जो चालीस साल के अन्दर आज तक भी वहां प्यासे बैठे हैं। राजस्थान कैनाल के पास से जा रही है। कोई गांव तीन किलोमीटर पर है, कोई चार किलोमीटर पर है, कोई पांच किलोमीटर पर है। मैंने बार-बार मन्त्री जी को निवेदन किया कि, मन्त्रीजी, जब राजस्थान कैनाल पास है तो उन लोगों को प्यासा क्यों रहने दिया जा रहा है, आप पानी तो दीजिये। लेकिन मन्त्रीजी ने हमेशा यह कहा, अबकी स्कीम बनाते हैं, अबकी दूसरी नयी योजना बनाते हैं। लेकिन वह योजना पानी वाली अभी तक नहीं बनी। जोधपुर को राजस्थान कैनाल का पानी पहुंचा सकते हैं लेकिन तीन किलोमीटर वालों को पानी नहीं दे सकते। वह इसलिए नहीं दे सकते कि हम अपोजिशन के एम.एल.ए. हैं इसलिए नहीं देना चाहते हैं, अगर व स्कीम पूरी हो जायगी तो आगे हमारा क्या होगा।

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

अकाल के बारे में मैं कहना चाहती हूं। मैंने स्थगन प्रस्ताव भी दिया था लेकिन उस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करवायी गयी। मेरे क्षेत्र में बहुत भयंकर अकाल है। चूरू के अन्दर राहत कार्य में इन्होंने चारे के डिपो खोल दिये, बीकानेर में चारे के डिपो खोल दिये गये लेकिन सरदार शहर के बिलकुल बीच में लगता हुआ नोहर है उसमें आज तक भी चारे के डिपो नहीं खोले गये। वह इसलिए नहीं खोले गये कि अपोजिशन के एम.एल.ए. होने के नाते इन्होंने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि वहां नोहर क्षेत्र के जो रावतसर तहसील के अन्दर आते हैं 53 गांव वह और नोहर तहसील के 32 गांवों में जल्दी से जल्दी राहत कार्य चालू कराये जा सकेंगे, यह मैं आपसे उम्मीद करती हूं। इसके साथ ही धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री बृजराज मीणा।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सन्दर्भ में कुछ विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं।....(व्यवधान)....समर्थन ही कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में 26 करोड़ के मुकाबले 96 करोड़ रुपये के ऋण सहकारी संस्थाओं के माध्यम से गांवों में किसानों को दिलवाये उसके परिणामस्वरूप सरसों की बम्पर क्राप, रिकार्ड तोड़ क्राप हुई इस वर्ष। यह हमारी सरकार की कार्यकुशलता का परिचायक है। हमारी सरकार को चिन्ता है कि जब काश्तकार की फसल खेतों में आती है, खलिहानों में आती है तो उसके भाव घट जाते हैं। हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की कि 250 करोड़ रुपये की राजफैड और नेफेड संस्थाओं की सहायता से सरसों की खरीद की जाय और काश्तकारों को उसकी उपज का पूरा मूल्य मिले।

दूसरा मेरा निवेदन करना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों के विकास के सम्बन्ध में। पिछली सरकार ने गांवों की जो उपेक्षा की थी, मैं मेरे क्षेत्र और विशेषकर कोटा, बूंदी, झालावाड़ की बात बता सकता हूं, दस सालों से एक भी रोड नहीं बनी थी। दो सालों में भैरोंसिंह जी की सरकार जब से आयी है तब से हमारे यहां जिन्होंने रोड के दर्शन तक नहीं किये थे अब रोड बननी शुरू हुई हैं। गाड़ियां दौड़ रही हैं। प्रत्येक पंचायत समिति में रेफरल अस्पताल खुला है। पहले एम्बूलेंस गाड़ियां शहरों के अस्पतालों में दौड़ा करती थीं, अब ग्रामीण कस्बों के जो रेफरल अस्पताल हैं उनमें भी एम्बूलेंस और एक्स-रे की सुविधायें प्रदान की गयी हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : दीगोद में तो छतों पर भी चढ़ रही है।

श्री बृजराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीट्वेन्सी में सांगोद और सुल्तानपुर दो पंचायतें थीं, आज तक कांग्रेस के 38 साल के शासन में एक भी रेफरल

(श्री बृजराज मीणा)

अस्पताल नहीं था। माननीय मन्त्रीजी को बधाई देता हूं कि उन्होंने पहले साल में दो रेफरल अस्पताल खोले और बिल्डिंग के लिए प्रत्येक रेफरल अस्पताल को 10-10 लाख रुपये दिये। हाड़ौती के इतिहास में आज तक का रिकार्ड है कि कांग्रेस शासन ने भी एक रेफरल अस्पताल खोला हो और 10 लाख रुपये बिल्डिंग के दिये हों, एम्बूलेंस सुविधा मुहैय्या कराई हो। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सरे मशीनें उपलब्ध करायीं। दूर-दराज के गांवों में जहां डिस्पेंसरीज नहीं थीं, दो साल में करीब 25 डिस्पेंसरीज खोलीं। गांवों के इलाकों में करीब 50 एडपोस्ट खोलीं। मैं चिकित्सा मंन्त्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। गांवों के अस्पतालों की देखरेख के लिए ग्रामीण सी.एम.एच.ओ की नियुक्ति की गई। उनको कंट्रोलिंग पावर दी गई। उनकी व्यवस्था को सुधारने के प्रयास किये गये। सदन में तीन दिन से बार बार यह आवाज आई कि एस.टी.,एस.सी. के साथ अन्याय किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भैरोंसिंह जी की सरकार जितना हृदय से एस.टी.एस.सी. को चाहती है, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। 31 जुलाई, 1991 को मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बा धुलेड में बाढ़ आई, कालीसी नदी में और 6 रेगर जाति के नौजवान उस बाढ़ में फंस गये। दो दिन तक नहीं निकले। प्रशासन से हमने बात की, कलेक्टर से बात की। दो दिन उनको हो गये थे, लगातार बारिश हो रही थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री एक तारीख को दिल्ली जाने वाले थे। हमने प्रशासन के माध्यम से जब मुख्यमंत्री जी से बात की कि 6 आदमियों की जान जोखिम में डली हुई है, उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जाये। राजस्थान के इतिहास में यह पहला अवसर होगा, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दिल्ली यात्रा रद्द की और डेढ़ घण्टे में कोटा में हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया। जो नौजवान मृत्यु के मुंह में जाने वाले थे, उनको निकाला। आज दिन तक यह हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के दौरे और ऐशो आराम के काम आते थे। पहली बार हेलीकॉप्टर एस सी. के लोगों के प्राण बचाने के काम आया है। मैं मुख्यमन्त्रीजी को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलिये। आप बोलिये।

श्रीमती सुमीत्रा सिंह : राजस्थान की जनता की गाढ़े पसीने की कमाई के 2 करोड़ रुपए आपने हेलीकाप्टर में खर्च किये हैं।

श्री बृजराज मीणा : उन 2 करोड़ रुपयों को खर्च करके एस.सी. के लोगों की जान बचाई, जो मरने वाले थे। आप लोगों ने तो अब तक कांग्रेस सरकार में दौरे ही किये हैं, बाढ़ का निरीक्षण नहीं किया होगा, गांव वालों को नहीं बचाया होगा।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : टेलीफोनों के उद्घाटनों में राजस्थान में हेलीकॉप्टर काम नहीं आता। टेलीफोनों के जरा जरा से उद्घाटनों पर हेलीकॉप्टर आ जाता है।

श्री अध्यक्ष : अब आप क्यों खड़े हो गये। आप हेलीकॉप्टर में जा रहे हो क्या।

(श्री अध्यक्ष)

आपको भी हेलीकॉप्टर मिल रहा है। बैठिये। हेलीकॉप्टर मिलेगा नहीं। आप बैठ जाइये। अब आपका टाइम हो गया है। जल्दी जल्दी धन्यवाद दे दें।

श्री बृजराज मीणा : मैं मुख्यमन्त्रीजी को जिन्होंने एस.सी. के 6 जवानों की जान बचाई, हेलीकॉप्टर मुहैय्या कराया, इसके लिए बार-बार धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद दीजिए। बस ठीक है। हो गया धन्यवाद। श्री जुबेर खान।

श्री बृजराज मीणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी-बड़ी मंडियों में काफी पैसा था। छोटी-छोटी मंडियों का विकास नहीं हुआ था। बड़ी-बड़ी मडियों में यह व्यवस्था थी, उनको यह चिन्ता रहती थी कि पैसे को किस तरह से खर्च किया जाये। सरकार ने व्यवस्था की, जिला मंडी कोष की स्थापना की, छोटी छोटी मंडियों को पैसा देने के लिए व्यवस्था की। गांवों का विकास होगा, सड़कें बनेंगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार आई, हमारे घोषणापत्र में यह नहीं था कि हम बारानी जमीन का लगान माफ करेंगे। राजा-महाराजाओं के जमाने में भी बिना पानी की जमीन का लगान हमेशा-हमेशा के लिए कभी माफ नहीं हुआ था, परन्तु हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इसे हमेशा के लिए माफ कर दिया। सहकारी संस्थाओं के पहले जो चुनाव होते थे, कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति जाता था और एक प्रस्ताव ले आता था। प्रस्ताव के माध्यम से वह सहकारी संस्थाओं में आ जाते थे। हमारे सहकारिता मन्त्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने यह व्यवस्था की, चुनाव प्रकिया में यह संस्थाओं किया कि सहकारी संशोधन के अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सेवाओं के अध्यक्ष ही लड़ सकते हैं और उसी हिसाब से मार्केटिंग....

श्री अध्यक्ष : आप सभी मन्त्रियों को धन्यवाद देंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसलिए सरकार को धन्यवाद दे दो आप।

श्री बृजराज मीणा : ज्यादा धन्यवाद देना नहीं चाहता हूं। सड़कों का विकास हुआ, चिकित्सा सुविधाएं मुहैय्या कराई गई। हमारा इमबेलेन्स बना हुआ था कि गांवों में काम नहीं होता है, पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। हमने अपना गांव, अपना काम योजना चलाई है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं। गत वर्ष दस-दस लाख रुपए दिए गए हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 18 लाख के काम हुए और हमारे पूरे कोटा जिले में 89 लाख के काम हुए। नौ एम. एल. एज. के तीस काम तीस जिला ... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : वह आपके लिए कह रहे थे कि बीकानेर में ले गए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, हमने तो कई करोड़ रुपए दिए थे कोटा में पुल निर्माण के लिए यह तो दस लाख रुपए ही बता रहे हैं।

श्री बृजराज मीणा : हमारा विकास चालीस सालों में पहली बार हो रहा है

(श्री बृजराज मीणा)

भैरोंसिह जी की सरकार ने सस्ता न्याय दिलाने के लिए, जल्दी न्याय मिले इसके लिए 11 नए ए.डी.जे. कोर्ट खोले गए, 18 मुन्सिफ कोर्ट खोले, 6 विशेष न्यायालय खोले और 18 न्यायालयों को अपग्रेड किया गया। यह इस बात का परिचायक है कि हमारी सरकार गांवों का विकास करना चाहती है व गांवों का विकास करने के लिए हमारी सरकार ने बिना टैक्स लगाए 60 प्रतिशत राशि खर्च की और गांवों का विकास किया।

श्री अध्यक्ष : अब आप बहुत बोल गए, धन्यवाद दे दीजिए।

श्री जुबेर खान : अब आप विराजिए।

श्री बृजराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं था इस लिए पांच मिनिट दे रहा हूं।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं तो पहले ही समझ गया था कि मेरे टाइम में आप आ बैठे हो तो ज्यादा बोलने ही नहीं दोगे।

श्री अध्यक्ष : अब अतिरिक्त आते हैं, उनका ऐसे ही होता है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद चल रहा है। मैं इस अभिभाषण का घोर विरोध करता हूं। इसमें सरकार ने राज्यपाल के मुंह से जो खोखला भाषण दिलाया है, इसके ऊपर मैं अपनी चंद बातें कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय सबसे पहले इसकी शुरूआत की गई है, जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन बना है तब से कानून और व्यवस्था ठीक हो गई है। अध्यक्ष महोदय, आपने आज समय निश्चित कर दिया, नहीं तो इन लोगों से पूछिये, मण्डावरी काण्ड किसके समय में हुआ, बीलवाड़ी काण्ड किसके समय में हुआ, पंकज हत्या काण्ड और संत बहादुर हत्या काण्ड किसके समय में हुआ? और तो और, जो सरकार धर्म की दुहाई देती है, अगर कहीं भी धार्मिक स्थान पर, ऐतिहासिक स्थान पर चोरी हुई है तो इस सरकार के समय में हुई है और इनकी नाक के नीचे जयपुर में हुई है। माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि जवाहर रोजगार योजना में बड़े काम इस सरकार ने किये और बड़े थोक में नाम दिये। अपना गांव अपना काम योजना, जो देखने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से इस राजस्थान की सरकार ने जवाहर रोजगार योजना के पैसे का दुरूपयोग किया है और किस तरह से लोगों को बहकाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपना गांव अपना काम योजना तो राज्य सरकार ने अपने यहां से नहीं चलायी, वह तो जवाहर रोजगार योजना का पैसा केन्द्र सरकार से आता था जिसमें बीस प्रतिशत आता था जीवन-धारा के लिए, छह प्रतिशत आता था इन्दिरा आवास विकास के

(श्री जुबेर खां)

लिए, दो प्रतिशत आता था एस्टिब्लिश के लिए और 72 प्रतिशत आता था कि जो पंचायतों को निजी आय दी जाती थी.... और उसमें 72 पर्सेण्ट, 20 पर्सेण्ट जिलों के पास रखते थे डी.आर.डी.ए. के नाम से कि जो कोई ऐसा कार्य हो, जो जरूरी हो जिलों में कलेक्टर गवर्निंग कौन्सिल की बैठक करा कर, निर्णय करा कर वह काम करवा लें। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने एक फोड चलाया लोगों के साथ विश्वास-घात करने की कोशिश की और एक नाम दे दिया नया, क्योंकि इनको चिड़ थी कि कोई केन्द्र को श्रेय नहीं चला जाय। अपना नाम पैदा किया, अपना गांव–अपना काम। इसमें उन्होंने रखा कि 10 प्रतिशत लोग नकद जमा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब लोगों ने तो खूब जमा किये, पहले आपने कहा कि 10 पर्सेण्ट आप देंगे नकद, 20 पर्सेण्ट जन सहयोग देंगे बाकी 70 पर्सेण्ट में से 20 पर्सेण्ट आपकी सरकार देगी जो प्लान बजट में से और बाकी का 35 पर्सेण्ट देगी वह हिस्सा जो कि पहले ही डी.आर.डी.ए. के माध्यम से गांव के विकास के लिये खर्च करते उसको आप लोगों ने वहां से बन्द करके और अपना गांव अपना विकास में ले आये। जब लोगों ने उत्साह दिखाया, पैसे जमा करायें, एक-एक जिले में डेढ़-डेढ़, और दो-दो करोड़ रुपये जमा हो गये फिर इन्होंने एक करवट नयी बदली, अध्यक्ष महोदय। फिर इन्होंने पंचायतों की निजी आय होती थी उसमें से 35 पर्सेण्ट काटना शुरू कर दिया और उसको इस कार्यक्रम में लगाना शुरू कर दिया। मेरे कहने का तात्पर्य है, अध्यक्ष महोदय, कि शब्दों के जाल से कभी विकास नहीं हो सकता अगर आपने उस दरवाजे से विकास रोका है और इस दरवाजे से शुरू करना चाहते हैं तो यह विकास नहीं कहेंगे। इसको रास्ता मोड़ना कहेंगे और जब से आपने सरपंचों को निलम्बित किया है, पंचायतें भंग कीं तब से 80 पर्सेण्ट काम जो स्वीकृत हुये थे अपना गांव और अपना काम में तमाम बन्द पड़े हैं। चाहे तो जाकर देख लीजिये। क्योंकि जो एक दर्द सरपंच को हो सकता था, लोगों से जन सहयोग ले सकता था, लोगों से चन्दा ले सकता था, जो कि प्रशासक नहीं ले सकता है क्योंकि प्रशासक तो सबसे लास्ट की कैटेगिरी में प्रशासन में आता है, उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह बी.डी.ओ. के सामने बोलें। सरपंच जाकर बी.डी.ओ. से लड़ सकता था, जिलाधीश से भी लड़ सकता था, पी.डी. से भी लड़ सकता था लेकिन आप लोगों ने इसका रास्ता रोका। तो इस प्रकार से खोखलापन मत कीजिये।

फिर आपने कहा 30 जिले 30 काम। यह आपने कहां से कोई नया बजट दिया। ग्राण्ट को जो पैसा जिलों में जाता था उसको तोड़-मरोड़ कर आप लोगों ने दे दिया 30 जिले 30 काम। कोई एक जिला आप बता दें जिसमें 30 काम हुये हो। किसी भी जिले में 8 या 10 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क स्वीकृति नहीं हुयी है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत। और बजट नया आ गया, सत्र चलने वाला है, आज तक कोई कार्यवाही पूरी नहीं हुई, अध्यक्ष महोदय,। मेरे कहने का मतलब है कि इस सरकार के बहुत से माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के कह रहे थे कि मण्डियों का

(149)

(श्री जुबेर खां)

हमने सुधार कर दिया है, आय बढ़ा दी है। सब से पहले तो अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि मार्केटिंग प्रोड्यूस एक्ट, 1961 में पास हुआ था राजस्थान विधान सभा द्वारा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इस सरकार ने यह किया कि इस एक्ट में कोई अमेण्डमेण्ट लाये बगैर आदेश निकाल करके उसमें संशोधन करके कानून बदल दिये। उस एक्ट में कहीं भी मण्डी टैक्स शब्द नहीं कहा गया है, हर जगह यह कहा गया कि मण्डी शुल्क लगाया जायेगा।....

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

इन्होंने इसको हटा कर टैक्स डाला। मेरे कहने का मतलब है, अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा की अवमानना की है इस सरकार ने। क्योंकि एक जुलाई से इन्होंने निर्णय लिया था कि सितम्बर में विधान सभा चलने वाली थी और इन्होंने सितम्बर तक लागू नहीं किया। यह चाहते तो अमेण्डमेण्ट ला सकते थे विधान सभा में, यह अध्यादेश जारी करवा सकते थे मान-नीय राज्यपाल महोदय से लेकिन इन्होंने 1 अक्टूबर से लागू किया और वह भी क्या किया, अध्यक्ष महोदय। एक तरफ तो कहते हैं कि 125 से 160 बढ़ा दिया लेकिन माननीय सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को भी यह मालूम है कि यह शुल्क किसान नहीं देता है, यह शुल्क व्यापारी देता है। क्योंकि आप लोगों ने व्यापारियों से भारी मात्रा में रुपया लिया इस-लिये व्यापारियों के हित में यह कार्य किया है। आज जो बड़ी-बड़ी मण्डियां हैं जो सैकण्डरी मार्केट है उसकी आय एकदम नीचे चली गयी है और आप कहते हैं कि आय बढ़ रही है। जनरली कृषि उपज मण्डियों की आय बढ़ती है। आपके इस हिसाब से 54 प्रतिशत बढ़नी चाहिये लेकिन सिर्फ 40 पर्सेण्ट बढ़ पायी है। क्योंकि आपने एक पाइंट पर कर दिया। आप व्यापारियों की सरकार है क्योंकि उनको लाभ देना चाहते थे, आपने इसका ऐसा पक्का इन्तजाम कर दिया कि एक जगह जाकर टैक्स दे दें और चाहे फिर राजस्थान में माल बेचते फिरे उनसे दुबारा कभी टैक्स नहीं लिया जायेगा। यह आपने किसानों के साथ अन्याय किया है यह सिर्फ इन व्यापारियों के लिये किया है और इसके लिये माननीय मंत्री महोदय, यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक टीम भेजी थी मध्य प्रदेश में। क्या वह डाइरेक्टेट से गयी थी? और एक खाद्य व्यापारी संघ के महामंत्री गये, श्रीमान् बाबूलाल जी गुप्ता। उनकी रिपोर्ट सदन में रखे। क्या उस कमेटी ने यह रिकमण्डेशन दी थी कि मध्य प्रदेश में जो एक पाइंट फीस या टैक्स ली जाती है उससे इन्कम में क्या बढ़ोतरी हुई है। इन्होंने कतई रिपोर्ट नहीं दी। इन्होंने कहा था कि उससे आय गिरी है यह बिलकुल हित में नहीं होगा लेकिन आप लोगों ने दरकिनार

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

करते हुये रातोंरात समझौता करते हुये व्यापारियों से और यह शुल्क लगा दिया।....

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट हो गये, मैंने 5 मिनट के लिये कहा था।

श्री जुबेर खां : दो मिनट और।

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट हो गये आपको।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है आपसे है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह किसी व्यापारी पर नहीं है यह शुल्क उपभोक्ता पर है।

श्री जुबेर खां : कि राज्य सरकार ने इस अभिभाषण में कहा है कि हम तो कोई राजनीतिक भेदभाव विकास में नहीं बरतते। मैं आपके माध्यम से भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं कि गत सत्र में उन्होंने जब राजकीय महाविद्यालय खोलने की बात आयी थी जब तो कहा था उसमें कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जायेगा और यहां पर आश्वासन दिया था कि अलवर का गोविन्दगढ़ कस्बा अगर क्राइटेरिया में आता है तो वहां सबसे पहले कालेज खोला जायेगा। यह रतनलाल जाटजी मंत्री महोदय बैठे हैं, इनके पास सारी रिपोर्ट्स हैं, गोविन्दगढ़ कस्बे का सारा क्राइटेरिया पूरा करते हैं, वहां महाविद्यालय खोला नहीं जा रहा है क्योंकि वहां कांग्रेस का विधायक है इसलिये नहीं खोलना चाहते और जगह चार महाविद्यालय खोल देते हैं। मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि अगर भैरोंसिंह जी जो कहीं जनता से नेता नहीं बने, इस हाउस से नेता बने हैं। अगर हाउस की गरिमा रखना चाहते हैं तो अपने आश्वासन के मुताबिक गोविन्दगढ़ में कॉलेज खोलने के आज ही आदेश करें तब तो यह बात कही जायेगी कि आप कोई भेदभाव नहीं बरतते वरना सरासर अनेकों बार कहा जायेगा कि आपसे बड़ा भेदभाव करने वाला....

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्कूलों का षड़यंत्र किया है।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, अब आपकी बात हो गई। मैंने 12 मिनट दे दिये पांच मिनट के बजाय।.. (व्यवधान)....आप अच्छा बोल रहे थे इसलिए 12 मिनट दे दिये। और भी बोलने वाले माननीय सदस्य हैं।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह के संवेदनशील सरकार बजट में वायदा करती है कि 1500 स्कूलें खोली जायेंगी और दूसरे बजट के आने के टाइम में स्कूल खोलना चाहते हैं और....

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें। श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, अब और चाहे कुछ नहीं बोलने दीजिये लेकिन मैं तो अंत में यह कहूंगा कि इस अभिभाषण का घोर विरोध करता हूं और इस अभिभाषण को वापस राज्यपाल महोदय को भेजना चाहिये कि इसको दुबारा से सही तरीके से तथ्यों के आधार पर इसकी जांच करवा कर दुबारा से पढ़ा जाय।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के रूप में राज-

(श्रीमती तारा भण्डारी)

स्थान के समग्र विकास का जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं आभार मानती हुयी धन्यवाद का समर्थन करती हूं। पिछले तीन दिन से लगातार बहस चल रही है। पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये मैं उन्हें बिना दोहराये यही कहना चाहूंगी कि आंखें बन्द कर लेने से सूरज उगना बन्द नहीं हो जाता। पिछले दो वर्षों में माननीय भैरोंसिहजी के नेतृत्व में राजस्थान का चहुंमुखी विकास हुआ है....(व्यवधान).... पहले तो मैं रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को करेक्ट करना चाहूंगी। इन्होंने तो यह कहा कि सरपंचों का निलम्बन हो गया है। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधियों को गाली मत देओ, उनका कार्यकाल पूरा हुआ है। और माननीय सदस्यगण 20-20 वर्षों तक कांग्रेस ने तो चुनाव नहीं करवाये थे। अब उनका कार्यकाल पूरा हो गया है।

एक माननीय सदस्य : डेमोक्रेसी के ऊपर तानाशाही की तलवार चली है।

श्रीमती तारा भण्डारी : सरपंचों को क्या मारा, 1986 में नगरपालिकाओं के लिये आपने बुरा किया था, बन्द किया था उसके बाद हमारी सरकार ने चुनाव करवाये। आपने क्या किया। आपके राज्य में नगरपालिकाओं में महिला अध्यक्षों के करेण्ट लगाते थे, करेण्ट, आप क्या बोलो। जनप्रतिनिधियों को आपके राज में सताया जाता था, जनप्रतिनिधियों के करेण्ट लगाया जाता था आपके राज में। फालतू बातें करते हो। कानून और व्यवस्था की बात करते हो।

श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) : तब तो करेण्ट केवल आपके लगा था, आपने तो सब पर लगा दिया। तब तो आप नगरपालिका में थी इसलिये करेण्ट आपके लगा था, आपको अफसोस हुआ, अब आपने सब के लगा दिया करेण्ट।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो जानती थी कि माननीय सदस्य महिला होने के नाते कुछ मेरा पक्ष करेंगी लेकिन इनको महिलाओं से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर इनको महिलाओं से हमदर्दी होती तो इतने लम्बे....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुझे महिलाओं से पूरी हमदर्दी है तारा भण्डारी से नहीं, महिलाओं से पूरी हमदर्दी है।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अब आप महिलाओं को उकसाइये मत। महिलाएं तो कभी एक होती नहीं।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को अगर महिलाओं से कहीं भी हमदर्दी होती तो अपने एक घण्टे के लम्बे भाषण में चार शब्द महिलाओं के लिये भी बोलतीं। नहीं बोली। (व्यवधान)... मैं बोलूंगी। निश्चित बोलूंगी। यह राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यहां महिला और पुरुष दोनों ने चुनकर भेजा है इसलिए मैं केवल महि-

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

लाओं की पैरवी करूं, कहां तक यह उचित है। सबने मिल कर भेजा है मुझे।

श्रीमती तारा भण्डारी : अब सफाई दे रही हैं।...(व्यवधान)....अध्यक्ष महोदय, मेरा समय जाया हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पिछले दो वर्षों में बिना किसी प्रकार का टैक्स लगाये, बिना किसी प्रकार का जनता पर कर भार बढ़ाये.... सब गांवों की बात करते हैं लेकिन यह राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। जब बजट का 60 प्रतिशत पैसा गांवों में खर्च किया गया है। इससे गांव, गरीब और किसानों का भला हुआ है। समृद्ध हुआ है। माननीय सदस्य जब बात करते हैं कानून व्यवस्था की। मैं भी एक नमूना पेश करना चाहूंगी कांग्रेस के राज में राजस्थान में कानून व्यवस्था का (व्यवधान) आप सुनो। सन् 85 में जब सिरोही और जालौर के माननीय संसद सदस्य बूटासिंहजी थे और बहुत भारी केन्द्रीय गृह मंत्री थे और एस.सी. के थे मैं बताना चाहूंगी कि उनके समय में उनके गृह क्षेत्र में उनके एस. टी. के लोगों के साथ थानों में किस-किस प्रकार के अत्याचार हुए। नाबिया के नट 32 साल की उम्र को मोजरा थाने में मारा गया। नहीं तो जाकर करेक्ट कर लें जाकर। पोसालिया का बंशीलाल तालड़ी थाने में हट्टा-कट्टा ले गये और पुलिसकर्मियों के द्वारा पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी गयी। हुमाला के शंकरलाल 25 साल का, उसको मार कर के एक किलोमीटर सड़क से दूर फैंक कर आत्महत्या का स्वरूप दिया गया तो ऐसा गृह मंत्री का कार्यकाल रहा (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : दो साल में राजस्थान में जितने लोग मरे हैं उतने कभी नहीं मरे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनिट। माननीय मुख्य सचेतक महोदय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का समय एक घण्टा बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन की बैठक का समय एक घण्टा बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

बैठक का समय 6 बजे तक बढ़ाया गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, यह बात करते हैं भ्रष्टाचार की। मेरी समझ में नहीं आता है कि जो भ्रष्टाचार की जड़ों में गहरे उतरे हुए हैं वह भ्रष्टाचार की क्या बात करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी सन् 86-87 के अकाल की। भीषणतम् अकाल था, राज-

(श्रीमती तारा भण्डारी)

स्थान में शताब्दी का भीषणतम् अकाल था और मेरे ट्रायबल क्षेत्र में जहां का गांव ढांगा वहां पर मैं, हम लोगों ने सर्वे किया था महिला समिति के नाम से और तत्कालीन जिला कलेक्टर की पत्नी के साथ। अकाल में जो भुगतान किया गया वह दो रुपये बत्तीस पैसे था। मैं कहती हूं कहीं पानी बचा है तो डूब मरो। मेरे विपक्षी भाइयों। बात करते हैं भ्रष्टाचार की। कितने नमूने भ्रष्टाचार के और खुलवाना चाहते हो। मैं लिस्ट बांच दूं आपके कार्यकाल में यह भ्रष्टाचार जो जड़ों में चला गया है उसको निकालने में आपका सहयोग करना पड़ेगा। इस सरकार का सहयोग करना पड़ेगा तभी वह निकलेगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक तो आपको पार्टी के टिकिट पर एम. एल. ए. बना दिया।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में कई बातें कही गयीं हैं राजस्थान के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जगह-जगह उपभोक्ता परिषदों का गठन हुआ और उसमें हर जगह एक महिला को मेम्बर के रूप में प्रतिनिधित्व दिया गया। मैं इसके लिए राजस्थान के मुख्यमन्त्री और खाद्य मन्त्री का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने महिलाओं को एक अच्छे काम में भागीदार बनाया।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं सूचना देना चाहता हूं खाद्य मन्त्री जी ने एक लिस्ट दी है....

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का प्रमुख आधार खेती है और हमारा काश्तकार अधिकतर मानसून पर निर्भर है। आप सब जानते होंगे कि राजस्थान जो अकाल का एक प्रकार से आदी हो चुका है। मानसून आता है और नहीं आता है। सिंचाई के साधनों की बहुत कमी है लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में खेती के मामले में रिकार्ड उन्नति की गयी। कृषि विकास परियोजना बनायी गई है जो चार महीने में मन्जूर होने वाली है। तीन सौ करोड़ की यह योजना है। इससे कृषि विकास होगा कृषि नीति भी बनायी जा रही है राजस्थान में जल ग्रहण विकास निदेशालय बनाया गया है। मैं इसके लिए मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने जल को अमृत समझकर बहुत सारी योजनायें उसको ग्रहण करने की बनाई है लेकिन आज जब पंजाब में चुनाव हो चुके हैं। पंजाब में चुनी हुई सरकार आ गयी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्या इस बात के लिए धन्यवाद दे रही हैं कि पिछले वर्ष जो योजना 700 करोड़ की थी इस वर्ष 300 करोड़ की कर दी है।

श्रीमती तारा भण्डारी : मेरा टाइम ले रही हैं मैं तो आपकी बहन हूं। आवश्यकता इस बात की है कि 1984 में जो अन्तर्राज्यीय जल समझौता हुआ था अब पंजाब में चुनाव हुए और चुनी हुई सरकार आ गयी है हमारे मुख्यमन्त्री जी जब विपक्ष के नेता थे तब भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किया अभी भी कर रहे हैं और अब हमारी केन्द्रीय सरकार को....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : समझौता कौन सा है ।

श्रीमती तारा भण्डारी : आप भी साथ दो । केन्द्रीय सरकार के बीच में लाकर केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालकर इस नदी जल विवाद को निपटाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और उसके बाद भी पंजाब की सरकार हमारे हिस्से का जल नहीं देती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने में देरी नहीं करनी चाहिए । राजस्थान में चिकित्सा सुविधा का काफी विस्तार हुआ है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप घण्टी बजा रहे हैं, मेरे को बोलना है....

श्री अध्यक्ष : आपको 15 मिनट हो गये हैं ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : चिकित्सा विभाग पर धन्यवाद की इजाजत दे दो ।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, अब शासन में महिलाओं की भागीदारी....

श्री अध्यक्ष : उस पर धन्यवाद तो और बहुत से लोगों ने दे दिया है।

श्रीमती तारा भण्डारी : करने की बात कही । बहुत अच्छी बात है इसके लिए सरकार और राज्यपाल महोदय दोनों ही बधाई के पात्र हैं क्योंकि राजस्थान में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है । दहेज के मामले, महिला हत्याकाण्ड के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं । मैं इस विषय में हमारे गृहमन्त्री महोदय को आगाह करना चाहूंगी (व्यवधान)... आप ही ने सब धन्धा चालू कराया । क्यों खेल करते हो ? अपने आप पर +++ करो । अपने आप पर +++ करो । मैं इस विषय में हमारे गृहमन्त्री को कहना चाहूंगी चाहे यह बात कटु हो लेकिन महिलाओं के मामले में, महिलाओं की जांच के मामले हो जो ढील दी जाती है । उसमें ढील नहीं बरती जाय । अपराधियों को साक्ष्य मिटाने का अवसर नहीं दिया जाय । साथ ही साथ मन्त्रीमण्डल के सदस्यों से कहना चाहूंगी कि महिलाओं में आत्म निर्भरता नहीं होने के कारण ऐसे कांड होते हैं । महिलाओं में आत्म निर्भरता बढ़े महिलाओं की समृद्धि बढ़े इसके लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद प्रोफेसर केदारनाथ ।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट । अब मैं....(व्यवधान)

कोई बात नहीं अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद करती हूं....

श्री अध्यक्ष : चलिए मुझे भी धन्यवाद दे दिया ।

श्रीमती तारा भण्डारी : जिन्होंने बोलने का अवसर दिया और साथ ही राज्यपाल महोदय को अभिभाषण के लिए धन्यवाद करती हूं ।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष महोदय,

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

मैं बड़ा आभारी हूं कि बहन तारा भण्डारी के बाद मेरा नम्बर लिया। उन्होंने डिबेट में जान डाल दी और मुझे भी उससे प्रेरणा मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : आपको महिलाओं से प्रेरणा मिलेगी।

(5.00 सायं)

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे आपस में बहुत बड़े रिलेशन्स हैं बैचलर्स और महिलाओं के बहुत अच्छे रिलेशन्स हैं। अन टोल्ड। आज तक मैंने काफी भाषण सुने 25 तीस सालों में। इस बार जो भाषण सुनने को मिले, डिबेट में जिन लोगों ने हिस्सा लिया काफी अच्छा बोले ऐसी बात नहीं होशियार हैं लेकिन एक ही चीज भैरोंसिहजी के गुण गाने वाले दूसरी थीम ही नहीं एक ही थीम। मैं खुद मानता हूं कि भैरोंसिहजी कोम्पीटेण्ट हैं, जानकार हैं, पर मैंने कभी उनके गीत नहीं गाये, अनुभवी हैं, लीडर हैं राजस्थान के। मगर जिस पार्टी में पर्सनलटी करेज पैदा कर दोगे मैं आपको साफ कहता हूं। पर्सनलटी करेज का क्या परिणाम होता है आपको सारा इतिहास पता है। कलेक्टिव लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं। ओ आई रिसेन्ट को मार रहे हो आप। यह ठीक है कि दिग्विजय ग्रुप का कोई आदमी नहीं बोला। यह बड़ा अच्छा हुआ पता नहीं कैसे साईलेंस ली उन्होंने। बिल्कुल कोई नहीं बोला। पर बी.जे.पी के लोगों, आज हिन्दुस्तान में आप की सैकण्ड पार्टी हैं, चार स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट है और लोकसभा में आप अपोजीशन लीडर हो। हिन्दुस्तान के काफी इलाकों में आपने थर्स्ट किया, मैं मानता हूं। मगर यह परसनलीटी करेज अगर भैरोंसिह जी खुद सुनते तो मेरा ख्याल है उनको खुद एक ग्लानि होती कि क्या हो रहा है। इसलिए यह ठीक है, अध्यक्ष जी, यह टेरिसन का एक कथन है कि Fame in the last infirmity of a noble mind. मगर सारी डिबेट एक थीम के रूप में आ जाये। भैरोंसिह जी को विकास के साथ जोड़ दो, भैरोंसिह जी को राजस्थान की राजनीति के साथ जोड़ दो और बाकी कोई शेष बचा नहीं। यह आप एक ट्रेंड पैदा कर रहे हो अपनी थिंकिंग में, यह नौजवान दोस्त जो नये आये हैं मैं उनसे बतौर एलडरली मैन सलाह दे रहा हूं....

एक माननीय सदस्य : बहुत देर से दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : कोई असर नहीं होगा उन पर।

श्री केदारनाथ शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, अपोजीशन की तरफ से डिबेट माननीय देवपुरा साहब ने इनीशिएट की। राजस्थान के सामने जो समस्यायें हैं उनके समाधान के अन्दर जो उलझनें पैदा हुई उनको बहुत अच्छे ढंग से इनके साथ अटैच किया है। बड़े रेसट्रेंट के साथ, बैलेंस के साथ और गम्भीरता के साथ। इसके बाद माननीय अध्यक्ष जी, कल जो माननीय कैलाश जी ने सारी प्लानिंग की जो पिटफाल्स हैं ट्राइबल एरिया में प्लानिंग के क्या इफैक्ट हुए उसके बारे में बड़ी डिटेल्ड स्टडी और प्रजेन्टेशन बड़े अच्छे ढंग से

(श्री केदरनाथ शर्मा)

इन्होंने पेश किया। मैं माननीय मदेरणाजी की भी बहुत तारीफ करता हूं कि बीच-बीच में इन्होंने एनलाईटन किया। जो उनका टेरेट था सरकार के ऊपर माननीय मदेरणा जी ने लगने नहीं दिया अपने ढंग से उन्होंने पेश किया। यहां पर अनेक माननीय सदस्यों ने अच्छी बातें कहीं।

मैं अध्यक्ष जी, एक बात कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के लेबल पर जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट हो रहे हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में आ गये, कुछ पिछले बजट में संकेत आया, 29 तारीख को पूरा सकेंत आ जायेगा। जो पेपर्स लोक सभा राज्य सभा की टेबल पर पेश किये गये, कांग्रेस के माननीय सदस्यों से मैं पूछना चाहता हूं। इससे लगता है कि नेहरु मार्डन आपने समाप्त कर दिया। पब्लिक सैक्टर जो कमाण्डिग हाइट्स थी उसको आपने बिल्कुल डिसमेन्टल करने का तय कर लिया है अगर आपका यह है तो उसके बाद मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो पल्टीनेशनल कम्पनीज को आपने दावत दी है। जो ओपन डौर पालिसी आपने अपना ली मेरा ख्याल है इस देश के लिये बहुत फौरी खतरनाक सिद्ध होगी। जहां हाई टैकनीक एरिया है वहां तो ठीक है अगर इन्होंने कन्जूमर गुड्स में अपना कब्जा कर लिया, आज हिन्दुस्तान में जो अपनी फूड में सैल्फ एफीशियेन्सी है, सिक्योरिटी है अगर उसमें टैरिकेट कर दिया तो देश का क्या हाल होगा। आपके सामने प्रश्न पूछता हूं। मैं चाहता था कि माननीय जोशी जी जब बोले तीस तारीख को और पार्टी के लीडर के नाते इस बात को यहां पर कहें कि राजस्थान इस पालिसी के खिलाफ है। कांग्रेस जो रेन्जन फाईल है इस सारी पालिसी के खिलाफ है और हमें इसके खिलाफ बगावत करनी है। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर और भी काफी बाते चलीं हैं। पिछली नेशनल डबलपमेंट कौसिल ने गाडगिल फार्मूला की रिवाईज कर दिया। यह अधिकार है। जब राज्यपाल के बारे में माननीय देवपुरा जी बोल रहे थे, राज्यपाल अच्छे व्यक्ति हैं, दो बार चीफ मिनिस्टर रहे, एक बार राज्यपाल रहे, अपनी स्टेट के नेता भी है, अच्छे पढ़े लिखे हैं इसमें कोई शक नहीं है। माननीय देवपुरा जी, सरकारिया कमीशन पर बहस हो रही है। एक सब--कमेटी का निर्माण हुआ। इन्टर-स्टेट काउसिल में कुछ फैसले हुए हैं, कानशियस इन्वाल्व हो गई हैं कि राज्यपालों कि नियुक्ति कैसे हो। माडर्नली तय हो गया। माननीय देवपुरा जी कुछ बोलते। यह ठीक है कि आदमी ठीक है लेकिन जिस तरीके से इनको लाया गया है बिना चीफ मिनिस्टर की राय के बिना उनको विश्वास में लिये हुए, यह सरकारिया कमीशन की स्प्रिट के खराब है और हम नहीं चाहते कि ऐसे ट्रेडीशन कायम हों। अध्यक्ष जी, हम यह भी नही चाहते कि राजस्थान जैसी स्टेट में जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, हमारे मतभेद हो सकते हैं, पालीसीज में मतभेद हो सकते है मगर फलोर के अलाधा कोई बाहर की एजेन्सी हो, उससे आप उनको डिजाल्व कर दो इस हिन्दुस्तान की धरती यह एक अच्छा रिवाज पैदा नहीं होगा। हमने कुछ गलतियां की हैं, हम भुगत रहे हैं।

तीसरी बात, अध्यक्ष जी, मैं जिस

(श्री केदारनाथ शर्मा)

गाडगिल फार्मूले की बात कर रहा था कि 13 अक्टूबर, 90 को फार्मूले को रिवाईज करने का कुछ फैसला हो गया। उस एरिया को वेटेज देने की बात तय कर दी। दो साल के बाद उसको बदल दिया। कभी ऐसा नहीं सुना कि एक नेशनल डिफेन्स काउसिल ने पहली सरकार ने कुछ फैसले किये, उसको आप बदल दोगे। नेशनल इन्ट्रेस्ट में आप बदल सकते हो, प्लानिंग के कन्सेप्ट को आप बदल सकते हो, प्रायर-टीज आप तय कर सकते हो पर जो फैसले सोच कर कान्शेन्सेस लेबल पर हों उनको बदलने का अधिकार मौजूदा सरकार को नहीं है। क्या बदला उन्होंने कि 60 पर्सेन्ट वेजेज पापूलेशन को दे दिया, ठीक बात है। पापूलेशन कौन-सी, 71 की और 25 पर्सेन्ट पर कैपिटा दे दिया, 7½ पर्सेन्ट उन्होंने परफार्मेंस पर, दे दिया पहले सिस्टम मैनेजमेंट पर था और 7½ पर्सेन्ट स्पेशल परफार्मेंस पर। राइडर यह दे दिया हमें टोटल असिस्टेंस का 6 पर्सेन्ट मिलता था। अब माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे हमें क्या असर पहुंचा। उन्होंने कैलकुलेट किया होगा। मैं मानता हूं इसमें नुकसान पहुंचा होगा जो एठ्थ प्लान में सेन्टर ने आब्जेक्टिव्ज तय किये हैं वह बहुत बड़े हैं। अनएम्पलायमेंट समाप्त किया जाये, एलीमेन्ट्री एज्यूकेशन दे दी, सबको ड्रिंकिंग वाटर दे दिया इस प्लान में, रीजनल डिसपैरिटी समाप्त हो, अनेक काम ऐसे कहे, इनका असर क्या होगा। मौजूदा स्टेट की फाइनेन्शियल पोजीशन, जो सेन्टर से हमें असिस्टेंस मिलती है, उस लिहाज से यह स्टेट गवर्नमेंट कभी उन बातों को कौप नहीं कर पायेगी, निभा नहीं कर पायेगी। उसमें राईडर यह है, अध्यक्ष जी, कि पहले जो शेयर था उससे 20 पर्सेण्ट ज्यादा नहीं मिलेगा और जो पहले शेयर है उससे दस पर्सेण्ट कम भी नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस के माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है, कम से कम यह कह दें कि 1971 की सेन्सस आप मत लो, 1991 को लो। उससे राजस्थान का जो एरिया है उसका भी वेटेज आ जायेगा। हमारा बहुत बड़ा जो इन्टरनेशनल बार्डर है उसको भी कोप कर पायेंगे। इरेटिव रेन्ज जो हैं हमारी स्टेट में, जिससे हमें जो इन्फास्ट्रक्चर पैदा करने में ज्यादा कास्ट लगती है, उसको भी रिकवर-अप कर पायेंगे। मेरा ख्याल है राजस्थान के साथ एक बहुत बड़ा न्याय कर पाओगे। बाकी तो सारी बातें एक तरफ हैं।

दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने शैडयूल्ड कास्ट के बारे में बहुत बड़े फैसले किये हैं। माननीय कैलाश जी जब बोल रहे थे, काफी अच्छी बातें उन्होंने कहीं कि हमने ट्राईबल एरिया में जहां 12 परसेंट रिजर्वेशन था वह 50 परसेंट कर दिया। तेन्दु पत्ते पर 10 पैसे थे उस पर 20 पैसे कर दिया। जो पांच बोतल के केसेज थे, वैसे पांच बोतल बहुत कम है, अध्यक्ष जी, जो तीन-तीन बीवियां रखते हैं, पांच बोतल से उनका कैसे गुजारा होता है, खैर पांच बोतल शराब के जितने केसेज हैं वह सारे इन्होंने वापिस ले लिये। जो देशी बन्दूकों के लाईसेंस थे इन्होंने उनको रिन्यू कर दिया। यह कुछ बातें आपने कीं और जो उनकी बेसिक चीज थी, जमीनों पर उनके जो 15–20 साल से कब्जे हैं उनको टाइटल देने की बात आपने नहीं

(श्री केदारनाथ शर्मा)

की। जो मनी लैण्डर्स का स्टैंगल होल्ड है जमीनों पर, जो जमीनों से पार्ट-विद कर गये हैं लोग, उनको रैस्टोर करने की बात नहीं कह रहे हैं आप। जिन्होंने बढ़ते-बढ़ते मूल से ज्यादा ब्याज दे दिया, उसे राइट आफ करने की बात नहीं कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कर दोगे आप। माननीय कैलाश जी, जो आपने कल भाषण दिया, बड़ा अच्छा भाषण दिया आपने। फिर आपकी तारीफ करूंगा। आज नहीं करता, उस दिन तारीफ करूंगा जिस दिन आप यह घोषणा करोगे।

शिड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में, अध्यक्ष जी, यह फैसला किया गया है कि 31 मार्च तक, जितनी भी वैकेंसीज हैं उनको भर दिया जाएगा। यह डाइरेक्शन है मेरे ख्याल से आपका। हमारी गवर्नमैण्ट ने क्या किया? 1988 में एक आदेश दिया था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स की जितनी रिजर्व्ड वैकेंसीज हैं, अगर सूटेबल कैण्डिडेट नहीं मिलते, कैरी फारवर्ड हो जाएंगी। चलता रहा यह। 1990 में हाई कोर्ट में एक व्यक्ति गया है, जिसका होम गार्ड में डिप्टी कमाण्डैण्ट से कमाण्डैण्ट में सलैक्शन नहीं हुआ। उसने रिट की और क्योंकि हमने बहुत ही हाफ हार्टेडली प्लीड किया है अपने केस को, हम हार गये। हाई कोर्ट की डबल बैंच में हार गये। उन्होंने ने यह फैसला दिया है कि अगर सूटेबल कैण्डिडेट नहीं है तो दूसरी कास्ट के कैण्डिडेट का अपाइण्टमैण्ट किया जा सकता है। आपने परिपत्र जारी कर दिया 1991 के आठवें महीने में। यह शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए क्या रास्ता है? आपके पास वैकेंसीज हो तो कौन सूटेबल है, यह सब्जैक्टिव फैक्टर है। जिसको आपने इन्टरव्यू के लिए काल कर लिया, मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी है, उसको आपको लेना चाहिए। जब तक यह राइडर, यह मैण्डेट नहीं देते, शिड्यूल्ड कास्ट्स के प्रति कोई इन्साफ नहीं कर पाओगे आप।

माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर मेरे दोस्तों ने एकता यात्रा की बात कही, रथ यात्रा की बात कही। रथ यात्रा से तो आपको फायदा मिला। एक सरकार मिल गयी, गुजरात में एक बहुत बड़ी अपोजीशन पार्टी के रूप में आपने एस्टैब्लिश कर लिया। एम. पी. बहुत ले आये आप। कर्नाटक में भी आपने हमारी लीडरशिप खोसकर ग्रैब कर ली, आन्ध्र में भी घुस गये, और भी पैनीट्रेट किया, दूर-दूर के इलाकों में पैनीट्रेट किया। आपको पोलिटिकल माइलेज भी मिला है, क्लाउट्स भी मिले हैं और पार्टी के लिहाज से कैडर भी। आपने आम गुडविल भी हासिल की। मगर, माननीय जोशीजी बड़े विद्वान हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं। बहुत ही सोबर, बहुत ही आनेस्ट अपने काम में। मगर जिस एकता यात्रा के नाम से चले हैं, वह रैस्पांस आपको मिल नहीं पाया। आखिर उसमें एक बेसिकल डिफैक्ट था। इन 10-15 सालों में कुछ माइनारिटीज में एक सैंस आफ एलीनीशन पैदा कर दिया, अलगाव की भावना पैदा करदी, भय पैदा कर दिया। इसमें मैं इस रिजीम को, उस रिजीम को दोषी नहीं ठहराता, एक जनरल स्पैक्ट्म पेश कर रहा हूं। एक सैंस आफ एलीनीशन पैदा कर दिया। आपकी इस यात्रा से वह स्ट्रैन्थन हुई है। हम यह चाहते थे कि वे

(श्री केदारनाथ शर्मा)

मेनस्ट्रीम में शामिल हों, जो पटरी से उतर गये हैं उनको वापस लाया जाय। आपने वह हवा खो दी। मिलीटैण्ट्स में जो एक आपस में बड़ा इन्टरनल क्राइसिस पैदा हो गया था, डिवीजंस पैदा हो गये थे, मोरल टूट गया था उनका, मिलिट्री हावी हो गयी थी, वे फ्लश आउट किये जा रहे थे, दब गये थे, सरण्डर कर रहे थे अपने आपको, उनमें फिर आपने एक इम्पैटस पैदा कर दिया, मोरल बूस्ट अप कर दिया। यह देश के लिए बहुत खतरनाक चीज है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अनुभव नहीं है न इनको।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष जी, ठीक है आज पंजाब में कांग्रेस जीत गयी। आखिर मेरे इलाके के पास का मामला है। मैं तीन-चार दिन घूमा भी। कांस्टीट्यूशनली तो इनको अधिकार है वहां राज करने का. मोरेली तो नहीं है। कितना पर्सेन्ट वोट पड़ा, मगर फिर भी...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इतने खतरे में।

श्री केदारनाथ शर्मा : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भाषण दिया है कि जो लोंगोवाल एकार्ड हुआ था उस लिहाज से उसको लागू करेंगे, सेण्ट्रल गवर्नमैण्ट की सलाह से। उसमें क्या खतरनाक स्थिति है ? कि रावी-ब्यास के एडिशनल वाटर का बंटवारा होगा। 1981 के लिहाज से दोनों का शेयर तय कर दिया, हमारा, राजस्थान का 8.6 मिलियन एकड़ फीट शेयर तय हुआ। 8.6 आज तक पंजाब से ले नहीं पाये हम, मगर शेयर तय कर दिया। अगर उन्होंने फिर हमको पार्टी बना लिया, सुप्रीम कोर्ट में चले गये वे लोग, रैफर कर दिया तो हमारे लिए बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए आपको सेफगार्ड करना पड़ेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं, वर्ना वह पानी गया आपका, जाइण्ट कण्ट्रोल गया आपका। आज राजस्थान कैनाल फीडर की जो कैवेडीज पैदा हो गयी है, जो 18 हजार की कैपेसिटी आप वहां ले गये, वह भी गयी आपकी बात। इसलिए मैं आपको सावचेत करना चाहता हूं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अध्यक्ष जी, यहां पर सैण्ट्रल स्पांसर्ड स्कीम्स की बात चली। दिल्ली की सरकार ने यह तय किया है, 400-500 हैं, 115 हम ट्रांसफर करेंगे। पैसा कितना मिलेगा ? पांच और दस पर्सेण्ट के बीच में। जो मेजर है, जो बल्क है, जहां से पैसा आता है वह है जवाहर रोजगार योजना और इण्टीग्रेटेड रूरल डवलपमैण्ट प्रोग्राम। ये दोनों ही अपने पास रख लीं, बाकी दे दीं। मेरा ख्याल है मुख्य मंत्रीजी, जब भी आप जाओ, इण्टर स्टेट कौंसिल में आपस में बातचीत जब हो तो आप कम से कम यह कहना कि राजस्थान के साथ भला करो, थोड़ी मेहरबानी करो और दोनों जो सेण्ट्रल स्पांसर्ड स्कीम्स हैं, जिनमें मेजर पैसा आता है, हमें दे दो।

यहां, माननीय अध्यक्ष जी, करप्शन की बात चली। मैं माननीय भैरोंसिंह जी को दोस्त के नाते कहना चाहता हूं, आपने यह बला छेड़ ली है, यह तो पैण्डोरा बॉक्स खोल दिया। इस देश में एण्टी डिफैक्शन लॉ के बाद भी जो सामरसॉल्ट

(श्री केदारनाथ शर्मा)

हुए, जो लोगों ने मोरल बेचे हैं सड़कों पर बैठकर, जो सोशल लाइफ में पैनीट्रेट, परकोलेट कर गया है, एक-दो अफसरों को सस्पैण्ड करने से इसको आप वीड आउट कर दोगे ? यह नेशनल फेज भी है, स्टेट का फेज भी है इसमें। सोशल, इकानामिक और कल्चरल, कई फैक्टर्स हैं इसमें। जब तक सारे हल नहीं होते, व्यवस्था सुधरेगी नहीं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, बाकी नहीं, कि आपने बेरी कमीशन नियुक्त किया। उस कमीशन की उनके खिलाफ फाइण्डिंग्स आ गयीं। इसकी रिपोर्ट तो पेश करते नहीं करते, आपके चैम्बर में ही रखते कि किनके खिलाफ क्या रिपोर्ट आयी। अगर उन्होंने यह कहा हैं कि इनको एडमानिश किया जाय, दण्डित किया जाय, तो फिर उनको एग्जोनरेट कर दो आप, मुख्य मंत्रीजी, यह आपको अधिकार नहीं है। एग्जोनरेट करने का कोई अधिकार नहीं है आपका। आपने इस हाउस में कमेटी बनायी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनमें भी कई लोगों को अभी प्रमोशन दे दिया।

श्री केदारनाथ शर्मा : बिना हाउस को कान्फिडेंस में लिये, माननीय मुख्य मंत्रीजी उनको एग्जोनरेट करते हैं तो इस हाउस के साथ विश्वासघात करते हैं। मैं दोस्त के नाते कह रहा हूं। एक व्यास कमेटी आपने बनायी। रिपोर्ट आ गयी है। किस बात की सीक्रेट है यह रिपोर्ट ? क्या इसमें कान्फिडेंशल है, साहब, कि पांच साल में पचास लाख नयी पोस्ट क्रीएट होंगी, जनरेट होंगी और राजस्थान में पांच साल के बाद कोई बेकार नहीं रहेगा ? अध्यक्ष जी, पिछले दस सालों में हमारे स्टेट की डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहते हैं उसमें 6 प्रतिशत एनुअल ग्रोथ हुई है एवरेज। और एम्प्लायमेंट जनरेट कितना हुआ ? 2.2 प्रतिशत। आठवीं योजना में आपने जो एनुअल ग्रोथ रेट रखी है वह 4.5 प्रतिशत और जनरेट करना चाहते हो आप 2·7 प्रतिशत। यह कैसे मेल खाएगा ? पैराडाक्सिकल है। उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जैसा मैंने सुना है मेरे दोस्तों से, उस रिपोर्ट को पेश किया जाय, हमें मौका मिले उस पर डिस्कशन करने का। ऐसे ही माननीय चतुर्वेदी जी की रिपोर्ट थी। क्या रिपोर्ट है ? अगर तो माननीय चतुर्वेदी जी का सारा टाइरेड, सारा आनस्लाट बेलदारों पर हो, वर्क चार्ज पर हो, या छोटे-मोटे जिसे कहते हैं उन पर हो, तो आप मेहरबानी करें और इसको लागू न करें आप। अगर बड़े अफसर आते हों, बड़े डिपार्टमेंट आते हों, काफी बचत हो तो जरूर आप इसको परस्यू करो।

मैं अन्त में एक बात कहता हूं, क्योंकि यह ठीक नहीं यहां पर, इसको मैं भी मानकर चलता हूं कि जिस तरीके से आज सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक मिलियन टन व्हीट की मांग की है, इम्पार्टेण्ट सवाल है। अमेरिका में तो ये पांच रुपए किलो देते हैं जब खरीदते हैं, और यहां काश्तकारों को कितना देते हैं ? ढाई रुपए। ऐसे ही तीन लाख टन इन्होंने मांगा है आइल। हम जब बेचते हैं मार्केट में बाहर के, तो 300–350 रुपए क्विण्टल बेचते हैं। सब्सिडी समाप्त कर दी। ठीक है, आपकी शर्त है

(श्री केदारनाथ शर्मा)

यह । यह इण्टरनेशनल मानेटरी फण्ड की एक शर्त है कि सब्सिडी को बिल्कुल एलिमिनेट कर दो आप, पब्लिक सेक्टर्स को बिल्कुल डिसइन्वेस्टमेंट कर दो । पहले 20 प्रतिशत था अब 49 प्रतिशत कर दिया । थर्ड क्या है ? आप अपने एक्सपेंडीचर को कम करो, फौज के ऊपर जो खर्चा है उसको कम करो । अध्यक्ष जी, पाकिस्तान ने बम की कैपेसिटी क्रीएट कर ली, चीन के पास आलरेडी है । इस्लामिक देश इसी नाते फण्डामेण्टल आइडियालाजी को लेकर इकट्ठा होने जा रहे हैं कि सोवियत यूनियन के कालेप्स के बाद जो गैप हुआ है उससे हमें नुकसान पहुंचा है । यूरोप की इकानामिक कम्युनिटी उस गैप को पूरा कर रही है, मगर सोवियत यूनियन का कालेप्स होने के बाद अमरीका का जो यूनिक पोलर बन गया सारा वर्ल्ड, हमारे लिए बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा हो गयी है ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

फिर बोलने नहीं दोगे । मान ली इस बात को ।

श्री अध्यक्ष : मुझे सबको बुलाना है ।

श्री केदारनाथ शर्मा : ठीक है, समझ गया आपकी बात । रियलाइज करता हूं, बाकी करप्शन की बात छोड़ देता हूं । हमारे एक एस डी.एम. थे रायसिंह नगर में, उन्होंने एक-डेढ़ साल में जो अलाटमेंट किये, एक कमीशन बैठा दो आप तो राजस्थान में करप्शन के बारे में जो भी आप करना चाहते हो, आपको मालूम पड़ जाएगा । माननीय लालचन्द जी, मेरी बात का टैसिट एक्सैप्टैंस करेंगे, गुपचुप मेरी सहमति करेंगे । इसी ढंग से मोगो में जो अदला-बदली हुई है, कमीशन नियुक्त कर दो आप तो मालूम पड़ जाएगा कि गंगानगर में करप्शन है कि नहीं ।

बार्डर के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि आपने एक्शन प्लान बना दिया । मगर मेहरबानी करके ये जो चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें पोलिटिकल प्रेशर से किसी का तबादला मत करना आप । इण्टेलिजेंस का कम्युनिकेशन नहीं है वहां पर आपस में स्टेट्स में, आपस में डिस्ट्रिक्ट्स में । पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ इण्टेलिजेंस का कम्युनिकेशन नहीं है, वह आपको एजेंसी क्रीएट करनी पड़ेगी । इस सेट-अप को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा । दूसरी बात यह भी करनी पड़ेगी कि आप जो एक्शन प्लान बनाओ तो जो इसके लिए काम करने वाले हैं उनका एक कम्पोजिट सैक्टर हो । साम्प्रदायिक एकता के बारे में एक आखरी बात कहना चाहता हूं कि जब तक आप इसके लिए एक रैपिड पुलिस एक्शन फोर्स नहीं बनाओगे, इसका करैक्टर सारी कम्युनिटीज का कम्पोजिट करैक्टर नहीं तय करोगे तब तक सारे केसेज इसी टाइप के होंगे कि जो व्यक्ति मर गया उसके बाल-बच्चों का पालन पोषण स्टेट गवर्नमेण्ट करेगी, करैक्टर फाइण्ड करेगी, किसी की जमानत नहीं करेगी । तब तक, माननीय कालीचरण जी, आइंदा के लिए इस देश में, इस धरती पर कम्युनल फ्लेयर-अप नहीं होगा, यह आपका ख्याल है, ख्वाब है आपका । इसलिए आपने स्टेटमेंट दिया,

(श्री केदारनाथ शर्मा)

ठीक किया, आपको धन्यवाद कि आपने होने नहीं दिया। इतनी बात कहते हुए, सारे देश के हालात को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो राज्यपाल का अभिभाषण पढ़कर सुनाया, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री रमजान खां।

श्री रमजान खां (सैनिक कल्याण राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं अपनी बात कुछ कहूं, उसके पूर्व मैं माननीय श्री केदारनाथ जी, जो मेरे बुजुर्ग भी हैं और जिनकी मैं बहुत ही रेसपैक्ट करता हूं, उन्होंने एक बात कही कि यहां पर भैरोंसिह शेखावत, भैरोंसिह शेखावत के नाम से सदन को गुंजा दिया, इस सम्बन्ध में मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय भैरोंसिह जी इस सदन के नेता हैं, राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं और उन्होंने वह हिम्मत की है कि गांव के लोगों को गणेश माना है। उन्होंने वह हिम्मत की है कि अल्पसंख्यकों को न्याय दिया है, उन्होंने वह हिम्मत की है कि बिना टैक्स लगाये राजस्थान के विकास के लिये आयोजना आयोग से 1400 करोड़ रुपयों से भी अधिक राशि ले आये। अब उनका नाम यहां पर न लें और उनकी तारीफ न करें, तो फिर किसकी तारीफ करें ? इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने शब्द वापिस लेंगे कि राज्य सरकार बनाम शेखावत सरकार है। आज जितनी भी उपलब्धियां हैं वह माननीय शेखावत साहब की हैं। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : यह आपका पुराना भाषण है।

श्री रमजान खां : समय बहुत कम है, और आप घंटी बजा देंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये जितनी बातें पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने रखी, उनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा और दोहरा कर सदन का कीमती समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं तो आज के युग में जो एक महत्वपूर्ण समस्या है, उसकी ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो साम्प्रदायिक दंगे हमारे देश में हो रहे हैं, हमारे प्रदेश में हो रहे हैं, उन साम्प्रदायिक दंगों की वजह से हमारा भाईचारा तो समाप्त होता ही है, प्रदेश का हर प्रकार का विकास भी रुक जाता है और हमारी चिन्ताएं बढ़ जाती हैं और धीरे-धीरे हमारा देश और प्रदेश पीछे सरकता जाता है। इसके लिए हमें बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे और दोनों ही पक्षों को मिलकर उठाने पड़ेंगे। केवल मात्र इस बात से काम नहीं चलने वाला है कि कांग्रेस (आई) का कोई भी सदस्य बोले कि साम्प्रदायिक दंगों के लिये भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण कर दें, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य बोले और वह कांग्रेस (आई) पर दोषारोपण कर दें या जनता दल पर कर दे, इससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : जनता दल तो सैक्युलर है। (व्यवधान)

श्री रमजान खां : माननीय प्रद्युम्न सिंह जी और माननीय यदुनाथ सिंह जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण मसले पर बोल रहा हूं। मैं आपके बीच में नहीं बोलता, इसलिये मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा मुझे भी सुनें। इस समस्या का स्थाई हल निकालना पड़ेगा और जब तक हम अपने गिरेबान में झांककर न देखेंगे, तब तक इस समस्या का स्थाई हल न आज निकले न कल।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जहां तक साम्प्रदायिक दंगों का सवाल है, 1985 से 1990 तक पांच सालों में 36 जगहों पर साम्प्रदायिक दंगे पिछली सरकार के शासन काल में हुए, और अब मार्च 1991 तक इस भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कुल चार दंगे हुए। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : कांग्रेस के शासन काल में जो दंगे हुए उनमें कितने लोग मरे और आपके शासन काल में जो दंगे हुए, उनमें कितने लोग मरे, यह भी बतादें।

श्री रमजान खां : मैं उस पर भी आ रहा हूं। जब आप बोलें, तब आप बोल देना। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : चूंकि मंत्रीजी बोल रहे हैं, इसलिये आपको बताना पड़ेगा कि कांग्रेस के शासन काल के दंगों में कितने लोग मरे और आपके शासन काल के दंगों में कितने मरे। 80 लोग तो जयपुर में ही मारे गये। (व्यवधान)

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, दंगा करने वालों की कोई बिरादरी नहीं होती, उनकी कोई पार्टी नहीं होती।

(समय 5.23 सायं)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसमें कांग्रेस (आई) वाले या भारतीय जनता पार्टी वाले उछल-कूद करें, तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत बात है। दंगे तो ऐसे लोग करते हैं जिनका कोई धर्म नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप तो दंगे करने वालों के साथ रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : रोज दंगे करवाना, ऐशो आराम करना और डंडे के बल पर (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दंगे करने वाली तो कांग्रेस पार्टी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जयपुर में अकेले में 114 आदमी मारे गये। यह दंगे आप करवा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : कौनसे नियमों के अन्तर्गत आप इन्टरविन कर रहे हैं, जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमको प्रश्न पूछने का अधिकार है मंत्री महोदय से.... (व्यवधान)

१६५

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर। माननीय सदस्य सहयोग कीजिए।....(व्यवधान) सहयोग कीजिए आप बिराजिए।....(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आपको सुनना पड़ेगा।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जैन साहब।

श्री प्रेमसिंह दहिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी आप प्रारम्भ रखिए।....

श्री प्रेमसिंह दहिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : हां, क्या पांइट आफ आर्डर है? **What is point of order?**

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष को यह परेशानी होती है तो बीच में टोका-टाकी के लिए खड़े हो जाते हैं। सुनने का आप माद्दा रखिए।....(व्यवधान)

श्री रमजान खां : मेरा पहला प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, उनका पहले पाइन्ट आफ आर्डर है।....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : क्या नियम बताते हैं आप? आप दंगा कराने वाले लोग हैं... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : 114 लोग मर गए आपको + + + आनी चाहिए.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री कालीचरण सराफ : कांग्रेस बनाम दंगा पार्टी सारे दंगे आप लोगों के षड़यन्त्र से हुए हैं (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आयोग ने रिपोर्ट दे दी, उससे पता लगेगा कि आप क्या हैं?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : कोई नियम नहीं, कोई आपकी नीति नहीं और आप खड़े हो जाते हैं....

श्री कालीचरण सराफ : कल्ला जी आप सुनने की कोशिश करो।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और बीच में यों ही खड़े हो जाते हैं (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : आपके राज में साम्प्रदायिक दंगे हुए ...

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और बीच में यों ही इन्टरविन करते रहते हैं।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। पांइट आफ आर्डर है पहले उनका। आप पाइन्ट

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

आफ आर्डर रेज कीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, हर दंगे में कांग्रेस (आई) का हाथ होता है।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर बोलने दीजिए।

श्री प्रेमसिंह दहिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक डाइरेक्ट आसन को सम्बोधित करके कह सकते हैं... (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा (राज्य मंत्री) : पाइन्ट आफ आर्डर हो तो तब बोले.... (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मैं जब बोल रहा था... (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : हाउस आप चला रहे हैं क्या ? उपाध्यक्ष महोदय, हाउस तो आप चला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी।

श्री प्रेमसिंह दहिया : यह बीच में किस तरह से टोका–टाकी कर रहे हैं। जब आप हाउस चला रहे हैं इस तरह से टोका-टाकी कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ देख रहा था, आपको सम्बोधित कर रहा था तब माननीय सदस्य श्री कल्ला साहब की तरफ देख रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, बिराजिये। देखने पर कोई कन्ट्रोल नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह बहुत गलत है, यह डाइरेक्शन जो करते हैं यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कल्ला साहब नहीं, इन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है।.... (व्यवधान) सभी इधर-उधर देख रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : देखिए, आप हाउस में हर माननीय सदस्य को समता की दृष्टि से मेहरबानी करके देखिए।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, बिराजिए आप। माननीय मंत्री जी,।....(व्यवधान) श्री कल्ला साहब बिराजिए।....(व्यवधान) आर्डर प्लीज। सराफ साहब बिराजिए।

श्री कालीचरण सराफ : इनकी वास्तविक स्थिति बता रहे हैं इन कांग्रेसियों की दुकानदारी बन्द हो गई, क्योंकि दंगे हो नहीं रहे हैं और इनकी दुकानदारी बन्द हो गई।...(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : अब कोई दंगे नहीं होंगे।

श्री जगतसिंह दायमा : यह अल्पसंख्यक को सुनना ही नहीं चाहते हैं.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : कांग्रेस कभी भी दंगे नहीं कराती है। जनता राज आया दंगे शान्त और कांग्रेस का राज आया आप दंगे करवा देते हैं।....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बिराजिये आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपकी आर.एस.एस. की फौज इसके लिए जिम्मेदार है, मंत्रीजी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अल्पसंख्यक लोग ही दंगों में ज्यादा मारे जाते हैं आप कभी शान्ति से सोचिए इस पर, विचारणीय प्रश्न ।... जब जब भी दंगे हुए हैं अल्पसंख्यक मरने वाले लोग .. (व्यवधान) क्या कारण है सोचिए आप गम्भीरता से ।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिसिंह जी सदन को चलाने में सहयोग दीजिए । माननीय मंत्रीजी ।

श्री रमजान खां : आप यह चाहते हैं कि रमजान खां को नहीं बोलने दें, क्योंकि इनकी असलियत उजागर कर दूंगा इसकी वजह से यह बार–बार इन्टरविन कर रहे हैं (व्यवधान)... सुनों

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या आप मंत्री पद पर + + +गए । सच्चाई को छुपाने के लिए मंत्री पद हेतु + + +गए ।....

श्री रमजान खां : आप सुनें और सुनने के बाद में जवाब दें यह तो कोई बात हो पर आप बीच-बीच में बोलकर.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप लोग तो सहयोग करें कम से कम । बोलने वाले वक्ता बहुत हैं ।

श्री रमजान खां : आप बीच-बीच में बोलते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है ।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन दंगों को रोकने के लिए पिछली सरकारों ने कभी भी कोई कारगार कदम नहीं उठाए... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सराफ साहब ।

श्री रमजान खां : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 2 साल में शेखावत सरकार ने कारगर कदम उठाये हैं । अगर इसी तरह के कारगर कदम कांग्रेस (आई) उठाती तो यह साम्प्रदायिक दंगे कभी के ही खतम हो जाते । मैं उदाहरण देना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हमने इसमें न जाति देखी न बिरादरी देखी, न पार्टी देखी न पार्टी के सदस्य, किसी को भी नहीं देखा जिस किसी ने भी दंगे भड़काने की कोशिश की उसको सीधी गोली मारी है । और मैं आज यह कहता हूं कि इस राजस्थान के अन्दर कोई भी शेखावत सरकार के अन्दर दंगा भड़काने की कोशिश करेगा चाहे वह किसी भी धर्म निशान का हो तो उसके ऊपर गोली आकर पड़ेगी ..

डा. चन्द्रभान : कितनों को मारी आपने ?

श्री रमजान खां : उसकी वही हालत होगी जो भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में हुई है....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपने गोली

+ + +शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

(श्री हरिसिंह)

कितनों को मारी है यह तो बता दें।.... (व्यवधान)

श्री रमजान खां : चाहे नाराज हों या राजी हों। .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिसिंह जी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : दंगा भड़काने वाले कितनों को गोली मारी है मंत्री महोदय यह तो बता दें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : जब गोली की बात कर रहे हैं तो आखिर यह तो पता लगे कि कितनों को मारी है। कहां-कहां गोली मारी है। ... (व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ) : रथ-यात्रा के समय जयपुर बन्द का आह्वान करने वालों को कितनों को गोली मारी है यह तो बता दें। गोली मारी है और मिली है अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को। ...(व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। .... (व्यवधान) ...

श्री हीरालाल इन्दौरा : यहां प्रजातंत्र में गोली चलाते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अल्पसंख्यकों के घर जला दिए और जो गोली चलाई है आपके लिए +++ की बात है।.... (व्यवधान).... आपकी +++

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय श्री हरिसिंहजी। कृपया सहयोग कीजिए। बार-बार इस तरह से इन्टरविन करने का कोई तौर तरीका नहीं है।

डा. चन्द्रभान : गोली किसको मार यह तो बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. साहब।

डा. चन्द्रभान : भीलवाड़ा में जिन्होंने दंगा भड़काया उन्हें गोली मारी है। यह बताइए आप। गोली पुलिस ने किसको मारी उसका नाम बताइए आप।

श्री उपाध्यक्ष : वह अपना भाषण दे रहे हैं। बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री रमजान खां : कोई भी भड़काने की कोशिश करेगा तो मारेंगे।

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह तो डिक्टेटर राज हो गया, गोली चलायेंगे.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीगोद में दंगे भड़के उसके बाद में भीलवाड़ा में जाकर आपने कोई कार्यवाही नहीं की और आप कह रहे हैं कि गोली मार दी। बीगोद के बाद में भीलवाड़ा में दंगा भड़का। आप गए थे खुद वहां पर और आपने कोई कार्यवाही नहीं की।

+++ शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(डा. चन्द्रभान)

इसलिए बाद में भीलवाड़ा में दंगे भड़के। किसको गोली मारी आपने।

श्री रमजान खां : भीलवाड़ा में कोई दंगा नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, शायद डा. साहब को ध्यान नहीं है। ....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री रमजान खां : भीलवाड़ा की बीगोद और मांडलगढ़ तहसील जहां पर स्वयं माननीय श्री शिवचरणजी माथुर थे, वहां पर तीन महीने तक हिन्दु-मुसलमानों के दंगे भड़कते रहे, लोग जेलों में सड़ते रहे मगर राजस्थान का तत्कालीन मुख्य मंत्री कभी भी वहां पर जाकर उनके आंसू नहीं पोंछ सका .. (व्यवधान) ...

श्री मोतीलाल मीणा : यह भी सही है। आप भी सही कह रहे हैं दोनों पार्टियां दंगों के लिए जिम्मेदार है। बी. जे. पी. भी और कांग्रेस भी।

डा. चन्द्रभान : कांग्रेस के शासन में वहां पर दंगे भड़के हैं आपका कहना सही है लेकि आपके शासन में भी वहां पर दंगे भड़के हैं। ....

श्री उपाध्यक्ष : कह रहे हैं ना ये। आप सुनिए तो सही।

श्री रमजान खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई गड़बड़ हो जाय और मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को समझा नहीं सकूं, उनको बैठा नहीं सकूं तो मेरे लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राजस्थान का तत्कालीन मुख्य मंत्री जिसके इलाके में तीन महीने तक लगातार हिन्दू और मुसलमानों के दंगे भड़कते रहे और वह कुछ नहीं कर सका। इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है ? मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि भीलवाड़ा के अन्दर कुछ लोगों ने गलती करने की कोशिश की, गोली चली तो चली मगर भीलवाड़ा में दंगे नहीं होने दिए, बीगोद के अन्दर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की मैं स्वयं और श्री भंवरलाल जी शर्मा दोनों गए और 24 घण्टों के अन्दर उनका राजीनामा करवा दिया। एक भी आदमी के खिलाफ मुकद्मा नही बना। .... (व्यवधान)....

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : डा. साहब क्या बोलना ज़रूरी है क्या आपका ?

डा. चन्द्रभान : नहीं, भीलवाड़ा में दंगे भड़के तब तो सरकार नियंत्रण करे और बीगोद में दंगा भड़के तो कौन नियंत्रण करे। सरकार की कोई लाचारी है बीगोद के लिए ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान जी। आप बिराजिए।

डा. चन्द्रभान : आपके जाने के बाद, 3 दिन बाद भीलवाड़ा में दंगे भड़के हैं और मैंने इस हाउस में कहा था बीगोद के दंगों का नियंत्रण नहीं करेंगे तो इसका असर भीलवाड़ा में होगा, जो हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप ।

श्री रमजान खां : महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक बात बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद में कई राज्यपाल महोदयों के अभिभाषण छपे, कांग्रेस में भी छपे परन्तु अल्पसंख्यकों के लिए एक शब्द भी आज तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं कहा गया है । यह पहली बार है कि भैरोंसिह शेखावत की सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए राज्यपाल के...

श्री बुलाकीदास कल्ला : अल्पसंख्यकों के लिए बहुत प्रोग्राम आये हैं । आपको जानकारी नहीं है ।

श्री रमजान खां : नहीं छपा । कोई हो तो बता दीजिए लाकर ....(व्यवधान)...

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप बोलने से रोक नहीं सकते हैं । आप गलत बयानी कर रहे हैं ।... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब, हर बात में व्यवधान करने का तरीका नहीं होता है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मंत्री महोदय जो गलत बोलेंगे उसको हम टोकेंगे.... (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब सहयोग कीजिए ।

श्री मोतीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय; एक घण्टा हो चुका है बोलते हुए । (व्यवधान)....

श्री रमजान खां : असलियत सुनने की हिम्मत नहीं है । आप में से कोई भी जब बोलते है तब मैं बीच में कभी भी नहीं बोलता हूं, मैं आप लोगों को कभी भी इन्टरविन नहीं करता हूं । ... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : जैन साहब, आप ही ऐसा करेंगे तो हाउस कैसे चलेगा ।

श्री रमजान खां : मैं जब बोल रहा हूं तब आप लोगों को थोड़ा तसल्ली से सुनना चाहिए... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : यस, ही इज स्पीकिंग एज ए मेम्बर ।

श्री रमजान खां : गलत बोलूं तो सुधार करना चाहिए....

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय सदस्यों को 10 मिनट का समय दिया है और फिर ये ज्यादा कैसे....

श्री उपाध्यक्ष : 10 मिनट बोले हैं ये । व्यवधान हो रहा है । पहले भी कई माननीय सदस्यों को और समय दिया है । बोलिए आप ।

श्री रमजान खां : मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो सन् 1986 से डेड पड़ा था, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी, उपाध्यक्ष महोदय, भैरोंसिह शेखावत सरकार ने उसका दुबारा गठन किया । गठन ही नहीं किया बल्कि उसको सक्षम बना दिया कि गत वर्ष के अन्दर 1.25 लाख रुपये की छात्रवृत्ति बांटी, 3 लाख रुपये माइनोरिटीज के लोगों को स्वरोजगार के लिए

(श्री रमजान खां)

ब्याज मुक्त कर्जा दिया गया और 2.50 लाख रुपये कौचिंग क्लास के लिए जो एग्जामिनेशन में बैठते हैं उन लोगों के लिए खर्च किए जा रहे हैं। यह पहली बार इस तरह की बात हुई है जो इसके पहले वक्फ बोर्ड में नहीं हुई थी। जो कोई बात हुई है उसके लिए तो आप कह दें कि हां यह बात हुई है। इसके साथ-साथ अगले वर्ष में और भी बहुत सी सुविधाएं दिलाने की कोशिश की जायेंगी....

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय टाडा के बारे में तो बोल दीजिए। कुछ रोशनी डाल दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : हां, टाडा के बारे में भी बोल जायेंगे।

श्री रमजान खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जहां अल्प संख्यक बोर्ड कई वर्षों से मृत पड़ा हुआ था उसको पुनर्जीवित किया गया, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया। आज वह अल्पसंख्यक प्रगति की ओर हैं और वह कार्य कर रहे हैं यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्री महोदय, इसका दफ्तर और मेम्बर कहां हैं। खाली चैयरमैन बनाकर वह तो आपने श्री मुस्तुफाजी को खुश कर दिया कार देकर। यह बात क्या हुई? इससे अल्पसंख्यकों को लाभ क्या हुआ? उनको कार मिल गई, शायद पी. ए. मिलगया पर इससे अल्पसंख्यकों को लाभ क्या हुआ। उसने काम किया हो तो बताओ कि उसने यह काम किया है....(व्यवधान)....

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : अच्छा भला काम कर रहा है। कांग्रेस में ऐसा कभी काम नहीं हुआ। .... (व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यों तो आपने श्री भानुकुमारजी शास्त्री को भी चैयरमैन बना रखा है। और भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं उनमें बना दीजिए।.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्ति रखिए।

श्री रमजान खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में यह कहा गया है कि सन् 1991 में जितने भी हाजियों ने हवाई जहाज में जाने के लिए फार्म भरे थे। माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत की वजह से उनके लगातार पत्राचार की वजह से टेलीफोन से सम्पर्क करके पहली बार राजस्थान से हवाई जहाज से हज पर जाने के लिए फार्म भरे थे उन्हें शेखावत सरकार ने भेजा है। उसके सम्बन्ध में इसके पहले कांग्रेस सरकार ने कभी कदम नहीं उठाया था। .. (व्यवधान) ...

श्री जुबेर खान : राजस्थान के सभी मुसलमान इतने अमीर हैं कि सभी हवाई जहजों से चले जायेंगे?

श्री रमजान खां : जो बात है वह कह रहा हूं मैं तो....(व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : समुद्री जहाज को क्या हुआ?

श्री रमजान खां : समुद्री जहाज का भी प्रयास चल रहा है और इंशा अल्लाह अगले साल में समुद्री जहाज से भी पूरे को भेजने की कोशिश की जायेगी।.... (व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : तब तो ठीक है।

श्री रमजान खां : जहां तक राजस्थान में उर्दू अकादमी है, उपाध्यक्ष महोदय, उर्दू अकादमी बिलकुल बेकार पड़ी थी, उसका गठन किया, उसका चेयरमैन बनाया और उसके विकास के लिए 5 लाख रुपये मंजूर किए। यह भैरोंसिंह शेखावत सरकार की उपलब्धि है। आप बोलते हैं कि साहब आप क्यों तारीफ करते हैं.... (व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप कम बता रहे हैं ज्यादा की है।

श्री रमजान खां : ज्यादा की हैं तो बहुत खुशी की बात है हो सकता है मेरे पास कम आंकडे हो....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : साढ़े आठ लाख है।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये।

श्री रमजान खां : अब उपाध्यक्ष महोदय, टाडा एक्ट का मामला है। मैं अब टाडा एक्ट पर आता हूं। भाई जुबेर, डाक्टर साहब, टाडा के लिए बहुत चिन्तित हैं, और मैं भी चिन्तित हूं। बात सही है कि जो टाडा एक्ट में बन्द हो गए उनके लिए सभी को जो बेगुनाह हैं, जिन्होंने गुनाह किया है उसके लिए चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है मगर जो बेगुनाह हैं उसके लिए चिन्तित होना बहुत ही आवश्यक है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब अल्पसंख्यक के लोग इस टाडा के लिए बोल रहे थे; कांग्रेस के अन्दर बैठे अल्पसंख्यक लोग भाई जुबेर खां जी, चन्द्रभान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह भी बोले। परन्तु मैं एक बात के लिए अफसोस जाहिर करना चाहता हूं कि कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं में से एक ने भी टाडा एक्ट के बारे में यह नहीं कहा कि इसको हटाओ, यह करो। मैं यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय; कि हम अल्पसंख्यक के हित की बात करते हैं..

श्री परसादी लाल मीणा : आपकी पार्टी में से माननीय मन्त्री जी आपके अलावा कोई बोला? कोई भी नहीं बोला। ....(व्यवधान)....

श्री रमजान खां : तो हमारी बराबरी आप क्यों करते हो....

श्री अर्जुनदास मदान : परसादी लाल जी, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं बोला और डेलीगेशन को मैं स्वयं लेकर गया, यह उसके साथ है। आप कैसे कह रहे हैं कोई नहीं बोला, मैं स्वयं बोला था, आपको नालेज ही पूरी नहीं है। मैं बोला हूं और मैं डेलीगेशन को लेकर गया हूं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मदान साहब, बिराजिए आप।... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपके

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

राज के भी बन्द हैं, इनके राज के तो छोड़ दो ।

श्री परसादी लाल मीणा : इनके राज के जो बन्द हैं उनको तो छुड़वा लो ।

श्री उपाध्यक्ष : ....(व्यवधान)....कृपया शान्त रहिए ।

श्री रमजान खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हर आदमी को वास्तविक स्थिति पर विचार करना चाहिए । यह टाडा एक्ट सन् 1985 में तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने बनाया, राजस्थान सरकार ने नहीं बनाया । और सबसे बड़ी बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस टाडा एक्ट के अन्दर कांग्रेस का शासन मार्च, 1990 तक था । उस वक्त 72 गिरफ्तारियां तो टाडा एक्ट के अन्दर कांग्रेस ने की हैं । भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो 1990 से लेकर 1991 तक 34 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें भी 17 लोगों की जमानतें हो चुकी हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असलियत की तरफ आपको जाना चाहिए और इस चीज के लिए (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और पूरे सदन को कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं । कल्ला साहब, आप में अगर थोड़ी भी हिम्मत है तो सुनिए इस टाडा एक्ट को राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने अपनी सिफारिश करके केन्द्र को भेजी है कि इस टाडा एक्ट में जो बेगुनाह लोग गिरफ्तार हैं उनको तत्काल रिहा कर दिया जाए । आप और हम मिलकर के चाहो तो उस पत्र की प्रतिलिपि शेखावत साहब से ले सकते हैं । आप और हम चलकर के केन्द्र के अन्दर दबाव डालें....(व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी तो नहीं हैं लेकिन गृह मंत्री जी बैठे हैं....

श्री जुबेर खान : आप हाऊस को बता दीजिए कि राज्य सरकार ने क्या लिख कर भेजा है....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय रमजान खां जी ने कहा कि केन्द्र सरकार को सिफारिश करके भेजी है, यह सही नहीं है। यह चिट्ठी लिखी है कि अगर केन्द्र सरकार चाहे तो इनको छोड़ सकती है । यह वर्ड है । आप गलत बयानी मत कीजिए । जो उसकी वास्तविक लैंग्वेज है उसका इण्टरप्रिटेशन गलत मत कीजिए । सही इण्टरप्रिटेशन कीजिए । . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय गृह मन्त्री जी बोल रहे हैं ।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माहिर आजाद साहब को मालूम है कब गया है पत्र ? उन्होंने देख लिया है खुद ने । .. (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : जिस तरह से पंजाब के आतंकवादियों को छोड़ा है आप उन आतंकवादियों की तुलना इनसे कैसे कर सकते हैं । ...

श्री बुलाकीदास कल्ला : आन ए पाइंट आफ आर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : जुबेर खान साहब, आप बिराजिए। कल्ला साहब का पाइंट आफ आर्डर है।

श्री जुबेर खान : आपने जो लैटर लिखा है उसको टेबिल पर रख दीजिए। आपने उसमें साफ लिखा है कि जिस तरह से केन्द्र सरकार ने पंजाब के आतंकवादियों को छोड़ दिया उस तरह से इनको छुड़वाना चाहते हैं। आप वहां के आतंकवाद का मुकाबला यहां के सत्तर साल के बेगुनाह मुस्लिम से करना चाहते हैं? आखिर चाहती क्या हैं आपकी सरकार? आप लीपापोती करना चाहते हैं... (व्यवधान).... आपको लिखना चाहिए था कि राज्य सरकार ने यह पाया है कि यह लोग बेगुनाह हैं, राज्य सरकार यह सिफारिश करती है .. (व्यवधान)

श्री चम्पालाल बांठिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 1966 के युद्ध के अन्दर और ... (व्यवधान).... और 1971 के युद्ध के अन्दर इसी कांग्रेस की सरकार ने आपके शिव के एम.एल.ए. को सबसे पहले गिरफ्तार किया। इन्हीं की पार्टी के लोगों ने शिव के जो एम.एल ए. हैं। 1966 और 1971 के युद्ध के अन्दर आपने उनको गिरफ्तार करके अन्दर रखा था मीसा के अन्दर....

श्री जुबेर खान : तो आप उदारता बताइए। उन्होंने गिरफ्तार किया तो आप कुछ तो उदारता दिखाइए आप छोड़ दीजिए.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब बोलिए, व्हाट इज पाइंट आफ आर्डर?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री जी अपना बयान दे रहे थे तो उन्होंने एक पत्र को कोट किया कि केन्द्र की सरकार....

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर क्या है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं बता रहा हूं पाइंट आफ आर्डर, मेरा यह है ...

श्री उपाध्यक्ष : This is not point of order.

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप मेरे को सुन तो लें पहले,

श्री उपाध्यक्ष : सुन लिया है जो बोल रहे हैं उससे समझ आ रहा है कि There is no point of order. माननीय रमजान खां जी ...

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं। उन्होंने एक बयान दिया कि....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला जी बोल रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं पाइंट आफ आर्डर रख रहा हूं, सुनिए ना आप।

श्री उपाध्यक्ष : पहले वो बोल रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा यह कहना था कि माननीय मन्त्री जी ने यह

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कहा कि टाडा एक्ट में गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार को पत्र दिया उस पर माननीय गृह मन्त्री जी ने यह बात कही कि उस पत्र को माहिर आजाद ने देख रखा है। माहिर आजाद ने यह बात कही कि आपने कोई पत्र नहीं दिया। इससे ऐसा लगता है कि मन्त्री जी ने सदन को गुमराह किया है और गलत बयानी की है। हम जानना चाहते हैं कि उस पत्र में वास्तव में क्या लिखा है।

उपाध्यक्ष : माहिर आजाद ने ऐसा नहीं कहा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह हाऊस की प्रोपर्टी है। वह गलत बयानी नहीं कर सकते।... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह लेंग्वेज बोले हैं। ही रिपिटेड दी लेंग्वेज आफ दैट लैटर इससे ज्यादा कुछ नहीं बोले हैं। कल्ला साहब बिराजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह लैटर क्या लिखा है उसकी जानकारी दें।

श्री उपाध्यक्ष : वह लेंग्वेज के बारे में कहा है और कुछ नहीं कहा.. (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप यदि रोकेंगे तो मैं इनके खिलाफ प्रिबिलेज मोशन लाऊंगा....आप गलत बयानी नहीं कर सकते हाऊस में।

श्री जुबेर खान : लैटर लिखा है तो उसको हाउस में रखवा दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजाद जी ने ऐसा नहीं कहा है....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कह रहा हूं कि मन्त्री जी ने गलत बयानी की है कि टाडा एक्ट में केन्द्रीय सरकार को लिखा है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह पाइंट आफ आर्डर नहीं बनता है बैठ जाइए आप। .. (व्यवधान) हेतराम जी बेनीवाल साहब आप क्या कह रहे हैं?

एक माननीय सदस्य : इस पत्र को स्पष्ट किया जाए... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइंट आफ आर्डर है?

श्री जुबेर खान : इस लैटर को हाऊस में रखवा दीजिए अगर लैटर लिखा है राज्य सरकार ने तो उस पत्र को हाऊस में रखा जाना चाहिए... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई ऐसा मसला नहीं है जो सदन में रखा जाए। आप बिराजिए....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, अगर राज्य सरकार ने पत्र लिखा है तो उसकी प्रतिलिपि सदन में रखी जाए।

यदि कोई पत्र लिखा है तो उसको सदन में रख देना चाहिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्या केन्द्र सरकार का कोई पत्र या केन्द्र सरकार के किसी मन्त्री की चर्चा यहां हो सकती है?

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई है। लैटर का कहा था, लैटर यहां की गवर्नमेंट ने भेजा है। यह बात लिखी है, केन्द्र सरकार के बारे में नहीं है कुछ भी।

श्री हेतराम बेनीवाल : केन्द्र सरकार की चर्चा हुई है उन्होंने छोड़ा है। लैटर लिखा है कि उग्रवादियों को उन्होंने छोड़ दिया और इस तरह का लैटर गया है।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार की बातें जुबेर खान जी बोले हैं।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, आप सदन में लैटर रखवाइए... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रमजान खां जी बोलिए। आर्डर प्लीज ...

डा. चन्द्रभान : गृह मन्त्री जी ने स्वीकार किया ...

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब प्लीज सिट डाउन। चालू रखिए।

श्री रमजान खां : उपाध्यक्ष महोदय, टाडा में बन्दी लोग जितने हैं, यह महत्वपूर्ण मसला था जिसको हा-हुल्लड़ करके यूं ही मिटा दिया। अब यह सुनना ही नहीं चाहते हैं तो मैं भी इस बात को छोड़ता हूं।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं मेवात विकास बोर्ड के बारे में।

श्री नत्थीसिंह : रमजान खां साहब आप बोले तो हैं पर आपने यह नहीं बताया कि टाडा एक्ट में जो बन्दी हैं उनके प्रति आपकी भावना, आपकी फिलिंग और आप क्या चाहते हैं, वह कुछ नहीं कहा है आपने।

श्री रमजान खां : मेरे को सहानुभूति है। जो बेगुनाह बन्दी हैं उनके प्रति मेरी सहानुभूति है।

श्री हेतराम बेनीवाल : उसमें कितने बेगुनाह हैं आप बताईए? जो बेगुनाह क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरा कीजिए माननीय मन्त्री जी। कितना समय और लेंगे आप?

श्री रमजान खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1987 के अन्दर मेवात बोर्ड का गठन किया गया और मेवात बोर्ड का गठन इसलिए किया गया कि जैसे एस.टी. लोगों के लिए माडा योजना चला दी, एस. सी. लोगों के लिए जीवन धारा चला दी। इसी तरह मेवात के अन्दर भी मेव लोग इतने पिछड़े हुए हैं, इतने गरीब हैं कि उनके यहां पर किसी भी सरकार ने.... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। अभी माननीय मंत्री महोदय ने अपनी तकरीर में एक बात को स्वीकार किया है कि टाडा एक्ट में बेगुनाह लोग बन्द है। मैं वही निवेदन करना चाह रहा हूं और उनको उनसे हमदर्दी है। सरकार की स्वीकारोक्ति सदन में हो जाय और फिर कोई ट्राइल बच जाय या इन्क्वायरी का कोई सब्जेक्ट बच जाय, मैं ऐसा नहीं मानता। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना

(श्री जगमाल सिंह यादव)

चाहता हूं मन्त्री महोदय से, जब आपने स्वयं ने यह स्वीकार किया कि टाडा एक्ट में निर्दोष भी बंदी है तो फिर किस चीज का इन्तजार कर रहे हैं, क्या जांच कराना चाहते हैं आप ?

श्री रमजान खां : मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये मामला केन्द्र से सम्बन्धित है। एक मिनट मेरी बात सुनिये आप, आप जवाब तो सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल जी, आप जवाब तो सुनिये। आप बाद में बोलिये।

श्री रमजान खां : ....माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपनी इच्छा केन्द्र को भेजी है ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : केन्द्र ने तो चिट्ठी लिख दी और इसका हवाला गृह मंत्रीजी ने दे दिया।

श्री रमजान खां : ...कि बेगुनाह लोगों को रिहा कराया जावे और वे बेगुनाह लोग बंदी है कांग्रेस के टाइम के। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : एक्ट के प्रोवीजन क्या है ? स्टेट गवर्नमेंट भी छोड़ सकती है। (व्यवधान)

श्री रमजान खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेवात बोर्ड के बारे में बात कर रहा था ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या कह रही है माननीया सुमित्रा जी ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यह निवेदन कर रही हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि झुन्झुनू से आने वाले माननीय सदस्य माहिर आजाद ने देखी है। यदि इस तरह की कोई चिट्ठी है तो कृपया उसे सदन के पटल पर रख दिया जावे। .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने कहा है .. (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, माहिर आजाद ने देखी है वह चिट्ठी, तो हमारा भी राइट है उसे देखने का। इसलिए उसे सदन के पटल पर रखा जावे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गृह मन्त्रीजी खड़े होकर मना कर दें कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग बिन्दु है। (व्यवधान) यह सेपरेट पाइंट है।

डा. चन्द्रभान : यह गृह मंत्रीजी ने स्वीकार किया है कि माहिर आजाद ने वो पत्र को देखा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, उस पत्र को सदन में प्रस्तुत करने वाली कोई बात पैदा नहीं हुई है....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर माहिर आजाद को पत्र कैसे दिखाया। माहिर आजाद कैसे देख सकते हैं और हम क्यों नहीं देख सकते .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन के माननीय सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस प्रकार का पत्र पेश करने वाली कोई चर्चा यहां पर अभी पैदा नहीं हुई है....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पैदा कैसे नहीं हुई है ? .... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उस पत्र को सदन की मेज पर रखा जाय। ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रकाश बैरवा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पत्र को कोट क्यों किया गया ? यदि सीक्रेट नहीं है तो उसे सदन की मेज पर रखा जाय और यदि सीक्रेट डोक्युमेंट है तो गृह मन्त्रीजी ने उस पत्र को सदन की मेज पर क्यों उठाया ? सदन यह जानना चाहता है कि माहिर आजाद को यह सीक्रेट डोक्युमेंट क्यों दिखाया गया ? और यदि दिखाया गया है तो हमको भी दिखाया जाय....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सदन की मेज पर यह पत्र आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। मैं यह पूछना चाहता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : आसन के सामने इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं आया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।. (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह महत्वपूर्ण मसला है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन के सामने इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं आया है और न पत्र को कोट किया गया है यहां पर। बोला गया है, कोई पत्र बताया नहीं गया है और न कोट किया गया है। यह कागज क्या है, किसको लिखा गया है, इस प्रकार की कोई बात नहीं आई है. (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : माननीय गृह मन्त्रीजी ने यह स्वीकार किया है...

श्री उपाध्यक्ष : नो। केवल कहा गया है पत्र लिखा है....(व्यवधान)

सदस्य : गृह मन्त्रीजी ने कहा कि माहिर आजाद ने पत्र देखा है....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : माहिर आजाद ने देखा है, ऐसा गृह मन्त्रीजी ने इस सदन में स्वीकार किया है। उस स्वीकारोक्ति के बाद में सदन का यह राइट है कि पत्र को सदन की पटल पर रखा जावे -- (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब बिराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसमें व्यवस्था क्या है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था क्या है इसमें, मैं बता देता हूं. (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : व्यवस्था बताने से पहले हमको सुनो । (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : पहले हमको भी सुनो ।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां कहिये । माननीय गृह मन्त्रीजी बिराजिये । माननीय नत्थी सिंह जी ।

श्री नत्थीसिंह : आपने जो कहा है, इसमें एक समस्या खड़ी हो गई है हमारे सामने । हमारे गृह मन्त्रीजी ने जो कहा कि वो पत्र मैंने लिखा है और मैंने देखा है और माहिर साहब ने खड़े होकर कहा सुनिये आप । (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : भारत सरकार का पत्र आया है, लिखा नहीं ...(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : माहिर साहब ने यह कहा कि उस पत्र में आपने लिखा है कि जैसे पंजाब के टेररिस्ट छोड़े हैं, वैसे केंद्रीय सरकार चाहे तो छोड़ सकती है अब कंटेन्ट्स का मामला आ गया । सदन में इस बात की चिन्ता है कि टाडा एक्ट में जो निर्दोष और बेगुनाह लाग फंसे हुए हैं, वे छोड़े जाय । आप कहते हैं हमने चिट्ठी लिख दी । और दूसरी भाषा अख्तियार की है । सारा मामला आपके सामने आ जाय इसलिए इनको क्या चिन्ता है, क्या कर रहे हैं, उस स्थिति में यह लैटर यहां रख दिया जाना चाहिये । .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने अभी बात कही है । (व्यवधान) माननीय बेनीवाल साहब, मैं सबको अलाऊ करूंगा । पहले सुन लीजिये, व्यवस्था क्या है.... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप पहले हमको सुन लीजिये....

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था नहीं दे रहा हूं मैं, प्रोसीजर क्या है, मैं व्यवस्था नहीं दे रहा हूं इस समय .. हां बेनीवाल साहब, बोलिये ।... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमें सुने बिना क्या व्यवस्था देंगे आप ?

श्री उपाध्यक्ष : बेनीवाल साहब बोलिये ।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय,.. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमारी बात सुनने के बाद भी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां हां, सुनेंगे । बैठिये आप । वो बोल रहे हैं । बेनीवाल साहब बोल रहे हैं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी–अभी हाउस के अन्दर यह कहा, आपने हाउस के अन्दर जो अपने शब्द कहे, कि अभी परिस्थिति पैदा नहीं हुई, हालात पैदा नहीं हुए उस लैटर को रखने की । मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां के होम मिनिस्टर साहब का बयान आ गया, हमारे आगे माहिर आजाद की बात आ गई, लैटर का नाम आ गया, जिक्र आ गया और आपका यह कथन कि परिस्थिति

(श्री हेतराम बेनीवाल)

पैदा नहीं हुई ? मापदण्ड बता दीजिये परिस्थिति कैसे पैदा होती है ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं मैंने यह नहीं बताया था। मैंने यह कहा कि.... (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने कहा है।.. (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : ऐसा लगता है यह सरकार पत्र को छिपा रही है और यह हमारे सदन की वस्तु है। इनके इस + + + गैर जिम्मेदार व्यवहार के खिलाफ हम सदन से....(व्यवधान)

(जनता दल पार्टी के सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने टाडा एक्ट में निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है और तथ्यों को छिपाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : .. और छिपाने का मतलब सरकार तथ्यों को छिपा रही है। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दासकल्ला : सरकार ने टाडा एक्ट में निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है और तथ्यों को छिपाया जा रहा है। सी॰सी॰ को भंग करके, गृह मंत्री ने सी॰सी॰ भंग की है और जो गोपनीय पत्र इस सदन कांफिडेंस में न रख कर कुछ लोगों को इन्होंने दिखाये हैं। इसका हम विरोध करते हैं और सरकार मॉइनोरिटी के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, अत्याचार कर रही है। इसके खिलाफ हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रमजान खां जी, आप अपनी बात चालू रखिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपका रिएक्शन क्या है ? आपने अपनी व्यवस्था क्या दी है, उपाध्यक्ष महोदय या आप किसी से पूछना चाहते हैं। आप हाउस में आसीन हैं, आप और किसी से पूछकर राय देंगे। आपकी इसमें क्या व्यवस्था है, बताइये न। आपने खुद कहा कि मैं परिस्थितियां देखूंगा, आप किस बात की परिस्थिति देखना चाहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह दूसरी बात है। रमजान खां जी बोलिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप अपनी व्यवस्था दीजिये या भैरोंसिंह जी से पूछेंगे कि उनसे पूछकर राय देंगे...

श्री उपाध्यक्ष : ना ना। यहां पर आलरेडी व्यवस्था है। अगर मंत्री चाहें तो पत्र को पेश

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

कर सकते हैं और नहीं चाहे तो पत्र पेश नहीं किया जा सकता, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी।

"When a minister wants to lay on the Table any paper..."

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं?

सदन की कार्यवाही

सदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय श्री रमजान खां के भाषण पूरा होने तक बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति से सदन का समय माननीय रमजान खां जी के भाषण समाप्त नहीं हो, तब तक बड़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय माननीय रमजान खां जी के भाषण समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उस पर कोई डिस्पोजल आपने नहीं किया। मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन किया था, मेरा व्यवस्था का प्रश्न था कि सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व है, और अभी सैनिक कल्याण मंत्री माननीय रमजान खां जी बोल रहे हैं, मैंने जैसा पूर्व में निवेदन किया, उन्होंने अपनी स्वीकारोक्ति दी इस बात के लिए कि टाडा एक्ट में निर्दोष व्यक्ति भी बंद है, मुझे उनसे सहानुभूति है और उनकी रिहाई के लिए हमने सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिख दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपने इस बात की स्वीकारोक्ति तो हाउस में कर दी। क्या आपने उन निर्दोष लोगों की सूची बना ली है, क्या राज्य सरकार ने यह तय कर लिया है कि इस टाडा एक्ट में जो लोग बंद है, उनमें ये–ये लोग निर्दोष हैं और ये–ये दोषी हैं। किसी भी जन कल्याणकारी सरकार को किसी एक इन्सान को टाडा एक्ट की तो बात छोड़िये, किसी भी अपराध में निर्दोष को रखने का अधिकार नहीं है जबकि आपने इस बात की स्वीकारोक्ति की है। मैं केवल आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि आपने क्या वो लिस्ट तैयार कर ली है जो-जो निर्दोष हैं और उनको छोड़ने का राज्य सरकार का जो दायित्व था, वो सारा दायित्व आपने पूरा कर लिया है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय रमजान खां जी।

श्री रमजान खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता

(श्री रमजान खां)

हूं और प्रोसिडिंग्स में है, है यह बात कि कांग्रेस के टाइम में बंदी 74 जो बेगुनाह लोग हैं उनको छोड़ने....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी, एक मिनट बिराजिए ।

हाउस की टेबिल पर जो पेपर रखा जाता है इसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था है —

"When a minister wants to lay on the Table any paper or document, the concerned Ministery forwards to the Secretariat twenty one copies each of Hindi and English versions of the paper complete in all respects, including one copyeach of Hindi and English version duly authenticated by the Minister concerned, two clear days before the date on which the Minister proposes to lay it on the Table. In special circumstances, however, the Speaker may, on request, permit a Minister to lay a paper at a short notice. If the Minister in whose name an item stands on the agenda is not present, the papers can be laid on the Table by another Minister but with prior intimation to the Speaker.

If the paper is being laid under any particular status, the Ministry indicates...."

यदि कन्सर्न मिनिस्टर चाहे तो पेपर लेड डाउन होता है । इसलिए पेपर हाउस की टेबिल पर रखने का जो एतराज उठाया गया वह निरस्त किया जाता है ।

श्री रमजान खां : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक निर्दोष और दोषी व्यक्तियों का प्रश्न है तो जिस वक्त पकड़े जाते हैं उस वक्त दोषी भी पकड़े जाते हैं, निर्दोष भी पकड़े जाते हैं और जब जांच होती है तब पता चलता है कि ये दोषी हैं या निर्दोष हैं । तो उसके लिए जो शुरू में पकड़े गए उसमें जांच हुई होगी । उस जांच में कोई निर्दोष लोग भी हैं । तो मैंने यह कहा था उन लोगो के लिए... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह, बिराजिए । (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से विवाद में फंस ही नहीं रहा हूं । मैंने केवल आपसे व्यवस्था का प्रश्न उठाया है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप दूसरी बात पूछ रहे हैं ।

श्री जगमाल सिंह यादव : मंत्री जी तो मुझे बगैर बात ही जवाब दे रहे हैं ।

श्री रमजान खां : आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने ऐसी बातें कही हैं, इन्होंने फालतू बातें नहीं कही हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर आपकी क्या व्यवस्था है ? मैं केवल इतना ही जानना चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी, आपने जो सवाल उठाया, मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी है लेकिन यहां पर जो रमजान खां जी ने जो बात कही है वो यह कही है "कुछ निर्दोष लोग"। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं कहा है। इसलिए मेरी यहां पर यह व्यवस्था है कि आप द्वारा जो एतराज उठाया गया है उसे मैं खारिज करता हूं, निरस्त करता हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : क्या खारिज किया आपने ? मैं क्या पूछ रहा हूं ?

श्री रमजान खां : उपाध्यक्ष महोदय, में मेवात बोर्ड की बात कर रहा था।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आपने क्या खारिज किया है मेरा ? क्या रूलिंग दी है आपने ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या आपने यह खारिज कर दिया कि जो निर्दोष लोग हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : ना, ना, वो बात नहीं है मैडम। ऐसा नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो फिर क्या खारिज कर दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : ये संयुक्त जिम्मेदारी वाली बात कह रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जिम्मेदारी की बात तो ठीक कह रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने कौनसी चीज खारिज की ? वो तो बता दीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : इस पर आपकी क्या रूलिंग हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : जो पाइन्ट रेज़ किया है वह खारिज किया है।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल खारिज कह देने से काम नहीं चलेगा। मैंने जो व्यवस्था का सवाल उठाया उस पर आपकी क्या रूलिंग है ?

श्री रमजान खां : ऐसा है आज जगमाल सिंह जी को कोई गलतफहमी हो गई है। इस गलतफहमी को निकालने के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरा कीजिए।

श्री रमजान खां : मेवात बोर्ड 87 से गठित किया गया है। (व्यवधान) मेवात बोर्ड में पिछले 3-4 साल तक जब तक पूर्व की सरकार कायम रही, एक पैसा भी, यहां तक एक हैण्ड पम्प भी, उपाध्यक्ष महोदय, नहीं लगा। इस बात को कहते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस बारे में बहुत चिन्तित है और निश्चित रूप से बहुत जल्दी मेवात

(श्री रमजान खां)

बोर्ड के लिए कुछ न कुछ राशि उपलब्ध कराकर वहां का विकास करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी समाप्त कीजिए ।

श्री रमजान खां : मैं आखिर में एक बात कहकर समाप्त करता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी के शासनकाल में आज तक जो उपलब्धियां हुई हैं माइनोरिटी के लिए, उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो जयपुर में जामा मस्जिद की बहाली की और आज जामा मस्जिद बहुत खूबसूरत इमारत के रूप में खड़ी है ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह 1977 की बात अब ?

श्री रमजान खां : और दूसरा जामे हिदायत, जयपुर में जो शिक्षण संस्था है उसकी स्वीकृति भी दी, उसका शिलान्यास किया और आज वह उन्नति की ओर है और यह शेखावत साहब ने किया । तीसरी बात, अरबी एण्ड फारसी का शोध सस्थान टौंक में स्थापित कराया । चौथा, हुजूर गरीब नवाज, अजमेर में सूफी चेयर की स्थापना की । पांचवां इसके साथ-साथ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, जोधपुर के लिए निःशुल्क भूमि वहां पर मुसलमानों को दी गई । छठा, जोधपुर तकिया चांदशाह जो एक लम्बे अर्से से कांग्रेस के टाइम से विवादास्पद चल रही थी उसका निपटारा करके वहां के मुसलमानों को सौंपा । सातवां, जो काम माइनोरिटी के लिए किया वह जो नगीने का काम करते थे, उस नगीने पर से लाखों रुपये का सैलस टैक्स माफ करके माइनोरिटी का उत्थान किया है । और सबसे बड़ी बात यह है कि दरगाह शरीफ जो इन्टरनेशनल लेवल की ऐसी जगह है उसकी तरक्की की माननीय भैरोंसिंह जी ने : कि महामहिम राज्यपाल महोदय वहां पर गए और उन्होंने कहा कि मैं पिछली बार यहां आया था तो यहां पर दरगाह के अन्दर हालत बहुत खराब थी । कार भी खड़ी नहीं हो सकती थी । 20 लाख रुपए लगा करके उन्होंने दरगाह शरीफ का इतना जबर्दस्त विकास कराया है । 6 करोड़ रुपये की राशि बाई पास रोड, जितना पुष्कर के लिए पैसा दिया था, उससे भी कहीं बढ़कर पैसा दरगाह में किया । इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि मैं माइनोरिटी का व्यक्ति होते हुए भी एक ऐसी जगह से विधायक हूं, तीर्थराज पुष्कर की धरती से, कि जहां से बी.जे.पी. ने लगातार 2 बार मुझे टिकिट दे करके वहां से विधायक चुनने में सहायता की । यह मेरे लिए बड़े गौरव की बात है । आज इस हाउस में मैं एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस वाले वाक आउट कर गये हैं परन्तु राजस्थान की 4 करोड़ जनता सुन रही है कि मैंने जो काम भैरोंसिंह जी शेखावत के लिए गिनाये हैं, माइनोरिटी के लिए इतने काम किए हैं, अगर कांग्रेस एक काम भी

(श्री रमजान खां)

गिना दे तो रमजान खां इस राजस्थान के मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दे देंगे। एक भी काम नहीं गिना सकता, इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कांग्रेस की। मैं इतना ही कह करके राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां बता रहे हैं या कोरी वंदना कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 3 मार्च, 1992 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.07 बजे, मंगलवार, दिनांक 3 मार्च, 1992 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(185)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 90 की सूची

राजस्थान बोर्ड श्राफ मुस्लिम वक्फ्स, जलेब चौक, जयपुर

नं. वक्फ/कमेटी/सोजत/5562/91 दिनांक : 5-9-91

श्रादेश

सोजत सिटी जिला पाली की वक्फ सम्पदाओं के इन्तेजाम व देखभाल के लिए निम्नलिखित सदस्यगण/पदाधिकारियों पर आधारित एक वक्फ कमेटी का गठन किया जाता है :—

(1)	श्री तुफेल अहमद	सदर
(2)	श्री उस्मान खां	नायब सदर
(3)	श्री अब्दुल रहमान सिलावट	सैक्रेटी
(4)	श्री जहूर हुसैन शेख मास्टर	ज्वाईट सैक्रेटी
(5)	श्री हैदर हुसैन पुत्र श्री अहमद हुसैन शेख	खजान्ची
(6)	श्री इब्राहीम नूरी पुत्र श्री उमराव शेख	सदस्य
(7)	श्री अब्दुल सत्तार पुत्र श्री करीम नियारगर	,,
(8)	श्री सैयद शौकत अली	,,
(9)	श्री अल्लाउद्दीन पुत्र श्री कमरुद्दीन शेख	,,
(01)	श्री अकबर भाई सिलावट	,,
(11)	श्री मोहम्मद हासन पुत्र श्री अजीज खां	,,

यह कमेटी हसबे कानून वा कायेदा वक्फ बोर्ड काम करेगी वा वक्फ बोर्ड को जवाबदेह होगी इस कमेटी की मियाद 3 वर्ष होगी परन्तु बोर्ड इस कमेटी में कमी भी रद्दोबदल, तरसीम वा तनसीख, कमी वा इजाफा कर सकेगा। जनाब अब्दुल हादी साहब वा जनाब गुलाम मुस्तुफा साहब, मेम्बर वक्फ बोर्ड इस कमेटी के एक्स आफिसो मेम्बर होगें। आदेश अनुसार जारी किया गया।

ह.
सचिव,
राज. बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ्स,
जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. 1 ता 11 जरिये सदर वक्फ कमेटी सोजत सिटी
2. जिला कलेक्टर, पाली को प्रेषित कर निवेदन है कि कमेटी द्वारा चार्ज ग्रहण करने में सहयोग प्रदान करें।
3 पुलिस अधीक्षक, पाली को प्रेषित कर निवेदन है कि कमेटी द्वारा चार्ज ग्रहण करने में सहयोग प्रदान करें।
4. एस.डी.ओ., सोजत सिटी
5. एस. एच. ओ. पुलिस थाना, सोजत सिटी
6. तहसीलदार, सोजत सिटी
7. लिटिगेशन शाखा
8. कन्ट्रीब्यूशन शाखा

ह.

सचिव,

राज. बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स,

जयपुर।

परिशिष्ट-2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

उप-खण्ड बांसवाड़ा के अधूरे तालाब

91. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले के उप-खण्ड बांसवाड़ा में अकाल राहत कार्यों के तहत बनाये गये कितने अधूरे तालाब पड़े हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अकाल राहत के तहत ग्राम बडलीपाड़ा, मानजी, रामगढ़, नया खेड़ा, मूतपाड़ा, नाथपुरा, थेपर, मपडी खेडा, दानपुरबारी, खरवाली में अधूरे तालाब हैं ? प्रत्येक अधूरे तालाब पर पिछले 3 वर्षों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार उक्त अधूरे तालाबों के कार्यों को कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अकाल राहत कार्यों के तहत बनाये गये 16 अधूरे रहे तालाब हैं। सूची (अ) सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) बडलीपाड़ा मानजी, रामगढ़, मूतपाड़ा, नवा खेड़ा, फेफर, महुड़ी, खेड़ा और नाथूपुरा खरवाली अधूरे अकाल राहत कार्य हैं, जबकि मूतपाड़ा का अधूरा कार्य एन.आर.ई.पी. का है। दानपुरा बाड़ी विभिन्न मदों के अन्तर्गत पूर्ण हो चुका है। प्रत्येक अधूरे तालाब पर पिछले 3 वर्षों में व्यय राशि का विवरण सूची (ब) सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर अधूरे कार्य पूर्ण करवाने सम्भव होंगे।

अकाल राहत कार्यों के तहत बनाये गये अधूरे रहे तालाबों की सूची :—

1. रामगढ़
2. नाथूपुरा खरवाली
3. बडलीवाड़ा मानजी
4. गणेशलाल पाडला
5. अम्बापड़ा
6. डाबरीमाल
7. बागतालाब
8. भंवर खेड़ा
9. सिंगपुर
10. खेडा बरा
11. वागेरी
12. नवाखेड़ा
13. फेफर
14. कमलीपाड़ा
15. महुडी खेड़ा
16. मूत पाड़ा

अधूरे तालाबों पर पिछले 3 वर्षों में व्यय राशि का विवरण

क्र. सं.	नाम कार्य	खर्चा रुपये लाखों में वर्ष 88-89	89-90	90-91	विशेष विवरण
1.	बडलीपाड़ा मानजी	2.52	—	—	
2.	रामगढ़	1.46	—	—	
3.	नवा खेड़ा	—	—	—	
4.	भूत पाड़ा	—	2.32	1·85	यह कार्य एन.आर.ई.पी. है
5.	फैफर	3.89	—	—	
6.	महुडी खेड़ा	0·44	—	—	
7.	दानपुर बारी	—	—	—	विभिन्न मदों
8.	नाथूपुरा खरवाली	5.05	—	—	में पूर्ण किया गया है।

जमवारामगढ़ (जयपुर) को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना

92. **श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर** (जमवारामगढ़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जमवा रामगढ़ (जयपुर) में चल रहे मारबल उद्योगों को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जमवारामगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र के विकास की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

जिला जैसलमेर की पर्यटन योजनाएं

93. **श्री जितेन्द्र सिंह** (जैसलमेर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की आवासीय सुविधाओं के लिए अनेक योजनायें बनाई गयी हैं ? यदि हां, तो इन्हें कब से प्रारम्भ करने का सरकार का विचार है ?

(2) क्या सरकार पर्यटकों के लिए झोपड़ों का निर्माण करने की भी योजना बना रही है ? यदि हां, तो ये झोंपड़े किस तिथि तक व कितने निर्मित किये जावेंगे ?

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग ने जैसलमेर में एक पर्यटक स्वागत केन्द्र के निर्माण की योजना बनाई है। उक्त केन्द्र में आवास की भी सुविधा होगी। इसी वित्तीय वर्ष में इस कार्य हेतु 5.00 लाख रुपयों की स्वीकृति जारी करदी गई है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में पर्यटकों के लिए जैसलमेर में झौंपड़े निर्माण कराने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। पहले से ही पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित पर्यटक विश्राम गृह, मूमल में 70 कमरे तथा 20 झौंपड़िएँ उपलब्ध हैं।

कैलादेवी वन क्षेत्र के वन के विकास की योजना

94. **श्री प्रभुलाल पटेल** (सपोटरा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कैलादेवी सुरक्षित वन क्षेत्र में कितने ग्राम आये तथा क्या सरकार इनको दूसरी जगह बसाने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार कैलादेवी सुरक्षित वन क्षेत्र का विकास करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो सरकार की पानी व आवागमन की पूर्ण व्यवस्था के बारे में क्या योजना है ?

उत्तर

(1) कैलादेवी अभयारण्य में 46 गांव बसे हुये है। अभी इन गांवों को अन्यत्र बसाने की कोई योजना नहीं है।

(2) जी हां। वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में वन्य जीवों को पानी उपलब्ध कराने के लिए एनीकट बनाये जा रहे है, तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन मार्गों (फेयर वैदर रोड) का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

कैलादेवी वन्य जीव अभयारण्य के अधीन वन क्षेत्र में बसे हुये गांवों की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम ग्राम
1.	बरगमा	24.	चिरचिरी
2.	बन्डापुरा	25.	लखनऊ की
3.	केशोपुरा	26.	खाते की
4.	पटपरी	27.	गोंदरघूहा
5.	नरोली	28.	दौलतियां की
6.	नेमियां की	29.	बडकी
7.	दौलतपुरा	30.	नरोली (चिरींकी)
8.	कल्याणपुरा	31.	राहर
9.	मातोरिया की	22.	खिजूरा
10.	भीमपुरा	33.	वीरम की
11.	विश्वनाथपुरा	34.	गढी का गांव
12.	चोडक्या	35.	दयारामपुरा
13.	रावतपुरा	36.	पाटौर
14.	चौडियाखाता	37.	बामूदा
15.	बहरदा	38.	सोनपुरा
16.	फाटौर	39.	श्यामपुरा
17.	कुडका	40.	डोलेपुरा
18.	मोरोची	41.	गुर्जा
19.	मरमदा	42.	असवत की
20.	कानरदा	43.	नीदर
21.	झोपडी	44.	चैनापुरा
22.	महाराजपुरा	45.	डंगरिया
23.	गोटा	46.	निभेरा

पंचायतों का पुनर्गठन

95. श्री हरिसिंह (महुआ),
श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) एवं
श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) :
क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या सरकार द्वारा राज्य में पंचायतों के पुनर्गठन की कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या सरकार को सभी जिलों से पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव मिले हैं ?

(3) सरकार ने पुनर्गठन के अन्तिम रूप में क्या मान दण्ड तय किये हैं ? तय किये गये माप दण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि सरकार ने नवगठित ग्राम पंचायतों का मुख्यालय किस गांव में हो, इस सम्बन्ध में कोई माप दण्ड तय किया है ?

(5) क्या सरकार पुनर्गठन की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करने का इरादा रखती है ?

(6) सरकार पंचायतों के चुनाव कब तक कराने का इरादा रखती है ?

(7) क्या यह सही है कि सरकार पंचायत चुनाव वर्तमान प्रणाली से करवायेगी ? यदि नहीं, तो इसमें क्या संशोधन अथवा नई प्रक्रिया अपनाने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) मापदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) नवगठित ग्राम पंचायतों का मुख्यालय किस ग्राम में हो ऐसे कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं किन्तु इस बात का ध्यान रखा जावेगा कि पंचायत का मुख्यालय उसी ग्राम में रखा जावे जहां प्रस्तावित पुनर्गठित ग्राम पंचायत में सम्मिलित ग्रामों में सर्वाधिक जनसंख्या तथा अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हों तथा, वह, यथा संभव प्रस्तावित ग्राम पंचायत में सम्मिलित ग्रामों के मध्य में स्थित हो ।

(5) जी हां ।

(6) ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन का कार्य पूर्ण होते ही चुनाव कराये जाने के बारे में उचित निर्णय ले लिया जावेगा ।

(7) जी नहीं राज्य सरकार पंचायत चुनाव प्रणाली में संशोधन करने पर विचार रखती है ।

ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन के अन्तिम रूप में तय किये गये मापदण्ड :—

(1) सन् 1981 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत की जनसंख्या सामान्यत: 2000 से 5000 तक हो परन्तु एकल ग्राम पंचायत जिसमें ढाणियों आदि सम्मिलित नहीं हो, की जनसंख्या 5000 से अधिक भी हो सकती है। इसी प्रकार एकल गांव जिसकी जनसंख्या 5000 से अधिक हो यदि उसकी ढाणियां 8 कि. मी. के अन्दर की हो तो उन ढाणियों को उसी गांव की पंचायत में शामिल करना उचित रहेगा, जब तक कि वे लोग किसी दूसरी पंचायत में शामिल होने के इच्छुक न हों।

(2) पंचायत के किसी भी गांव की दूरी पंचायत मुख्यालय के गांव से सामान्यतया 8 कि. मी. से अधिक नहीं हो।

(3) प्रत्येक पंचायत में वार्डों की संख्या निम्नानुसार निर्धारित की जावे :—

पंचायत की जनसंख्या (1981)	वार्डों की सं.
1000 तक	5
1000 से 2000 तक	6
2000 से 3000 तक	7
3000 से 4000 तक	8
4000 से 5000 तक	9
5000 से 6000 तक	10
6000 से 7000 तक	11
7000 से 8000 तक	12
8000 से 9000 तक	13
9000 से 10000 तक	14
10000 से अधिक	15

किशनगंज व शाहाबद (बारां) के ग्रामों का विद्युतीकरण

96. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र के (बारां) कितने ग्राम अब तक विद्युतीकृत किये जा चुके हैं ?

(2) ऐसे कितने ग्राम हैं, जिनमें विद्युत लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(3) क्या यह सही कि किशनगंज व शाहबाद में 40 ग्राम ऐसे हैं जिनको विद्युतीकृत घोषित किया गया है लेकिन वास्तव में उनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है तथा उनके खिलाफ अब तक विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) किशनगंज एवं शाहबाद पंचायत समिति (जिला बारां) के 293 ग्रामों को माह जनवरी, 1992 तक विद्युतीकृत घोषित किया गया है।

(2) उक्त विद्युतीकृत घोषित ग्रामों में से 279 ग्रामों में मण्डल नियमानुसार

(ऊर्जा मन्त्री)

लाईन का कार्य कर विद्युतीकृत घोषित किया गया है।

(3) किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के 14 ग्रामों में ग्राम नान-पोटेन्शियल होने व ग्राम एनरुट लोकेलिटी होने तथा आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण लाईनें नहीं खेंची गई। इसके अलावा 24 ग्राम ऐसे हैं जिनमें नियमानुसार लाइनें तो खेंची गई थी परन्तु कोई उपभोक्ता नहीं होने के कारण इन लाइनों पर रख रखाव का विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका। इनमें से कुछ लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। इनमें से 10 ग्रामों की लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 14 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। शेष बचे हुये ग्रामों में भी आवेदन प्राप्त होने पर लाईन खेंच कर नियमानुसार कनेक्शन दिये जा सकेंगे। इनमें कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

जिला भरतपुर में सड़क निर्माण

97. **श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिले में गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कौन-कौनसी सड़कें कितनी-कितनी लागत की स्वीकृत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन सड़कों पर 31 जनवरी, 1992 तक कितनी-कितनी राशि कच्चे कार्य पर तथा कितनी-कितनी राशि मेटीरियल पर व्यय की गई ? सड़कवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला भरतपुर में विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 1990–91 में 22 सड़कों के लिए 73.37 लाख रुपयों के तथा वर्ष 1991–92 में 37 सड़कों के लिए 224.77 लाख रुपयों की स्वीकृतियां की गई है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में दर्शाया गया है।

(2) 31 जनवरी, 92 तक कच्चे कार्य पर 45.51 लाख रुपये तथा मेटीरियल पर 42.71 लाख रुपये की राशि व्यय की गई जिसका विवरण सड़क वार संलग्न परिशिष्ट "अ" तथा "ब" में दर्शाया गया है।

(194)

जिला भरतपुर में वर्ष 1990-91 में स्वीकृत सड़कों की सूची

क्रम सं.	सड़क का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	31.1.1992 तक व्यय राशि लाखों में कच्चा कार्य	मेटीरियल
1	2	3	4	5	6
खण्ड–प्रथम–भरतपुर					
1.	सम्पर्क सड़क बंशी से तिरहना	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	6.00	1.10	2.50
2.	नगर परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण कार्य	अरबन रोड	10.00	—	10.21
3.	सम्पर्क सड़क नहरोली	जवाहर रोजगार योजना	5.00	0.11	—
4.	सम्पर्क सड़क खेडली गडसिया	—	2.00	0.05	—
5.	सम्पर्क सड़क बाजना	—	9.00	—	—
6.	सम्पर्क सड़क डेहरा से बरखेडा	—	2.00	0.42	—
7.	सम्पर्क सड़क कटरा से चकउदरा	—	2.00	—	—
खण्ड–द्वितीय–भरतपुर					
8.	सम्पर्क सड़क बुराना से बरौलीडहर	—	1.00	0.24	0.16
9.	सम्पर्क ऐसबाडा से सहेडा	—	2.00	0.15	—
10.	सम्पर्क अकाता से सुनेहरा	—	2.00	0.13	—
11.	सम्पर्क जुरबेरा से जुरेहरी	—	2.00	0.44	0.23
12.	सम्पर्क सहसन से बामनबाड़ी	—	2.00	0.41	0.28
13.	सम्पर्क कामांक से कटमाण्डीवा कनवाडा	—	2.00	1.25	0.91
14.	सम्पर्क करीली से लालपुर	—	2.00	—	-
15.	सम्पर्क भरंगपुर	—	1.90	—	—
16.	सम्पर्क भदीरा	—	2.50	0.50	0.33
17.	सम्पर्क सुदरावली	—	2.00	0·56	0.37
18.	सम्पर्क खोरी	—	3.00	1.29	0.74
19.	सम्पर्क नौनेरा	—	6.00	2.98	1.94

1	2	3	4	5	6
20.	सम्पर्क कुम्हेर से बाबन	—	3.72	2.25	1.48
21.	सम्पर्क पता	—	4.75	1.93	1.06
22.	सम्पर्क ऊढांका से कुलवाना	—	0.50	0.13	—
		कुल योग	73.37	13.94	20.21

जिला भरतपुर में वर्ष 1991--92 में स्वीकृत सड़कों की सूची

क्रम सं.	सड़क का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	31.1.92 तक व्यय राशि लाखों में कच्चा कार्य	मेटीरियल
1	2	3	4	5	6
	खण्ड-प्रथम-भरतपुर				
1.	हिण्डौन बयाना सड़क से सम्पर्क सड़क नहरोली	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	12.50	—	0.03
2.	कोट से बजाना सड़क	—	22.50	—	0.03
3.	सम्पर्क सड़क अघापुर वाया बरुपरा नगला पंजाबी	—	12.00	1.20	0.74
4.	सम्पर्क सड़क सुनारी से तेहरा लोधा	—	6.00	—	—
5.	सम्पर्क सड़क वाली डांग	रूरल रोड	3.50	—	0.01
6.	सम्पर्क मोरोली	—	3.50	0.42	—
7.	सम्पर्क ओडेल गद्दी	—	1.75	0.31	—
8.	सम्पर्क बाराबाडी	—	3.50	—	—
9.	नगर परिषद क्षेत्र भरतपुर में सड़कों का सुधार कार्य	अरबन रोड	10.00	0.60	1.76
10.	सम्पर्क सड़क कुर्का	निर्बन्ध राशि	2.50	0.07	—
11.	सम्पर्क पुरवाई खेडा	—	3.00	0.17	—
12.	सम्पर्क खरेरी	—	1.00	0.01	—
13.	सम्पर्क बागरैन	—	1.50	0.09	—

1	2	3	4	5	6
14.	बयाना नगर पालिका सड़कों की मरम्मत कार्य	नेहरू रोजगार योजना	1.50	—	0.13
15.	बैर —	—	0.75	—	0.13
16.	भुसावर —	—	0.75	—	0.13
	खण्ड-द्वितीय-भरतपुर				
17.	सम्पर्क सड़क कथौल	निर्बन्ध राशि	8.00	2.17	0.11
18.	सम्पर्क सामलेर	—	3.00	1.60	0.37
19.	सम्पर्क पापरा	—	7.50	1.50	0.12
20.	सम्पर्क हुरेफुरा	—	1.50	0.17	—
21.	सम्पर्क ऐचेरा	—	10.00	4.90	1.05
22.	सम्पर्क रायसीस	—	3.50	2.18	1.16
23.	सम्पर्क बरौलीरान	—	5.75	1.49	0.56
24.	सम्पर्क बरखेड़ा	—	5.00	3.24	0.48
25.	सम्पर्क अवार	—	0.50	0.11	0.09
26.	सम्पर्क सड़क कनवाडा से कदमखण्डी	निर्बन्ध राशि	3.27	0.36	0.37
27.	नगर पालिका क्षेत्र में सड़क मरम्मत सुधार के निर्माण कार्य-डीग	नेहरू रोजगार योजना	1.50	1.87	0.80
28.	सम्पर्क कामां	—	1.25	0.44	0.78
29.	सम्पर्क नदबई	—	0.75	0.08	0.20
30.	सम्पर्क कुम्हेर	—	1.00	0.42	0.56
31.	सम्पर्क नगर	—	0.75	0.09	0.12
32.	कामा से नौनेरा वाया सतवास पतवारी	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	37.50	3.14	7.49
33.	मिसिंग लिंक झझांर से खोरी	—	10.50	1.55	3.24
34.	— नगर से सुन्दरावली	—	5.00	1.06	1.66
35.	— बदरामदा से भदीरा	—	10.00	0.14	—
36.	— नदबई से बरौलीरान	—	18.75	0.57	—
37.	— सड़क सहेडा	—	3.50	1.62	0.38
		कुल योग—	224.77	31.57	22.50

कामेरी बांध (सिरोही)

98. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही का कामेरी बांध निर्माण के बाद पहली वर्षा में ही पूरा नहीं भरने के बावजूद टूट गया ?

(2) क्या सरकार ने बांध के टूटने की कोई जांच करवाई ? यदि हां, तो उक्त बांध के टूटने के क्या कारण रहे ? कौन दोषी पाया गया तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) बांध के पुनर्निर्माण की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) यह बांध 4 जुलाई, 1990 को पूर्ण भराव क्षमता (एफ.टी.एल.) तक भरने के लगभग सात घंटे बाद में लगभग 97 मीटर की लम्बाई में टूटा।

(2) जी हां। उक्त बांध के टूटने के सम्बन्ध में जांच हेतु राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 27/19 सिचाई/90 दिनांक 18-7-90 द्वारा एक जांच समिति गठित की गई थी। जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है। जांच रिपोर्ट अभी विचाराधीन है इस पर निर्णय लेने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(3) जांच रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेने के पश्चात एवं बजट आवंटित होने पर बांध के क्षतिग्रस्त भाग पुनर्निर्माण किया जायेगा।

झालावाड़ ग्रोथ सेन्टर का विस्तृत ब्योरा के विवरण की सूची

झालावाड़ ग्रोथ सेन्टर की स्थापना हेतु राष्ट्रीय राज मार्ग नम्बर 12 पर झालावाड़ से 7 किलो मीटर की दूरी पर 1460 एकड़ भूमि का चयन कर ग्रोथ सेन्टर के विकास हेतु सम्पूर्ण परियोजना रिपोर्ट, जिसकी लागत 30 करोड़ रुपये है, की रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई है। इस क्षेत्र में 683.34 एकड़ भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ, 35 एकड़ भूमि का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ एवं 47.68 एकड़ भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ नियोजन किया गया है, जिसकी विकास के मद में कुल 30 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

इस ग्रोथ सेन्टर में निम्न प्रकार के उद्योगों के आने की सम्भावना है :—

(1) फ्रुट्स प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज।

(2) दाल मिल।

(3) आयल मिल।

(4) चमड़े का शोधन एवं जूते बनाने की इण्डस्ट्रीज।

(5) बोन क्रसिंग।

(6) स्टोन क्रसिंग यूनिट ।

(7) फेब्रिकेशन वर्क ।

(8) एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्टस ।

(9) इलेक्ट्रोनिक्स यूनिट्स ।

रीको द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होते ही तीव्र गति से कार्य चालू किया जावेगा ।

ग्रोथ सेन्टर झालावाड़ को भूमि

99. **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा झालावाड़ में ग्रोथ सेण्टर की मंजूरी दो वर्ष पूर्व दे दी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिला प्रशासन द्वारा ग्रोथ सेण्टर के लिए आवश्यक भूमि भी उपलब्ध करवा दी गयी थी ? अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(3) ग्रोथ सेण्टर के बारे में विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) झालावाड़ में ग्रोथ सेण्टर की स्थापना हेतु 1460 एकड़ भूमि का चयन कर ग्रोथ सेण्टर के विकास हेतु सम्पूर्ण परियोजना रिपोर्ट जिसकी लागत रुपये 30 करोड़ है, तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई थी ।

(3) भारत सरकार से परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ कर विकास कार्य प्रारम्भ किया जावेगा । विस्तृत ब्यौरा के लिये विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

नोट-तारांकित प्रश्न संख्या 100 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 84 समान होने के कारण अध्यक्षीय आदेशानुसार तारांकित प्रश्न संख्या 84 के साथ ही सदन में ले लिया गया था ।

चौहटन तहसील में रोहिड़ा पेड़ की कटाई

101. **श्री अमीन खां** (शिव): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर क्षेत्र में सिर्फ रोहिड़ा ही एक कीमती पेड़ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि चौहटन तहसील में इस पेड़ की कटाई अत्यधिक संख्या में हो रही है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोक-थाम हेतु क्या प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि चौहटन तहसील से जयपुर में रोहीड़े की लकड़ी

(श्री अमीन खां)

ट्रकों से लाई जा रही है ? पिछले एक वर्ष में इस पेड़ की कटाई के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। चौहटन तहसील से रोहिड़ा के पेड़ों की कटाई अत्यधिक नहीं हो रही है।

(3) यह सही नहीं है कि चौहटन तहसील से रोहिड़ा काटा जाकर लकड़ियां ट्रकों से जयपुर लाई जा रही हैं पिछले एक वर्ष में केवल तीन प्रकरण बने थे जिनका सक्षम न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है।

वर्ष 1991-92 में खोले गये प्राथमिक विद्यालय

102. श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) श्री हरिसिंह (महुआ) एवं श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में वर्ष 1991-92 में कितने प्राथमिक विद्यालय खोले गये ? पंचायत समितिवार खोले गये विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए सरकार के क्या मापदण्ड निर्धारित किये हुए हैं ?

(3) उक्त खोले गये प्राथमिक विद्यालयों में से कितने प्राथमिक विद्यालय बालिकाओं के लिए खोले गये हैं ?

(4) क्या पूर्व में जिन प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों को बन्द कर दिया गया था उनके स्थान पर ही प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं ? यदि हां, तो पूर्व के बन्द किये गये शिक्षा केन्द्रों में से किस-किस के स्थान पर प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गयी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1991-92 में कुल 1379 प्राथमिक विद्यालय खोले गये जिनकी सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय खोलने के निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये हुए हैं:–

रेगिस्तान/पहाड़ी क्षेत्र	150 की आबादी
मैदानी क्षेत्र	250 की आबादी

परन्तु वित्तीय साधनों के अभाव में ऐसे सभी गांवों में विद्यालय नहीं खोले जा सके हैं।

(3) कुल 20 प्राथमिक विद्यालय पालिकाओं (शहरी क्षेत्र) में खोले गये

(पंचायत राज राज्य मंत्री)

जिनकी सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं, कतिपय शिक्षा केन्द्रों के अलावा अन्य स्थानों पर भी प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं। जिन शिक्षा केन्द्रों के स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उप-खण्ड सिणधरी के ग्राम आडेल में 33 के. वी. स्टेशन

103. **श्रीमती मदन कौर** (गुढ़ामालानी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने बाड़मेर जिले के ग्राम आडेल (उप-खण्ड सिणधारी) में 33 के. वी. का स्टेशन स्थापित करने की निविदा स्वीकृत कर काम चालू करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) यह कार्य कितना किया जा चुका है और कितना शेष है ? क्या सरकार इस कार्य की प्रगति से संतुष्ट है ? यदि नहीं तो अब इस कार्य को द्रुतगति से पूरा करने हेतु सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बाडमेर जिले के ग्राम आडेल (उपखण्ड सिणधरी) में 33/11 के. वी. का सब-स्टेशन स्थापित करने के लिये इस वर्ष अभी तक कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई और ना ही सब स्टेशन का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

(2) उक्त कार्य इस वर्ष के कार्यक्रम में माह फरवरी, 1992 में कार्य निष्पादन हेतु सम्मिलित किया गया है। अब निर्माण कार्य इसी वर्ष प्रारम्भ किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

मूण्डवा क्षेत्र की सड़कों का डामरीकरण

104. **श्री हबीबुर्रहमान** (मूण्डवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मूण्डवा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का कच्ची सड़कों के डामरीकरण का विचार है ? यदि हां, तो कब तक कितने ग्रामीण कस्बों की सड़कों का डामरीकरण करा दिया जायेगा ?

(2) वर्ष 1991-92 के दौरान मूण्डवा क्षेत्र के अन्तर्गत सरकार ने पक्की सड़कों के निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कच्ची सड़कों का डामरीकरण करना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(2) मूण्डवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1991–92 में कोई सड़क कार्य स्वीकृत नहीं किया गया। वर्ष 1989–90 में स्वीकृत निम्न दो सड़क कार्यों के निर्माण हेतु वर्ष 1991-92 में रु. 4.75 लाख की राशि व्यय करने का प्रावधान रखा गया है।

1. अपग्रेडेशन आफ सड़क रु 0.50 लाख मूडवा से आसोपा (पार्ट लेन्थ)

2. अपग्रेडेशन ऑफ सड़क रु. 4.25 लाख खींवसर से भावंडा (पार्ट लेन्थ)

रु. 4.75 लाख

छबड़ा क्षेत्र की लघु सिंचाई योजनाएं

105. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छबड़ा क्षेत्र की लघु सिंचाई योजनाएं उतावली व फलिया कब से स्वीकृत है? इसका कार्य कब शुरू किया गया था और इस पर अब तक कितनी राशि व्यय हुई है?

(2) उक्त योजनाएं कब तक पूरी करने की सरकार की योजना है?

उत्तर

(1) इनको वर्ष 84-85 में एन. आर. ई. पी. मद के अन्तर्गत स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ करवाया गया था। उक्त मद में माह मार्च, 90 तक कार्य करवाया गया। वर्ष 90–91 में उक्त योजनाओं पर जवाहर रोजगार योजना मद में कार्य करवाया गया। माह मार्च, 91 तक कुल राशि क्रमश: 18.25 एवं 19.83 लाख रुपये व्यय हुई है। इस वर्ष 91–92 में बजट आवंटन नहीं हुआ है।

(2) यह वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर निर्भर है।

चूना भट्टा उद्योग को उद्योग श्रेणी की मान्यता

106. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार चूना भट्टा उद्योग को उद्योग की श्रेणी में मानती है? यदि हां, तो सरकार अन्य उद्योग की तरह अनुदान राशि चूना भट्टा उद्योग पर क्यों नहीं देती है?

उत्तर

जी हां।

सरकार चूना भट्टा उद्योग को उद्योग की श्रेणी में मानती है। अनुदान के लिए सभी प्रकार के उद्योग पात्र नहीं हैं। नये उद्योगों को राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1990 के अनुसार अपात्रता रखने वाले उद्योगों को अनुदान देय नहीं है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 5-9-90 के साथ प्राप्त लिस्ट "बी" के

(उद्योग मन्त्री)

आइटम संख्या 10 के अनुसार "फ्लाई एश" से निर्मित ईंटों पर तो अनुदान देय है परन्तु साधारण ईंट एवं चूना भट्टा पर अनुदान देय नहीं है।

पंचायत समिति मसूदा में इंजन की चोरी

107. **श्री किशन गोपाल कोगटा** (मसूदा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति, मसूदा मुख्यालय में दो इंजन चोरी हो गये थे ?

(2) क्या सरकार ने इस चोरी की कोई विभागीय जांच करवाई ? यदि हां, तो उसमें कौन दोषी पाया गया ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की ?

(4) क्या सरकार दोषी कर्मचारियों को निलम्बित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट में तत्कालीन विकास अधिकारी श्री ताराचन्द बाकलीवाल, श्री पुखराज ड़ोसी सेवानिवृत स्टोरकीपर और श्री शान्तिलाल गुप्ता, लिपिक दोषी पाये गये। रिपोर्ट की प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, जिला परिषद, अजमेर को दिये जा चुके हैं।

(4) तत्कालीन विकास अधिकारी की सेवाएं कृषि विभाग में लौटाई जा चुकी हैं जिन्हें यह विभाग निलम्बित नहीं कर सकता। स्टोरकीपर सेवानिवृत हो चुका है और एक लिपिक ही शेष है, जिनके विरुद्ध जांच रिपोर्ट में ऐसे कोई गम्भीर आरोप नहीं हैं कि उसे निलम्बित किया जाये।

टोडाभीम क्षेत्र की सहकारी समिति द्वारा विद्युत कनेक्शन

108. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र की सहकारी समिति ने वर्ष 1990 से लेकर अब तक कितने विद्युत कनेक्शन दिये हैं ?

(2) कुल कितने ट्रांसफारमर बांटे गये उनमें से कितने खराब हैं ? तथा खराब ट्रांसफार्मर कब तक ठीक करवा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990 से अब तक टोडाभीम विद्युत सहकारी समिति द्वारा कुल 395 विद्युत कनेक्शन दिये गये ।

(2) टोडाभीम विद्युत सहकारी समिति द्वारा वर्ष 1986–87 से अब तक कुल 238 ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं । इनमें से 6 ट्रांसफार्मर खराब हैं जिनको ठीक करने का कार्य प्रगति पर है ।

जिला बांसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में रेफरल हास्पिटल

109. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कितने रेफरल हास्पिटल व कितने मिनी पी. एच. सी. हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) बांसवाड़ा जिले के रेफरल हास्पिटल्स व मिनी पी. एच. सी. में पृथक-पृथक कितने पद डाक्टर व कम्पाउण्डरों के स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में डाक्टर्स के रिक्त पदों की पूर्ति जनहित में शीघ्र करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाडा जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कुल 42, प्रा. स्वा. केन्द्र एवं 8 रैफरल अस्पताल है ।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) प्रश्न के भाग एक की सूची में अंकित हैं ।

(3) जी हां, डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

क्र. सं.	संस्था का नाम	कनिष्ठ विशेषज्ञ	वरिष्ठ चि. अ.	चिकित्सा अधिकारी	मे. नर्स ग्रे-I	मेल नर्स ग्रे-II
1	2	3	4	5	6	7
1.	रैफरल अस्पताल, तलवाडा	2	1	3	—	2
2.	रैफरल अस्पताल, प्रतापपुरा	4	2	2	2	2
3.	रैफरल अस्पताल, कुशलगढ़	4	2	3	3	5
4.	रैफरल अस्पताल, बागीडोरा	2	1	2	2	4
5.	रैफरल अस्पताल, घाटोल	—	2	1	1	5
6.	रैफरल अस्पताल, छोटा डूंगला	2	1	3	1	2
7.	रैफरल अस्पताल, गनोडा	2	1	3	1	4
8.	रैफरल अस्पताल, आनन्दपुरी	2	2	—	1	4
9.	मिनी, पी. एच. सी., गोपीनाथ का गढा	—	—	1	—	2
10.	पी. एच. सी. घालकिया	—	—	1	—	1
11.	मिनी पी. एच. सी., सलापोट	—	—	1	—	2
12.	मिनी पी. एच. सी., कसारवाडा	—	—	1	—	1
13.	मिनी प्रा. स्वा. केन्द्र, आरथूना	—	—	1	—	1
14.	प्रा. स्वा. केन्द्र, नौगांवा (नौगामा)	—	—	1	—	1
15.	प्रा. स्वा. केन्द्र, सरेडी बडी	—	—	1	—	2
16.	प्रा. स्वा. केन्द्र, लुहारिया	—	—	1	—	1
17.	प्रा. स्वा. केन्द्र, मोखमपुरा	—	—	1	—	1
18.	प्रा. स्वा. केन्द्र, चान्दरवाडा	—	—	1	—	1
19.	प्रा. स्वा. केन्द्र, गढी	—	—	1	—	3
20.	प्रा. स्वा. केन्द्र, चन्दू जी का गुढा	—	—	1	—	1
21.	प्रा. स्वा. केन्द्र, दानपुरा	—	—	1	—	1
22.	प्रा. स्वा. केन्द्र, सुज्जनगढ	—	—	1	—	2
23.	प्रा. स्वा. केन्द्र, खमेरा	—	—	1	—	1
24.	प्रा. स्वा. केन्द्र, भीमपुर	—	—	1	—	1
25.	प्रा. स्वा. केन्द्र, वदरेल	—	—	1	—	1
26.	प्रा. स्वा. केन्द्र, कलिंजरा	—	—	1	—	1

1	2	3	4	5	6	7
27.	प्रा. स्वा. केन्द्र, पीपलखूंट	—	—	1	—	1
28.	प्रा. स्वा. केन्द्र, नाहरपुरा	—	—	1	—	2
29.	प्रा. स्वा. केन्द्र, छोटी सरवा	—	—	1	—	2
30.	प्रा. स्वा. केन्द्र, बडौदिया	—	—	1	—	1
31.	प्रा. स्वा. केन्द्र. जोलाना	—	—	1	—	1
32.	प्रा. स्वा. केन्द्र, घोडी तेजपुर	—	—	1	—	2
33.	प्रा. स्वा. केन्द्र, घंटाली	—	—	1	—	1
34.	प्रा. स्वा. केन्द्र, शेरगढ़	—	—	1	—	2
35.	प्रा. स्वा. केन्द्र, गांगरतलाई	—	—	1	—	2
36.	प्रा. स्वा. केन्द्र, केला मेला	—	—	1	—	2
37.	प्रा. स्वा. केन्द्र, सुखानिया	—	—	1	—	2
38.	प्रा. स्वा. केन्द्र, नयागांव	—	—	1	—	2
39.	प्रा. स्वा. केन्द्र, ओडवाड़ा	—	—	1	—	2
40.	प्रा. स्वा. केन्द्र, देवडा	—	—	1	—	2
41.	प्रा. स्वा. केन्द्र, अजना	—	—	1	—	2
42.	प्रा. स्वा. केन्द्र, खोडन	—	—	—	—	2
43.	प्रा. स्वा. केन्द्र, देलवाड़ा	—	—	1	—	2
44.	प्रा. स्वा. केन्द्र, देवरा	—	—	1	—	2
45.	प्रा. स्वा. केन्द्र, बोरी	—	—	1	—	1
46.	प्रा. स्वा. केन्द्र, भूंगड़ा	—	—	1	—	1
47.	प्रा. स्वा. केन्द्र, कोटड़ा	—	—	1	—	2
48.	प्रा. स्वा. केन्द्र, पलोदा	—	—	1	—	2
49.	प्रा. स्वा. केन्द्र, ताम्बेसरा	—	—	1	—	1
50.	प्रा. स्वा. केन्द्र, छींछ	—	1	1	—	2

बीसलपुर बांध की नहरों का निर्माण

110. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)** : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीसलपुर बांध की नहरों के निमर्णा के सर्वे पर अब तक कितनी राशि किस-किस कार्य के लिये व्यय की जा चुकी है ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) अब तक नहरों का कार्य प्रारम्भ नहीं करने का क्या कारण है, अब नहरों का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा और उस पर कितना व्यय प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बीसलपुर बांध की नहरों के निर्माण हेतु सर्वेक्षण पर व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	वर्ष	नहरों के एलाइनमेंट सर्वे पर व्यय (लाख रुपये)	सिंचित क्षेत्र के सर्वेक्षण पर व्यय (लाख में)	सर्वेक्षण पर कुल व्यय (लाख में)
1.	1988--89	0.56	38.67	31.23
2.	1989--90	8.38	29.23	37.61
3.	1990--91	4.26	15.26	19.52
4.	1991--92	2.46	22.75	25.21
	(जनवरी, 92 तक)	15.66	97.91	113.57

(2) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार प्रथम चरण में बांध का निर्माण कार्य पूरा कर केवल अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ आदि शहरों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है । प्रथम चरण में सिचाई सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के कोई प्रावधान नहीं होने के कारण अब तक नहर निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है । योजना का संशोधित प्रारूप माह नवम्बर, 91 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत कर दिया गया है जिसके अनुमोदन के पश्चात वर्ष 92--93 में नहरों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है । संशोधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार नहर निर्माण पर कुल व्यय रुपये 125.90 करोड़ (1991 के मूल्यों पर) होगा । विवरण प्रपत्र "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

बीसलपुर परियोजना के नहर निर्माण पर होने वाले अनुमानित व्यय का विवरण
(1991 के मूल्यों पर)

(अ) निर्माण कार्य	करोड़ रुपयों में
1. दायी मुख्य नहर (लम्बाई 96 कि. मी.)	51 . 10
2. वितरिकाएं (लम्बाई लगभग 550 कि. मी.)	47 . 60
3. वाटर कोर्सेज	6 . 38
4. ड्रेनेज एवं प्रोटेक्विट वर्क्स इत्यादि	5 . 81
निर्माण कार्यों की कुल अनुमानित लागत	110 . 89
(ब) अन्य व्यय	
संस्थापन, उपकरण, मशीनरी तथा अंकेक्षण एवं लेखों सम्बन्धी अप्रत्यक्ष व्यय इत्यादि	14 . 98
नहर निर्माण की कुल लागत	125 . 87
यथा	126 . 00 रोकड़ रुपये

जोधपुर शहर की आवासीय बस्तियों में उद्योगों से प्रदूषण

111. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आवासीय बस्ती में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कानूनन प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो सरकार के क्या-क्या आदेश इस बाबत हैं ? आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि रामबाग स्कीम महामंदिर रेल्वे स्टेशन के पास जोधपुर की आवासीय बस्ती में तम्बाकू उद्योग, निवार फैक्ट्री, दाल मिल, मसाला उद्योग आदि लगे हुये हैं ? यदि हां, तो किस कानून व नियमों के तहत ? विवरण आदेशों की प्रतिलिपि सहित सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि इन उद्योगों के मालिकों को औद्योगिक क्षेत्र में भू-खण्ड आवंटित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उपरोक्त उद्योग आवासीय बस्ती में बंद करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत उद्योगों को स्थापित होने पर प्रतिबन्ध लगाने की कानूनी शक्ति राज्य सरकार में निहित नहीं हैं । पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 6, 2 (ई) सहपठित नियम 5, 2 (3) बी. सी. डी., के अन्तर्गत उद्योगों पर प्रतिबन्ध लगाने की कानूनी शक्ति केन्द्र सरकार के पास निहित है ।

(2) जी हां । विभाग द्वारा लघु उद्योगों कि स्थापना के पश्चात उनका पंजीयन विकास आयुक्त, लघु उद्योग, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुरूप किया जाता है । विकास आयुक्त भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश की प्रति संलग्न है ।

(3) एक इकाई को चार हजार वर्गमीटर को भूखण्ड औद्योगिक क्षेत्र मण्डोर में आवंटित किया गया है । आवासीय बस्तियों में पूर्व से ही स्थापित उद्योगों को बंद कर अन्यत्र स्थानान्तरित करने बाबत कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है ।

No. 5 (1)/91–SSI Board
Government of India
Ministry of Industries
(Department of Small Scale Industries & ARI)
office of the Depelopment Commissioner (SSI)

7th Floor, Nirman Bhawan,
New Delhi the 16th August, 1991

1. Secretary (Industries)
2. Commissioner/Director of Industries
   All States & Union Territories

Subject :–Item on the Restricted List–Withdrawal of.

Sir,

In view of the liberalised policy of the Government of India laid in the Parliament on 24.7.1991, it has been decided to withdraw all items from the restricted list of this office. In other words, there is no restriction in setting up of a small scale unit for the manufacture of any item anywhere in the country except for the items which are compulsarily licensable under Notification No. S.O. 477 (E) dated 25th July, 1991, issued by Department of Industrial Development. The new entrepreneurs a may, however, be advised to keep in mind the scarce avaliablity of raw materials before setting up units, which were till now included in the Eestricted list.

This supersedes all previous instructions/letters on the subject of items on the restricted list.

Yours faithfully,
Sd/-
(N.P. Bhatnagar)
Asstt. Director (SSI Board)
for Development Commissioner
(Small Scale Industries)

Directorate of Industries

Udyog Bhawan, Tilak Marg, Rajasthan, Jaipur

No. P 15/1/(SSI) Ind./91 Dated 22-8-91

Copy forwarded to the following for information and necessary action :—

1. The General Manager District Industries Centre,...............
2. The District Indutstries Officer Growth Centre,...................
3. All Officers of the Directorate.

A note on the prov registration should be made in respect of items which were included in the list restricted list dated 12.9.88 that the department will not be responsible in any way for providing raw-materialx.

Sd/-

Dy. Director, Industries

Items which are compulsarily Licensable under notification No. S.O. 477 (E) Dated 25.7.1991

1. Coal and Lignite.
2. Patroleum (other the Crude) and its distilation products.
3. Distillation an brewing of alcoholic drinks.
4. Sugar.
5. Animal fats and Oils.
6. Cigars and Cigarattes of tobacco and manufactured tobacco suostitutes.
7. Asbestos and asbestos-based products.
8. Plywood, decorative veneers, and other wood based products such as particle board, medium density fibre board, block opard.

9. Raw hides and skins, Jeather, chamois leather and potent leather.

10. Tanned or dressed furskins.

11. Motor cars.

12. Paper and newsprint except bagasse bassed units.

13. Electronic aerospace and defence equipment, all types.

14. Industrial explosive, including detonating fuse, sefety fuse, gun powers, nitrocellulose and matches.

15. Hazardons chemicals.

16. Drugs and pharmaceuticals (according to Drug Policy).

17. Entertainment Electronics, (VCRs, Colour T.Vs, C.D. Players, Tape Recorders)—

18. hite Goods (Domestic Refrigerators, Domestic Dish-washing machines, progrmmable Domestic washing Machines, Microwave Overns, Airconditioners.)

Note : The compulsory licensing provisions would not apply in respect of the small scale units taking up the manufacture of any of the above items reserved for exclusive manufacture in small scale sector.

पंचायत समिति चिड़ावा में अध्यापक की पुनः नियुक्ति

112. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी): क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा चुनाव लड़ने हेतु पंचायत समिति चिड़ावा, जिला झुंझुनू के अध्यापक श्री सागरमल सैनी ने राजकीय सेवा से अपना त्याग पत्र दे दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि लम्बे अन्तराल के बाद उन्हें पुनः राजकीय सेवा में ले लिया गया है और क्या इस बीच की अवधि को नियमित कर दिया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि बिना किसी प्रकार की सरकारी सेवा के उन्हें इस अवधि का वेतन तथा अन्य परिलब्धियां भी स्वीकृत की जा चुकी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

ग्राम बुडसू, पंचायत समिति, मकराना में 33 के.वी. सब-स्टेशन

113. **श्री बिरधा राम चौधरी** (मकराना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकराना पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम बूडसू में 33 के.वी. सब-ग्रिडस्टेशन बनाने की मांग जनता एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जाती रही है ? यदि हां, तो कब-कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किसानों की आवश्यकता व मांग को देखते हुए ग्राम बूडसू में 33 के. वी. सब-ग्रिडस्टेशन के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ? अब कब तक सरकार इसकी स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। मकराना पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम बूडसू में 33 के.वी. सब स्टेशन निर्माण हेतु किसान संघर्ष समिति एवं जन-प्रतिनिधि द्वारा मांग की गई थी। पत्रों का विवरण निम्नानुसार है :—

1. किसान संघर्ष समिति द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 21.1.1992

2. किसान संघर्ष समिति द्वारा मुख्य अभियन्ता को सम्बोधित पत्र दिनांक 21.1.92

3. माननीय विधायक द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय को सम्बोधित पत्र दिनांक 21.1.1992

(ऊर्जा मंत्री)

(2) मकराना पंचायत समिति के ग्राम बूंडस् के लिये ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना ओ.ए. स्कीम कोड नं. 170744 मार्च, 1991 में स्वीकृत करवाई गई थी। यह योजना वर्ष 1991–92 के 33 के.वी. कार्य योजना में कार्य निष्पादन हेतु सम्मिलित नहीं है। निर्माण कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं 33 के.वी. की वार्षिक योजना में सम्मिलित होने के पश्चात् ही शुरू किया जाना संभव हो सकेगा।

घरियावद माडवी सड़क पर पुलियों का निर्माण

114. **श्री नारायणलाल** (लसाडिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार ने घरियावद माडवी सड़क पर, जाखम नदी पर एवं मूगणा से बोरिया सड़क पर वजेर नदी पर पुलियों के निर्माण की निविदा स्वीकृत की है ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

घरियावद माण्डवी सड़क पर जाखम नदी पर पुलिया निर्माण हेतु निविदायें प्राप्त की जा चुकी हैं तथा स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है।

मूगणा से बोरिया सड़क पर बडोल नदी पर एवं अन्य छोटे नालों पर पुलियाओं के निर्माण हेतु निविदायें दिनांक 17.12.91 को प्राप्त कर स्वीकृत कर दी गई है, तथा 20-2-1992 को कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

सिंचाई खण्ड सवाईमाधोपुर में रख रखाव पर व्यय

115. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग खण्ड सवाईमाधोपुर में वर्ष 1990-91 व 1991-92 में कितनी धनराशि नहरों के रख-रखाव व मरम्मत के लिये स्वीकृत की गई एवं स्वीकृत राशि किस-किस तालाब की नहर की मरम्मत व रख-रखाव के लिये खर्च की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सही है कि नहरों के रख-रखाव व मरम्मत की बजट राशि आने से पूर्व ही नहरों में पानी छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो बजट राशि को खर्च करने का क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) इस खण्ड को मरम्मत व रख-रखाव के बजट के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 69.48 लाख रुपये आवंटित किये गये, तथा वर्ष 1991–92 में रुपये 75.99

(सिंचाई मन्त्री)

लाख आवंटित किये गये हैं। वर्ष 1990–91 तथा वर्ष 1991–92 में विभिन्न तालाबों की नहरों की मरम्मत व रख-रखाव के कार्यों पर किये गये खर्च की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) नहरों के रख-रखाव व मरम्मत के प्रति आवश्यक कार्य नहरों में पानी छोड़ने से पूर्व कराये गये हैं, किन्तु भुगतान धनराशि के उपलब्धि के अनुसार किया गया है।

तालाबों की नहरों की मरम्मत एवं रख–रखाव पर किये गये खर्च की वर्षवार सूची :–

क्र. सं.	कार्य का नाम	1990--91 में व्यय	1991--92 में व्यय	विशेष\विवरण
1	2	3	4	5
1.	सूरवाल बांध की मेन कैनाल व माइनरों के रख रखाव व मरम्मत के कार्यों पर	91,102.00	8,580.00	
2.	ढील बांध की मेन कैनाल व माईनरों के रख-रखाव व मरम्मत के कार्यों पर	38,146.00	38.025.00	
3.	भगवतगढ़ बांधों की मेन कैनाल व माईनरों के रख-रखाव व मरम्मत के कार्यों पर	19,062.00	.5,280.00	
4.	मोरेल बांध की मेन कैनाल व माईनरों के रख-रखाव व मरम्मत के कार्यों पर	99,042.00	32,694.00	
5.	मान सरोवर बांध की मेन कैनाल व माईनरों के रख-रखाव के मरम्मत के कार्यों पर	35,728.00	—	वर्ष 1991-92 का भुगतान करना शेष है।
6.	देवपुरा बांध की मेन कैनाल व माईनरों के रख-रखाव व मरम्मत के कार्यों पर	7,920.00	—	,, ,,
7.	गिलाई सागर बांध की मेन कैनाल व माईनरों के रख-रखाव व मरम्मत के कार्यों पर	16,956.00	5,500.00	,, ,,

1	2	3	4	5
8.	मुई बांध की मेन कैनाल व माईनरों के रख-रखाव व मरम्मत के कार्यों पर	3,652.00	—	वर्ष 1991-92 का भुगतान करना शेष है।
9.	पांचोलालस बांधों की मेन कैनाल व माईनरों के रख-रखाव व मरम्मत के कार्यों पर	—	7,100.00	,, ,, ,,
10.	नीदर बांध की मेन कैनाल व माईनरों पर मरम्मत के कार्यों पर व्यय	39,940.00	59,004.00	
11.	कालीसील बांध की मेन कैनाल व माईनरों पर मरम्मत के कार्यों पर व्यय	17,350.00	2,99,168.00	
12.	विशनसमय बांधों की मेन कैनाल व माईनरों पर मरम्मत के कार्यों का व्यय	9,875.00	6,600.00	
13.	जगरामपुरा बांध की मेन कैनाल व माईनरों पर मरम्मत के कार्यों का व्यय	4,542.00	—	
14.	रूथपुरा बांध की मेन कैनाल व माईनरों पर मरम्मत के कार्यों का व्यय	12,087.00	10,978.00	
15.	मामवारी बांध की मेन कैनाल व माईनरों पर मरम्मत के कार्यों का व्यय	—	86,596.00	

1.	2.	3.	4.	5.
16.	जेरदा बांध की मेन कैनाल व माईनरों पर मरम्मत कार्यों का व्यय	—	12,004.00	
17.	बंध कोट की मेन कैनाल व माईनरों पर मरम्मत कार्यों का व्यय	—	19,800.00	
18.	बांध मीरा सागर की मेन कैनाल एवं माईनरों पर व्यय किया गया ।	39,336.00	75,776.00	शेष कार्यों का जो वर्ष 1990–91 में करवाये गये थे उसका भुगतान वर्ष 1991-92 में किया गया था ।
19.	मोरैल पूर्वी नहर की नहरों पर व्यय किया गया ।	48,026.00	13,027.00	
20.	नहर बंध चन्दापुरा	13,596.00		
21.	,, ,, बड़ा तालाब नवाज वाला	5,962.00		
22.	,, ,, तेलन वाला	6,930.00		
23.	,, ,, राम.तालाब	6,754.00		
24.	,, ,, बनिया वाला	6,798.00	6,996.00	
25.	,, ,, नाजिम वाला	4,554.00	7,216.00	
26.	,, ,, डोदा हेली	13,596.00	....	
27.	,, ,, न्यू टैंक केमा	13,002.00	19,576.00	
28.	,, ,, राम सागर	5,940.00	....	

1.	2.	3.	4.	5.
29.	नहर बंध तालुका	10,098.00	....	
30.	,, ,, रोंसी	6,072.00	6,050.00	
31.	,, ,, फतेह सागर	2,002.00	9,875.00	
32.	,, ,, मोहनपुरा	4,994.00	33,377.00	
33.	,, ,, चन्दापुरा	...	42,650.00	
34.	,, ,, रानीता	....	10,977.00	
35.	,, ,, बिनोरी सागर	....	27,369.00	
36.	,, ,, सिन्थोली	....	8,771.00	
37.	,, ,, सिगोलाव	....	3,872,00	
38.	,, ,, नाग तलाई	....	4,982.00	
39.	बांध जग्गर की मेन कैनाल एवं माईनरों के रख रखाव व मरम्मत के कार्यों पर व्यय किया गया।	1,82,630.00	2,13,928.00	शेष कार्यों का जो कि वर्ष 1990-91 में करवाया गया था, उसका भुगतान वर्ष 1991-92 में किया गया है।

परिशिष्ट—3

तारांकित प्रश्न संख्या 83 की सूची

औद्योगिक क्षेत्र सांचौर में उत्पादनरत औद्योगिक इकाईयों की सूची

क्र. सं.	इकाई का नाम	भूखण्ड संख्या
1.	मैसर्स सुरेश इण्डस्ट्रीज	जी 1-6/7
2.	मैसर्स एसोरटेड इण्डस्ट्रीज	जी 1-8/9
3.	मैसर्स स्वास्तिक प्लास्टर इण्डस्ट्रीज	जी 1-10/11
4.	मैसर्स भारत प्लास्टर	जी 1-12/13
5.	मैसर्स रानी जूरिया प्लास्टर	एच–17/18, 23/25
6.	मैसर्स आर. के. इण्डस्ट्रीज	एच–19/20, 21/22
7.	मैसर्स श्री बालाजी प्लास्टर	एच–32 से 39
8.	मैसर्स सुशील इण्डस्ट्रीज	एफ–108
9.	मैसर्स महालक्ष्मी ऑयल इण्डस्ट्रीज	एफ–110
10.	मैसर्स सिंघवी मार्बल्स इण्डस्ट्रीज	जी 1-115
11.	मैसर्स डीजल ऑयल एलाइड इण्डस्ट्रीज	जी 1-120
12.	मैसर्स किशन ऑयल इण्डस्ट्रीज	जी 1-121
13.	मैसर्स श्री राम मार्बल्स	जी 1-121 (ए)

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 157 की सूची

पिछले दो वर्षों में रोजगार कार्यालय, चित्तौड़गढ़ के माध्यम से रोजगार प्राप्त आशार्थियों की सूची :—

क्र सं.	विभाग का नाम	रोजगार प्राप्त आशार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	प्रशासनिक अधिकारी, हैवीवाटर	1
2.	अणुशक्ति जिला चित्तौड़गढ़	52
3.	निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	5
4.	जिला आयुर्वेद अधिकारी, चित्तौड़गढ़	1
5.	मैनेजर, बैंक आफ बड़ोदा, चित्तौड़गढ़	7
6.	प्रबन्धक, हिन्दुस्थान जिंक लि., चित्तौड़गढ़	44
7.	प्रबन्धक, हिन्दुस्थान जिंक लि., चित्तौड़गढ़	325
8.	शिक्षा उपनिदेशक (महिला) उदयपुर	20
9.	शिक्षा उपनिदेशक (पुरुष) उदयपुर	23
10.	निदेशक, संस्कृत विभाग, जयपुर	7
11.	बिरला शिक्षा केन्द्र, चित्तौड़गढ़	2
12.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.) चित्तौड़गढ़	143
13.	जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) चित्तौड़गढ़	11
14.	जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) चित्तौड़गढ़	36
15.	जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र)	17
16.	विकास अधिकारी, डूंगला	21
17.	विकास अधिकारी, छोटी सादड़ी	10
18.	विकास अधिकारी, बड़ी सादड़ी	9
19.	विकास अधिकारी, बेगूं	13
20.	विकास अधिकारी, गंगरार	2
21.	विकास अधिकारी, चित्तौड़गढ़	2

1	2	3
22.	विकास अधिकारी, भदेसर	35
23.	विकास अधिकारी, भैसरोड़गढ़	10
24.	विकास अधिकारी, कपासन	7
25.	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग, भीलवाड़ा	10
26.	आचार्य नवोदय विद्यालय, मण्डफिया	1
27.	आकाशवाणी चित्तौड़गढ़	1
28.	प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, चित्तौड़गढ़	13
29.	यूनाईटेड़ इण्डिया लि. चित्तौड़गढ़	2
30.	दी न्यू इण्डिया लि., चित्तौड़गढ़	2
31.	यूनाईटेड इण्डिया लि., चित्तौड़गढ़	1
32.	डाक घर चित्तौड़गढ़	1
33.	सीमा शुल्क चित्तौड़गढ़	1
34.	मीना आई.टी.आई., चित्तौड़गढ़	1
35.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, प्रतापगढ़	19
36.	निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर	2
37.	समलेत इण्डिया लि. भीवाड़ी	31
38.	नवोदय विद्यालय, चित्तौड़गढ़	1
39.	नगरपालिका चित्तौड़गढ़	1
40.	सहायक कार्मिक अधिकारी, 518 आर.ए.पी.पी.	5
41.	अणुशक्ति जिला चित्तौड़गढ़	50

योग :—935

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 162 का विवरण

सन् 1990-91 में वन विभाग द्वारा रेन्ज सिवाना, सिणधरी में करवाये गये वृक्षारोपण कार्यों की विवरण सूची :—

(अ) सिवाना रेन्ज

क्र. सं.	नाम कार्य	क्षेत्रफल (है.)	कार्य का प्रकार
1.	मोकलसर	40	परिभाषित वनों का पुनरोपण
2.	दन्ताला	50	,,
3.	मवडी	50	,,
4.	बीणीलिया	50	,,
5.	गोलिया	6	जल स्रोत वृक्षारोपण
6.	सेला	6	,,
7.	मीमगोडा	11	,,
8.	कुसीप	5	,,
9.	अर्णीथाना	2	,,
10.	ग्रामसीन	10	ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण
11.	मैली	15	,,
12.	साखरलाई	15	,,
13.	कुसीप	10	,,
14.	सनवडी	15	,,
15.	काठाडी	15	,,
16.	गसढ़ानाल	15	,,
17.	खण्डप	15	,,
18.	समदडी	50	परिभाषित वनों का पुनरोपण
19.	फूलन	50	,,
20.	मैली	50	,,
21.	काठाडी	50	,,

(ब) सिणधरी रेन्ज

क्र. सं.	नाम कार्य	क्षेत्रफल	कार्य का प्रकार
1.	सरणू-रावतसर	80 रो.कि.मी.	मार्ग वृक्षारोपण
2.	खुडाला	5 हैक्टर	जल स्रोत्र वृक्षारोपण
3.	खुडाला	3 हैक्टर	,,
4.	यदा	3 ,,	,,

1	2	3	4
5.	खुडाला	10 (हैं.)	जल स्रोत वृक्षारोपण
6.	अवाडोमानली	15 ,,	,,
7.	गागंली	15 ,,	,,
8.	पायला	10 ,,	,,

वन अधिकारियों के रिक्त पदों की सुची

1.	वन संरक्षक	1
2.	उप वन संरक्षक	9
3.	सहायक वन संरक्षक	2
4.	क्षेत्रीय	33
5.	वनपाल	60
6.	सहायक वनपाल	35
7.	वन रक्षक	370
		510

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 164 की सूची

		बांसवाड़ा		गढी		घाटोल		पीपलखूट		बागीदौरा		डूंगरा		
क्र. सं.	वर्ष 1991	श्रमिक संख्या	यूनिट	श्रमिक संख्या	यूनिट	श्रमिक संख्या	यूनिट	श्रमिक संख्या	यूनिट	श्रमिक संख्या	यूनिट	श्रमिक संख्या	यूनिट	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	जनवरी	451	9922	790	15031	—	—	83	1572	468	8427	—	—	34952
2.	फरवरी	436	9656	....	....	151	3319	122	2332	278	5281	286	5436	26024
3.	मार्च	496	10927	307	5334	343	6180	208	3736	613	13503	540	11869	51539
4.	अप्रेल	572	11433	....	....	881	16751	289	6075	658	12494	731	16070	62825
5.	मई	482	8683	211	4437	490	8817	267	5087	257	5646	303	5758	38428
6.	जून	207	4691	803	15267	324	6168	185	3526	....	....	....	....	29652
7.	जुलाई	12	137	5	91	....	....	....	....	30	654	46	1029	1911
8.	अगस्त	1130	22598	144	2899	6	107	....	....	....	....	1057	22527	48131
9.	सितम्बर	370	6676	25	507	473	10396	....	....	....	....	915	20088	37667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	अक्टूबर	260	5487	1487	26772	1055	21117	477	9075	1140	25059	860	18916	106425
11.	नवम्बर	86	1562	3	60	....	....	....	....	....	....	175	3309	4931
12.	दिसम्बर	156	2821	2	52	....	....	23	422	656	12476	....	....	15791
	योग	4711	94595	3777	70450	3723	72855	1654	31844	4100	83540	4913	1.04992	458271

वितरित खाद्यान –गेहूं 9165.52 क्विटल तेल 91655.2 लीटर मटर 916552 क्विटल

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 165 की सूची

झालावाड़ जिले में वर्ष 1990 से अब तक अवैध कटान में दोषी कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद	दण्ड का विवरण
1.	श्री प्रभू लाल कोली	सहायक वनपाल	आदेश संख्या 8622–32 दिनांक
2.	श्री बाबूलाल जाट	वन रक्षक	16-5-90 से एक-एक वेतन वृद्धि
3.	श्री अब्दुल खलीक	वन रक्षक	असंचित प्रभाव से रोकी गयी।
4.	श्री दीन दयाल	वन रक्षक	
5.	श्री नारायण सिंह	वनपाल	आदेश संख्या 9377–84 दिनांक
6.	श्री हरीश चन्द्र राव	वन रक्षक	26-5-90 से एक-एक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकी गयी।
7.	श्री श्रीलाल गोतम	वन रक्षक	आदेश संख्या 14701 दिनांक
8.	श्री नारायण लाल	वन रक्षक	24-8-90 से एक-एक वेतन वृद्धि
9.	श्री रामस्वरूप शर्मा	वन रक्षक	असंचित प्रभाव से रोकी गयी।
10.	श्री गोपाल लाल	वनपाल	आदेश संख्या 15737 दिनांक
11.	श्री बजरंगलाल शर्मा	वन रक्षक	13-9-90 से दो-दो वेतन वृद्धियां
12.	श्री पन्नालाल मीणा	वन रक्षक	असंचित प्रभाव से रोकी गयी।
13.	श्री मुन्शी लाल	वन रक्षक	
14.	श्री बन्शीलाल मेवाड़ा	वन रक्षक	आदेश संख्या 7920–27 दिनांक
15.	श्री खुपानसिंह	वन रक्षक	4-5-90 से दो-दो वेतन वृद्धियां
16.	श्री लक्ष्मीनारायण नाई	वन रक्षक	असंचित प्रभाव से रोकी गयी।
17.	श्री बाबूलाल गूजर	सहायक वनपाल	आदेश संख्या 13815-22 दिनांक
18.	श्री ललित कुमार जैन	वन रक्षक	4-8-90 से दो-दो वेतन वृद्धियां
19.	श्री तेजमाल भील	वन रक्षक	असंचित प्रभाव से रोकी गयी।
20.	श्री रामा शकर गरेया	क्षेत्रीय	अनुशासनात्मक कार्यवाही
21.	श्री कैलाश चन्द्र जैन	सहायक वनपाल	विचाराधीन है।
22.	श्री रामलाल मीणा	वन रक्षक	,,
23.	श्री रामगोपाल चौरासिया	वनपाल	,,
24.	श्री नन्दकिशोर कोली	वन रक्षक	,,
25.	श्री दुर्गाशंकर शर्मा	वन रक्षक	,,

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 168 की सूचियां

बांसवाड़ा जिले के निम्न वनखण्डों के मौके पर मिनारे लगाकर डिमारेकशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

क्र.सं.	नाम व खण्ड	रेन्ज	वि.वि.	क्र.सं.	नाम व खण्ड	रेन्ज	वि.वि
1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
1.	नन्दीरमाता	बांसवाड़ा		21.	नागरंगातलाव पार्ट-ए.बी.सी.	,,	
2.	नखाई खा कोटड़ा पार्ट-ए. बी.	,,		22.	बारोघाटा दानपुर	,,	
3.	झरनिया छापरीया	,,		23.	बूढवा हमीरपुरा	,,	
4.	खोरामगढ़ महेशपुरा	,,		24.	हालादेव की डूंगरी	,,	
5.	धावडादरा	,,		25.	श्यामपुरा	,,	
6.	बाबादेव खजूरा पार्ट-ए. बी.	,,		26.	जमशेर जोगीमाल पार्ट-ए.बी.सी.डी.एच.	घाटोल	
7.	मोतजया सामरिया	,,		27.	भागतोल पार्ट-ए.बी.	,,	
8.	सीघपुरा पार्ट-ए.बी.	,,		28.	बढिताहिलेज पार्ट-ए. व सी.	,,	
9.	सरवनडेरी पार्ट-ए.बी.	,,		29.	आयजा	गढ़ी	
10.	हिन्डोलामाल	,,		30.	तलीमाखिया	,,	
11.	मेहडीमाल मण्डार	,,		31.	लोहारिया पार्ट-ए.बी.	,,	
12.	ढरतलिसर	,,		32.	धावड़िया तीरना	,,	
13.	बारोगला	,,		33.	माटोखान घाटीवाला पार्ट-बी.सी.ई.	,,	
14.	बोढ़रा	,,		34.	बजवाना	,,	
15.	गढ़ झासरियामाल	,,		35.	दौलतगढ़ पार्ट-ए.बी.	,,	
16.	भेटिया अम्बा नाल डबरी	,,		36.	परसौलिया	,,	
17.	कसुम्बर वाला सुरवानिया	,,		37.	बाबा कुवे वाला पार्ट-ए.बी.	,,	
18.	लीमथान	,,		38.	भंवरकोट	कुशलगढ़	
19.	बड़ा नान्दाखोह	,,		39.	पाडलावसूसी	,,	
20.	सवाईमाता भापरिया	,,					

क्र.सं.	नाम व खण्ड	रेन्ज	वि.वि.	क्र.सं.	नाम व खण्ड	रेन्ज	वि.वि.
1.	2.	3.	4.	1.	2.	3	4.
40.	कोटडी बगायचा पार्ट-ए.बी.	कुशलगढ़		56.	पाटडिया पार्ट-ए.बी.	डूंगरा	
41.	छापरी नागदा	,,		57.	चरक्नी करपदिया घाटा	,,	
42.	कोठारिया	,,		58.	हरेन्द्रगढ़ पार्ट-ए.बी.	,,	
43.	बिहारीपुरा	,,		59.	सारन	,,	
44.	गन्धर	,,		60.	भोमपुरा	,,	
45.	गलवानी	,,		61.	रतनपानल	,,	
46.	हल्दूपाड़ा उठवा पार्ट-ए.बी.	,,		62.	धारवा	,,	
47.	बोरबड़ी बस्सी	,,		63.	खजूरा	,,	
48.	कढ़वाली पोटलिया	,,		64.	मोराज	,,	
49.	खुश कुण्डिया	,,		65.	किशनपाड़ा	,,	
50.	खजूरावाला चूना	,,		66.	लागवारी भूतखोरा पार्ट-ए.बी.सी. पोपलखूंट बी.ई.	,,	
51.	बडली की रेल	,,		67.	बोरडाबजरा	बागीदोरा	
52.	काचला ताम्बेसरा	डूंगरा		68.	ढ़ातला	,,	
53.	कारमी पार्ट-ए.बी.	,,		69.	शीवपुरा सामन पार्ट-ए.बी.	,,	
54.	पोलनचाचा पार्ट-ए.बी.	,,		70.	पण्डोक चिताथला	,,	
55.	सूरजकूण्ड रसोडी	,,					

बांसवाड़ा जिले में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आगामी मानसून में कराये जाने वाले वृक्षारोपण स्थानों की सूची

क्र. सं.	नाम रेंज	नाम कार्य स्थल	क्षेत्रफल (है.)
1	2	3	4
1.	कुशलगढ़	बडला को रेल	50
2.	पीपलखूंट	पानडिया	200
3.	घाटोल	जगमेर जोगोमाल	200
4.	कुशलगढ़	मलघर	100
5.	बागीडौरा	कोबाडावरी	100
6.	खुशलगढ़	चौखड बस्सी	100
7.	डूंगरा	पानडिया	50
8.	बागीडौरा	शेगढ किलेवाला	50
9.	सज्जनगढ़	मस्काबड़ा	30
10.	घाटोल	गनोडा	20
11.	बांसवाड़ा	केसरपुरा	15
12.	आनन्दपुरी	घणेवा	15
13.	,,	बागीढ़ौरा	12
14.	घाटोल	बडाना	30
15.	बांसवाड़ा	बिलोढ़ा	15
16.	बांसवाड़ा	चोपासाग	18
17.	आनन्दपुरी	पणडोक चितायला	50
18.	बांसवाड़ा	घावडीया तोरण	50
19.	सज्जनगढ़	कारपो	50
20.	घाटोल	पुनाठार	50
21.	सज्जनगढ़	गणेशपुरा	50
22.	घाटोल	विडिताहिलेज	50
23.	सज्जनगढ़	पाडलावसुलो	50
24.	आनन्दपुरी	बेरठ	50

1	2	3	4
25.	बांसवाड़ा	घावडिया तोरण	50
26.	आनन्दपुरी	लोपथान	50
27.	बांसवाड़ा	तलिमखिया	50
28.	घाटोल	रोसल डण्डवेला	50
29.	आनन्दपुरी	हरीपुरा सागडूंगरी	50
30.	सज्जनगढ़	पण्डवाला	50
31.		वडिताहिलेज-4	100
32.		ज. जीगोपाल-4	100
33.		ज. जीगोपाल-29	100
34.		को. बगायचा-2,3	100
35.		को. बगायचा-6- बो	50
36.		भीमपुरा-3 से 5	50

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 172 की सूची

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फलासिया के 1988–89 से 1991–92 तक विद्युतिकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों की सूची एवं उनके विद्युतिकरण की तिथि–

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	तहसील/पं. स.	विद्युतिकरण तिथि
1.	गोदावतों का पाडा	77	झाडोल	31-12-88
2.	मेलानिया कलां	111	,,	,,
3.	मेलानिना खुर्द	110	,,	,,
4.	सरवली	109	,,	,,
5.	साही बाडा	99	,,	31-10-88
6.	खेडा	108	,,	31-12-88
7.	कुरावली बड़ी	107	,,	30-11-88
8.	कितावतों का बास	80	,,	30-1-89
9.	सलार	20.13.10	,,	30-1-90
10.	उबापाण	97	,,	28-2-90
11.	बुझा	136	,,	30-8-89
12.	देवला	16	,,	,,
13.	अम्बाबी	53	,,	30-9-89
14.	मवरिया	43	,,	,,
15.	कुण्डाल	42	,,	,,
16.	नेताजी का बास	22	,,	30-8-89
17.	कितावतों का खेडा	25	,,	30-9-89
18.	पीपल बारा	23	,,	30-1-90
19.	चौहानवास	7	,,	30-12-89
20.	मूरा	8	,,	,,
21.	चोखलावास	9	,,	,,
22.	देवडावास	5	,,	30-11-89
23.	बाजावतों का खेडा	3	,,	,,
24.	बेलवा उर्फ दाडमिया	170	,,	,,

परिशिष्ट--10

अतारांकित प्रश्न संख्या 179 का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्षवार व्यय (लाखों में)			
		88-89	89-90	90-91	91-92
(1)	कोल्यारी	19.34	9.14	3.56	—
(2)	बाड़ा पीपला	18.08	7.54	4.00	0.32
(3)	बक्सा का साकप	13.60	15.80	7.22	2.93
(4)	आगका परियोजना	23.23	27.74	21.00	18.81

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न संख्या 182 की सूची

जिलेवार स्वीकृत की गई श्रमिकों की संख्या

क्र. सं.	नाम जिला	निर्धारित श्रमिक संख्या
1.	बीकानेर	10,000
2.	बाड़मेर	10,000
3.	जैसलमेर	5,000
4.	जोधपुर	5,000
5.	डूंगरपुर	7,000
6.	बांसवाड़ा	5,000
7.	चूरू	5,000
8.	उदयपुर	3,000

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 185 की प्रति

राजस्थान सरकार
सहायता विभाग

पत्रांक/एफ 5 (3) स.आ/चारा/87-88/19017-78

-जयपुर, दिनांक-9-3-88-

कार्यालय आदेश

देशी पशु आहार पशु पालकों को अनुदानित दरों पर उपलब्ध कराने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। पशु आहार की खरीददारी क्रय विक्रय सहकारी समितियों के मार्फत की जावेगी तथा इसका वितरण क्रय विक्रय सहकारी समितियों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित राशन की दुकानों के मार्फत किया जावे। अतः इस कार्य की देखरेख करने एवं कीमतों के निर्धारण हेतु निम्न सदस्यों की कमेटी का गठन तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

1.	प्रबंध निदेशक, राजफैड	कनवीनर
2.	उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1)	सदस्य
3.	उप सचिव, हसातया	,,
4.	मुख्य लेखाधिकारी, राजफैड	,,
5.	वरिष्ठ लेखाधिकारी, सहायता	,,

आज्ञा से,
गोवर्धन शर्मा
(जी.एल. शर्मा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, खाद्य विभाग, राज. जयपुर।

2. प्रबंध निदेशक, राजफैड, राज. जयपुर।
3. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) राज. जयपुर।
4. उप सचिव, सहायता, राज. जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, राजफैड, जयपुर।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सहायता राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, मा. सहायता मंत्रीजी, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, मा. राज्य मंत्रीजी, सहायता, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, सहायता सचिव, राज. जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर।
11. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।

गोवर्धन शर्मा
(जी.एल. शर्मा)
उप शासन सचिव

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 188 का विवरण

अतारांकित प्रश्न संख्या 34/पंम./पंचायत/अता. के भाग (1) से सम्बन्धित सूची। भरतपुर जिले में किये गये अन्तर जिला स्थानांतरण की सूची।

क्रसं.	नाम पंचायत समिति	वर्ष 1991 में किये गये सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण की संख्या
1.	पंचायत समिति सेवर	61
2.	कुम्हेर	66
3.	डीग	57
4.	नगर	40
5.	कामा	27
6.	बैर	22
7.	बयाना	41
8.	रामवास	19
9.	नदबई	25
		योग: 358

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 196 का विवरण

अतारांकित प्रश्न संख्या 32/सानिम/चिकित्सा/अता. के भाग एक का विवरण

रेफरल हॉस्पिटल, पी.एच.सी., एडपोस्ट, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के मापदण्ड:

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र : (रेफरल हॉस्पिटल)

एक लाख की आबादी। प्रत्येक पंचायत समिति में एक वर्ष एवं स्थानीय आवश्यकता अनुसार।

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :

सामान्य क्षेत्र में प्रति 30 हजार पर एवं जनजाति। रेगिस्तानी क्षेत्र 20 हजार पर एवं स्थानीय आवश्यकता अनुसार।

3. एडपोस्ट (उच्चीकृत उपकेन्द्र) :

स्थानीय आवश्यकता अनुसार उपकेन्द्र को क्रमोन्नत कर एडपोस्ट खोले जाते हैं।

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 201 का विवरण

दौसा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम प्रा.स्वा. केन्द्र	रिक्त पद का नाम	संख्या
1.	दौलतपुरा	1. स्वास्थ्य निरीक्षक	1
		2. प्रसाविका	1
		3. लेब. टैक्नीशियन	1
		4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
2.	डीडवाना	1. मेलनर्स श्रेणी द्वितीय	1
		2. स्वास्थ्य निरीक्षक	1
		3. लेब. टैक्नीशियन	1
3.	रामगढ़ पचवारा	1. लेब टैक्नीशियन	1
4.	सिकराय	1. कनिष्ठ विशेषज्ञ	1
		2. स्टाफ नर्स	1
		3. वरिष्ठ लिपिक	1
		4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2
		5. मेलनर्स श्रेणी II	2
5.	नागलराजावतान	1. मेलनर्स श्रेणी II	1
		2. प्रसाविका	1
		3. कनिष्ठ लिपिक	1
6.	पापडदा	1. महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		2. लेब टैक्नीशियन	1
7.	लवाण	1. स्वास्थ्य निरीक्षक	1
		2. कनिष्ठ लिपिक	1

1	2	3	4
8.	कुण्डल	1. मेलनर्स श्रेणी II	1
		2. प्रसाविका	1
		3. कनिष्ठ लिपिक	1
9.	खारण्डी	1. मेलनर्स श्रेणी II	2
		2. महिला स्वा. दर्शिका	1
		3. कनिष्ठ लिपिक	1
		4. लेब. टेक्नीशियन	1
		5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या 202 की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी.)	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3	4
1.	सम्पर्क सड़क भादेला	17 किमी.	42.50 लाख
2.	मिसींग लिंक रणजीतपुरा से बरसलपुरा वाया रावला	14 किमी.	63.00 लाख
3.	सम्पर्क सड़क रायसर (अनटाइड)	13 किमी.	13.00 लाख
4.	बीकानेर से सियाना (मुजासर से सियाना ग्रेवल सड़क)	5 किमी.	5.00 लाख
5.	बरसिंहसर से गजनेर (गेवल पार्ट लम्बाई)	10 किमी.	10.00 लाख
6.	नापासर से रामसर	11 किमी.	25.50 लाख
7.	अधूरा सड़क कार्य किलचु से केसरदेसर	3 किमी.	7.50 लाख
8.	सम्पर्क सड़क केला (अनटाइड फन्ड)	6 किमी.	6.00 लाख
9.	मंडी लूणकरणसर (अ) मोची मार्केट	1 किमी.	3.00 लाख
	(ब) सैक्टर नं. 3	1 किमी.	3.00 लाख

1	2	3	4
10.	मंडी बेरियावाली (अ) सब्जी मंडी	1 किमी.	3.00 लाख
	(ब) उपनिवेशन डाक बंगले के पास	1 किमी.	3.00 लाख
11.	छत्तरगढ के स्थान पर बेरीवाला	2.25 किमी.	6.75 लाख
12.	गोडू के स्थान पर लूणकरणसर सैक्टर नं. 3 व 4	1 किमी.	3.00 लाख
13.	मंडी लूणकरणसर (दाल मंडी)	1 किमी.	4.00 लाख
14.	खाजूवाला/बेरीवाला (1) नई मंडी सड़क	1/2 किमी	2.00 लाख
	(2) सब्जी मंडी	1 किमी.	4.00 लाख
	(3) आवासीय सैक्टर नं. 3	1 किमी.	4.00 लाख
15.	गोडू (दाल मंडी)	1 किमी.	4.00 लाख
16.	धनजी की ढाणी से गोडू रोड किमी. 26/0 वाया विजेरी एवं लिंक बी. एल. एम.	35 किमी.	224.00 लाख
17.	मुख्य नहर आर. डी. 763 से 1 ए. डी. एम सड़क वाया छम्ब	20 किमी.	138.00 लाख
18.	गोडू से वारणवाला ब्रान्च आर. डी. 25 वाया फूलासर	13 किमी.	83.00 लाख
		158.75 किमी.	657.25 लाख